चतुर्दश माला, खंड 33, अंक 18

बुधवार, 16 अप्रैल, 2008
27 चैत्र, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. ....
Dated ....

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

कैलाश बैसोया
सहायक सम्पादक

भूषण कुमार/रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 18, बुधवार, 16 अप्रैल, 2008/27 चैत्र, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
नर्मदा नहर में बस गिरने से बच्चों की मौत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 343, 345, 347, 350, 351 और 353	1–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 344, 346, 348, 349, 352 और 354 से 360	43–56
अतारांकित प्रश्न संख्या 3366 से 3551	56–300
सभा पटल पर रखे गए पत्र	300–308
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
37वें से 40वां प्रतिवेदन	308–309
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
55वें से 59वां प्रतिवेदन	309
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
29वां प्रतिवेदन	310
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
20वां और 21वां प्रतिवेदन	310
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
67वें से 71वां प्रतिवेदन	311
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
23वां और 24वां प्रतिवेदन	311–312
रेल संबंधी स्थायी समिति	
36वां प्रतिवेदन	312
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
31वां और 32वां प्रतिवेदन	312

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
25वां और 26वां प्रतिवेदन	312–313
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
31वें से 34वां प्रतिवेदन	313
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
31वें से 33वां प्रतिवेदन	314
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
85वां और 86वां प्रतिवेदन	314
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
130वें से 133वां प्रतिवेदन	315
कार्य मंत्रणा समिति	
37वां प्रतिवेदन	315
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	316–317
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुए घाटे के बारे में दिनांक 04.12.2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री पवन कुमार बंसल	316
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 22वें और 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अंबुमणि रामदास	317
उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण के दायरे से ''क्रीमी लेयर'' को बाहर रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में	319–328
नियम 377 के अधीन मामले	328–339
(एक) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	329
(दो) झारखंड के गोड्डा और देवधर जिलों में बाढ़-प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री फुरकान अंसारी	329
(तीन) उत्तराखंड में एल पी जी और मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	329–330
(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से होकर जाने वाली तथा अलवर, राजस्थान को रेवाड़ी, हरियाणा से जोड़ने वाली सड़कों की उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	330
(पांच) गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा में कृषि उपज विपणन समिति को आय कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	330–331

विषय	कॉलम
(छह) राजस्थान में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि का हिस्सा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री महावीर भगौरा	331–332
(सात) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर-मंडला को मध्य प्रदेश के जबलपुर से जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	332
(आठ) नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता क्योंझर गढ़ चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	332–333
(नौ) ''सर्वशिक्षा अभियान'' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का अंश बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	333
(दस) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच बरास्ता वाराणसी उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जुएल ओराम	333–334
(ग्यारह) तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित मेलूर तालुक में एक केन्द्रीय पॉलिटेकनीक स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	334
(बारह) केरल में जिन किसानों की फसलें भारी वर्षा के कारण बर्बाद हो गई हैं, उन्हें राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सी.एस. सुजाता	335
(तेरह) बुंदेलखंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	335–336
(चौदह) उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाप्रदा	336
(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्र प्रसाद निशाद	336
(सोलह) महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	337
(सत्रह) पशुओं के विरुद्ध क्रूरता को रोकने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परंपरागत बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन जेना	337–338
(अठारह) पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिले से गुजरती इच्छामती नदी की गाद निकालने तथा उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय चक्रवर्ती	338
(उन्नीस) पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अवसंरचना विकास के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	338–339

विषय	कॉलम
(बीस) तमिलनाडु में शिवकाशी और श्रीविल्लीपुत्तूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे समपार संख्या 427 पर सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	339
नियम 193 के अधीन चर्चा	340–449
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
श्री गुरुदास दासगुप्त	340–350
श्रीमती सुमित्रा महाजन	350–357
श्री सचिन पायलट	357–364
श्री बसुदेव आचार्य	364–372
श्री मोहन सिंह	373–376
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	376–382
श्री रमेश दूबे	382–383
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	383–386
श्री चंद्रकांत खैरे	387–390
श्री खारबेल स्वाईं	390–397
श्री सन्दीप दीक्षित	397–405
श्री ए. कृष्णास्वामी	405–408
श्री पी. चिदम्बरम	408–425
प्रो. एम. रामदास	425–431
श्रीमती किरण माहेश्वरी	431–439
श्री पी.सी. थामस	440
श्री मधुसूदन मिस्त्री	441–447
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	447–449
श्री किन्जरपु येरननायडु	449–453
श्री अविनाश राय खन्ना	453–455
श्री गणेश सिंह	455–458
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	458–460
श्री शरद पवार	460–499
अनुदानों की मांगें (रेल) 2008-09	500–520
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	501–506
श्री एस.के. खारवेनथन	507–512
श्री सुधांशु सील	512–514
श्री मोहन जेना	515–517
श्री चंद्रकांत खैरे	517–519
श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील	519–520
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	521
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	522–526
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527–530
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527–530

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 16 अप्रैल, 2008/27 चैत्र, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

नर्मदा नहर में बस गिरने से बच्चों की मौत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज सुबह लगभग 41 बच्चों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए जब एक बस उन्हें ले जाते हुए वड़ोदरा, गुजरात के नजदीक बोडेली में नर्मदा नहर में जा गिरी।

मेरा विश्वास है कि यह सभा इस दुर्घटना पर अपना दु:ख व्यक्त करते हुए बहुमूल्य जान-हानि पर शोक व्यक्त करने में मेरे साथ है।

हम शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना, सहानुभूति तथा दु:ख व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमने आज सभा दुखी मन से शुरू की है लेकिन मुझे आशा है कि आपके विनम्र सहयोग से आज संसद कार्य करेगी। धन्यवाद। अब, प्रश्न 341—श्री गुंडलूर निजामुद्दीन।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना

*341. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को चार लेन वाले राजमार्गों में बदलने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से कुल कितनी धनराशि की मांग की गई तथा मंत्रालय को वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लंबाई को चार लेन में बदलने का लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक उपलब्धि कितनी रही?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सड़कों हेतु 1,13,060.45 करोड़ रु. जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाए जाने के लिए धनराशि भी शामिल है, की आवश्यकता का प्रस्ताव किया था। इसके बदले में केंद्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए 1,07,359 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया गया है।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार लेन बनाने से संबंधित भौतिक लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज को पूरा करना।
2. उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग को वर्ष 2007 तक पूरा करना।
3. 800 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, को चार/छह लेन का बनाना। तथापि, 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान बाद में इसे संशोधित करके इसे लगभग 150 कि.मी. कर दिया गया था। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए वास्तविक भौतिक लक्ष्य 164.59 कि.मी. आंका गया था।

10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों की प्रगति के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं को चार/छह लेन का बनाने के लक्ष्य और उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध I

10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (31.3.2007 को) स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों की प्रगति के राज्यवार ब्यौरे

(लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	स्वर्णिम चतुर्भुज		उत्तर दक्षिण*		पूर्व पश्चिम*	
		लंबाई	पूर्ण	लंबाई	पूर्ण	लंबाई	पूर्ण
1.	आंध्र प्रदेश	1,016	1,016	771	39	–	–
2.	असम	–	–	–	–	679	18.50
3.	बिहार	206	194	–	–	501	13
4.	दिल्ली	25	25	21	8.50	–	–
5.	गुजरात	485	485	–	–	634	337
6.	हरियाणा	152	152	183	131	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	11	–	–	–
8.	जम्मू-कश्मीर	–	–	399	14.50	–	–
9.	झारखंड	192	185	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	623	574	93	28.50	–	–
11.	केरल	–	–	162	33.90	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	–	537	42	118	25
13.	महाराष्ट्र	489	489	270	35	–	–
14.	उड़ीसा	443	324	–	–	–	–
15.	पंजाब	–	–	271	197	–	–
16.	राजस्थान	722	722	30	20	527	–
17.	तमिलनाडु	341	341	750	60	–	–
18.	उत्तर प्रदेश	755	658	201	23	653	56
19.	पश्चिम बंगाल	397	391	–	–	331	47
	योग	5,846	5,556	3,699	632	3,443	497

*उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को 2007 तक पूरा किया जाना था।

अनुबंध II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, को चार/छह लेन का बनाने के लक्ष्य और उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे

(लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	51	47
2.	चंडीगढ़	2	1
3.	दिल्ली	2.5	0
4.	गुजरात	30.74	45.1
5.	हरियाणा	9	11.16
6.	कर्नाटक	2	2
7.	मध्य प्रदेश	0	1.8
8.	महाराष्ट्र	5.3	0.55
9.	मणिपुर	11.45	7.6
10.	पुडुचेरी	0	1.6
11.	पंजाब	0	1
12.	राजस्थान	9.6	13.8
13.	तमिलनाडु	0	3.2
14.	उत्तर प्रदेश	30	15.5
15.	उत्तराखंड	11	6
	योग	164.59	157.31

श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों को चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो अब तक शुरू किए गए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कुछ प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, वे प्रस्ताव जिन पर हमने विचार किया है, वे हैं: विजयवाड़ा-राजामुन्द्री; टाडा-नेल्लोर बाइपास; विशाखापत्तनम-अनकापल्ली-राजामुन्द्री.....

अध्यक्ष महोदय: यदि यह सूची लंबी है तो बाद में इसे इनके पास भेज दें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह बहुत छोटी है। ये हैं: विजयवाड़ा-राजामुन्द्री, टाडा-नेल्लौर बाइपास, विशाखापत्तनम-अनकापल्ली-राजामुन्द्री; श्रीकाकुलम-विशाखापत्तनम; नेल्लौर-चिलकलूरिपेट; इच्चापुरम-श्रीकाकुलम; विजयवाड़ा-चिलकलूरिपेट; हैदराबाद-विजयवाड़ा; कडप्पा-माइडुकूर-कुर्नूल; तिरूपति-तिरूधानी-चेन्नई। इन परियोजनाओं को एनएचडीपी-5 तथा एनएचडीपी-3 में शामिल किया गया है।

श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या औद्योगिक क्षेत्रों, पत्तनों, खनन क्षेत्रों, विद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रों को जाने वाली पर्याप्त चौड़ी सड़कें प्रदान करके उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात के संवर्धन के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव हैं?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का संबंध है, हम एनएचडीपी-3 के अंतर्गत परियोजनाएं लेते हैं। जहां तक पत्तन संपर्कता का संबंध है, हम जहां आवश्यक हो वहां परियोजनाएं लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जोरा सिंह मान—उपस्थित नहीं।

अब अविनाश राय खन्ना।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब की तरफ से उनके मंत्रालय में फोर लेनिंग करने की कोई प्रपोजल आई है, यदि आई है, तो कब तक उसे कंपलीट करेंगे?

महोदय, मंत्री जी ने आंसर में दिया है कि पिछले वर्ष, टैंथ फाइव ईयर प्लान में पंजाब में कंपलीट करने का टारगेट तो जीरो, लेकिन एक किलोमीटर सड़क बना दी है, क्या यह पंजाब के साथ मजाक नहीं है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक भारत सरकार का संबंध है पंजाब सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हमने पानीपत-जालंधर; लुधियाना-चंडीगढ़; अंबाला-जिरकपुर; अमृतसर-वाघा; अमृतसर-पठानकोट; कुरली-कीरतपुर; चंडीगढ़-कुरली; जालंधर-अमृतसर;

लुधियाना-तलवंडी; जिरकपुर-परवानू शुरू किये हैं। इन परियोजनाओं को एनएचडीपी-3 तथा एनएचडीपी-5 में शुरू किया गया है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के संपूर्ण खंड को चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की कोई योजना है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके छह लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो सड़क की आवश्यक चौड़ाई क्या है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या केरल में कहीं भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप विनम्रतापूर्वक 'हां' या 'नहीं' कहें।

श्री टी.आर. बालू: हां, महोदय। यह सरकार केवल 'हां' कहेगी बशर्ते राज्य सरकार बिना कोई पूर्व शर्त लगाए या इस तरह की अन्य बातें किए बगैर समय पर भूमि अधिग्रहण करे। इसके अलावा, जहां तक केरल का संबंध है, भूमि की लागत काफी ज्यादा है, यह कल्पना के बाहर है। इसलिए, मैंने मुख्यमंत्री से ही कहा कि आप अपनी परियोजनाओं के लिए जो भी खरीदने जा रहे हैं, उस मूल्य को भारत सरकार द्वारा भी हिसाब में ली जा सकती है। उन्हें अपने भीतर हमें भी समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला राज्य है। महाराष्ट्र से कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गए हैं, जिनमें सीआरएफ, नेशनल हाइवे और बीओटी के लिए भी हैं। मेरा क्षेत्र अजंता-एलोरा पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और वहां शोलापुर से धुलिया जाने वाला रास्ता फोर लेन करने की बात काफी दिन से हो रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जितने भी प्रपोजल्स हैं, उनको प्राइओरिटी दी जाए और किन-किन प्रपोजल्स को आप प्राइओरिटी देंगे?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: यदि माननीय सदस्य विशेष भाग का नाम या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बताएं तो मैं निश्चित रूप से उनकी सहायता करूंगा साथ ही, यदि किसी चीज की आवश्यकता हो, वे मुझसे संपर्क करें। यदि यात्री कार इकाई मूल्य ऊंची हो, हम निश्चित रूप से चार लेन वाली बनाएंगे। यदि यह 15,000 या 20,000 से ज्यादा हो, हम निश्चित रूप से विशिष्ट सड़क को विकसित करेंगे बशर्ते यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो।

अध्यक्ष महोदय: नागर विमानन के पश्चात् सड़कें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की उपलब्धियां

***342. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत देश की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ख) चन्द्रमा पर उपग्रह भेजने के संबंध में भारत के अब तक के प्रयासों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) इस संबंध में सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतरिक्ष कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:

* 20 प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों को पूरा किया गया,
* 10वीं योजना के 175 प्रेषानुकरों के लक्ष्य को पार कर संचार प्रेषानुकरों की क्षमता में 100 से 200 तक वृद्धि,
* आम लोगों के लिए लाभकारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुप्रयोगों के नए परिदृश्य जैसे-ग्रामीण संसाधन केंद्रों, दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा का बड़े पैमाने पर विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों की गणना और आपदा प्रबंध सहायता की स्थापना,
* 5.8 मीटर की विभेदन वाली प्रतिबिंबन क्षमता में वृद्धि करके 1 मीटर से बेहतर विभेदन की प्रतिबिंबन क्षमता की प्राप्ति,
* स्वदेशी क्रायो इंजन/चरण, वायु-श्वसन नोदन, विद्युत नोदन, के.यू.-बैंड संचार, माइक्रोवेव सुदूर संवेदन, द्वितीय प्रमोचन पैड जैसी नई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं का विकास किया गया है और इनकी अर्हता जांच की गई है,
* पहली बार किसी अंतरिक्षयान को कक्षा में प्रमोचित किया गया और एस आर ई मिशन के माध्यम से उसे सफलतापूर्वक वापस लाकर पुन: प्राप्त किया गया।

(ख) चंद्रयान-1 पी एस एल वी द्वारा प्रमोचित किया जाने वाला भारत का प्रथम उपकरणयुक्त चंद्र मिशन है। चंद्रयान-1 का उत्थापन भार 1304 कि.ग्रा. होगा और यह अपने साथ 11 वैज्ञानिक नीतभार ले जाएगा, जिसमें से पांच भारत के नीतभार और 6 विश्व के विविध वैज्ञानिक समुदायों के नीतभार होंगे। चंद्रयान-1 अंतरिक्षयान चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और 2 वर्ष की मिशन अवधि के दौरान दृश्य, निकट अवरक्त, निम्न ऊर्जा एक्स-किरण और उच्च ऊर्जा एक्स-किरण के क्षेत्रों में चंद्रमा का उच्च विभेदन सुदूर संवेदन प्रदान करेगा। यह खनिज और रासायनिक तत्वों के वितरण का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण चंद्र सतह का रासायनिक और खनिजविज्ञान संबंधी मानचित्र, चंद्रमा के निकट और दूरस्थ पार्श्व का त्रि-विमीय एटलस प्रदान करेगा।

इस समय, चंद्रयान-1 की मुख्य ढांचा प्रणाली विविध परीक्षणात्मक नीतभार पैकेजों के साथ समाकलन हेतु तैयार है। परीक्षणात्मक पैकेजों का अंतरिक्षयान मुख्य ढांचा पर समाकलन किया जा रहा है। समाकलन और प्रारंभिक परीक्षण के पश्चात् मई 2008 के प्रथम सप्ताह से अंतरिक्षयान के अंतरिक्ष अनुकार चैंबर और कंपन वाले ध्वनिक सुविधाओं का परीक्षण प्रारंभ किया जाएगा। चंद्रमा पर उड़ान में और चंद्रमा की परिक्रमा करते समय उपग्रह को नियंत्रित करने वाली 18 मीटर और 32 मीटर की एन्टेना प्रणाली द्वारा गहन अंतरिक्ष अनुवर्तन नेटवर्क की स्थापना की गई है। 2008 की तीसरी तिमाही तक चंद्रयान-1 प्रमोचन हेतु राकेट को तैयार रखने के लिए पीएसएलवी की उप-प्रणालियों का समाकलन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, अंतरिक्ष संबंधी संसद की स्थायी समिति ने एक सिफारिश की थी कि अंतरिक्ष मंत्रालय एक लम्बी और निश्चित अवधि के लिए अपना कार्यक्रम बनाए और उस पर अमल करे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस सिफारिश के अंतर्गत कोई लम्बी अवधि का कार्यक्रम तैयार किया है, यदि किया है, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना अमल किया गया है?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, अंतरिक्ष विभाग ने आगामी 25 वर्षों हेतु एक दीर्घावधि दृष्टिकोण पत्र पर कार्य शुरू किया है जिसमें अंतरिक्ष विभाग की सभी गतिविधियां शामिल होंगी। यह अभी चर्चाधीन है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल से हटकर उत्तर दिया है। चीन ने हमारे बाद स्पेस के कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन भारत इतने सालों में उससे पिछड़ गया है। मई, 2008 में आप चन्द्रयान-1 भेजेंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में आदमी को चन्द्रमा पर भेजने का आपका कोई कार्यक्रम है? यदि है, तो कब तक भेजेंगे और नहीं है, तो क्यों नहीं है?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, उनके प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला, चीन के साथ तुलना है। मैं इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में विशेषरूप से दूरसंवेदी अनुप्रयोग, हमारे चित्र प्राप्त करने की गुणवत्ता के मामले में भारत चीन से आगे है।

चीन, वास्तव में हमसे प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में आगे है। लेकिन उपग्रह बनाने के मामले में भी हम विश्व के सबसे बेहतरीन देशों में से एक हैं।

अब अंतरिक्ष में मानव भेजने के उनके प्रश्न के मामले में, अंतरिक्ष में मानव भेजने पर गंभीर अध्ययन चल रहा है। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अंतरिक्ष में मानव भेजने तथा चन्द्रमा पर मानव भेजने पर मैं अंतर करूंगा। पहला चरण जो हम लेंगे वह अंतरिक्ष में मानव भेजने का है। वह निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। यह वैज्ञानिकों तथा सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। हमने इस परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 95 करोड़ रुपये गत वर्ष आबंटित किए थे। जल्द ही, यह सरकार के सामने आएगी तथा हम अंतरिक्ष में मानव भेजने की लाभ-हानि का आकलन करेंगे।

चंद्रयान परियोजना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह परियोजना सही दिशा में चल रही है और इस यान को इस वर्ष की तीसरी तिमाही में छोड़े जाने की संभावना है। इसके माध्यम से एक उपग्रह भेजा जाएगा जो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और हम चन्द्रयान परियोजना को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मुझे इस बात पर गर्व है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशेषत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सराहनीय विकास किया गया है। हमने सफलतापूर्व उपग्रह प्रक्षेपित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा इतिहास इसकी पुष्टि करता है। मैं चन्द्रयान-प्रथम की सफलता की कामना करता हूं लेकिन इस संबध में मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि जब हम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के उपग्रहों को

प्रक्षेपित करते है और इसके अतिरिक्त जब हम वाणिज्यिक रूप से किसी अन्य देश के निजी या सरकारी क्षेत्र के लिए भी किसी उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं तो क्या अन्य देशों के लिए ऐसे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु रक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी प्रोटोकाल या कोई विचार करते हैं। इस विशेष संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले वर्ष भारत सरकार और इसरो ने इस्राइल के एक जासूस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था क्या उस समय भारत सरकार के सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा इन पहलुओं पर विचार किया गया था।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, जैसाकि मैंने कहा है आज भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतरीन क्षमता हासिल कर ली है। भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला एक बड़ा राष्ट्र है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा शुमार विश्व के ऐसे पांच देशों में है जिनके पास अत्याधुनिक अंतरिक्ष क्षमता है। इस प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए हमारे पास "अंतरिक्ष" नामक एक वाणिज्यिक संगठन भी है जो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न उत्पादों की पेशकश करता है। एक ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर हम लम्बे समय से यह आशा कर रहे है अब चूंकि हमारे राकेट लांचर विशेषकर पीएसएलवी और जीएसएलवी और अधिक आधुनिक हो गए हैं, तो हम इनके वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। भारत अभी तक अपने राकेटों से सफलतापूर्वक आठ विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है। यह सच है कि इस्राइल के उपग्रह के प्रक्षेपण से पूर्व इटली के उपग्रह 'राजाइल' के प्रक्षेपण के बाद, जो कि एक समर्पित (डेडीकेटेड) प्रक्षेपण था, उन उपग्रहों का प्रक्षेपण वाणिज्यिक करार के एक भाग के रूप में किया गया था। इस पर सरकार के उच्चतम स्तर पर विचार किया गया था और इटली और इस्राइल के उपग्रहों के प्रक्षेपण से इसरो को भारी धनराशि प्राप्त हुई और हम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्य देशों को प्रक्षेपण सेवाओं की पेशकश करने वाले एक प्रमुख देश बन गए हैं।

यदि उन्हें इससे ज्यादा की जरूरत है तो मैं उन्हें वह सूचना भी उपलब्ध कराऊंगा।

मोहम्मद सलीम: सुरक्षा और रक्षा प्रतिफलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सरकार ने इस पर विचार किया है। किसी उपग्रह के प्रक्षेपण संबंधी यह केवल एक वाणिज्यिक करार है। अनेक देशों के पास इस प्रकार के उपग्रह हैं, जोकि राडार इमेजिंग उपग्रह हैं जिनमें पांच मीटर के रेज्युलेशन है। कनाडा वाणिज्यिक रूप से इमेजिंग उपग्रहों की भी पेशकश कर रहा है। यह इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र केवल उपग्रह के प्रक्षेपण तक ही है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, वास्तव में यह नोट करना बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है और हमारे देश में अभी तक 20 बड़े अंतरिक्ष प्रयोजनों को पूरा किया है। मैं चन्द्रयान प्रथम के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसाकि बताया गया है कि इस वर्ष की तीसरी तिमाही में चन्द्रयान-प्रथम द्वारा 1,304 किलोग्राम का पहला वैज्ञानिक भार ले जाया जाएगा और यह ग्यारह वैज्ञानिकों का भार ले जाएगा। जैसाकि उत्तर में बताया गया है कि इसमें से पांच भारत के होंगे और 6 अन्य विश्व के अन्य विभिन्न वैज्ञानिक समुदायों के होंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे छह अन्य वैज्ञानिक समुदाय कौन से हैं जो इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, चन्द्रयान-प्रथम अभियान एक अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान, चन्द्र अन्वेषण अभियान है। चन्द्रमा की सतह के अध्ययन के लिए यह एक वैज्ञानिक अभियान है। जब कभी विश्व में किसी देश द्वारा किसी ऐसे वैज्ञानिक अभियान की शुरूआत की जाती है तो उस समय प्रत्येक देश द्वारा अन्य देशों के साइंटिफिक पेलोड को अवसरों की पेशकश की जाती है। इस अभियान में भारत ने मुख्य उपकरणों को ले जाए जाने के अलावा चन्द्रयान प्रथम में अन्य देशों के कुछ उपग्रहों को ले जाने के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रयोगों की भी पेशकश की है। अमेरीका सहित विभिन्न देशों के छह प्रयोगों जोकि अधिकतर विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं से संबंधित हैं, को निशुल्क ले जाया जाएगा। जैसाकि हमने विगत में भी किया है, हमारे प्रयोगों को अन्य उपग्रहों द्वारा ले जाया गया है और अब क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काबिलियत हासिल कर ली है इसलिए हम चन्द्रयान-प्रथम में कतिपय प्रायोगिक भार (पेलोड) को ले जाने के लिए अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग की पेशकश कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, यह सच है कि विश्व भर में भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता दी गई है लेकिन हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बाधा है, जैसाकि हमें इसरो और इसकी रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक अब भी विदेशों में कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम उन्हें अपने देश में वापिस कैसे ला सकते है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक नासा में काम कर रहे हैं और अन्य देशों का बड़ा नाम है। क्या इन्हें भारत लाए जाने का कोई रास्ता है?

अध्यक्ष महोदय: यह केवल सरकार का काम नहीं है। मैं समझता हूं यह सभी का काम है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, यह सच है कि हमारे वैज्ञानिक स्थापनाओं के अनेक अच्छे वैज्ञानिक विदेश चले जाते हैं। हमारी

वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालय के होनहार वैज्ञानिक भी विदेश चले जाते हैं लेकिन मैं यह नहीं मानता कि यह दर चिंताजनक रूप से अधिक है। आज अनेक लोग, भारतीय वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा उन्हें दिए गए कार्यों की गुणवत्ता के कारण भारत में ही रहना चाहते हैं। लेकिन महोदय यह सच है और इसलिए हमने वैज्ञानिकों की कमी को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अंतरिक्ष विभाग ने त्रिवेन्द्रम में एक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान की शुरूआत की है। हमने ऐसे लोगों की भर्ती की है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित हैं और हम अधिकतर वैज्ञानिकों की कमी को पूरा कर लेंगे जो हमारे बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न हुई है।

एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चे

***343. एडवोकेट सुरेश कुरूप:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) का एचआईवी/एड्स के पीड़ित अनाथ और इस रोग से ग्रसित हो सकने वाले बच्चों (ओवीसी) से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एचआईवी/एड्स से पीड़ित ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में एचआईवी/एड्स से पीड़ित विशेष रूप से ओवीसी श्रेणी के बच्चों के समक्ष आ रही कठिनाइयों/समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) यद्यपि यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 2.5 मिलियन है, तथापि संक्रमित और प्रभावित अनाथ और असुरक्षित बच्चों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे आंकड़ों के अभाव में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 (एनएसीपी 2 1999-2006) के अंतर्गत कार्यनीति से संबंधित कोई परिभाषित कार्यकलाप नहीं था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-3 (2007-2012) के अंतर्गत दो पहलें शुरू की गई हैं:

1. संक्रमित बच्चों की पहुंच रिट्रोवायरलरोधी उपचार (एआरटी) तक बढ़ाना। वर्ष 2006-07 तक रिट्रोवायरलरोधी उपचार पर रखे गए एडल्ट ड्रग्स लेने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 1800 थी। रिट्रोवायरलरोधी औषधों की निश्चित खुराक वाले पीडिएट्रिक सम्मिश्रण शुरू करने के समय से अब तक 32,803 बच्चों को पंजीकृत किया जा चुका है जिनमें से 9,478 बच्चे देश में 147 एआरटी केन्द्रों में एआरटी पर हैं। पंजीकृत और उपचार करवा रहे बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में है।

2. पांच वर्षों की अवधि में अवसरवादी संक्रमणों के लिए चिकित्सीय परिचर्या, मनो-सामाजिक सहायता, पूरक पोषण, शिक्षा इत्यादि समेत सेवाओं के पैकेज प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 में एड्स, क्षयरोग और मलेरिया दौर 6 के लिए वैश्विक निधि से 14 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई है। इस समय 4 राज्यों अर्थात् मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्ष 2012 तक ऐसे 65,000 बच्चों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ अनाथ समेत संक्रमित और प्रभावित बच्चों के लिए उपर्युक्त कार्यकलाप क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें से अब तक 5500 बच्चों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। आशा है कि चालू वर्ष के दौरान 9500 अतिरिक्त बच्चों को कवर कर लिया जाएगा।

अनुबंध

राज्य	पता लगाए गए एच आई वी+बच्चे	जीवित और ए आर टी पर रखे गए बच्चे
1	2	3
तमिलनाडु	5074	1638
महाराष्ट्र	7390	2383
आंध्र प्रदेश	7774	1880
कर्नाटक	4389	1198
मणिपुर	1519	355
नागालैंड	272	45
दिल्ली	1060	329
चंडीगढ़	313	138
राजस्थान	573	205
गुजरात	1070	267
पश्चिम बंगाल	306	98

1	2	3
उत्तर प्रदेश	598	192
गोवा	166	26
केरल	462	148
हिमाचल प्रदेश	84	47
पांडिचेरी	60	36
बिहार	313	66
मध्य प्रदेश	279	140
असम	51	14
अरुणाचल प्रदेश	2	0
मिजोरम	48	13
पंजाब	360	102
सिक्किम	0	0
झारखंड	131	26
हरियाणा	167	29
उत्तराखंड	52	21
जम्मू-कश्मीर	41	19
उड़ीसा	166	19
छत्तीसगढ़	80	43
त्रिपुरा	0	0
मेघालय	3	1
कुल	32803	9478

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, एचआईवी प्रभावित अनाथों और प्रभावित बच्चों के संबंध में निर्धारित कार्रवाई किए जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे पास उनसे संबंधित आंकड़े नहीं हैं लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के पास एचआईवी प्रभावित अनाथों और प्रभावित बच्चों से संबंधित आंकड़े नहीं हैं। इसलिए, सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनसे ये बच्चे वंचित रह जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे भी इस बीमारी के वाहक हो सकते हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अनाथों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एचआईवी के उपचार और रोकथाम के लिए इस वर्ग के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

डा. अंबुमणि रामदास: वर्ष 2005 से पूर्व एचआईवी/एड्स से प्रभावित अभिभावकों के कारण प्रभावित बच्चों और अनाथ बच्चों से संबंधित ज्यादा आंकड़े नहीं थे लेकिन वर्ष 2005-06 से हम इससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने में कामयाब रहे हैं। इन बच्चो से संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाने की एक वजह यह थी कि ये बच्चे जांच और काउंसिलिंग के लिए केंद्र में नहीं आ पाते चूंकि ये बच्चे हैं और इन्हें इन केन्द्रों तक घर के वरिष्ठ सदस्य ही ला सकते हैं। लगभग 2005-06 से हम आंकड़े एकत्रित करने में सफल रहे हैं। मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि इन एआरटी केंद्रों में अब तक 32,803 बच्चों के नाम पंजीकृत किए गए हैं इनमें से 9,478 बच्चों को दवाई दी जा रही है।

हमने पिछले वर्ष राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-तृतीय शुरू किया है जिसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और हम अनाथ बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा, मनो-सामाजिक सहायता, उनके पोषण स्तर के साथ-साथ उनकी माताओ को दक्ष बनाने के लिए धनराशि का एक भाग भी आबंटित कर रहे हैं ताकि इससे रोजगार का सृजन किया जा सके जिससे बच्चों की देखभाल हो सके। पुन: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह न केवल स्वास्थ्य का मुद्दा है अपितु ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। इसलिए इन बच्चों की देखभाल के लिए सामाजिक न्याय विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, हम सभी को पता है कि एचआईवी बच्चों को हर तरफ सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिन विद्यालयों में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उन्हें उस विद्यालय छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है।

चिकित्सा कर्मियों द्वारा उन्हें समुचित उपचार नहीं दिया जाता है। अतएव, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जनता विशेषकर विद्यालयों में अध्यापकों और चिकित्सा कर्मियों को इस घटक के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा प्रश्न है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं भी उन सब बातों को स्वीकार करता हूं जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है। पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) 1992 में प्रारंभ हुआ था, दूसरा एनएसीपी 1999 में और तीसरा 2007 में प्रारंभ हुआ था। न केवल प्रभावित व्यक्तियों अपितु आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हमने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत काफी कुछ अनुभव किया। यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि एचआईवी/एड्स संबंधी संसदीय मंच भी जागरूकता पैदा करने की दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हम विधायी मंच,

पंचायत मंच आदि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पंचायत सदस्यों को दिल्ली बुलाया है और हम ब्राण्ड अम्बैसडर भी बना रहे हैं।

हम तकरीबन 1,15,000 विद्यालयों में गए हैं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने इन विद्यालयों और कालेजों में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए 'रेड रिबन' क्लब बनाए हैं। परंतु कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई है जिनमें मासूम बच्चों विशेषकर केरल और महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्यों के बच्चों को विद्यालय जाने से रोक दिया गया है। उनमें से कुछ लोगों को रोजगार से हटा दिया गया है और स्वयं विद्वान चिकित्सकों द्वारा भी उन्हें दुत्कारा गया है। अब इस मुद्दे का समाधान करने के लिए हमने जागरूकता पैदा की है और इस प्रकार की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अतएव हम एक कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके साथ कार्यस्थल, शैक्षणिक स्थलों और उपचार के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम पिछले $1^1/_2$ वर्ष से इस अधिनियम पर कार्य कर रहे हैं। हमने बहुत विचार-विमर्श और चर्चाएं की हैं। अधिवक्ताओं के सामूहिक मंच को यह दायित्व सौंपा गया है और वे देश के अलग-अलग हिस्सों में भी गए हैं। हाल ही में, यह कार्य प्रगति पर है और विधि मंत्रालय में इस पर कार्रवाई चल रही है। आशा की जाती है कि इस वर्ष में भी यथासमय कार्य स्थलों, उपचार के स्थानों और रोजगार के स्थानों पर भेदभाव के विरुद्ध संसद में अभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम कानून बना लेंगे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ऐसे मासूम एचआईवी/एड्स पीड़ितों जो इस देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, के लिए विशेष आवासीय अनाथाश्रम स्थापित करने की कोई विशेष योजना है।

डा. अंबुमणि रामदास: हमारे पास एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सामुदायिक देखभाल केन्द्र नामक एक अवधारणा है जिसमें अपने जीवन के अंतिम क्षण गिनने वाले रोगियों की देखभाल की जाती है। इन सामुदायिक देखभाल केंद्रों को चलाने का कार्य गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा गया है और इनमें अपने आखिरी क्षण गिनने वाले रोगियों की देखभाल की जाती है। विशेष गृहों में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। परंतु एनएसीपी-3 के अंतर्गत हमने इस समस्या का संज्ञान लिया है। एक बार एचआईवी ग्रस्त मां का उपचार होने के बाद बच्चा रोग रहित हो सकता है। हम 2002-2003 से माता-पिता से बच्चों को होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए रोकथाम की दवाएं दे रहे हैं और माता के एचआईवी/एड्स से ग्रस्त होने के बावजूद काफी सारे बच्चों को बचा पाए हैं परंतु दुर्भाग्य से मां कुछेक वर्षों में ही गुजर जाती है और बच्चा अनाथ हो जाता है और परिवार भी उस बच्चे को छोड़ देता है। यह समाज में भेदभाव की जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं वह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। एनएसीपी-3 के अंतर्गत हम अनाथ बच्चों पर केन्द्रित कार्यक्रम तैयार करेंगे।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज हम उनके मनोवैज्ञानिक सहयोग, शैक्षणिक सहयोग, पौष्टिक सहयोग ने जिस प्रकार का योगदान दे रहे हैं हम भविष्य में भी उसका ध्यान रखेंगे। आगे, एनएसीपी-3 के अंतर्गत हम अनाथ बच्चों के लिए भी कार्यक्रम बनाएंगे।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, पूरे देश में तकरीबन 35,000 बच्चे एचआईवी/एड्स से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर तालुका और जिला क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों में एंटी रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र (एआरटी सेन्टर) नहीं हैं और इन क्षेत्रों के निजी अस्पताल इस प्रकार के बच्चों को भर्ती ही नहीं करते। क्या सरकार एचआईवी ग्रस्त बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी तालुका और जिला मुख्यालयों में एआरटी सेन्टर खोलेगी।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय आज हमारे पास देश भर में ऐसे 147 केन्द्र हैं और हर राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित हैं। इस प्रकार का केन्द्र खोलना कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें प्रतिबद्ध स्टाफ विशेषकर एमडी डाक्टरों, नर्सों आदि की आवश्यकता होगी, दवाओं की खेप और सीडी-4 काउंट की आवश्यकता होगी ताकि रोगी छः माह में एक बार आएं और अपनी जांच कराएं तथा काउंट के अनुसार उन्हें दवा दी जाती है और ए.आर.टी. शुरू किया जाता है। वास्तव में हमने संख्या में वृद्धि कर दी है। जब हमने कमान संभाली थी तो हमने एक नीति प्रारंभ की थी। वस्तुतः 2004 में केवल आठ ही केन्द्र थे। आज हमारे पास 147 केंद्र हैं। आगे जल्द ही हम इनकी संख्या बढ़ाकर तकरीबन 250 करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास लिंक एआरटी सेंटर की अवधारणा है जो उपरोक्त एआरटी के उपकेंद्र होते हैं जहां पर केवल दवाईयां दी जाती हैं। हम वह बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों की गंभीरता के मद्देनजर हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हम देश भर में समान वितरण नहीं कर रहे हैं।

महोदय, हमने जिलों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। हमारे पास 'क' श्रेणी के तकरीबन 156 जिले हैं जहां पर आम लोगों के बीच एचआईवी ग्रस्त लोगों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक है। 'ख' श्रेणी के जिले वे हैं जहां एसटीडी रोगियों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक है। राज्यों का ध्यान किए बिना जिन्हें उच्च संक्रमित राज्यों और निम्न संक्रमित राज्यों में वर्गीकृत किया जा रहा है, हम उन जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रभावित जिलों और क्षेत्रों की वरीयता के अनुसार यथा समय पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से यह देखा गया है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर 'एड्स' प्रभावित लोग हैं। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय 'ए' और 'बी' केटेगिरी के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम फ्लोर पर रखेंगे? इसके साथ-साथ मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग में जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से इन चार राज्यों में क्या आप स्पेशल केयर यूनिट इन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रस्थापित करेंगे? इस संबंध में क्या सरकार का कोई विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न बच्चों से संबंधित है और वह पहले ही उस भाग का उत्तर दे चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, समस्या पर ध्यान देने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि देश के 156 जिलों को 'क' जिलों के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह पहले ही कह दिया है।

डा. अंबुमणि रामदास: चार राज्यों, यथा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अधिक प्रभावित इन जिलों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। समस्या पर ध्यान देने के लिए अब हमने लक्षित हस्तक्षेप किया है। लक्षित हस्तक्षेप उच्च जोखिम वाले समूहों यथा पेशेवर यौन कर्मियों, ट्रक चालकों, प्रवासी श्रमिकों, स्वास्थ्य कार्मिकों, इत्यादि पर केन्द्रित है: ये सभी केन्द्रित समूह है। हमने उन स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों से, जो इन उच्च जोखिम वाले समूहों से संबद्ध रहते हैं, को लक्षित हस्तक्षेप करने को कहा है ताकि निषेध पद्धति अपनायी जाए। महाराष्ट्र तथा सभी अधिक प्रभावित जिलों में लक्षित हस्तक्षेप किया गया है। आज लगभग 720 से 730 लक्षित हस्तक्षेप किए गए हैं। हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रत्येक जिले में केन्द्रित लक्षित हस्तक्षेप हो ताकि यह हाथ से बाहर न जाए।

डा. के.एस. मनोज: मैं मंत्री जी को एचआईवी/एड्स को नियंत्रित करने के लिए अच्छी संख्या में पहल करने के लिए बधाई देता हूं। इसने इसकी संख्या को 5.2 मिलियन से घटाकर 2.5 मिलियन कर दिया है। परिशिष्ट-2 में, यह उल्लेख किया गया है कि देश में एचआईवी प्रभावित बच्चों की संख्या 32,803 है लेकिन केवल 9,478 अर्थात् एक तिहाई एआरटी उपचार करा पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन बच्चों को एआरटी उपचार देने में सरकार द्वारा क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं तथा इन बच्चों को एआरटी उपचार देने में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जब यह कहा जाता है कि 32,803 पंजीकृत बच्चे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इतने ही बच्चे एचआईवी से संक्रमित हैं। इतने बच्चे हमारे पास परीक्षण के लिए आए। और भी बच्चे हैं तथा बाद में जब वे आएंगे हम उन्हें शामिल करेंगे। जब हम कहते हैं कि 7,478 बच्चे एआरटी उपचार पा रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इन सभी बच्चों को आज इस उपचार की आवश्यकता है। इस उपचार को शुरू करने के लिए सीडी-4 संख्या 400 से कम होनी चाहिए। एचआईवी तथा एड्स के बीच अंतर यह है कि एक व्यक्ति 2 से 10 वर्ष या 15 वर्ष तक भी बिना किसी चिकित्सा के एचआईवी से संक्रमित रह सकता है, जो कि उसके रोग-प्रतिरोधन स्तर पर निर्भर करता है, केवल बाद में, जब एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एड्स का रोगी बन जाता है, सीडी-4 संख्या के पश्चात् इस उपचार की आवश्यकता होती है। इन सभी बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं है। इन सभी पंजीकृत बच्चों को जब उसकी आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से इस मुफ्त चिकित्सा प्रदान करेंगे। हमारे पास प्रथम श्रृंखला की चिकित्सा है। हमने इस वर्ष के शुरू में ए आर टी की द्वितीय श्रृंखला शुरू की है, जो काफी खर्चीली चिकित्सा है। हमने अधिक प्रभावित राज्यों यथा एक महाराष्ट्र में तथा एक तमिलनाडु में कुल मिलाकर दो केन्द्र शुरू किए हैं। हम बाद में इन केन्द्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि यह काफी महंगी प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 344-श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी—उपस्थित नहीं।

डा. गिल, आपको अगले अवसर तक प्रतीक्षा करनी है।

प्रश्न 345-श्री जुएल ओराम-उपस्थित नहीं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल।

वन भूमि पर लौह अयस्क का खनन

***345. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री जुएल ओराम:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लौह अयस्क खनन परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं तथा ऐसी अनुमति दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वन भूमि पर लौह अयस्क खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा लौह अयस्क के खनन के कारण पर्यावरण और वनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत वनभूमि के वनेतर प्रयोग के अलावा अयस्क के उत्खनन के लिए भी अनुमोदन प्रदान करती है। इस समय संघ सरकार के पास देश के सात राज्यों के 29 प्रस्ताव लम्बित हैं जिनमें वन क्षेत्रों में अयस्क की खोज के मामले भी शामिल हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। इन 29 प्रस्तावों में से 23 प्रस्ताव माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुमोदन हेतु लम्बित हैं जबकि 6 पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। खनिजों का खनन स्थल विशिष्ट कार्य है, अतः उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण के साथ गैर-वानिकी कार्यों के लिए न्यूनतम और अपरिहार्य वनभूमि का वनेतर उपयोग करने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन पर विचार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है।

(ग) और (घ) प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन निरपवाद रूप से किया जाता है जिस पर ऐसी खनन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय विचार किया जाता है। तथापि संघ सरकार ने देश में वन भूमि पर अयस्क खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई ऐसा व्यापक अध्ययन नहीं किया है।

अनुबंध

राज्य	मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
छत्तीसगढ़	6
गोवा	2
झारखंड	3
कर्नाटक	3
उड़ीसा	11
तमिलनाडु	2
कुल	29

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है वन भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है तथा प्रमुख वन भूमि का मुख्य हिस्सा विगत में खनन के लिए परिवर्तित कर दिया गया। यह पाया गया कि खुदाई तथा ठोस अपशिष्ट निपटान मृदा, भू-आकृतियों, भू-जल, सतही जल तथा वनस्पति जगत जैसे पर्यावरणीय अवयवों को प्रभावित करने में ज्यादा जिम्मेवार रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने तथा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: हां, क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदय: मेरा प्रश्न 'क्यों' है तथा आप 'क्यों नहीं' में उत्तर दे रहे हैं।

श्री एस. रघुपति: मैं वन से संबंधित प्रश्न के भाग का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

वन संरक्षण अधिनियम निषेधात्मक नहीं बल्कि नियामक है। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भूमि का विपथन कतिपय शर्तों के साथ अनुमत्य है। मूल प्रश्न के संबंध में लगभग 1,12,708 हेक्टेयर वन भूमि वाली विभिन्न फेरस तथा गैर फेरस धातुओं से संबंधित 1,400 परियोजनाओं को केन्द्र सरकार का अनुमोदन मिला है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: सभी अधिनियमों तथा नियमों के प्रवर्तन के बावजूद देश वन क्षेत्र को बनाए रखने, जल स्तर,

भूजल स्थिति तथा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास में काफी पीछे है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि इन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री एस. रघुपति: पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ शर्तें लगा दी गई हैं। स्थान विशिष्ट पर्यावरण सुधार शर्तें भी विगत में औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय लगाई गई हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: मैं माननीय मंत्री से वन भूमि में हो रही अवैध लौह अयस्क खनन गतिविधि के संबंध में जानना चाहता हूं। सरकार ने अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है तथा विभिन्न राज्यों की वन भूमि में इन अवैध खानों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? मंत्री ने बताया कि उड़ीसा में केवल 29 ऐसे मामले हैं। यह आंकड़ा उड़ीसा की वन भूमि में अवैध खनन की वास्तविक गतिविधि से काफी कम है। जब वन भूमि को लौह अयस्क खनन या अन्य खनन के लिए पट्टे पर दिया जाता है तो प्रतिपूरक वनरोपण का अनिवार्य प्रावधान है। कितनी कंपनियों ने यह किया है तथा कितनी कंपनियों ने यह नहीं किया है? क्या सरकार मुझे विस्तृत सूची दे सकती है?

श्री एस. रघुपति: प्रश्न लौह अयस्क खनन से संबंधित है। कुल मिलाकर 29 मामले लंबित हैं जिनमें से 23 केन्द्रीय प्राधिकृत समिति को भेज दिए गए हैं तथा केवल छह हमारे पास हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या अन्य कई मामले हैं? यह प्रश्न था।

श्री एस. रघुपति: कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। यदि माननीय सदस्य हमें विवरण दें तो हम कार्रवाई करने को तैयार हैं *...(व्यवधान)* यह समवर्ती सूची में है।

अध्यक्ष महोदय: वे बहुत सहयोग कर रहे हैं। वे आपसे विवरण चाहते हैं। उन्हें दे दें।

श्री रूपचंद पाल: अनुमोदन देने के पूर्व पर्यावरण पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने का प्रावधान तथा प्रथा है। तथापि, अनुमोदन देने के पश्चात् पर्यावरणीय अपरदन होता रहता है। सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक लौह अयस्क खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव का व्यापक अध्ययन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

हम हाल के राष्ट्रीय खनिज नीति के संबंध में खामियों को जानते हैं। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या न केवल अनुमोदन पूर्व अध्ययन वरन् अनुमोदन देने तथा उस उद्देश्य के लिए अनन्तिम अनुमोदन देने के लिए एक समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन पश्चात अध्ययन भी कराया जाएगा?

श्री एस. रघुपति: खनन का लाइसेंस केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। हम वन अधिनियम के अंतर्गत खनन की अनुमति दे रहे हैं। खनन, राज्य का विषय है और खनन की अनुमति भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है। जहां तक व्यापक अध्ययन का संबंध है तो हमने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर बताया है कि केन्द्र सरकार में हमारे विभाग द्वारा देश में वन भूमि पर लौह अयस्क खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन संबंधी अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। मुझे बस इतना ही कहना है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: आपका विचार यह कब तक करने का है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस पर गौर कर लिया है।

श्री रामदास आठवले, यदि आपके पास कोई प्रासंगिक प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामदास आठवले: बशर्ते कि मंत्री उस प्रश्न का प्रासंगिक उत्तर दें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर खनिज पाए जाते हैं, चाहे वह फारेस्ट की हो या अन्य किसी की हो। वहां पर उन खनिजों का खनन करने के लिए भारत सरकार के वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। इस संबंध में फारेस्ट का जो एक्ट है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि फारेस्ट विभाग जल्द से जल्द खनिजों के खनन की इच्छुक कम्पनीज या लोगों को अनुमति प्रदान कर सके। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि फारेस्ट विभाग फौरन अपनी जमीन पर खनन की अनुमति दे, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? महोदय, क्या मेरा प्रश्न प्रासंगिक है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने अपना प्रश्न पूरा कर लिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। ऐसा लगता है कि ये प्रासंगिक है।

श्री एस. रघुपति: हम अनुमति प्रदान करने के लिए जल्दी ही कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुपति जी, मैं थोड़े शब्दों में बात कहने की आपकी कला की दाद देता हूं।

प्रश्न संख्या 346-श्री हरीलाल माधवजी भाई पटेल-उपस्थित नहीं।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़-उपस्थित नहीं।

आज सोमवार नहीं है।

प्रश्न संख्या 347-श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली-उपस्थित नहीं।

श्री संजय धोत्रे।

पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले राजमार्ग

***347. श्री संजय धोत्रे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सड़क संपर्क हेतु पहले से शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अनेक सड़कें पड़ोसी देशों को जोड़ती हैं। तथापि, ये मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। आज की स्थिति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) विशेष रूप से उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, भारत-नेपाल सीमा पर और म्यांमार के साथ सड़कों के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित समझौते/समझौता ज्ञापन के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एशियाई राजमार्ग नेटवर्क 32 देशों तक फैला है जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं। भारत सरकार ने अप्रैल, 2004 में एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध I

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

राज्य का नाम	अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं	रारा-सं.	विवरण
1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	बंगलादेश	रारा-35	बारासत और वनगांव को जोड़ते हुए भारत और बंगलादेश के बीच सीमा तक जाने वाला राजमार्ग
उत्तर प्रदेश	नेपाल	रारा-28सी	बाराबंकी के समीप रारा 28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बहराइच को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में नेपालगंज में समाप्त होने वाला राजमार्ग
		रारा-29	वाराणसी-गाजीपुर-गोरखपुर-फरैंदा को जोड़ते हुए और उत्तर प्रदेश में सोनाली में समाप्त होने वाला राजमार्ग
असम/नागालैंड/मणिपुर	म्यांमार	रारा-39	नुमालीगढ़-इंफाल-पलैल को जोड़ते हुए भारत और म्यांमार के बीच सीमा तक जाने वाला राजमार्ग
असम	भूटान	रारा-152	हजुआ को जोड़ते हुए रारा 31सी पर पतचारकुची के समीप अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भारत-भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3	4
असम/अरुणाचल प्रदेश	म्यांमार	रारा-153	असम में रारा 38 पर लीडो से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश में भारत-म्यांमार सीमा (स्टिलबैलरोड) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
असम	बंगलादेश	रारा-151	रारा 44 पर करीमगंज में अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फिरकंड, अकबरपुर को जोड़ते हुए असम में भारत-बंगलादेश सीमा पर सुतारकंडी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
मेघालय	बंगलादेश	रारा-40	जोरबाट और शिलांग को जोड़ते हुए डाकी के समीप भारत और बंगलादेश के बीच सीमा तक जाने वाला और अमलारैम को जोड़ते हुए जोबई के समीप रारा 44 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
बिहार	नेपाल	रारा-28ए	रारा 28 के साथ पिपरा के समीप अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और सगौली और रक्सौल को जोड़ते हुए भारत और नेपाल के बीच सीमा तक जाने वाला राजमार्ग
	नेपाल	रारा-77	रारा 19 पर हाजीपुर के समीप अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बिहार में मुजफ्फरपुर (रारा 28)-सीतामढ़ी और सोनबरसा को जोड़ने वाला राजमार्ग
	नेपाल	रारा-57ए	फारबिसगंज के समीप रारा 57 के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बिहार में जोबगानी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
	नेपाल	रारा-104	रारा 28 पर चकिया के समीप अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नरहर पकरी पुल-मधुबन-शिवहर-सीतामढ़ी-हरलाखी-ठमागांव-जयनगर-खुटोना को जोड़ते हुए और बिहार में रारा 57 पर नरहिया के समीप अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। रारा 104 गोपालपुर के समीप नेपाल सीमा को छूता है।
पंजाब	पाकिस्तान	रारा-1	दिल्ली-अंबाला-जालंधर और अमृतसर को जोड़ते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तक जाने वाला राजमार्ग
		रारा-10	दिल्ली और फजिलका को जोड़ते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तक जाने वाला राजमार्ग
		रारा-95	रारा 21 पर खरार के समीप अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर समराला-लुधियाना-जगराव को जोड़ते हुए पंजाब में फिरोजपुर के समीप समाप्त होने वाला राजमार्ग

अनुबंध II

भारत-नेपाल सीमा पर और म्यांमार के साथ सड़कों के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित समझौते/समझौता ज्ञापन के ब्यौरे

क्र.सं.	देश जिसके साथ समझौते/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	सड़क परियोजनाओं के ब्यौरे	समझौते/समझौता ज्ञापन की स्थिति
1.	नेपाल	13 किमी लंबी महेन्द्रनगर (नेपाल) से जनकपुर (भारत) लिंक रोड	समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
2.	नेपाल	नेपाल में तराई सड़क परियोजना; भारत-नेपाल सीमा के समीप नेपाल के तराई क्षेत्र में 41 सड़कों (लगभग 660 किमी) और 2 पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
3.	नेपाल	रक्सौल-बीरगंज जोगवानी-बिराटनगर सुनौली-भैराहावा नेपालगंज रोड-नेपालगंज	चार प्रमुख जांच चौकियों पर एकीकृत जांच चौकियों के विकास के लिए अगस्त, 2005 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; इसमें सीमा शुल्क और यात्री पारगमन के लिए अन्य संरचनाओं के अलावा दोनों पक्षों के बीच उल्लिखित लिंक रोडों का विकास भी शामिल है।
4.	म्यांमार	मणिपुर के पार म्यांमार में 160 किमी लंबी तामू-कलेवा-कलिम्यो सड़क का उन्नयन	भारत सरकार ने 1957 में सड़क का उन्नयन किया था। भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारत सरकार ने 6 वर्ष के लिए टीकेके रोड के रखरखाव की जिम्मेदारी ली।
5.	म्यांमार	म्यांमार में कालेतवा से भारत-म्यांमार सीमा तक सड़क का विकास और भारत में म्यांमार सीमा में मिजोरम में नलकावन से रारा 54 तक 117 किमी लंबी सड़क	भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच कालादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना के संबंध में एक रूपरेखा समझौते और दो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना में पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय पत्तनों और म्यांमार होते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क की परिकल्पना है। इसमें म्यांमार में कालादान नदी पर सितवे पत्तन और नदी परिवहन का विकास और उल्लिखित सड़क संपर्क का विकास शामिल है।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि यह एशिया राजमार्ग नेटवर्क करीब 32 देशों से जुड़ा हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन 32 देशों ने इस पर सहमति के हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: हाल ही में हमने 32 देशों को जोड़ने वाली सड़कों को विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन सड़कों का विकास संबंधित देशों द्वारा किया जाएगा न कि हमारे द्वारा।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस कार्य की क्या प्रगति है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: जैसाकि हम भलीभांति जानते है यह अभी आरंभिक अवस्था में है। हाल ही में हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों को छूने वाली विशेष सड़कों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

श्री किरेन रिजीजू: मेरा प्रश्न सीधे रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-153 से जुड़ा है क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक सड़क स्टीलवैल रोड से संबंधित है। माननीय प्रधानमंत्री ने ''पूर्व की ओर देखो नीति'' शुरू की है। यह सड़क ''पूर्व की ओर देखो नीति'' की जीवनरेखा बनने जा रही है क्योंकि यह सड़क भारत और म्यांमार को जोड़ने के साथ-साथ दक्षिण चीन के 'कुनमी' तक जाएगी। मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 'लेडो' से शुरू होने वाली सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू हो सके।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, लेडो से म्यांमार तक इस विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के लिए भारत सरकार और म्यांमार के बीच ''कालाडन मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम'' के संबंध में 'फ्रेमवर्क अग्रीमेंट' और दो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में वाया म्यांमार पूर्वी समुद्रीतट पर भारतीय पत्तनों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच संपर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें सित्तवे विमानपत्तन म्यांमार में और कालाडन नदी पर रीवरलाइन यातायात तथा उल्लिखित सड़क संपर्क का विकास भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 348-श्री अनन्त नायक-उपस्थित नहीं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव-उपस्थित नहीं।

प्रश्न 349-श्री बालेश्वर यादव-उपस्थित नहीं।

शायद हर किसी ने सोचा होगा कि आज सत्र नहीं होगा।

प्रश्न 350-श्री संतोष गंगवार।

[हिन्दी]

ई-वेस्ट का पुनर्चक्रण

***350. श्री[+] संतोष गंगवार:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई-वेस्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित पुनर्चक्रण हेतु मार्गनिर्देशक दस्तावेज तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आयातित ई-वेस्ट का प्रयोग केवल सीधे पुन: प्रयोग हेतु किया जाए न कि पुनर्चक्रण अथवा अंतिम निपटान हेतु किया जाए?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। ई-वेस्ट का पर्यावरणीय रूप से बेहतर प्रबंधन करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और अनुमोदित दिशा निर्देशों को मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो की वेबसाइट क्रमश: www.envfor.nic.in और www.cpcb.nic.in पर डाला गया है।

(ख) इन दिशा निर्देशों में ई-वेस्ट का पर्यावरणीय रूप से बेहतर प्रबंधन करने संबंधी प्रणाली और कार्य विधि का उल्लेख किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-वेस्ट कम्पोजीशन और आर्थिक महत्व की मदों की पुन:चक्रण की संभाव्यता, ई-वेस्ट में संभावित जोखिमों वाले पदार्थों की मात्रा की पहचान करना शामिल है। इसके अलावा इनमें पुन:चक्रण, पुन:प्रयोग और रिकवरी विकल्प, शोधन और निपटान संबंधी विकल्प तथा पर्यावरणीय रूप से बेहतर ई-वेस्ट शोधन प्रौद्योगिकियां, आदि शामिल हैं।

(ग) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के उपबंधों तथा उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार वेस्ट इलैक्ट्रिकल्स और इलैक्ट्रानिक असैंब्लीज को इन नियमों की अनुसूची 3 (भाग ए) की सूची बी में श्रेणी बी-1110 के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात पर लागू है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट के आयात की अनुमति केवल सीधे पुनः प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए दी गई है, न कि इसके पुनर्चक्रण अथवा इसके अंतिम रूप से निपटान करने के लिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष जी, मैं अपना प्रश्न यहां से पूछना चाहूंगा। यह प्रश्न पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि आप अपनी सीट पर नहीं हैं, फिर भी मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि कम से कम आप उपस्थित तो हैं।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, मैं अपनी सीट पर जा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कोई बात नहीं, ठीक है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष जी, सरकार ने ई-वेस्ट द्वारा होने वाले प्रदूषण को क्वांटिफाई किया है। यदि हां, तो अगले चार-पांच वर्षों में इसका ब्यौरा क्या होगा? इसके बारे में सरकार ने कह दिया कि हमने इसे वेबसाइट पर दिया है। हमारा मानना है कि वेबसाइट देश में मुश्किल से दो प्रतिशत लोग ही देखते हैं और इस प्रदूषण का प्रभाव देश के हर आदमी पर पड़ेगा। इस बारे में भविष्य के लिए क्या कोई योजना बनाई है? वेबसाइट के अलावा जनसाधारण तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसकी भी क्या कोई व्यवस्था की गयी है?

श्री नमोनारायन मीना: सर, हमारी मिनिस्ट्री द्वारा 28 मार्च, 2004 को इस बारे में गाइड-लाइन्स जारी की गयी है, वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है और स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट पाल्यूशन बोर्ड्स को, कमेटीज को और इंडस्ट्रीज एट लार्ज हम इसे सर्कूलेट कर रहे हैं। यह एक तरह का रेफरेंस डाक्युमेंट है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इलैक्ट्रानिक ई-वेस्ट, जैसे-जैसे देश में विकास होता जा रहा है वह भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2005 के अनुमान के अनुसार करीब डेढ़ लाख टन ई-वेस्ट जैनरेट हुआ था और आगे वर्ष 2012 तक आठ लाख टन ई-वेस्ट होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में इसे एनवायरनमेंटली किस तरीके से डिसपोज-आफ किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ये सारी चीजें हम आम डामेन में लाये हैं ताकि अच्छे तरीके से इसका हल हो और हैल्थ और एनवायरनमेंट पर इसका बुरा असर न हो।

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष जी, अभी तो पूरा देश प्लास्टिक के पाल्यूशन को समझ नहीं पाया है और ये जिस प्रदूषण का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको हर घर में मोबाइल, टेलीविजन और हर प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यह वास्तव में इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है और सरकारी कागजों से इस काम में कोई अमल हो सकेगा, मैं इसे नहीं मानता हूं। माननीय मंत्री जी इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं और मैं चाहूंगा कि क्या निजी कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन या एजेंसियां या इस क्षेत्र में जो एनजीओज काम करते हैं उनकी हैल्प लेने का बारे में भी सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है, क्योंकि यह प्रदूषण तो निरंतर बढ़ेगा। इसके जो दुष्परिणाम सामने आयेंगे, उसमें छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे। सरकारी योजना केवल कागज पर है और आप जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग आम जानता में प्रचारित किया जा रहा है। इसलिए ऐसी कोई प्रणाली या प्रक्रिया बनाइये जिससे आम आदमी इसके निस्तारण के बारे में समझ सके।

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि आगे आने वाले दिनों में ई-वेस्ट और बढ़ेगा। जैसे-जैसे प्रगति होगी, इलैक्ट्रानिक आइटम्स, डामैस्टिक एप्लाइन्सेज बढ़ेंगी तो उनका यूज और वेस्ट भी बढ़ेगा। गाइडलाइंस के जरिए, हैंडलिंग तथा मैनेजमेंट रूल्स के जरिए हमारे प्रयास हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिसाइक्लिंग किया जाए, रियूज किया जाए, जिससे कि कम से कम वेस्ट जैनरेट हो। रूल्स और गाइडलाइंस के जरिए सरकार का प्रयास है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनिक आइटम्स प्रोड्यूस करता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले की क्या जिम्मेदारियां हैं, जो उसे स्टोर करता है, बेचता है, कलैक्ट करता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम इस तरह का प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कि लोग समझें तथा उसकी सही तरीके से हैंडलिंग हो और उसके दुष्प्रभाव समाज और एनवायरमेंट में न पड़े। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, रूल्स और गाइडलाइन्स भी इसीलिए लाए हैं, क्योंकि यह नई फील्ड है। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जो रूल्स हैं, उनमें और अमेंडमेंट्स किए जाएं। हमने नोटिफाई किया है तथा ओब्जेक्शंस मांगे हैं, ताकि इसे वेस्ट नहीं माना जाए। हर चीज वेस्ट नहीं है। कोशिश यह होनी

चाहिए कि उसे किस तरह से रियूज किया जा सकता है। जो रिसाइक्लिंग करने वाले हैं, उन लोगों को भी हम कह रहे हैं कि वे अपने को रजिस्टर्ड कराएं। रिसाइक्लिंग यूनिट्स इनवायरमेंट क्लियरेंस लें। स्टेट बोर्ड्स और कमेटी उनकी समय-समय पर मोनिटरिंग करें तथा कम से कम वेस्ट हो, ये हमारी गाइडलाइंस हैं। मेन रूल्स में हमने जो मांगा है, उसमें प्रयास किया जा रहा है और मैं यह मान कर चलता हूं कि इसमें जनरल पब्लिक को अवेयर करने की आवश्यकता है। हम पूरे-पूरे प्रयास करके इस समस्या को हैंडल करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो हैजार्डस वेस्ट है, इस कैटेगिरी में इम्पोर्ट के लिए हम सिर्फ एलाऊ करते हैं। डायरेक्ट रियूज और रिसाइक्लिंग या फाइनल डिस्पोजल के लिए एलाओ नहीं करते हैं।

महोदय, ये विदेशी सरकारें, विदेशी कम्पनियां अपना सारा हैजार्डस वेस्ट भारत में आने देती हैं, उसका एक्सपोर्ट करती हैं और हम उसे इम्पोर्ट करते हैं तथा इम्पोर्ट करने के बाद उसका फाइनल डिस्पोजल क्या होगा, रिसाइक्लिंग या रियूज उसका संभव है या नहीं है, इस बारे में कोई गाइडलाइन पूरी तरह से नहीं बनाई गई हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए अखबारों में, टीवी में, रेडियो में इस बारे में विज्ञापन देने का या जानकारी देने का प्रयास करेगी?

अध्यक्ष महोदय: अच्छा प्रश्न है।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, ई-वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में प्रश्न है। जहां तक ई-वेस्ट के इम्पोर्ट की बात है, सीधे आयात की अनुमति नहीं हैं। अगर उसका डायरेक्ट यूज होगा, तो इम्पोर्ट किया जाएगा। उसको रिसाइक्लिंग और डम्पिंग के लिए इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, यह हमारे रूल्स और गाइडलाइंस कहते हैं।

जहां तक हैजार्डस वेस्ट की बात है, वह डायरेक्ट यूज और रिसाइकिल के लिए एलाउड है, जैसे कापर को मेल्ट करके रियूज किया जा सकता है। इसलिए हर चीज को वेस्ट मान लेना, यह वर्ल्ड वाइड इस तरह की सोच बन रही है कि हर चीज को वेस्ट नहीं माना जाए। जितना उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मैटीरियल यूज किया जा सकता है, सर्किट यूज किए जा सकते हैं, उन्हें किया जाए। मैं मल्होत्रा जी को एश्योर करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का इस तरह का परमिशन कानून और रूल्स में एलाओ नहीं करते हैं। हैजार्डस वेस्ट में कुछ एलाओ किया है, तो उस पर पूरी निगरानी रखी है। आपका अच्छा सुझाव है कि इस बारे में पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। इस बारे में विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हाल ही में ऐसी प्रेस रिपोर्ट आई है कि अमरीका ने कोचीन पत्तन के माध्यम से बड़ी मात्रा में ई-अपशिष्ट का आयात किया था और यह बहुत ही गंभीर बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं। सरकार ने कहा है कि ई-अपशिष्ट का उपयोग केवल पुनर्चक्रण के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। लेकिन यहां एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां बड़ी मात्रा में ई-अपशिष्ट का आयात किया गया था इससे मानव जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार ने कोचीन निगम से रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में क्या कदम उठाए हैं? उन्होंने इस मामले में क्या किया? क्या ये आपको बताकर किया गया है या आपको बिना बताए किया गया है?

श्री नमोनारायन मीना: जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इस संबंध में नियम और मार्ग-दर्शी सिद्धान्त एकदम स्पष्ट है कि ई-अपशिष्ट का आयात केवल सीधे उपयोग के लिये किया जाएगा न कि पुनर्चक्रण और पाटन के लिए। माननीय सदस्य ने किसी एक विशेष मामले की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं इन्हें इसका उत्तर भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

पत्तनों को रेलमार्ग, सड़क तथा जलमार्ग से जोड़ना

***351. श्री+ जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पत्तनों को रेलमार्ग, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग से जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए एक सामुद्रिक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) समुद्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिर भी, अवसंरचना के बारे में समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित सचिवों की एक समिति ने महापत्तनों का रेल, सड़क से संपर्क कायम करने के संबंध में सिफारिशें की। प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(1) प्रत्येक महापत्तन का अधिमानत: कम से कम चार लेन की सड़क से संपर्क के साथ-साथ दोहरी रेल लाइन से संपर्क होना चाहिए।

(2) रेल/सड़क संपर्क की उन सभी परियोजनाओं जहां पर आय की आंतरिक दर निम्नतम नियत दर से कम है, के संबंध में मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके महत्व पर निर्भर रहते हुए, उन परियोजनाओं जिनकी आय की आंतरिक दर कम हो को बजट सहायता के साथ-साथ व्यवहार्यता अंतर वित्त योजना के अंतर्गत सहायता दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने तीन राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् (1) इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली, (2) सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र, (3) उद्योगमंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर को पूरी तरह से कार्य करने योग्य बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2 मीटर की गहराई के नौचालनात्मक जलमार्ग, 24 घंटे नौचालन के लिए नौचालनात्मक सहायता और स्थिर और प्लवमान टर्मिनलों का औचित्यपूर्ण मिश्रण का प्रावधान परिकल्पित है।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दुनिया जानता है कि भारत की पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण सीमाएं समुद्र से घिरी हैं और 60 साल की आजादी के बाद भी समुद्र के मार्ग से यातायात का जो लाभ भारत को मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिला है। आज भी गुजरात का अधिकांश भाग समुद्र से लगता है परन्तु गुजरात के बंदरगाहों पर न रेल संपर्क, न रोड सम्पर्क एवं न ही समुद्री मार्ग चलाने का कार्य समुचित ढंग से हो पाया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत तीन सालों के दौरान गुजरात बंदरगाहों पर रोड संपर्क, रेल संपर्क एवं समुद्री मार्ग के कौन-कौन से कार्य हुए हैं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक कांडला पत्तन का संबंध है तो मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि भिलडी-समधारी आमान परिवर्तन की कुल लम्बाई 223 किलोमीटर और इस परियोजना की लागत 290 करोड़ रुपए है। एनडब्ल्यूआर द्वारा समधारी-भीम्नमल संबंधी भू कार्य और पुल कार्य किया जा रहा है और पूरे खंड के लिए एफएलएस का कार्य पूरा हो चुका है। गुजरात में कांडला पत्तन की यही स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: अध्यक्ष महोदय, सरकार गुजरात के बंदरगाहों पर रेल संपर्क, रोड संपर्क मार्ग एवं समुद्री मार्ग बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: जहां तक पत्तन संपर्क का संबंध है तो सभी 12 पत्तनों पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। यहां-वहां थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है। हमारे पास कुछ छोटे पत्तनों सहित सभी बड़े पत्तनों को बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या उत्तर दक्षिण-पूर्वी-पश्चिमी गलियारे से जोड़ने के लिए विकास योजना है।

[हिन्दी]

श्री वी.के. थुम्मर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित सचिवों की एक समिति ने महापत्तनों का रेल, सड़क से संपर्क कायम करने के संबंध में सिफारिशों की हैं। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका समुद्रा से लगा है और वहां और बंदरगाहों के लिए काम किया जा सकता है तथा मुम्बई पोर्ट के बढ़ते काम को कम किया जा सकता है। बंदरगाहों पर रेल सम्पर्क, रोड संपर्क होने पर इसका अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है परन्तु समुद्री संबंधी जानकारी रखने वाले लोगों के अभाव और आईएएस आफिसर्स के अभाव से मैरीटाइम बोर्ड ने इस संबंध में अच्छी पालिसी नहीं बनायी है जिससे अभी तक इन बंदरगाहों का समुचित उपयोग नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि मुम्बई में काम बढ़ रहा है और पीपावाव में कुछ काम नहीं किया जा रहा है जबकि वहां बहुत काम हो सकता है। ...*(व्यवधान)* मैं वही कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पर आइए। अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री वी.के. ठुम्मर: आज मुम्बई में काम बढ़ रहा है। सरकार पीपावाव के लिए क्या काम कर रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे आशा कर रहे थे कि आप प्रश्न पूछेंगे और वे आपको उत्तर देना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: सामुद्रिक बोर्ड की शक्तियां राज्य सरकार का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ये अनुपूरक प्रश्न इस विशेष प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: मुझे तो ऐसा ही लगता है।

श्री टी.आर. बालू: माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न के दायरे से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक दिन इन्हें आमंत्रित कीजिए और इस बात पर इनके साथ विचार-विमर्श कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया मुझे सहयोग दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत अच्छे ढंग से क्वैश्चन आवर चल रहा है इसलिए कोआपरेट करें।

[अनुवाद]

श्री ठुम्मर, माननीय मंत्री महोदय आपको बुलाएंगे वे आपसे मिलेंगे और इस मुद्दे पर आपसे विचार-विमर्श करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात में समुद्र का बहुत लम्बा किनारा है और वहां बहुत सारे बंदरगाह भी बनने जा रहे हैं। वहीं पर अलग, जहां दुनिया के बड़े-बड़े जहाज तोड़े जाने के लिए लाये जाते हैं, वहां कोई रेल लाइन नहीं है। वहां से जो लोहा निकलता है, वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक बाई रोड जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां सिक्स लेन रोड बनाने की केन्द्र सरकार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये कुछ सुझाव कार्रवाई के लिए हैं। ये अलग-अलग परियोजनाओं के लिए प्रश्न हैं।

श्री टी.आर. बालू: जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रश्न है और यदि किसी सड़क विशेष को चार लेन अथवा छः लेन का बनाने की आवश्यकता है तो भले ही यह 15,000 पीसीयू अथवा 25,000 पीसीयू से भी अधिक है। तब भी इसे मानकों के अनुरूप ही रखना पड़ेगा। यदि किसी राज्य विशेष ने किसी मार्ग विशेष से गुजरने वाली यात्री कार इकाई के अनुसार कोई सर्वेक्षण कराया है तो इसे मेरे पास आने दीजिए। यदि यह 15,000 अथवा 25,000 अथवा 30,000 पीसीयू से अधिक है तो निस्संदेह हम मामले पर कार्रवाई करेंगे। समस्या क्या है? जहां तक भारत सरकार का संबंध है तो उसे कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: डा. सुजान चक्रवर्ती कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें और सीधे-सीधे प्रश्न करें। समय कम है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, सामुद्रिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोलकाता पत्तन देश का सर्वाधिक पुराना पत्तन है और इसका कार्यनिष्पादन अब काफी बढ़ गया है। व्यवसाय की दृष्टि से भी विकास की दर विगत कुछ वर्षों में अब सबसे अधिक है। चूंकि कोलकाता पत्तन कोलकाता मेगासिटी में ही है अतएव मंत्रालय ने बेहतर संपर्क हेतु स्वयं एक बाईपास मार्ग का प्रस्ताव किया है जिससे हल्दिया हेतु कनैक्टीविटी में भी सहायता मिलेगी। इसी बीच परामर्शदाताओं ने संरेखण को अंतिम रूप दे दिया है और डीपीआर पर भी कार्य चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस संपर्क मार्ग को कब अंतिम रूप देने जा रही है या कहिए कि सरकार इस संपर्क मार्ग का कार्य कब प्रारंभ करने जा रही है।

श्री टी.आर. बालू: हम शीघ्र ही इस कनैक्टीविटी को अंतिम रूप देने जा रहे हैं।

साथ ही, मैंने हल्दिया के निकट डायमंड हार्बर का विकास करने के लिए पहल की है जो कि मेरे मित्र की उम्मीद से परे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था। मैं इन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और ये परियोजनाएं यथाशीघ्र शुरू की जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, और कोई स्पष्टीकरण नहीं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जब माननीय मंत्री ने केरल का दौरा किया तो उन्होंने राष्ट्रीय जलमार्ग योजना जो कोचीन पत्तन को मालाबार क्षेत्र से जोड़ रही है, को शुरू करने का वायदा किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये अलग-अलग प्रश्न हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना विशेषकर कोटापुरम कासरगोड क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैंने केरल राज्य का कई बार दौरा किया है राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से कोचीन पत्तन को जोड़ने का यह विशेष प्रस्ताव ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खेद है, कोई और स्पष्टीकरण न दें भले ही वे इसे समझ पाए हों या नहीं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जहां तक कोचीन पत्तन का संबंध है यह विशेष जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं वहां गया था तो मैंने इस विशेष परियोजना का प्रस्ताव किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब ऐसा किया जाएगा। मंत्री ऐसी ही चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री टी.आर. बालू: परंतु केरल सरकार को मेरी सहायता करनी होगी। वहां पर काफी मछुआरे हैं। मैं मछुआरों के क्रियाकलापों का स्वागत करता हूं। साथ ही, सामाजिक समस्याएं जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री और मेरे कुछ मित्रों के सामने उठाई हैं, को भी इस आशय से ध्यान में रखना होगा कि उन्हें शीघ्रताशीघ्र निपटाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: और किसी हस्तक्षेप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: पोतों के अबाध आवागमन के लिए विशेष मार्ग को साफ करने की अनुमति देने जैसे कुछ मुद्दे भी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री वी. नारायणसामी को अवसर दूंगा।

प्रश्न 352 श्री जी. करुणाकर रेड्डी-उपस्थित नहीं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वी. नारायणसामी आप भी उसी नाव में सवार हैं जिसमें डा. एम.एस. गिल हैं।

प्रश्न 353 श्रीमती मेनका गांधी।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

***353. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्यकरण और इसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के फलस्वरूप प्रत्येक राज्य में कितने अपराधियों को पकड़ा गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 में, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (2006 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। अपराध ब्यूरो, अपने कार्यकलापों की शुरूआती अवस्था में है। अत: ब्यूरो की कार्यप्रणाली और प्रभावकारिता का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा ब्यूरो की कार्यप्रणाली की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

(ग) वर्ष 2007 और 2008 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों में, ब्यूरो द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार/पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

वर्ष 2007 और 2008 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों में, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार/पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यक्तियों की संख्या
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	1
महाराष्ट्र	54
पश्चिम बंगाल	20
दिल्ली	10

श्रीमती मेनका गांधी: माननीय मंत्री क्या किसी ने प्रतिवर्ष 500 छापे मारे हैं, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि वन्यजीव ब्यूरो ने अपने आप कितने छापे मारे हैं और किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री एस. रघुपति: अपने उत्तर में हमने बहुत साफ-साफ बताया है कि इसका गठन जून, 2007 में ही हुआ था। अब पांच राज्यों में 93 व्यक्तियों का गिरफ्तार किया जा चुका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमने आठ प्रश्न किए हैं मैं सहयोग के लिए सभा के सभी वर्गों के प्रति हार्दिक आभारी हूं। यह दर्शाता है कि हम लोगों की संतुष्टि के लिए बहुत प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। आज जो लोग हमें यहां सीधे देख रहे हैं वे कम से कम एक घण्टे बाद जा रहे हैं न कि दो मिनट बाद।

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं

***344. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी" से संबंधित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे खेलों/प्रतिस्पर्धाओं के नामों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस योजना में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है; और

(ग) प्रत्येक खेल में गहन प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए कितने खिलाड़ियों की पहचान की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारतीय दल के खेल प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, सभी स्वामित्वधारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की सभी खेल-विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु 775.00 करोड़ रु. (2008-09 से 2010-11) की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की गयी है। योजना के तहत, जो कि अनुमोदन की अंतिम प्रक्रिया में है, यह परिकल्पना की गयी है कि इन खेलों के लिए ऐसे एथलीटों, जिन्होंने प्रत्येक खेल-विधा में देश का वास्तविक प्रतिनिधित्व किया है, की 3 से 4 गुणा संख्या को वृहत व गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण, खेलने के अवसर, स्पर्धा की समय-सारणी वर्ष में 320 दिनों की होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशी कोचों की सेवाएं ली जाएंगी। भारत में उनके प्रशिक्षण के दौरान, शारीरिक प्रशिक्षकों, शारीरिक चिकित्सकों की सेवाओं, मसाजकर्ताओं, खेल विज्ञान विशेषज्ञों, इत्यादि सहित वैज्ञानिक/चिकित्सकीय उपकरणों के रूप में वैज्ञानिक सहायता सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। खेलों के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जहां खेल-प्रदर्शन में सुधार के लिए उच्च स्तरीय एकाग्रता की आवश्यकता होती है। पावर खेलों तथा ऐसे खेलों में जहां शक्तिशाली शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, हेतु एथलीटों के लिए उपयुक्त खाद्य अनुपूरक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। इन एथलीटों को भारत में उनके प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छात्रावासों, प्रशिक्षण सुविधाओं, उपकरण और वैज्ञानिक सहायता प्रबंधों सहित भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों पर भौतिक अवसंरचना का स्तरोन्नयन किया जाएगा।

(ख) 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में समाहित सभी प्रतियोगितात्मक खेल विधाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। इन खेल विधाओं में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी (पुरुष), साइक्लिंग, जिम्नास्टिक्स, हाकी, लान बाल, नेटबाल (महिला), रग्बी 7एस (पुरुष), निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, शारीरिक रूप से अशक्त विशिष्ट एथलीट (एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तैराकी) होंगे।

(ग) जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल, 2010 की प्रत्येक विधा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनका संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की प्रत्येक खेल विधा में प्रशिक्षित किए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या

क्र.सं.	खेल विधा	प्रशिक्षण के लिए चयनित खिलाड़ियों की संख्या	
		पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4
1.	तीरंदाजी	32	32
2.	एथलेटिक्स	100	100
3.	एक्वाटिक्स	60	45

1	2	3	4
4.	बैडमिंटन	20	20
5.	मुक्केबाजी	44	0
6.	साइक्लिंग	75	42
7.	जिम्नास्टिक्स	24	36
8.	हाकी	48	48
9.	लान बाल्स	15	15
10.	नेट बाल	0	36
11.	रग्बी 7एस	36	0
12.	निशानेबाजी	100	50
13.	स्क्वैश	15	15
14.	टेबल टेनिस	20	20
15.	टेनिस	20	20
16.	भारोत्तोलन	32	28
17.	कुश्ती	56	28
18.	इएडी*	36	18
	कुल	733	553

*इएडी: प्रतिष्ठित शारीरिक रूप से अशक्त एथलीट।

तटीय कार्गो के लिए लघु पत्तनों का विकास

***346. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य सहित विभिन्न राज्यों में तटीय कार्गो की संभलाई (हैंडलिंग) हेतु कतिपय लघु पत्तनों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) गुजरात में मगदल्ला सहित सात लघु पत्तनों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने हेतु चुना गया था। लेकिन, चूंकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की जा सकी अत: इन लघु पत्तनों का विकास राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही आरंभ किया जा सकता है।

एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना

***348. श्री अनन्त नायक:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे पहले से स्वीकृत छह अस्पतालों के अलावा ऐसे कुछ और अस्पतालों की स्थापना करने का है जैसा कि 22 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अस्पताल किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विद्यमान पांच अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एम्स जैसे प्रस्तावित अस्पतालों की स्थापना कब तक किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ-साथ प्रशिक्षित चिकित्सीय जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का और विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस समय इसकी संकल्पना की जा रही है।

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा में जाली प्रमाणपत्र

***349. श्री बालेश्वर यादव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के कुल कितने उम्मीदवारों को जाली जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने का दोषी पाया गया; और

(ख) उन उम्मीदवारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दो उम्मीदवारों के विरुद्ध दिनांक 04.07.2005 को एक मामला दर्ज किया है और जांच-पड़ताल करने के पश्चात्, दिल्ली में सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।

तथापि, इन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर आरोप पत्र और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी में एक रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.12.2007 को यह निदेश दिए कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा इसके अधिकारी, आरोप पत्र पर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे और संबंधित राज्य सरकार, कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र के अनुक्रम में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आग्रह पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन पर, आगे की कार्रवाई नहीं करेगी।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि नियोक्ता प्राधिकारी प्रारंभिक नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की जाति का सत्यापन करें। तदनुसार नियोक्ता प्राधिकारियों को, उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों को संपर्क करना होता है।

[अनुवाद]

राज्यों को सहायता का आबंटन

***352. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में योजना हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता के संविभाजन हेतु गाडगिल-मुखर्जी सूत्र को छोड़ने का मूल आधार क्या है;

(ख) अब ग्यारहवीं योजना में किन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) क्या कुछ राज्य इन नए मानदण्डों से सहमत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) राज्यों में योजना हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता के संविभाजन के लिए गाडगिल मुखर्जी सूत्र अभी लागू है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद की 19.12.2007 को आयोजित 54वीं बैठक में यथा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि:

(1) बारहवें वित्त आयोग के निर्णय के अंतर्गत केन्द्रीय करों के शेयर के वितरण के सूत्र में प्रगतिशीलता का उल्लेख किया जाए;

(2) केन्द्र सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2005-06 से सामान्य केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक को मुहैया कराना बंद कर दिया है; और

(3) योजना और गैर-योजना में भिन्नता सहित व्यय के मौजूदा वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की संपूर्ण श्रृंखला की पुन: जांच करने की आवश्यकता है।

राज्यों में केन्द्रीय करों के शेयर और सामान्य केन्द्रीय सहायता के संविभाजन के लिए दो भिन्न सूत्रों को आगे जारी रखने की कोई और वजह प्रतीत नहीं होती।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों, वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 के लिए योजना हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता के संविभाजन के लिए गाडगिल मुखर्जी सूत्र का प्रयोग किया गया है।

(ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता के संविभाजन के लिए कोई नया मानदंड निश्चित नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

***354. श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कितने अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ये अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों के आधार पर त्रिस्तरीय अवसंरचना प्रणाली के नेटवर्क के जरिए महिलाओं सहित सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

केन्द्र	जनसंख्या मानदण्ड	
	पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
उप केन्द्र	3000	5000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20000	30000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80000	120000

मार्च, 2007 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 145272 उप-केंद्र, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जिसमें देशभर में 20855 उपकेन्द्रों, 4833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 2525 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 4692 उप केंद्र, 518 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 118 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जिसमें 141 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है जबकि उप-केंद्र अतिरिक्त हैं।

नए उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

म्यांमार में कालाडन मल्टी-माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना

***355. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार में भारत द्वारा शुरू की जा रही कालाडन मल्टी माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) कालाडन मल्टी-माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना में कोलकाता/हल्दिया से म्यांमार में सित्तवे पत्तन तक तटीय मार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिजोरम राज्य को कोलकाता/हल्दिया पत्तनों से और तत्पश्चात् कलादान नदी में नदी मार्ग से कलेत्वा और वहां से मिजोरम को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम है। इससे पूर्वोत्तर भारत को सामान के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होती है। म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के बीच, परियोजना के बारे में करार के ढांचे (फ्रेमवर्क), यात्रा को सुकर बनाने के संबंध में प्रोटोकाल और परियोजना के रख-रखाव तथा प्रशासन के बारे में प्रोटोकाल पर 2 अप्रैल, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को परियोजना के विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद इस परियोजना को पूरा किए जाने के लिए लगभग 63 महीने का समय लगेगा।

[अनुवाद]

जंगली हाथियों से हुई क्षति के लिए मुआवजा

***356. श्री सुनील खां:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाथी परियोजना के अंतर्गत लोगों को वन क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र बसाने तथा जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलों और मारे गए व्यक्तियों के लिए मुआवजे में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा कितना-कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल में जंगली हाथियों के उत्पात से हुई जान माल की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) हाथी परियोजना के अंतर्गत परिवारों को अन्यत्र बसाने की दर में कोई वद्धि नहीं की गई है। जहां तक जंगली हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलों और मारे गए व्यक्तियों के लिए मुआवजे की दर का संबंध है, ये दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित की जाती हैं। हाथी परियोजना स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) मंत्रालय को देश के विभिन्न भागों में जंगली हाथियों से उत्पन्न समस्याओं के विषय में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों और नष्ट की गई फसलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	क्षतिग्रस्त फसल (हेक्टेयर में)
2004-05	72	2089.38
2005-06	85	3764.24
2006-07	63	3049.95

(घ) मंत्रालय ने हाथी परियोजना स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को गत तीन वर्षों में मुआवजे के रूप में निम्नलिखित धनराशि प्रदान की है:

वर्ष	धनराशि (लाख रु.)
2005-06	27.00
2006-07	40.00
2007-08	55.00

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा

*357. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री रमेश दूबे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। विदेश मंत्री ने 24-25 मार्च, 2008 के बीच वाशिंग्टन, संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की। उन्होंने अपने समकक्ष संयुक्त राज्य की सेक्रेटरी आफ स्टेट डा. कोंडोलीज़ा राइज और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश से मुलाकात की। इन बैठकों में मंत्री ने आर्थिक संबंधों, रक्षा सहयोग, असैनिक नाभिकीय करार तथा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों सहित भारत-अमरीकी संबंधों के सभी पक्षों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत-अमरीकी संबंधों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने सेक्रेटरी राइस को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

(ग) इस यात्रा के दौरान किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

एस्ट्रोसेट उपग्रह का प्रक्षेपण

*358. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार 'एस्ट्रोसेट' नामक अपने पहले खगोलविज्ञानी उपग्रह का प्रक्षेपण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस उपग्रह को कब तक प्रक्षेपित कर दिया जाएगा; और

(घ) इसके प्रक्षेपण से क्या-क्या लाभ होंगे?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) एस्ट्रोसैट मिशन न्यूट्रान तारकों, कृष्ण द्रव्यों, सक्रिय मंदाकिनीय न्यूक्लिआई इत्यादि सहित बड़ी संख्या में मंदाकिनीय और परामंदाकिनीय पिंडों की परिवर्तनीयता का अध्ययन करने हेतु एक बहु-तरंगदैर्ध्य खगोलशास्त्रीय वेधशाला है। जेनन-भरित आनुपातिक पटलों, कोडित आवरण द्वारक सहित सी जेड टी व्यूह, प्रतिबिंबन दूरबीन, क्रमवीक्षण एक्स-किरण आकाश मानीटर और एक जुड़वां पराबैंगनी/दृश्य प्रतिबिंबन दूरबीन अंतरिक्षयान पर किए जाने वाले वैज्ञानिक परीक्षण हैं।

वर्तमान स्थिति:

नीतभारों और बस प्रणालियों के लिए प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है। उपग्रह के लिए अंतरिक्षयान तथा हार्डवियर प्राप्ति के विविध चरणों में हैं।

(ग) एस्ट्रोसैट मिशन 2009 में प्रमोचन के लिए निर्धारित है।

(घ) एस्ट्रोसैट पृथ्वी के वातावरण द्वारा उत्पन्न बाधा के बिना खगोलीय पर्यवेक्षणों का अवसर प्रदान करता है। ये पर्यवेक्षण ब्रह्मांड, मंदाकिनी, तारकीय एवं ग्रहीय प्रणालियों के विकास को समझने और जीवन तथा बुद्धि की उत्पत्ति का अध्ययन करने में भी सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

औषधीय जड़ी-बूटियों का अवैध दोहन और उनकी तस्करी

***359. श्री गणेश सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के वनों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या उत्तराखण्ड के वनों में दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियों/पौधों के अवैध दोहन और उनकी तस्करी के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा देश में दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियों के संरक्षण तथा संवृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार औषधीय जड़ी-बूटियों/पौधों को वनरोपण योजना की परिधि में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, औषधीय पौधों से संबंधित विभिन्न प्राचीन उच्च साहित्य और आधुनिक पुस्तकों में 8000 से अधिक औषधीय पौधे सूचीबद्ध हैं। कुछ आम औषधीय जड़ी-बूटियां निम्नलिखित हैं:-

ब्राह्मी, बबूल गम, बेल, सतावर, नीम, टेसू/गुल पलाश, दालचीनी, भृंगराज, आंवला, जटरोफा, नागकेसर, जायफल, रतनजोत, ईसबगोल, रीठा, कुथ (कड़वा), चिरेता, जामुन, अर्जुन, बहेड़ा, हरड़ (छोटी), हरड़ (पीली) आदि।

(ख) और (ग) उत्तराखण्ड वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियों के दोहन और तस्करी से संबंधित कोई विशिष्ट घटना जानकारी में नहीं लाई गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

* 'स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा हेतु औषधीय पौधों के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम' शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) परियोजना को चलाना, जिसे नौ राज्यों, अर्थात् कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया जाना है। इस परियोजना का समन्वय फाउन्डेशन फार रिवाईटलाईजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी), बंगलौर द्वारा किया जा रहा है।

* यूएनडीपी-जीईएफ परियोजना; ''तीन भारतीय राज्यों में औषधीय पौधों की विविधता का मेनस्ट्रीम संरक्षण और सतत उपयोग'', को हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है व उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए तीन राज्य अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद विभाग, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुश); राज्य औषधीय पादप बोर्ड और एफआरएलएचटी, बंगलौर, इस परियोजना के कार्य निष्पादन के प्रतिभागी हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के विशेष संदर्भ में औषधीय पौधों का संरक्षण और सतत उपयोग को मुख्यधारा में लाना है।

* एफआरएलएचटी, बंगलौर में औषधीय ''पौधों और पारम्परिक ज्ञान पर'' उत्कृष्टता केन्द्र को मान्यता प्रदान करना और सहायता देना।

* राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम कार्यान्वित करना जिसमें ''लघु वन उत्पाद और औषधीय मूल्य वाले वृक्षों का मिश्रित रोपण'' और ''बारहमासी जड़ी-बूटियों और औषधीय मूल्य वाली झाड़ियों का पुनरुद्धार'' जैसे माडल्स शामिल हैं, जो वनीकरण और पुनरुद्धार के औषधीय पौधों को बढ़ावा देने से संबंधित हैं।

* भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986; जैव विविधता अधिनियम, 2002 और इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से औषधीय पौधों को संरक्षित और सुरक्षित करना।

(घ) और (ङ) मौजूदा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में विभिन्न रोपण मॉडल है जिनमें से दो माडलों अर्थात् ''लघु वन उत्पाद और औषधीय मूल्य वाले वृक्षों का मिश्रित रोपण'' और ''बारहमासी जड़ी-बूटियों और औषधीय मूल्य वाली झाड़ियों का पुनरुद्धार'' का लक्ष्य औषधीय पौधों का पुनरुद्धार करना है। उक्त कुल दो माडलों के अंतर्गत 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार 1.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अनुमोदित किया गया है।

आयातित स्क्रैप/अपशिष्ट से प्रदूषण

***360. श्री काशीराम राणा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित स्क्रैप/अपशिष्ट से देश में प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयातित स्क्रैप/अपशिष्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) देश में परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात/निर्यात वर्ष 2003 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 के उपबंधों के अधीन है। देश में डंपिंग और निपटान हेतु किसी भी तरह के परिसंकटमय अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है और पर्यावरणात्मक रूप से बेहतर ढंग से संसाधित करके पुन:उपयोग/पुन:चक्रित करके ही परिसंकटमय अपशिष्ट के आयात/निर्यात की अनुमति है। इसके अलावा, अ-लौह धातु अपशिष्टों अथवा प्रयोग किए गए तेल/अपशिष्ट तेल के सभी पुन:चक्रणकर्ताओं/शोधकों, जिनके पास कैप्टिव पुन:चक्रण सुविधाओं वाली इकाइयां हैं, को छोड़कर शेष सभी चक्रणकर्ताओं/शोधकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक है।

आयातित स्क्रैप/अपशिष्ट के कारण देश में व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैलने के प्रभाव के बारे में कोई सूचना नहीं है और इस संबंध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

[अनुवाद]

औषधि महानियंत्रक कार्यालय के विरुद्ध शिकायतें

3366. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि महानियंत्रक कार्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही के समय में, सरकार को औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध ''ट्रांसपेरेंसी इंडिया, चेन्नई'' की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व

3367. श्री नवीन जिन्दल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा कार्यालय-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाने तथा आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पासपोर्ट जारी किए जाने में कार्यकुशलता को बढ़ावा देने और विलंब की स्थितियां समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* मंत्रालय में समीक्षा किए जाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रति सप्ताह लंबित मामलों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

* मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किए जाने के दौरान लंबित मामलों से संबंधित मुद्दों पर विशेष बल दिया जाता है।

* लोक शिकायतों के निवारण हेतु आवधिक पासपोर्ट अदालतों के आयोजन सहित समय-समय पर लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाता है।

* पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने और आवधिक बैठकें करने के लिए कहा जाता है ताकि पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके।

* जहां तक मुख्यत: जिला पासपोर्ट केन्द्रों से प्राप्त अपूर्ण आवेदनों का प्रश्न है, समय-समय पर जिला पासपोर्ट केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बातचीत करके इसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

* सभी पासपोर्ट कार्यालयों में "आन-लाइन" पंजीकरण की सुविधा है।

* इसके अतिरिक्त नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी, आसान और विश्वसनीय तरीके से पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा परियोजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। आशा है कि इस परियोजना के क्रियान्वित होने के पश्चात उन मामलों में, जिनमें पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, 3 दिन के भीतर और उन मामलों में, जिनमें पूर्व पुलिस सत्यापन की आवश्यकता है सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के 3 दिन के बाद पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	29.21	30.66	34.52
2.	बैंगलोर	19.47	23.85	31.15
3.	बरेली	4.82	5.71	6.66
4.	भोपाल	5.90	7.13	8.91
5.	भुवनेश्वर	3.02	3.61	4.43
6.	चंडीगढ़	23.37	27.96	29.14
7.	चेन्नई	28.02	30.97	36.25
8.	कोचिन	20.39	21.84	26.70
9.	दिल्ली	34.66	29.62	31.13
10.	गाजियाबाद	5.70	5.93	8.46

1	2	3	4	5
11.	गुवाहाटी	2.50	3.09	3.92
12.	हैदराबाद	29.89	38.70	45.15
13.	जयपुर	12.91	15.36	19.41
14.	जालंधर	18.44	201.4	23.53
15.	जम्मू	1.51	1.52	2.07
16.	कोलकाता	20.10	23.47	13.60
17.	कोझीकोड	20.53	28.69	39.21
18.	लखनऊ	17.18	16.86	25.39
19.	मदुरई-दिसंबर 2006 में खोला गया	–	–	–
20.	मलप्पुरम-अगस्त*** 2006 में खोला गया	–	–	–
21.	मुंबई	37.94	46.31	52.98
22.	नागपुर	3.03	3.80	4.92
23.	पणजी	2.95	3.04	3.11
24.	पटना	6.89	9.02	10.48
25.	पुणे*	–	–	–
26.	रायपुर-दिसंबर 2007 में खोला गया	–	–	–
27.	रांची	2.36	3.02	2.83
28.	शिमला-मार्च 2007* में खोला गया*	–	–	–
29.	श्रीनगर	1.11	1.15	1.61
30.	सूरत**	–	–	–
31.	थाणे*	–	–	–
32.	तिरुचिरापल्ली	26.98	30.10	32.92
33.	थिरुअनंतपुरम	15.41	16.17	19.05
34.	विशाखापट्टनम	7.66	7.99	10.33
	कुल	401.95	455.71	527.86

स्रोत: मुख्य लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

*पासपोर्ट कार्यालय पुणे और ठाणे द्वारा अर्जित राजस्व पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़ों में शामिल है।

**पासपोर्ट कार्यालय सूरत द्वारा अर्जित राजस्व पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा अर्जित राजस्व में शामिल है।

***पासपोर्ट कार्यालय मल्लपुरम द्वारा अर्जित राजस्व पासपोर्ट कार्यालय, कोझीकोड द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़ों में शामिल है।

*पासपोर्ट कार्यालय शिमला द्वारा अर्जित राजस्व क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़ों में शामिल है।

[हिन्दी]

युवाओं के विकास हेतु कार्यक्रम

3368. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान युवाओं तथा किशोरों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित युवा व किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		लक्ष्य (बजट अनुमान)	उपलब्धि	लक्ष्य (बजट अनुमान)	उपलब्धि	लक्ष्य (बजट अनुमान)	उपलब्धि
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाइकेएस)	54.74	54.85	66.02	55.02	78.42	21.94*
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	22.85	30.65	33.41	35.90	54.55	47.84
3.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना	6.00	5.90	10.00	6.61	15.00	9.50
4.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना	9.00	4.60	7.00	5.50	9.00	6.00
5.	युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता	10.00	5.60	7.00	3.55	4.00	3.57
6.	राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता	4.95	5.32	9.00	4.85	11.50	9.07
7.	साहस के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता	3.20	2.72	3.20	2.47	3.60	3.70
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	4.65	4.65	4.65	4.65	8.65	8.65
9.	युवा छात्रावास	5.00	4.78	5.00	2.50	2.00	2.27
10.	स्काउटिंग व गाइडिंग	1.35	1.35	1.00	1.00	1.80	1.58
11.	किशोरों के विकास व सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम	10.00	6.24	9.00	2.25	11.00	10.75

*नेहरू युवा केन्द्र संगठन के पास वर्षों से 63.51 करोड़ रु. की अप्रयुक्त राशि पड़ी हुई थी। वर्ष 2007-08 में अप्रयुक्त अधिशेष राशि के उपभोग के लिए अनुमति दी गयी थी, इसलिए उन्हें योजना शीर्ष के तहत कोई अनुदान नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

पी.आई.बी. प्रत्यायित पत्रकारों को सी.जी.एच.एस. सुविधा

3369. श्री तथागत सत्पथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 से पीआईबी प्रत्यायित पत्रकारों तथा उनके परिवार के लिए सीजीएचएस सुविधा समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पत्रकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, पीआईबी मान्यताप्राप्त पत्रकारों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं 'लागत वसूली' आधार पर प्रदान की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से वसूली जाने वाली लागत बढ़ा दी गई है तथा पत्रकार बढ़ी हुई दर पर बकाया का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। पत्रकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार के लिए, पत्रकारों द्वारा देय लागत में कमी करना मुश्किल होगा जबकि लाभार्थियों के इसी तरह के अन्य वर्गों से बढ़ी हुई दर पर प्रभार लेना जारी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा उनके अधिदेश

3370. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार कुल कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं;

(ख) क्या उन्हें वनों के संरक्षण, प्रबंधन तथा विकास का कार्य सौंपने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में देश में विशेषरूप से कर्नाटक में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश में मार्च, 2006 तक गठित संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जेएफएमसी) की संख्या 1,06,482 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मार्च, 2008 तक कर्नाटक में सूचित की गई संयुक्त वन प्रबंध समितियों की संख्या 6575 है।

(ख) और (ग) संयुक्त वन प्रबंध का उद्देश्य वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंध में स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। स्थानीय समुदायों को जिस सीमा तक शामिल किया जाता है, वह इस संबंध में संबंधित राज्य संकल्पों के ब्यौरों के अनुसार है। कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 19.6.02 के सरकारी आदेश संख्या एफईई 50 एफएपी 2000 में अवक्रमित वन क्षेत्रों और अन्य सरकारी बंजर भूमियों की आयोजना, सुरक्षा, संरक्षण और विकास में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी परिकल्पित है। उक्त आदेश में आगे यह भी परिकल्पित है कि अतिक्रमण, दावानल, अवैध कटाई, वन उत्पाद की तस्करी और वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकते हुए और चराई तथा ऐसे अन्य कार्य जो वन संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है को नियमित करते हुए, वनों को समृद्ध बनाने में संयुक्त वन प्रबंध समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

तदनुसार, ग्राम माइक्रो प्लान तैयार की जाती हैं और संयुक्त वन प्रबंध समितियों को संयुक्त प्रबन्धित वनों की सुरक्षा, प्रबंध और विकास के कार्य को सौंपा जाता है।

(घ) कर्नाटक में, वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 52405 हेक्टेयर में पौध रोपण किया गया। कर्नाटक राज्य में संयुक्त वन प्रबंध क्षेत्रों के तहत किया गया वनीकरण कार्य अच्छे परिणाम दे रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जेएफएमसी की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8498
2.	बिहार	615
3.	छत्तीसगढ़	7820
4.	गुजरात	2124
5.	गोवा	26
6.	हरियाणा	1075

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	1749
8.	जम्मू-कश्मीर	4861
9.	झारखण्ड	10903
10.	कर्नाटक	2254
11.	केरल	561
12.	मध्य प्रदेश	14428
13.	महाराष्ट्र	11799
14.	उड़ीसा	9905
15.	पंजाब	1378
16.	राजस्थान	4691
17.	तमिलनाडु	2642
18.	उत्तर प्रदेश	2096
19.	उत्तराखण्ड	12089
20.	पश्चिम बंगाल	4107
21.	अरुणाचल प्रदेश	362
22.	असम	700
23.	मणिपुर	283
24.	मेघालय	73
25.	मिजोरम	505
26.	नागालैंड	335
27.	सिक्किम	204
28.	त्रिपुरा	399
	कुल	1,06,482

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि

3371. श्री रमेन बर्मन: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए जारी की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत सरकारी एवं साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए कंप्यूटर की खरीद हेतु निधि जारी की जा सकती है।

(ग) और (घ) विद्यालयों को कंप्यूटर प्रदान करने में विलंब का कोई दृष्टांत इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच 'शिपिंग-लाइन'

3372. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच 'शिपिंग लाइन' का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए समुद्री-संपर्क से किस प्रकार देशों के बीच त्रि-पक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच शिपिंग-लाईन का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, 13 सितम्बर, 2006 को ब्राजील में हुए पहले आईबीएसए शिखर सम्मेलन के दौरान वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्रीय परिवहन से संबंधित अन्य मामलों पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, 23 मार्च, 2006 को केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्रीय परिवहन से संबंधित अन्य मामलों पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक द्विपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह तीन देश अपने नौवहन संगठनों और उद्यमों के बीच समुद्रीय संबंधों के विकास को बढ़ावा देंगे और इसे सुकर बनाएंगे तथा अपने देशों के बीच समुद्रीय यातायात की लगातार वृद्धि को बढ़ाने और उसे तेजी प्रदान

करने; स्टाफ और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण, समुद्र और पत्तन पर वाणिज्यिक सामान के प्रवाह को तेज करने और सुकर बनाने के लिए अनिवार्य जानकारी के आदान-प्रदान के कार्य में बहुत नजदीकी से सहयोग भी करेंगे और बेड़ों को बढ़ावा देंगे। आपसी समुद्रीय सहयोग के विकास को रोकने की प्रवृत्ति वाली रूकावटों और अन्य परिस्थितियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तथा/अथवा अपने गैर-सरकारी क्षेत्र का समुद्रीय परिवहन और अन्य संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग सुकर बनाएंगे।

[हिन्दी]

वनों के विकास के लिए धनराशि

3373. श्री गिरिधारी यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों विशेष रूप से बिहार सरकार को वनों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उपर्युक्त धनराशि का उपयोग करते हुए बिहार सरकार ने क्या-क्या कार्य आरम्भ किए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी करने में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, अवक्रमित वनों और सीमावर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्भव को लक्षित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को जिला स्तर पर वन विकास अधिकारों और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्विस्तरीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित वन विकास अभिकरणों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बिहार राज्य में 10 एफडीए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। एफडीए ने वनीकरण के साथ-साथ संबंधित गतिविधियां जैसे मृदा और नमी संरक्षण, बाड़ लगाना, प्रवेश द्वारा कार्यकलाप, निगरानी और मूल्यांकन, निधियों का उपयोग जैसे कार्य प्रारम्भ किए हैं।

(ग) और (घ) एफडीए परियोजनाओं को निधियां पहले जारी की गई निधियों की संतोषजनक उपयोगिता के साथ उपयुक्त प्रस्तावों और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों जैसे प्रगति रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट आदि की प्राप्ति पर की जाती है। निधियों को जारी करना, वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत निधियों जारी की गई (लाख रुपये में)		
		2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.08	11.06	9.97
2.	छत्तीसगढ़	17.63	13.05	42.69
3.	गुजरात	12.05	17.52	30.93
4.	हरियाणा	4.35	9.20	12.93
5.	हिमाचल प्रदेश	9.08	11.56	7.43
6.	जम्मू-कश्मीर	5.28	5.83	8.13

1	2	3	4	5
7.	कर्नाटक	23.03	23.54	31.02
8.	मध्य प्रदेश	12.61	15.83	13.84
9.	महाराष्ट्र	14.69	15.93	29.92
10.	उड़ीसा	12.05	14.07	19.01
11.	पंजाब	3.97	3.36	5.88
12.	राजस्थान	7.26	5.62	2.50
13.	तमिलनाडु	20.92	17.22	9.46
14.	उत्तर प्रदेश	17.04	11.88	36.77
15.	उत्तरांचल	13.10	11.52	12.39
16.	गोवा	0.00	0.00	0.00
17.	झारखंड	7.85	19.03	24.56
18.	बिहार	3.42	4.94	6.92
19.	केरल	4.99	12.75	8.81
20.	पश्चिम बंगाल	5.92	7.00	7.23
	कुल (अन्य राज्य)	202.32	230.92	320.38
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.89	2.93	4.85
22.	असम	5.50	13.60	8.58
23.	मणिपुर	6.30	7.78	12.37
24.	नागालैंड	5.37	7.22	7.75
25.	सिक्किम	6.23	7.41	11.28
26.	त्रिपुरा	4.27	4.37	5.02
27.	मिजोरम	10.06	13.09	16.75
28.	मेघालय	5.18	5.44	5.94
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	45.80	61.83	72.55
	कुल योग	248.12	292.75	392.93

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व परिषद के लिए ग्यारहवीं योजना का आबंटन

3374. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर-पूर्व परिषद (एन.ई.सी.) के लिए कुल कितना आबंटन किया गया;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान संचार तथा अवसंरचना विकास के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) एन.ई.सी. को उत्तर-पूर्व के लोगों के प्रति और पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) योजना आयोग ने पूर्वोत्तर परिषद की ग्यारहवीं योजना के लिए केवल 7,394 करोड़ रुपये के सांकेतिक आबंटन के बारे में सूचित किया है। एन.ई.सी. की ग्यारहवीं योजना के लिए वर्ष-वार योजना आबंटन कार्रवाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सकल बजटीय सहायता पर निर्भर करेगी।

(ख) एन.ई.सी. की ग्यारहवीं योजना हेतु केवल सांकेतिक आबंटन को ध्यान में रखते हुए संचार तथा अवस्थापना के लिए प्रस्तावित निधियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। तथापि, एनईसी की गतिविधियों का अधिक बल हमेशा से उत्तर पूर्व में अवस्थापना तथा संचार के विकास पर ही रहा है।

(ग) एन.ई.सी. की बजटीय योजना को राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके अंतिम रूप दिया जाता है जिसे केन्द्रीय मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की अध्यक्षता के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है। एन.ई.सी. संशोधन अधिनियम, 2002 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए एन.ई.सी. परियोजनाएं क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रारंभ की जाती हैं। एन.ई.सी. को और अधिक पारदर्शी तथा क्षेत्र के लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों तथा संगठनों के साथ मिलकर मूल्यांकन तथा निगरानी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।

सतलुज नदी पर चीन द्वारा बराज-निर्माण

3375. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत को विश्वास में लिए बिना सतलुज नदी पर एक बराज का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार ने उन रिपोर्टों को देखा है जिनमें यह सुझाया गया है कि चीन ने स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन हेतु पश्चिमी तिब्बत स्थित सतलुज नदी पर एक छोटा बांध निर्मित किया है।

भारत और चीन के पास सीमापार नदियों के संबंध में एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र है जो बाढ़ के मौसम में पनबिजली डेटा के प्रावधान, आपात प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर सहयोग एवं संपर्क पर विचार-विमर्श करता है। अब तक इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं।

[हिन्दी]

पंजाब में पीजीआई जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना

3376. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर कोई संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पंजाब में एक और पीजीआईएमईआर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में पंजाब राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अमृतसर का उन्नयन करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना आयोग से इस संस्थान के उन्नयन

के लिए "सिद्धांत रूप से अनुमोदन" प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

मदरसों का आधुनिकीकरण

3377. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता के आबंटन का योजना आयोग ने कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आलोक में मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु योजना आयोग ने कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) 11वीं योजना के दौरान क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 349 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मदरसा एवं मकतब जैसी परम्परागत संस्थाओं की सहायता करना है जो पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर अपने विद्यमान पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी एवं अंग्रेजी में सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं और साथ ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को अवसंरचना सहायता मुहैया कराना है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक पार्कों की स्थापना

3378. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आयुर्वेदिक पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके लिए अब तक राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा कब तक ये पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, औषध विनिर्माण, परीक्षण और मानकीकरण हेतु साझा सुविधाएं विकसित करने के प्रयोजनार्थ 11वीं पंचवर्षीय योजना में आयुष के विकासार्थ एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के अंतर्गत आयुष क्षेत्रक की उद्यमियों के समूह द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। यह सहायता परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी बशर्ते कि अधिकतम राशि 10.00 करोड़ रु. से अधिक न हो। एसपीवी द्वारा शेष 40 प्रतिशत राशि इक्विटी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से कर्जे लेकर प्राप्त की जाएगी।

स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रयोजनों को हासिल किया जाएगा:-

(1) समूह आधारित प्रयास के द्वारा क्षेत्रक में विद्यमान विशेष अंतरालों खासतौर पर मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और क्षमता निर्माण से संबंधित अंतरालों को भरना।

(2) समूह विकास आधार को कायम रखने के लिए क्षेत्रक में सहयोजित व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

अब तक सैद्धांतिक रूप से त्रुसूर (केरल), नासिक और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित 3 समूह मंजूर किए गए हैं। स्कीम को 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

विस्तारित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

3379. श्री राकेश सिंह:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्रियान्वित किए जा रहे विस्तारित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को किसी राज्य में रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बीमारी से प्रभावित बड़ी संख्या में मरीजों को देखते हुए विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) आठ मलेरिया राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में कुल 100 जिलों को कवर करते हुए विश्व बैंक की सहायता के अंतर्गत उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई गई।

(ख) और (ग) जी नहीं। 31 दिसम्बर, 2005 को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना समाप्त हुई। मलेरिया नियंत्रण से संबंधित चल रहे कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक ने चरण-2 कार्यक्रम के कार्यान्वयन तक उपर्युक्त राज्यों को रिट्रोएक्टिव धन (वित्तपोषण) प्रदान किया है।

(घ) जी, हां। विश्व बैंक परियोजना के दूसरे चरण का आदिवासी प्रधानता वाले मलेरिया राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व बैंक परामर्शदाताओं, मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षकों को तैनात करने, प्रचालन लागत, प्रशिक्षण, द्रुत नैदानिक किटों, औषधों और लम्बे समय तक चलने वाले कीटनाशकों, उपचारित मच्छरदानियों इत्यादि की आपूर्ति के संदर्भ में परियोजना की सहायता करेगा।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक रक्षित प्रजनन कार्यक्रम

3380. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के वैज्ञानिक रक्षित प्रजनन संबंधी कोई परियोजना/कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत कितनी होगी एवं इसके द्वारा कितनी लुप्तप्राय प्रजातियों का संवर्धन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव, मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण

3381. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधीय पौधों, दुर्लभ जीव तथा वनस्पति का भंडार समझे जाने वाला देश का पूर्वी घाट खतरे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पूर्वी घाट के संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। पूर्वी घाट, विभिन्न मानव जनित कारणों से दबाव में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मनोरोग अस्पताल का उन्नयन

3382. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर तथा ग्वालियर में मनोरोग अस्पतालों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्नयन संबंधी इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2005-06 में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के आधुनिकीकरण के लिए 2.13 करोड़ रुपए और वर्ष 2006-07 में मानसिक अस्पताल, इंदौर के लिए 2.9975 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। दोनों संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था

कि उन्नयन का कार्य 12 माह की अवधि के भीतर पूरा हो जाए। इस मामले में राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है।

सीजीएचएस के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव

3383. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार के समक्ष केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विटामिन खुराक की अनुपलब्धता

3384. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए की खुराक न तो सरकारी अस्पतालों में और न ही सीजीएचएस औषधालयों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में 9 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की सम्पूरकता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान विटामिन ए समेत औषधों की खरीद के लिए राज्यों के पास निधियां रखी गई थीं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय विशिष्ट प्रिस्क्रिप्सन पर विटामिन ए कैप्सूल देता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने फरवरी, 2008 में अपनी राज्य निधियों से विटामिन ए की खरीद की तथा विटामिन ए की मांग करने वाली विभिन्न एजेंसियों को जारी करने हेतु सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भंडारों को इसकी आपूर्ति की।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-78 को दोहरे लेन वाला बनाना

3385. श्री विष्णु देव साय: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-78 के समूचे मार्ग खण्ड को दोहरे लेन वाला बनाए जाने के कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) आज की तिथि तक इस परियोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरे लेन वाला बनाए जाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग-78 की लगभग 376 किमी. लंबाई दो (दोहरी) लेन से कम मानक की है जिसमें से लगभग 227 किमी. लंबाई में 95.37 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत दो लेन बनाने के कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) से (ङ) 32 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 69 किमी. अतिरिक्त लंबाई में दो लेन बनाने का कार्य चालू वार्षिक योजना (2008-09) में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। शेष 80 किमी. लंबाई में दो लेन बनाने का कार्य इसके बाद की वार्षिक योजनाओं में शुरू किया जाना है।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु में व्यय

3386. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा तमिलनाडु में कोई राशि व्यय की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी और छिपी खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए तमिलनाडु और अन्य राज्यों में साई द्वारा अपनी शाखाओं/केन्द्रों का विस्तार करने संबंधी प्रस्तावित योजना क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित राशि खर्च की गयी है:-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1.	विशेष क्षेत्र खेल, नागरकोइल	3,26,088	4,01,993	6,71,805	13,99,886
2.	विशेष क्षेत्र खेल माइलादुतुरई	-	-	2,78,05,520	2,78,05,520
3.	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नै	28,05,293	35,09,013	50,74,119	1,13,88,425
4.	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, सेलम	20,37,524	23,08,586	38,36,487	81,82,597
5.	देशज खेल और मार्शल आर्टस, अंबुर	55,808	1,16,000	95,000	2,66,808

(ग) फिलहाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भाखेप्रा केन्द्रों/शाखाओं का विस्तार करने के लिए कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

बलात्कार संकट केन्द्र की स्थापना

3387. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बलात्कार पीड़ितों को स्वास्थ्य परिचर्या, मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए बलात्कार संकट केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय है, अत: ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, अस्पतालों द्वारा बलात्कार के सभी पीड़ितों/अभियुक्तों को तुरन्त देखा जाता है और अपेक्षित चिकित्सीय परिचर्या प्रदान की जाती है। इन अस्पतालों में बलात्कार के पीड़ितों/अभियुक्तों को देखने के लिए हर समय आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं।

जम्मू और कश्मीर में सी.बी.आई. मामले

3388. **सुश्री महबूबा मुफ्ती:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू और कश्मीर में सी.बी.आई. के पास कितने मामले हैं और कितने मामलों की जांच की; और

(ख) इन मामलों की श्रेणी-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है, कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई, कितने आरोप-पत्र निर्धारित किए गए, कितने मामलों की न्यायालय में सुनवाई चल रही है और कार्रवाई के लिए कितने आदेश प्राप्त किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में वर्ष 2005, 2006 और 2007 में जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की संख्या क्रमश: 15, 15 और 14 है।

(ख) मामलों की स्थिति के संबंध में ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	विचारणाधीन मामलों की संख्या	दोषसिद्ध हुए मामलों की संख्या	नियमित विभागीय कार्रवाई (आर.डी.ए.) संस्तुत की गई	समाप्त मामलों की संख्या	जांचाधीन मामलों की संख्या
2005	11	2	2	0	0
2006	9	1	1	1	3
2007	7	0	0	0	7

प्रदूषण के कारण मौतें

3389. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला और गोबर जलाने के कारण हुए प्रदूषण से भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग पांच लाख लोग मारे जाते हैं जिनमें से अधिकांश महिला और बच्चे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'इनडोर एयर पोल्युशन-नेशनल बर्डन आफ डिजीजिज इस्टीमेट्स' नामक रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारत में बायोमास ईंधन और कोयले का प्रयोग करने से 4 वर्ष में लगभग 4.07 लाख लोगों की परिपक्वतापूर्व (असामयिक) मौत हो जाती है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि हवा की खराब आवाजाही वाले घरों में जैव ईंधन जलाने से होने वाले घरेलू प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 4.1 लाख से 5.7 लाख महिलाएं और किशोर बच्चों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। तथापि, मृत्युदर और घरेलू प्रदूषण के बीच आपसी संबंध स्थापित करने वाले कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने, नव एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से जलाने के लिए आग जलाने की लकड़ी, कृषिगत अवशिष्ट, पशुओं के गोबर और कोयले जैसे ईंधन के विकल्प प्रदान करने के लिए जैवगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए घरेलू प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। धर्मल की दृष्टि से सक्षम तथा कम धुएं वाले स्टोव/धुआंरहित चूल्हों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर चूल्हों के संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया गया है। इन कार्यक्रमों के प्रचार के लिए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप किए जाते हैं। पारम्परिक चूल्हों में लकड़ी, कृषिगत अपशिष्ट, पशुओं का गोबर जलाने के खतरों तथा जैव गैस प्रौद्योगिकी आदि के लाभों के बारे में गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिए महिला शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रतिभावान बच्चों व युवाओं हेतु खेलकूद कार्यक्रम

3390. श्री रामदास आठवले:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिभावान बच्चों तथा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन से खेलकूद कार्यक्रम और सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं/कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) खेलकूद सुविधाओं के सार्वभूमिकरण करने तथा शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में इसे सबको उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में प्रतिभावान बच्चों व युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न खेल स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

(2) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन

(3) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप

(4) पूर्वोत्तर खेल

(5) खेल छात्रवृत्ति

(6) प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम

(7) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की स्कीम

(8) राष्ट्रीय खेल विकास निधि

(9) खिलाड़ियों को विशेष नकद पुरस्कार

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश की सभी पंचायतों में बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करना तथा ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना है।

[अनुवाद]

वन भूमि को पर्यावरणीय स्वीकृति

3391. श्री पी.एस. गड़वी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से जलमग्नता और पर्यावरणीय स्वीकृति के अंतर्गत आने वाली 427.13 हैक्टेयर की वन भूमि जारी करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) गुजरात सरकार ने गुजरात के वलसाड जिले में सिदुम्बर जलाशय सिंचाई परियोजना हेतु 427.13 हैक्टेयर वन भूमि के अन्यत्र उपयोग हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे केन्द्रीय सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ दिनांक 20.08.2004 को सिद्धांतत: (चरण-1) अनुमोदन प्रदान कर दिया था। अंतिम (चरण-2) अनुमोदन गुजरात सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान किया जाना है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। तथापि, उन मामलों में जहां पर राज्य सरकारों से सिद्धांतत: अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन 5 (पांच) वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षित है, सिद्धान्तत: अनुमोदन रद्द कर दिया जाता है।

सीजीएचएस में मांग प्रणाली समाप्त किया जाना

3392. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे भारत में मांग प्रणाली समाप्त करके सभी सीजीएचएस औषधालयों में मेडिकल स्टोर खोलने का है जिसका उपयोग सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.आई. के पास लंबित मामले

3393. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.बी.आई. के पास कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ऐसे मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास जांच के लिए लम्बित मामलों की संख्या 1165 थी।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच में समय लगता है, क्योंकि मामले जटिल स्वरूप के होते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में दस्तावेजों की संवीक्षा और काफी सारे गवाहों से जांच/पूछताछ अपेक्षित होती है।

(ग) सरकार ने केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ही मामलों के विचारण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष न्यायाधीशों के 39 न्यायालय स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सतत निगरानी/देख-रेख के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है कि इसकी ओर से मामलों के विचारण में कोई विलंब न हो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली

3394. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री उदय सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की दयनीय दशा पर गंभीर चिंता दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2004 की अपील (दीवानी) 1949 समीरा कोहली बनाम डा. प्रभा मनचन्दा एवं अन्य में दिए गए दिनांक 16.1.2008 के अपने निर्णय में चिकित्सक-रोगी संबंध के संदर्भ में 'इन्फोर्मड कन्सेंट'' की जटिलताओं की जांच की एवं जन स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक निर्देश भी दिया।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के नवीकरण के लिए मुख्य साधन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जिसे 12 अप्रैल, 2005 से देश भर में संचालित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य समाज के ग्रामीण गरीब और असुरक्षित वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मुख्य कार्यनीतियों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, संसाधनों का एकत्रीकरण, प्रबंधन एवं वित्तीय कर्मियों को शामिल करना और विभिन्न स्तरों पर भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने वाली कार्यात्मक सुविधाओं को संचालित करना है।

सरकारी अस्पतालों की दशा

3395. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित देश में सरकारी अस्पतालों की दशा संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गयी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों की स्थिति संतोषजनक पायी गई है। इन अस्पतालों की मौजूदा सुविधाओं में विकास, उन्नयन/सुदृढ़ीकरण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए अपेक्षित बजट आबंटन किया गया है।

पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण

3396. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय क्षेत्र के कतिपय भाग पर अतिक्रमण करने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा ये कब से उनके कब्जे में हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके अतिक्रमण से कोई भू-क्षेत्र छुड़ाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और चीन ने समग्र द्विपक्षीय संबंध को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने तथा सीमा निपटारे का ढांचा तैयार करने हेतु विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक विभिन्न विषयों पर विशेष प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) पाकिस्तान ने 1948 से ही जम्मू और कश्मीर राज्य में लगभग 78,000 किमी. भारतीय भू-क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। जम्मू और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग किमी. भारतीय भू-भाग 1962 से चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान ''सीमा करार'' के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्ग किमी. भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अब तक विशेष प्रतिनिधियों की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं। पहली पांच बैठकों के परिणामस्वरूप चीन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 11 अप्रैल, 2005 को ''भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनैतिक मानदण्डों और दिशा-निर्देशी सिद्धांतों'' पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों विशेष प्रतिनिधि अभी समाधान के अंतिम पैकेज के रूप में एक अंतिम रूपरेखा का पता लगा रहे हैं जिसमें भारत-चीन सीमा के सभी सेक्टरों को शामिल किया जाएगा।

आर्थिक विकास

3397. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री परामर्श परिषद द्वारा हाल में जारी अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विकास में कमी आने के संकेत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 के दौरान 9.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास 8.8 प्रतिशत की दर से होने का अनुमान है; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक विकास की गति धीमी होने के कारण क्या हैं तथा विकास को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) द्वारा जनवरी, 2008 में जारी की गई 'अर्थव्यवस्था 2007/08 की समीक्षा' के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर चालू वर्ष 2007-08, में 8.9 प्रतिशत होने की संभावना है, जोकि 2006-07 में 9.4 प्रतिशत थी।

(ख) वर्ष 2008-09 में अर्थव्यवस्था की संभावना का प्रारंभिक अवलोकन करते हुए, आर्थिक सलाहकार परिषद ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.5 प्रतिशत तक विकास करने की संभावना है, जबकि वर्ष 2006-07 में यह 9.4 प्रतिशत थी।

(ग) ईएसी ने वर्ष 2008-09 में वृद्धि दर की संभावित धीमी गति के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना है: (1) विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास की धीमी गति; (2) उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में धीमा विकास; (3) व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार क्षेत्रक में किंचित धीमा विकास; (4) वर्ष 2007-08 में बेहतर सुस्पष्ट निष्पादन की तुलना में 2.5 प्रतिशत की प्रवृत्ति के निकट फार्म क्षेत्रक विकास। अर्थव्यवस्था में उपभोग को प्रेरित करने के लिए केन्द्रीय बजट 2008-09 में प्रगतिशील उपायों को शामिल किया गया है, इनमें शामिल हैं—वैयक्तिक आय कर स्लैब में समायोजन, उपभोक्ता वस्तुओं की रेंज पर उत्पाद कर दरों में कमी, फार्म ऋणों की माफी। देश के सभी ग्रामीण जिलों तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का विस्तार उपभोग मांग की वृद्धि में सहायक होगा और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। सरकार ने अवसंरचना कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन के लिए आबंटन को बढ़ा दिया है। इनसे उच्च विकास दर की संधारणीयता बनाए रखने के लिए पूर्ति संबंधी कुछ बाधाओं का समाधान होने और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के स्तर में सुधार होने की संभावना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, योजना अवधि 2011-12 के अंत तक भौतिक अवसंरचना में निवेश के जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में जीडीपी के 9 प्रतिशत तक होने की परिकल्पना की गई है।

खेलकूद के लिए आबंटन को बढ़ाना

3398. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खेलकूद क्रियाकलापों/सुविधाओं के विकास हेतु आबंटन को बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान खेल क्रियाकलापों/सुविधाओं के विकास हेतु आबंटन बढ़ाया गया है, जैसा कि नीचे दी गयी सूचना से स्पष्ट है:-

(रु. करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08
बजट अनुमान	365.27	470.88	540.01
संशोधित अनुमान	342.23	416.41	649.03
व्यय	297.84	381.66	427.20*

*31.1.2008 तक की स्थिति के अनुसार व्यय।

[हिन्दी]

लिंग अनुपात संबंधी अध्ययन

3399. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्शन एड नामक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 500 है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लिंग अनुपात आंकड़ों से भारत तीसरी दुनिया के अन्य देशों से भी नीचे पहुंच जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार को 'एक्शन एड' द्वारा बाल लिंग अनुपात के बारे में संचालित किए गए अनुसंधान के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है। तथापि भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना से इंगित होता है कि लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) वर्ष 1991 से 2001 तक 927 से बढ़कर 933 हो गया है। तथापि, उसी अवधि के दौरान बाल लिंग अनुपात 945 से कम होकर 927 तक रह गया है।

ये आंकड़े आगे प्रकट करते हैं कि वर्ष 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रचुर क्षेत्रों अर्थात् पंजाब (798), हरियाणा (819), चंडीगढ़ (845), दिल्ली (868), गुजरात (883) और हिमाचल प्रदेश (896) में तुलनात्मक रूप से कम है। वर्ष 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बाल लिंग अनुपात के कम बने रहने को स्पष्ट करने हेतु आम तौर पर दिए जाने वाले कुछेक कारणों में बेटे को वरीयता देना, बालिका की उपेक्षा जिससे छोटी आयु में उच्च मृत्यु दर होती है, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, उच्च मातृ मृत्यु दर और जनसंख्या की गणना में पुरुष पक्षपात शामिल है। लिंग निर्धारण परीक्षणों की आसानी से उपलब्धता से भी ये इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं। पूर्व-गर्भधारण लिंग चयन सुविधाओं से उन परीक्षणों में आगे और तेजी आ सकती है।

सरकार ने विभिन्न सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी तंत्रों के माध्यम से इस मुद्दे पर पूर्व-गर्भधारण एवं पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम को सुदृढ़ करने जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्रवाई की है। देश में बाल लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछेक उपाय इस प्रकार हैं: केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन जिसका कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटर करना और केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम तथा नियमों में जहां आवश्यक हो, परिवर्तनों की सिफारिश करना तथा कन्या भ्रूण-हत्या के लिए अग्रसर भ्रूण के लिंग के पूर्व गर्भधारण लिंग चयन और पूर्व प्रसव निर्धारण की पद्धति के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना, देश-भर में समय-समय पर क्षेत्रीय दौरे करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण व मानीटरिंग समिति का गठन तथा इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहायता व मानीटरिंग कक्ष का गठन; न्यायपालिका का प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों, मंत्रालय की वेबसाइट पर आन-लाइन शिकायत सुविधा, सुग्राहीकरण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को आयोजित करना, 'बेटी बचाओ' अभियान चलाना, गैर-सरकारी

संगठनों/धार्मिक नेताओं इत्यादि से सहयोग मांगना। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायक नर्स अर्धधात्री और मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को इस मुद्दे पर सुग्राहित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ इस अधिनियम और संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन प्रदान किया गया है।

विवरण

वर्ष 1991 और 2001 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार बाल लिंगानुपात

भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*/जिला	लिंग-अनुपात		बाल लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	927	933	945	927
जम्मू-कश्मीर	896	892	उ.न.	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर -प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963
अरुणाचल प्रदेश	859	893	982	964
नागालैंड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960

1	2	3	4	5
झारखंड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932
गुजरात	934	920	928	883
दमन और दीव*	969	710	958	926
दादरा और नगर हवेली*	952	812	1,013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1,036	1,058	958	960
तमिलनाडु	974	987	948	942
पांडिचेरी*	979	1,001	963	967
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	818	846	973	957

स्रोत: जनगणना 1991 व 2001, भारत के महापंजीयक का कार्यालय।
*संघ राज्य क्षेत्र।

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति हेतु "सेल" और टाटा द्वारा संयुक्त उद्यम

3400. श्री उदय सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और टाटा स्टील ने अपनी घटती हुई उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्वस्त कोकिंग कोल प्राप्त करने हेतु कोल ब्लाकों के खनन के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की खोज के लिए ऐसे संयुक्त उद्यम की स्थापना की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अन्य देशों से कोयले के आयात पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) और टाटा स्टील ने कोयला खनन के लिए 3 जनवरी, 2008 को संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) नवरत्न पीएसयू को प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार, इस मामले में सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) सेल की विस्तार योजनाओं के मद्देनजर, अन्य देशों से आयातित कोयले की आवश्यकता में संयुक्त उद्यम के बावजूद कमी नहीं आएगी।

[हिन्दी]

रोजगार संबंधी एन.एस.एस.ओ. रिपोर्ट

3401. श्री सूरज सिंह:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 तक आर्थिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी के बावजूद रोजगार सृजन के अवसरों में कटौती हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में और रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए आर्थिक नीति में परिवर्तन लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) रोजगार एवं बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए अभी हाल ही के पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के अनुसार, रोजगार में वृद्धि की दर वर्ष 1993-94 से 1999-2000 (अवधि-1) के दौरान प्रतिवार्षिक 1.25 प्रतिशत थी जो वर्ष 1999-2000 से 2004-05 (अवधि-2) के दौरान बढ़कर 2.62 प्रतिशत हो गई। अवधि-1 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर प्रतिवार्षिक 6.5 प्रतिशत थी और अवधि-2 में यह प्रतिवार्षिक 6.0 प्रतिशत थी।

एनडीसी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में अनुमान लगाया गया है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। इसमें यह भी बताया गया है कि भविष्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुख्य रूप से सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, जूते-चप्पल और वस्त्र जैसे श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र में तथा पर्यटन एवं निर्माण जैसे सेवा क्षेत्रकों में सृजित किए जाएंगे।

कोयले के खनन हेतु सर्वेक्षण

3402. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के खनन हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान-वार कोयले के कितने भंडार का पता चला है;

(ग) क्या इन स्थानों से कोयले के आवंटन में किसी कदाचार का पता चला है जिसके कारण कोयला कंपनियों को घाटा उठाना पड़ा है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे स्थानों से कोयले के खनन में स्थान-वार कितनी राशि की हानि और लाभ कमाया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1.1.2005, 1.1.2006 और 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार कोयला संसाधनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा जारी कोयला लिंकेज के अनुसार और कोयले का पूरा मूल्य वसूलने के बाद वास्तविक प्रेषण किया जाता है। इसलिए, सीआईएल द्वारा किसी हानि की सूचना नहीं दी गई है।

विवरण

1.1.2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय कोयले के राज्य-वार भूवैज्ञानिक संसाधन

(मिलियन टन में)

राज्य	श्रेणी-वार कोयला संसाधन			
	प्रमाणित	अनुमानित	निर्दिष्ट	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	8263	6079	2584	16926
अरुणाचल प्रदेश	31	40	19	90

1	2	3	4	5
असम	279	27	34	340
बिहार	0	0	160	160
छत्तीसगढ़	9373	26191	4411	39975
झारखंड	35417	30439	6348	72204
मध्य प्रदेश	7513	8815	2904	19232
महाराष्ट्र	4653	2309	1620	8582
मेघालय	117	41	301	459
नागालैंड	4	1	15	20
उड़ीसा	15161	30976	14847	60984
उत्तर प्रदेश	766	296	0	1062
पश्चिम बंगाल	11383	11876	4554	27813
कुल	92960	117090	37797	247847

1.1.2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय कोयले के राज्य-वार भूवैज्ञानिक संसाधन

(मिलियन टन में)

	श्रेणी-वार कोयला संसाधन			
राज्य	प्रमाणित	अनुमानित	निर्दिष्ट	कुल
आंध्र प्रदेश	8403.18	6158.17	2584.25	11745.60
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
असम	314.59	26.83	34.01	375.43
बिहार	0.00	0.00	160.00	160.00
छत्तीसगढ़	9570.15	27432.89	4439.06	41442.10
झारखंड	36148.29	31411.22	6338.32	73897.83
मध्य प्रदेश	7565.50	9258.38	2934.49	19758.37
महाराष्ट्र	4652.39	2432.18	1992.17	9076.74
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	16910.63	30793.07	14295.56	61999.26
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0.00	1061.80
पश्चिम बंगाल	11383.16	11878.41	4553.36	27814.93
कुल	95866.36	119769.32	37665.98	253301.66

1.1.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय कोयले के राज्य-वार भूवैज्ञानिक संसाधन

(मिलियन टन में)

राज्य	श्रेणी-वार कोयला संसाधन			
	प्रमाणित	अनुमानित	निर्दिष्ट	कुल
आंध्र प्रदेश	8475	6328	2658	17461
अरुणाचल प्रदेश	31	40	19	90
असम	314	27	34	375
बिहार	0	0	160	160
छत्तीसगढ़	9973	27035	4442	41450
झारखंड	36881	31094	6339	74314
मध्य प्रदेश	7584	9259	2934	19777
महाराष्ट्र	4856	2822	1992	9670
मेघालय	118	41	300	459
नागालैंड	4	1	15	20
उड़ीसा	17464	30239	14296	61999
उत्तर प्रदेश	766	296	0	1062
पश्चिम बंगाल	11454	11810	5071	28335
कुल	97920	118992	38260	255172

[अनुवाद]

वनरोपण हेतु जे.एफ.एम.सी. और एफ.डी.ए. के लिए धनराशि

3403. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी.) और वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या गुजरात सहित देश में जे.एफ.एम.सी. और एफ.डी.ए. को धनराशि जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम की फंड फ्लो प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड द्वारा वन विकास एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं जो आगे संघटक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को निधियां हस्तांतरित करती हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान वन विकास एजेंसियों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। परिव्यय को राज्यवार उद्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि स्कीम का स्वरूप मांग आधारित है।

(ग) और (घ) वन विकास एजेंसी परियोजनाओं को निधियां पहले से जारी निधियों की संतोषजनक उपयोगिता और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों जैसे प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि के साथ उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं। निधियां जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड के पास वित्तीय वर्ष के दौरान फंड की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत जारी निधियां		
		2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.08	11.06	9.97
2.	छत्तीसगढ़	17.63	13.05	42.69
3.	गुजरात	12.05	17.52	30.93
4.	हरियाणा	4.35	9.20	12.93
5.	हिमाचल प्रदेश	9.08	11.56	7.43
6.	जम्मू-कश्मीर	5.28	5.83	8.13
7.	कर्नाटक	23.03	23.54	31.02
8.	मध्य प्रदेश	12.61	15.83	13.84
9.	महाराष्ट्र	14.69	15.93	29.92
10.	उड़ीसा	12.05	14.07	19.01
11.	पंजाब	3.97	3.36	5.88
12.	राजस्थान	7.26	5.62	2.50
13.	तमिलनाडु	20.92	17.22	9.46
14.	उत्तर प्रदेश	17.04	11.88	36.77
15.	उत्तरांचल	13.10	11.52	12.39
16.	गोवा	0.00	0.00	0.00
17.	झारखंड	7.85	19.03	24.56
18.	बिहार	3.42	4.94	6.92
19.	केरल	4.99	12.75	8.81
20.	पश्चिम बंगाल	5.92	7.00	7.23
	कुल (अन्य राज्य)	202.32	230.92	320.38

1	2	3	4	5
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.89	2.93	4.85
22.	असम	5.50	13.60	8.58
23.	मणिपुर	6.30	7.78	12.37
24.	नागालैंड	5.37	7.22	7.75
25.	सिक्किम	6.23	7.41	11.28
26.	त्रिपुरा	4.27	4.37	5.02
27.	मिजोरम	10.06	13.09	16.75
28.	मेघालय	5.18	5.44	5.94
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	45.80	61.83	72.55
	कुल योग	248.12	292.75	392.93

दक्षिणी रिज पर अवैध निर्माण

3404. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दक्षिणी रिज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन और कृषि भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रयोजनार्थ कोई निगरानी समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निगरानी समिति ने उक्त क्षेत्र का दौरा किया है;

(च) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(छ) क्या निगरानी समिति को संसद सदस्यों से भी शिकायतें मिली हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टाइटेनियम डाइ-आक्साइड का आयात

3405. श्री पी. करुणाकरन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल मिनरल एंड मेटल्स लिमिटेड द्वारा त्रिवेन्द्रम में चवारा और त्रावणकोर उत्पादों के संबंध में सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या टाइटेनियम डाइ-आक्साइड के आयात से केरल में टाइटेनियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन और बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में घरेलू टाइटेनियम उद्योग को बचाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) जनवरी, 2007 तथा जनवरी, 2008 में

श्री एलमाराम करीम, उद्योग मंत्री, केरल सरकार ने, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें, केन्द्र सरकार से, रुटाइल ग्रेड के टाइटेनियम डाइ-आक्साइड पिगमेंट पर आयात शुल्क की दर बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्य विभाग ने परमाणु ऊर्जा विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की थी, और वाणिज्य विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को सूचित किया गया था कि स्वदेशी स्तर पर कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आयात शुल्क को बढ़ाना वांछनीय नहीं है।

(ङ) स्वदेशी टाइटेनियम उद्योग की वृद्धि सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) पुलिन बालुका खनन और मूल्य-वर्धन कार्यकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, 06.10.1998 को पुलिन बालुका खनिज नीति को अधिसूचित किया।

(2) 01.01.2007 से, टाइटेनियम युक्त खनिजों और अयस्कों (इल्मेनाइट, रुटाइल तथा ल्यूकोक्सिन) को विहित पदार्थों की सूची में से निकाल दिया गया है और तदनुसार उनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहा।

(3) औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग ने, दिनांक 12.03.2008 के प्रैस नोट संख्या 6 (2008) के द्वारा, टाइटेनियम युक्त खनिजों तथा अयस्कों के खनन के लिए एफडीआई नीति अधिसूचित की है। खनन के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी, और क्षेत्रीय विनियमनों तथा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ स्थापित की जाने वाली मूल्य-वर्धन सुविधाओं के रहते टाइटेनियम युक्त खनिजों तथा अयस्कों में से खनिजों के पृथक्करण की अनुमति दी जाएगी।

बच्चों के लिए बजटीय परिव्यय

3406. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल जनसंख्या की एक तिहाई आबादी बच्चों की है किन्तु केन्द्रीय बजट में उनके लिए काफी कम राशि रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों के लिए और धनराशि आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी में 0-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत 35.35 प्रतिशत है। केन्द्रीय बजट 2008-09 में पहली बार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीमों हेतु बजट अनुमान (व्यय) के विवरण सहित एक अलग खण्ड रखा गया है जो कुल बजट का 4.45 प्रतिशत बैठता है। तथापि, व्यय के अनुमान उन्हीं स्कीमों के संबंध में लगाए गए हैं जो महत्वपूर्ण रूप से केवल बच्चों के लिए हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अन्य स्कीमें भी हैं जो बच्चों और वयस्क, दोनों को लाभ पहुंचाती हैं। उदाहरणार्थ, अनुमानों में पेयजल आपूर्ति, सफाई, सड़क और परिवहन, विद्युतीकरण, सिंचाई आदि से संबंधित स्कीमों, जो केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि बच्चों और बड़ों, दोनों को समान रूप से लाभ पहुंचाती है, से संबंधित बजट आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है। अनुमान की प्रक्रिया में और अधिक सुधार से बच्चों के लिए बजट अनुमान में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सकती है।

सीजीएचएस की नई प्रणाली के बारे में शिकायतें

3407. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीजीएचएस लाभार्थियों से कंप्यूटरीकृत ओपीडी की नई प्रणाली के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नई प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सीजीएचएस का कम्प्यूटरीकरण करना एक विशाल कार्य है और एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलाव चरण के दौरान छोटी-मोटी समस्याओं का होना अपेक्षित है तथा सीजीएचएस कोई अपवाद नहीं है। अब यह प्रणाली पूर्ण होती प्रतीत हो रही है जो लम्बे समय तक लाभार्थियों और साथ ही सीजीएचएस के लिए लाभदायक रहेगी।

बाघ परियोजना हेतु धनराशि आवंटन

3408. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघ परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(ग) रिजर्व विशिष्ट प्रबंधन/बाघ संरक्षण योजनाओं की मांग के अनुसार बाघ रिजर्वों से प्राप्त प्रचालनों की वार्षिक योजना के आधार पर बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत बाघ वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्कीम का स्थल कार्यान्वयन दायित्व राज्य सरकारों का होता है, जो विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्रों में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है और पर्यवेक्षणकारी दौरों द्वारा परियोजना की मानीटरी करती है तथा मानकीकृत मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आकलन कराती है।

आयुष औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धति

3409. श्री प्रहलाद जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आयुष औषधियों और दवाओं के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुष औषधि और दवा विनिर्माताओं द्वारा राजसहायता जैसे पैकेज और कर छूट आदि देने हेतु कोई विशेष अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम जीएमपी मानदंडों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी विनिर्माताओं को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी ताकि वे अपनी अवसंरचना में सुधार ला सकें। इस स्कीम के अंतर्गत एकांश द्वारा किए गए निवेश के 20 प्रतिशत के बराबर एक बारगी अनुदान जो कि 5.00 लाख रु. से अधिक न हो, 9वीं योजना से उपलब्ध कराया गया था। स्कीम को 11वीं योजना के दौरान संशोधित किया गया था जिसके तहत निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:-

1. अंतर्गृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए विनियत आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों को प्राप्त करने के लिए 20.00 करोड़ रु. तक का वार्षिक आवर्तन रखने वाले एएसयू और होम्यो औषध विनिर्माण एकांशों को दी जाने वाली सहायता 30.00 लाख रु. अथवा विनिर्माता एकांश/राज्य औषध नियंत्रक और आयुष विभाग के बीच इस शर्त के साथ समझौते ज्ञापन के आधार पर निवेशित व्यय की 30 प्रतिशत राशि तक सीमित होगी कि भारत सरकार की सहायता से खरीदे गए गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों को बेचा नहीं जाएगा और कंपनी के परिसमाप्त होने की स्थिति में ऐसे उपकरणों का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा कर लिया जाएगा।

2. 20.00 करोड़ रु. का आवर्तन रखने वाले एएसयू विनिर्माण एकांशों को प्राप्त सुविधाओं के स्तर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्छे विनिर्माण पद्धति प्रमाणन मानक स्तर पर उन्नयनकृत करने के लिए निवेशित राशि का 30 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख रु., जो भी कम हों, की सहायता दी जाएगी।

3. देश में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी एकांशों द्वारा अच्छी विनिर्माण पद्धतियों की प्रोत्साहन एवं संवर्धन प्रक्रिया के अनुपालनार्थ 11वीं योजना में उपर्युक्त केंद्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। आयुष विनिर्माता एसोसिएशनों की ओर से पूर्व में अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है और उन अभ्यावेदनों को उपर्युक्त स्कीम के संशोधन हेतु भी दृष्टिगत रखा गया है।

पासपोर्ट जारी करने के काम की आउटसोर्सिंग

3410. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने संबंधी सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पासपोर्ट सेवा परियोजना में, जिसे सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के परामर्श से सुपरिष्कृत किया गया है, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सेवा प्रदाता द्वारा केवल बाहरी और गैर-संवेदनशील गतिविधियां ही निष्पादित की जाएंगी जैसे आवेदन संग्रहण, आंकड़ा प्रविष्टि, शुल्क स्वीकार करना और फोटो खींचना इत्यादि।

इसके बाद से दस्तावेजों, जांच सूचियों के सत्यापन, पासपोर्ट प्रदान करने का निर्णय और खाली पासपोर्ट पुस्तिकाओं को संभालने सहित पासपोर्ट जारी करने के सभी संवेदनशील पक्ष सरकारी कर्मचारियों के पास रहेंगे।

यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। नई प्रणाली सरकारी एजेंसी से तीसरे पक्षकार द्वारा व्यापक सुरक्षा लेखा-परीक्षा के उपरांत ही लागू की जाएगी। यह लेखा परीक्षा तदुपरांत प्रति वर्ष दुहरायी जाएगी। पासपोर्ट धारकों के आंकड़े सरकार की कड़ी सुरक्षा में रहेंगे। परियोजना के शीर्ष और महत्वपूर्ण आस्तियों का स्वामित्व और कूटनीतिक नियंत्रण विदेश मंत्रालय के पास रहेगा। आवेदन जमा करते समय सेवा प्रदाता को प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रयोग उसके द्वारा केवल सरकारी डेटाबेस पूरा करने के लिए किया जाएगा और आंकड़ों के दुष्प्रयोग के लिए सेवा-प्रदाता पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

कोयला ब्लाकों का आवंटन

3411. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मै. वेदान्त रिसोर्सिज, मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और मै. वेदान्त रिसोर्सिज को विभिन्न संयुक्त उद्यमों के साथ कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कंपनी को आबंटित कोयला ब्लाकों की संख्या सहित पूरा ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) उपर्युक्त तीन कंपनियों में से किसी को भी कोई कोयला ब्लाक आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, मै. स्टरलाइट एनर्जी लि. को अपने विद्युत संयंत्र के लिए अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से 17.1.2008 को रामपिया और रामपिया डिप साइड कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं। दो अन्य कंपनियों, मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा मै. भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) को भी क्रमश: स्पंज आयरन और विद्युत संयंत्र के लिए अन्य कंपनियों के साथ 13.1.06 को मदनपुर साउथ तथा 1.11.07 को दुर्गापुर-तरईमार कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं।

बीपीएल की परिभाषा

3412. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की वर्तमान जनसंख्या और मुद्रा स्फीति के अनुसार गरीबी रेखा की परिभाषा क्या है;

(ख) वर्ष 1997 और वर्ष 2007 अर्थात् एक दशक के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) योजना आयोग ने गरीबी रेखा को राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रतिमाह के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलारी की प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानदण्ड पर आधारित कुछ वस्तुओं और सेवाओं के अनुरूप है। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों और अंतर-राज्यीय मूल्य विभेदकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखाओं से प्राप्त की जाती है। गरीबी रेखाओं को मुद्रा स्फीति के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष 1973-74 की राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को गरीबों के अनुपात एवं संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह के रिपोर्ट में निहित कार्यविधि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-विशिष्ट कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईआईडब्ल्यू) का प्रयोग करते हुए बाद के वर्षों के लिए अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2004-05 के लिए गरीबी रेखा का नवीनतम अनुमान उपलब्ध है। वर्ष 2004-05 के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 356.30 रुपये

तथा शहरी क्षेत्रों में 538.60 रुपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग के रूप में अनुमानित की गई है।

(ख) योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता एवं संख्या का अनुमान गरीबों के अनुपात एवं संख्या का अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में निहित कार्यविधि के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। वर्ष 1993-94 और 2004-05 के लिए गरीबी के दो नवीनतम तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध हैं। तदनुसार वर्ष 1997 और 2001 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है। एनएसएसओ द्वारा अपने 50वें दौर (जुलाई 1993-1994) और 61वें दौर (जुलाई 2004-जून 2005) में कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की संख्या वर्ष 1993-94 में 320.7 मिलियन तथा वर्ष 2004-05 में 301.7 मिलियन अनुमानित की गई है।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें एवं कार्यक्रम हैं: (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उस वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का मजदूरी रोजगार देने की विधिक गारंटी प्रदान करता है जो अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हैं। (2) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार के लिए एक समग्र कार्यक्रम, (3) इंदिरा आवास योजना, जो ग्रामीण परिवारों के लिए आवास इकाईयों के निर्माण और वर्तमान अप्रयोज्य कच्चे घरों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्रदान कराती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराती है। अन्त्योदय अन्न योजना गरीब से गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडाइज्ड दर पर अनाज प्रदान कराती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अवधि की समाप्ति तक लगभग 10 प्रतिशत के विकास सहित धारणीय विकास पथ पर लाना है। इस प्रक्रिया में प्रतिव्यक्ति उपभोग के अगले दस वर्षों में दुगुना होने का अनुमान है। सामान्य विकास प्रक्रिया से उत्पन्न आय में वृद्धि से लाभ के अतिरिक्त, उपर्युक्त कार्यक्रम, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, का गरीबी कम करने पर संगत प्रभाव है और इस प्रकार स्थिति में सुधार है।

गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान

3413. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में अहमदाबाद के निकट प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान-भाट क्षेत्र से किसी विस्तार परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्क देशों हेतु परिकल्पना

3414. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री द्वारा सार्क देशों के लिए परिकल्पित विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) प्रधानमंत्री की कल्पना पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि "मेरे समक्ष समावेशी, बहुवादी और तेजी से विकसित हो रहे दक्षिण एशिया की स्पष्ट छवि है जो पारस्परिक रूप से निर्भर विश्व के आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण उद्भव में अहम भूमिका निभा रहा है।" इस दृष्टांत को वास्तविकता में परिणत करने के लिए सार्क में प्रधान मंत्री द्वारा अनेक ठोस प्रस्ताव किए गए हैं। इन प्रस्तावों में दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, सार्क टेलीमेडिसिन नेटवर्क, सार्क खाद्य बैंक, सार्क बहुविध परिवहन परियोजना, सार्क वस्त्र संग्रहालय, सार्क कार रैली और दक्षिण एशिया ऊर्जा वार्ता शामिल है। इन प्रस्तावों से सार्क के घोषणा का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इन प्रस्तावों की स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं के ब्यौरे		स्थिति
1.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	*	परियोजना कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है।
		*	1 मई, 2008 को निर्धारित अंतर-सरकारी स्थायी समिति की दूसरी बैठक द्वारा परियोजना कार्यालय की अध्यक्षता हेतु एक अंतरिम-सी.ई.ओ. नियुक्त किए जाने की आशा है।
2.	सार्क टेलीमेडिसिन परियोजना	*	भूटान और भारत के बीच एक पायलट टेलीमेडिसिन परियोजना आरंभ हुई है।
3.	सार्क खाद्य बैंक	*	सार्क खाद्य बैंक अफगानिस्तान को छोड़कर सार्क सदस्य राज्यों से 241,580 मीट्रिक टन खाद्य अनाजों के भण्डार से आरंभ होगा।
4.	सार्क क्षेत्रीय बहुविध परिवहन परियोजना	*	परिवहन मंत्रियों की पहली बैठक (29-31 अगस्त, 2007) में सार्क क्षेत्रीय बहुविध परिवहन अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ और उसमें अनेक पायलट उप क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं की सिफारिश की गई।
5.	सार्क वस्त्र संग्रहालय	*	7 दिसम्बर, 2007 से 6 मार्च, 2008 के बीच नई दिल्ली में अस्थायी रूप से "दक्षिण एशिया की वस्त्र परंपरा" नामक प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
6.	सार्क कार रैली	*	सार्क कार रैली का आयोजन 15 मार्च, 2007 से 3 अप्रैल, 2007 के बीच किया गया।
7.	दक्षिण एशिया ऊर्जा वार्ता	*	ऊर्जा मंत्रियों की दूसरी बैठक 7 मार्च, 2007 को हुई।

चिली में आयोजित वर्ल्ड हाकी क्वालीफाइंग चैंपियनशिप

3415. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री सुनील खां:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चिली में आयोजित वर्ल्ड हाकी क्वालीफाइंग चैंपियनशिप के दौरान भारतीय हाकी टीम बीजिंग ओलंपिक, 2008 के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त क्वालीफाइंग चैंपियनशिप में भारतीय हाकी टीम के खराब प्रदर्शन के कारणों पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) जी हां। भारत विश्व पुरुष हाकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से हार गया है।

(ग) और (घ) सरकार हाकी सहित खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, सरकार देश में तथा देश से बाहर प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षकों को लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है। विशिष्ट रूप से हाकी में, सरकार ने राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों तथा जूनियर राष्ट्रीय टीमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले विदेशी विशेषज्ञ को तकनीकी सलाहकार के रूप में लगाया है। इसके अतिरिक्त, 14-21 के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भाखेप्रा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्रों तथा भाखेप्रा विशेष क्षेत्र खेल केंद्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में इन खिलाड़ियों के पास हाकी की खेल विधा है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

3416. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकलापों हेतु दी गई धनराशि का कथित रूप से दुरुपयोग करने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का सांस्कृतिक केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं। ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एम्स को और अधिक धनराशि का आवंटन

3417. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स में अनुसंधान और मरीज परिचर्या के निमित्त कुल परिव्यय मे कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स ने अपने बजटीय आवंटन में वृद्धि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संस्थान द्वारा जनता को मुहैया करायी जा रही सेवाओं को सुधारने तथा संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों हेतु पर्याप्त निधियां मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान को हर वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रोगी परिचर्या सेवाओं, शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों के लिए प्लान और नान-प्लान के अंतर्गत समेकित सहायतानुदान प्राप्त हुआ।

(ग) से (ङ) अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान ने बजट अनुमान 2008-09 में प्लान और नान-प्लान कार्यकलापों के अंतर्गत 692.75 करोड़ रुपए की समग्र धनराशि प्रक्षेपित की है। इस प्रक्षेपण/अनुमान के लिए इस संस्थान को बजट अनुमान 2008-09 में प्लान और नान-प्लान कार्यकलापों के अंतर्गत 452.00 करोड़ रुपये की समग्र धनराशि प्रदान की गई है। तथापि, शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों समेत रोगी परिचर्या से संबंधित सेवाओं में मानकों को बनाए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को चार लेनों वाला बनाना

3418. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को झारखंड और मध्य प्रदेश स्थित क्रमश: कोडरमा, रांची और जमशेदपुर बरास्ता हजारीबाग तथा जबलपुर से खजुराहो और दमोह तक राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को चार लेनों वाला बनाने हेतु उक्त दोनों राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय क्या होगा; और

(घ) इन मार्ग खंडों पर कार्य पूरा किए जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के हजारीबाग होते हुए बरही से जमशेदपुर खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इन परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। जबलपुर से खजुराहो और दमोह तक चार लेन बनाने का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त रारा 31 के कोडरमा-बरही खंड को 4 लेन का बनाने के लिए झारखंड सरकार से भी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण

रारा 33 को 4 लेन का बनाने की स्थिति

क्र.सं.	खंड का नाम	रारा सं.	लंबाई (किमी.)	लागत (करोड़ रु.)	स्थिति*
1.	बरही-हजारीबाग	33	40	213	डीपीआर के उन्नयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं
2.	हजारीबाग-रांची	33	75	बीओटी (वार्षिकी) आधार पर डीपीआर के उन्नयन का कार्य शुरू किया गया है	बीओटी (वार्षिकी) स्कीम के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित
3.	रांची-रारगांव	33	70	815.324	साध्यता अध्ययन रिपोर्ट पूर्ण, पीपीपीएसी दस्तावेज तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
4.	रारगांव-जमशेदपुर	33	80	469.716	साध्यता अध्ययन रिपोर्ट पूर्ण, पीपीपीएसी दस्तावेज तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

*राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के कार्य दिसंबर, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

निजी-सरकारी भागीदारी माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3419. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माध्यम से विकास हेतु चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या पी.पी.पी. परियोजना पर वसूले गए पथकर को सरकार और निर्माण एजेंसी के बीच बांटा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का हिस्सा कितना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर)/(वार्षिकी) आधार पर सौंपी गई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नए आदर्श रियायत करार (एमसीए) को लागू करने के पश्चात् राजस्व भागीदारी को एक अवधारणा के रूप में प्रारंभ किया गया था। पथकर राजस्व को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और रियायतग्राही के बीच हुए रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार ही बांटा जाता है। नए आदर्श रियायत करार के आधार पर केवल सात परियोजनाएं ही सौंपी गई हैं। इन परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राजस्व भागीदारी के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

पिछले रियायत करारों में पथकर राजस्व को बांटते समय इसे अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था और कुछ करारों में पथकर राजस्व निर्धारित सीमा से अधिक होने पर एनएचएआई के राजस्व के हिस्से के अंतरण का भी प्रावधान था। तथापि, राजस्व का हिस्सा और निर्धारित सीमा एक-दूसरे करार से बिल्कुल भिन्न थी।

विवरण I

पीपीपी के माध्यम से बीओटी (पथकर)/(वार्षिकी) के अंतर्गत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्त स्रोत	स्थिति	संबंधित राज्य	अनुमानित कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	तुनी-अंकापल्ली किमी. 300-359 बीओटी [ए]-3	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	283.20
2.	राजमुंदरी-धर्मावरम एपी-15 किमी. 200-254 बीओटी [ए]-1	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	206.00
3.	धर्मावरम-तुनी एपी-16 किमी. 254-300 बीओटी [ए]-2	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	231.90
4.	नेल्लोर बाइपास	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	143.20
5.	अमरमूर-कलकल्लू गांव (एपी-2)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	आंध्र प्रदेश	490.00
6.	कोट्टाकाटा-कुरनूल (एपी-5) किमी. 135.740-211.000	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	आंध्र प्रदेश	592.00
7.	महा./आं.प्र. सीमा से इस्लामनगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6) किमी. 175/0 से किमी. 230/0	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	आंध्र प्रदेश	360.42
8.	इस्लामनगर-कदतल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7) किमी. 230.00 से किमी. 278.00	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	आंध्र प्रदेश	546.83
9.	कदतल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8) किमी. 278/0 से किमी. 308/0	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	आंध्र प्रदेश	271.73
10.	स्वर्णिम चतुर्भुज पर टाडा-नेल्लोर (पैकेज एपी-7 और 8)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	621.35
11.	नंदीगांव-इब्राहिमपुरम (रारा-9 के किमी. 217-252)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	आंध्र प्रदेश	138.65
12.	फारूखनगर-कोट्टाकाटा (एपी-3) किमी. 34.100-80.000	बीओटी [पथकर]	चालू	आंध्र प्रदेश	255.00
13.	फारूखनगर-कोट्टाकाटा (एपी-4) किमी. 80.000-135.740	बीओटी [पथकर]	चालू	आंध्र प्रदेश	302.00

1	2	3	4	5	6
14.	रारा 5 पर 6 लेन का चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (किमी. 355 से किमी. 434.15)	बीओटी [पथकर]	चालू	आंध्र प्रदेश	572.30
15.	बिहार में रारा 57 पर कोसी पुल व पहुंच मार्ग (किमी. 165.00 से 155.00) (बीआर-5)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	बिहार	418.04
16.	रारा 6 पर दुर्ग बाइपास	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	छत्तीसगढ़	70.00
17.	रायपुर-औरंग	बीओटी [पथकर]	चालू	छत्तीसगढ़	190.00
18.	दुर्ग बाइपास के अंत से छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	बीओटी [पथकर]	चालू	छत्तीसगढ़	464.00
19.	दिल्ली-गुड़गांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	दिल्ली और हरियाणा	710.00
20.	रारा 8 पर सूरत-दहीसर-6 लेन (किमी. 263.00 से किमी. 502.00)	बीओटी [पथकर]	चालू	गुजरात और महाराष्ट्र	1,405.57
21.	पिंडवाड़ा-पालनपुर (रारा 15 का किमी. 264.00-340.00)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	गुजरात और राजस्थान	498.00
22.	गुजरात में रारा 8बी पर गोंडल-जैतपुर (किमी. 117-143.3) और राजकोट बाइपास (किमी. 175-185) पैकेज-7	बीओटी [पथकर]	चालू	गुजरात	388.09
23.	वड़ोदरा-भरूच को 6 लेन का बनाना (रारा 8 का किमी. 108/700 से 192/000) पैकेज-1	बीओटी [पथकर]	चालू	गुजरात	660.00
24.	भरूच से सूरत तक 6 लेन बनाना (रारा 8 का किमी. 198/000 से 263.400) पैकेज-2	बीओटी [पथकर]	चालू	गुजरात	492.00
25.	रारा 1 पर पानीपत-जालंधर-6 लेन (किमी. 96.00 से किमी. 387.10)	बीओटी [पथकर]	चालू	हरियाणा और पंजाब	2,288.00
26.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग परियोजना (रारा 1 पर किमी. 86-96]	बीओटी [पथकर]	चालू	हरियाणा	270.00
27.	रारा 10 पर दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	बीओटी [पथकर]	चालू	हरियाणा	486.00
28.	रारा 8 पर गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर-6 लेन (किमी. 42.70 से किमी. 273.00)	बीओटी [पथकर]	चालू	हरियाणा और राजस्थान	1,673.70
29.	बेलगांव-महाराष्ट्र सीमा (पैकेज-4)	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	कर्नाटक	332.00
30.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव (कर्नाटक में रारा 7 का किमी. 463.60-527 और किमी. 535-539) (अवाथी गांव) (केएनटी-1)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	कर्नाटक	402.80

1	2	3	4	5	6
31.	नीलमंगला-तुमकुर (बीओटी)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	कर्नाटक	155.00
32.	बंगलौर उत्थापित राजमार्ग सिल्क बोर्ड से इलेक्ट्रानिक सिटी (रारा 7 पर किमी. 8.765-18.75)	बीओटी [पथकर]	चालू	कर्नाटक	450.00
33.	रारा 5 पर बंगलौर-होसकोटे-मुदबागल खंड किमी. 237.700 से किमी. 318.000	बीओटी [पथकर]	चालू	कर्नाटक	565.00
34.	रारा 4 पर बंगलौर-नीलमंगला (किमी. 10/00 से किमी. 29/50)	बीओटी [पथकर]	चालू	कर्नाटक	445.00
35.	रारा 48 पर नीलमंगला-देवीहल्ली खंड (पैकेज-1) किमी. 28/200 से किमी. 110/000 (नीलमंगला-हसन)	बीओटी [पथकर]	चालू	कर्नाटक	441.00
36.	रारा 48 पर नीलमंगला-हसन (पैकेज-2) किमी. 110/000 से किमी. 191/200	बीओटी [पथकर]	चालू	कर्नाटक	440.00
37.	त्रिसूर-अंगमाली (रारा 47 का किमी. 270-316.70)	बीओटी [पथकर]	चालू	केरल	312.50
38.	मध्य प्रदेश में लखंडन-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा (रारा 7 का किमी. 547.A-596.75) एनएस-1/बीओटी/मध्य प्रदेश-2	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	मध्य प्रदेश	263.17
39.	मध्य प्रदेश में लखंडन-एमपी/महाराष्ट्र सीमा (रारा 7 का किमी. 596-75-653.225) एनएस-1/बीओटी/मध्य प्रदेश-3	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	मध्य प्रदेश	407.60
40.	गुना बाइपास (रारा 3 पर किमी. 319.700-किमी. 332.100)	बीओटी [पथकर]	चालू	मध्य प्रदेश	46.00
41.	इंदौर-खालघाट (रारा 3 पर किमी. 12.600-किमी. 84.700)	बीओटी [पथकर]	चालू	मध्य प्रदेश	472.00
42.	खालघाट-एमपी/महाराष्ट्र सीमा	बीओटी [पथकर]	चालू	मध्य प्रदेश	549.00
43.	सतारा-कर्नाटक सीमा (कागल)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	महाराष्ट्र	600.00
44.	वडापे-गोंडे	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	579.00
45.	पिंपलगांव-धुले	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	556.00
46.	पुणे-खेड (एमओएसआरटीएच)	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	127.60
47.	कोंधाली-तेलेगांव	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	212.00
48.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वैनगंगा पुल	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	424.00
49.	नागपुर-कोंधाली	बीओटी [पथकर]	चालू	महाराष्ट्र	168.00

1	2	3	4	5	6
50.	एनएस-1/बीओटी/मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश/ ग्वालियर-झांसी (रारा 75 का किमी. 16-किमी. 96.127)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	604.00
51.	जीरकपुर-परवानू (एनएच-22)	बीओटी [पथकर]	चालू	पंजाब और हरियाणा	295.00
52.	किमी. 455.400 से किमी. 491.620 तक रारा 1 का अमृतसर-वाघा सीमा खंड	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	पंजाब	205.88
53.	अंबाला-चंडीगढ़ (जीरकपुर)	बीओटी [पथकर]	चालू	पंजाब	298.00
54.	रारा 1 पर जालंधर-अमृतसर (किमी. 407.100 से किमी. 456.100)	बीओटी [पथकर]	चालू	पंजाब	263.00
55.	कुराली-कीरतपुर	बीओटी [पथकर]	चालू	पंजाब	309.00
56.	जयपुर-किशनगढ़	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	राजस्थान	644.00
57.	आरओबी किशनगढ़	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	राजस्थान	18.00
58.	महुआ-जयपुर	बीओटी [पथकर]	चालू	राजस्थान	483.00
59.	भरतपुर-महुआ	बीओटी [पथकर]	चालू	राजस्थान	250.00
60.	ताम्बरम-टिंडीवनम (बीओटी/वार्षिकी) किमी. 67 से किमी. 122	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	तमिलनाडु	375.00
61.	कृष्णागिरि-थोपुरघाट (रारा 7 का किमी. 94-156) टीएन-1	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	372.70
62.	सलेम-करूर (त्रिची-करूर) (रारा 7 का किमी. 207.05-248.62) टीएन-2	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	253.50
63.	सलेम-करूर (नमक्कल-करूर) (रारा 7 का किमी. 258.65-292.60) टीएन	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	205.60
64.	करूर-मदुरै (करूर-डिंडीगुल) (रारा 7 का किमी. 292.60-373.725) टीएन	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	327.20
65.	करूर-मदुरै (डिंडीगुल-समयानल्लूर) (रारा 7 का किमी. 373.27-426.60) टीएन-5	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	283.50
66.	सलेम-केरल सीमा (रारा 47 का किमी. 0-53) टीएन-6	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	469.80
67.	सलेम-केरल सीमा (किमी. 53-100 आफ एनएच-47) टीएन-7	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	379.80
68.	टिंडीवनम-उलुन्दूपेट (पैकेज-6ए) किमी. 21-किमी. 192.25	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	480.00

1	2	3	4	5	6
69.	उलून्दूपेट-पडलूर (पैकेज-6बी) किमी. 192.25-किमी. 285	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	460.00
70.	पडलूर-त्रिची (पैकेज-6सी) किमी. 285-किमी. 325	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	320.00
71.	मदुरै-करूपुकोट्टे-तूतीकोरिन (किमी. 138.8-किमी. 264.5) टीएन-14	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	629.00
72.	तमिलनाडु में रारा 67 के तंजावुर-त्रिची खंड के किमी. 80.000 से किमी. 135.750 को 4 लेन का बनाना	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	280.00
73.	रारा 67 पर त्रिची-करूर	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	516.00
74.	रारा 45 पर त्रिची-डिंडीगुल	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	576.00
75.	रारा 66 पर पांडिचेरी-टिंडीवनम	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	285.00
76.	रारा 68 पर सलेम-उलून्दूपेट (बीओटी-1/टीएन-06) किमी. 0.313 से किमी. 136.670	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	941.00
77.	रारा 5 पर चेन्नै-टाडा-6 लेन (किमी. 11.00 से किमी. 54.40)	बीओटी [पथकर]	चालू	तमिलनाडु	353.37
78.	गोरखपुर बाइपास (किमी. 251.70-279.80)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	उत्तर प्रदेश	600.24
79.	एनएस-1/बीओटी/मध्य प्रदेश-1/ग्वालियर बाइपास (रारा 3 के किमी. 103 से रारा 75 के किमी. 16)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	उत्तर प्रदेश	300.93
80.	उत्तर प्रदेश में झांसी-ललितपुर (रारा 25, 26 का किमी. 0-49.79) एनएस-1/बीओटी/उत्तर प्रदेश-2	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	उत्तर प्रदेश	355.06
81.	उत्तर प्रदेश में झांसी-ललितपुर (रारा 26 का किमी. 49.79-99.00) एनएस-1/बीओटी/उत्तर प्रदेश-3	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	उत्तर प्रदेश	276.09
82.	बारह-ओरई (रारा 2 पर किमी. 449 से किमी. 422 और किमी. 255 से 220)	बीओटी [वार्षिकी]	चालू	उत्तर प्रदेश	465.00
83.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	बीओटी [पथकर]	चालू	उत्तर प्रदेश	359.00
84.	आगरा-भरतपुर (जयपुर) यूपी/राजस्थान सीमा	बीओटी [पथकर]	चालू	उत्तर प्रदेश	195.00
85.	सीतापुर-लखनऊ	बीओटी [पथकर]	चालू	उत्तर प्रदेश	322.00
86.	पानागढ़-पलसित	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	350.00

1	2	3	4	5	6
87.	पलसित-दनकुनी-दुर्गापुर एक्सप्रेसमार्ग	बीओटी [वार्षिकी]	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	432.40
88.	विवेकानंद पुल (दूसरा)	बीओटी [पथकर]	पूर्ण	पश्चिम बंगाल	641.00
89.	सिलीगुडी-इस्लामपुर (रारा 31 का किमी. 551-580)	बीओटी [पथकर]	चालू	पश्चिम बंगाल	155.00

विवरण II

एनएचएआई के पथकर राजस्व हिस्से का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एनएचएआई के पथकर राजस्व हिस्सा	
		नियत तारीख से पथकर राजस्व का भाग	रियायत अवधि की समाप्ति पर पथकर राजस्व का भाग
1.	चेन्नै-टाडा (किमी. 11 से किमी. 54.40)	17.07%	31.07%
2.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (किमी. 42.70 से किमी. 273)	48.06%	59.06%
3.	सूरत-दहीसर (किमी. 263 से किमी. 502)	38%	49%
4.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (किमी. 355 से किमी. 434.15)	नियत तारीख के बाद से 4.65% वर्ष से 2%	12%
5.	पानीपत-जालंधर (किमी. 96 से किमी. 387.10)	20.14%	34.14%
6.	दिल्ली-हरियाणा सीमा से रोहतक	रियायत करार के अनुसार एनएचएआई को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) के पश्चात् 4692 दिनों के पथकर राजस्व का प्रीमियम 2% की दर से प्राप्त होगा जिसमें 25 वर्षों की रियायत अवधि के समाप्त होने तक प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि होती रहेगी।	
7.	खालघाट-मध्य प्रदेश/महा. सीमा	रियायत करार के अनुसार एनएचएआई को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) के पश्चात् 405 दिनों के पथकर राजस्व का प्रीमियम 3.11% की दर से प्राप्त होगा जिसमें 18 वर्षों की रियायत अवधि के समाप्त होने तक प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि होती रहेगी।	

[अनुवाद]

स्वास्थ्य पर पारा प्रदूषण संबंधी दुष्प्रभाव जानने हेतु आकलन अध्ययन

3420. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली पर पर्यावरणीय पारा प्रदूषण के दुष्प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है जैसा कि 17 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में पर्यावरणीय पारा प्रदूषण संबंधी जागरूकता के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने के लिए एम्स हेतु एक परियोजना को मंजूरी दी है।

मनाली से केलांग तक सुरंगों का निर्माण

3421. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में मनाली-केलांग डी.जी.बी.आर. पर रोहतांग सुरंग के निर्माण हेतु परियोजना किस तिथि को स्वीकृत की गई थी;

(ख) परियोजना की कुल स्वीकृत लागत कितनी है;

(ग) परियोजना की सुरंग-वार प्रगति क्या है; और

(घ) परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के लिए सुरंग-वार लक्षित तिथि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मनाली-केलांग-सरचु सड़क पर रोहतांग सुरंग के निर्माण के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 सितंबर, 2005 को अनुमोदन दिया गया था।

(ख) यह परियोजना 1410.37 करोड़ रु. की लागत पर अनुमोदित की गई है जिसमें खास रोहतांग सुरंग (943.32 करोड़ रु.), सुरंग के लिए पहुंच सड़क (180.20 करोड़ रु.) और वैकल्पिक सड़क संरेखण दारजा-पदम-नीमू (286.85 करोड़ रु.) का निर्माण शामिल है।

(ग) रोहतांग सुरंग के निर्माण की प्रगति इस प्रकार है:-

1. आस्ट्रेलिया की मैसर्स एसएमईसी इंटरनेशनल प्रा.लि. को निर्माण के दौरान विस्तृत डिजाइन और परामर्श सेवाओं के लिए 62.96 करोड़ रु. की लागत से परामर्शी ठेका सौंपा गया था। परामर्शदाता द्वारा सुरंग की डिजाइन पहले ही तैयार कर ली गई है।
2. रोहतांग सुरंग के सिविल कार्यों के निर्माण के लिए ठेकेदारों की पूर्व अर्हता पहले ही पूरी कर ली गई है।
3. 8 पूर्व अर्हता प्राप्त ठेकेदारों को निविदाएं जारी की गई। 25 फरवरी, 2008 को 5 निविदाएं वापस प्राप्त हुई हैं।
4. निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।
5. यह ठेका 30 जुलाई, 2008 तक सौंप दिए जाने की संभावना है।

(घ) यह परियोजना सन् 2014 तक पूरी की जानी है।

वन क्षेत्र में संपर्क कारीडोरों का विनाश

3422. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे अधिकांश वन संरक्षित क्षेत्रों के उन संपर्क कारीडोरों को नष्ट किया जा रहा है जो उन्हें अन्य वनक्षेत्रों से जोड़ते हैं और इस प्रकार वन संरक्षित क्षेत्रों को अलग-थलग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारीडोरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विशेषकर बड़े स्तनपायियों हेतु महत्वपूर्ण कारीडोरों की स्थापना के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) संपर्क गलियारों को नष्ट करने से सुरक्षित क्षेत्र विखंडित हो सकते हैं। तथापि, ऐसे गलियारों के नष्ट होने पर सूचना का मिलान भारत सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है।

(ग) वार्षिक प्रचालन योजना के रूप में प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर, भारत सरकार, महत्वपूर्ण गलियारों की स्थापना सहित वन्यजीव संरक्षण को लक्षित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-हाथी परियोजना और बाघ परियोजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर, निधियों की उपलब्धता और आवश्यक कानूनी और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पंचायतों के कार्यकरण की समीक्षा

3423. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूरे देश से जिला पंचायतों और ब्लाकों के प्रमुखों सहित पंचायतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है जैसा कि 12 मार्च, 2008 के हिंदी दैनिक 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) 22 से 24 अप्रैल, 2008 को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे जिला पंचायतों एवं मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से जिला एवं मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों तथा प्रत्येक जिले से ग्राम पंचायतों के दो सरपंचों को भेजने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा चयनित पंचायती राज के प्रतिनिधियों की एक केंद्रीय समिति ने ''पंचायतों पर 15वीं वर्षगांठ चार्टर'' के एक प्रारूप को तैयार किया, जिसे संपूर्ण देश की ग्राम सभाओं में आगे विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा इस चार्टर पर विचार-विमर्श करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उसे अंगीकृत किया जाएगा।

तीर्थ स्थलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3424. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम जैसे तीर्थस्थलों को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) यद्यपि भारतीय भू-सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 1935-1966 की अवधि के दौरान गंगोत्री हिमनद के 18.80 मी/वर्ष की दर से कम होने की सूचना दी है तथापि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम जैसे तीर्थस्थलों के आसपास के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण तथा हिमानी परिवर्तनों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) जलवायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सतत विकास के मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएन्सी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना तथा एनर्जी एफिशिएन्सी लेबलिंग लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, पावर सैक्टर सुधार और सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, परिवहन के लिए स्वच्छतर और अपेक्षाकृत कम कार्बन युक्त ईंधन का उपयोग, ईंधन के रूप में स्वच्छतर ऊर्जा का उपयोग, वनीकरण और वनों का संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा, गैस फ्लेयरिंग को कम करना, मास रेडिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोत्साहित करना और सभी सेक्टरों के लिए पर्यावरणीय गुणता प्रबंधन आदि शामिल हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को भी शामिल किया गया है। सरकार ने भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए और मानवजनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों की संवेदनशीलता से निपटने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान हेतु मई 2007 में ''जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति'' गठित की है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए ''प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर परिषद्'' नामक एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का दिनांक 6 जून, 2007 को गठन किया गया था। 13 जुलाई, 2007 को आयोजित बैठक में परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ 'भारत का जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम' को तैयार करने और अंतिम रूप देने का निर्णय लिया।

[अनुवाद]

उत्तरी राज्यों में मस्तिष्क ज्वर का फैलना

3425. श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तरी राज्यों में मस्तिष्क ज्वर के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जहां तक उत्तरी राज्यों का संबंध है, केवल हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जापानी एंसेफेलाइटिस (जेई)/तीव्र एंसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम की सूचना दी जा रही है। तथापि, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड जैसे अन्य राज्यों में एईएस/जे.ई. के रोगियों की भी रिपोर्टें मिल रही हैं। वर्ष 2003 से एईएस/जेई रोगियों और मौतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जापानी एंसेफेलाइटिस एक तीव्र वायरल रोग है और चक्र प्रकोप होने का पता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, एम्पलीफायर होस्टों इत्यादि की विद्यमानता जैसे घटकों से इस रोग का होना निर्धारित होता है। यह रोग मुख्यतया वर्षा ऋतु और वर्षाऋतु मौसम के साथ सह संबंधित है जब मच्छर बढ़ते हैं। जे.ई. के उपचार के लिए कोई विशिष्ट वायरल-रोधी औषध नहीं है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

* जे.ई. रोगियों के नैदानिक और क्लीनिकल उपचार को सुदृढ़ करके रोगी की मौत को कम करने के लिए ए.ई.एस. रोगियों का शुरू में ही निदान और उपयुक्त उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में उपचारी सेवाएं।
* जे.ई. के शुरू में ही निदान तथा रोगी के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों, क्लीनिकोविदों और उपचारिकाओं का प्रशिक्षण।
* ई.ई.एस./जे.ई. रोगियों के उपचार के बारे में मानक दिशा-निर्देशों/नयाचारों सहित एडवाईजरीज तैयार की गई हैं और उनकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई है।
* जिला स्तर पर द्रुत अनुक्रिया दल बनाए गए हैं और उनको प्रशिक्षित किया गया है।
* वैयक्तिक संरक्षा, पृथक्करण/सुअरबाड़ों का मच्छर शोधन पर जोर देने सहित समेकित वैक्टर नियंत्रण।
* शुरू में ही रोगी की सूचना देने, वैयक्तिक बचाव, एम्पलीफायर होस्ट इत्यादि के पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता के लिए आचरण परिवर्तन सम्प्रेषण।
* जे.ई. के निवारण और नियंत्रण के बारे में राज्य सरकार को स्थिति की गहन मानीटरिंग करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 2 अप्रैल, 2007 से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ का एक उप-कार्यालय स्थापित किया गया है।
* क्षेत्रीय दौरों और निगरानी संबंधी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता से बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में वैक्टर जन्य रोग निगरानी एकक स्थापित किया गया है।
* एईएस/जेई के निवारण एवं नियंत्रण की तैयारी की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है।
* वर्ष 2006-07 के दौरान गोरखपुर के 7 जिलों में समुदाय के लोगों को जे.ई. के लिए एसए 14-14-2 का टीका लगाया गया। वर्ष 2007 में कुल मिलाकर 97 फीसदी कवरेज हासिल करते हुए टीकाकरण के अंतर्गत 11 जिलों को कवर किया गया। वर्ष 2008 में 9 और जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।
* एईएस/जे.ई. रोगियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में औषधों तथा उपभोज्यों की आपूर्ति की जाती है।
* वर्ष 2007 में तकनीकी मार्गदर्शन के लिए प्रभावित राज्यों (उत्तर प्रदेश और असम) का, तंत्रिका विज्ञानी, जानपदिक रोग विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी, कीटविज्ञानी वाले बहु-विषयक केन्द्रीय दल द्वारा दौरा किया गया। उनकी टिप्पणियों तथा सिफारिशों के आधार पर नियंत्रक उपाय बढ़ाए गए थे।
* राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा एईएस के मामलों की नियमित निगरानी की जाती है।

विवरण

राज्यवार एईएस/जे.ई. रोगी और मौतें

क्र.सं.	प्रभावित राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003		2004		2005		2006		2007	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	आंध्र प्रदेश	329	183	7	3	34	0	11	0	22	0
2.	असम	109	49	235	64	145	52	392	119	424	133
3.	बिहार**	6	2	85	28	192	64	21	3	336	164
4.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	12	5	17	0	6	0	1	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	4	0	0	0	27	0
7.	हरियाणा	104	67	37	27	46	39	2	1	32	18
8.	कर्नाटक	226	10	181	6	122	10	73	3	32	1
9.	केरल	17	2	9	1	1	0	3	3	0	0
10.	महाराष्ट्र	475	115	22	0	51	0	1	0	0	0
11.	मणिपुर	1	0	0	0	1	0	0	0	65	0
12.	पंजाब	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	163	36	88	9	51	11	18	1	37	0
14.	उत्तर प्रदेश	1124	237	1030	228	6061	1500	2320	528	3024	645
15.	पश्चिम बंगाल	2	1	3	1	12	6	0	0	16	2
16.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	कुल योग	2568	707	1714	367	6727	1682	2842	658	4022	963

कर्नाटक को एमपीलैड निधियां

3426. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम पी लैड योजना के शुरू किए जाने के समय से कर्नाटक सरकार को इसके तहत सदस्य-वार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार कितनी निधियां जारी की गयी हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक जारी की गयी निधियों से एमपीलैड योजना के अंतर्गत कितने कार्य किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, निधि अव्यपगत होती है एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्य सभा सांसदों को जारी की जाती हैं। योजना की शुरूआत से 31 मार्च, 2008 तक, कर्नाटक के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा कर्नाटक के राज्य सभा सांसदों को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय केवल जिलों से प्राप्त अनुशंसित, स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की संचयी सूचना ही रखता है। जिला प्राधिकारियों से

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 31.3.2008 तक कर्नाटक में योजना की शुरूआत से 41251 कार्य पूरे किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में निष्पादित कार्यों की संख्या से संबंधित सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती।

विवरण I

लोक सभा सांसदों (कर्नाटक) को शुरूआत से सां.स्था.क्षे.वि. योजना के अंतर्गत जारी निधि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	जारी निधि
1	2	3
1.	बागलकोट	24.05
2.	बेंगलुरु उत्तर	24.05
3.	बेंगलुरु दक्षिण	21.05
4.	बेलगांव	23.05
5.	बेल्लारी	22.05
6.	बीदर (अनु. जाति)	21.05
7.	बीजापुर	23.05
8.	चामराजनगर (अनु. जाति)	23.05
9.	चिकबल्लापुर	24.05
10.	चिकोडी (अनु. जाति)	23.05
11.	चिकमंगलूर	24.05
12.	चित्रदुर्ग	24.05
13.	दावणगेरे	24.05
14.	धारवाड़ उत्तर	23.05
15.	धारवाड़ दक्षिण	23.05
16.	गुलबर्गा	21.05
17.	हासन	21.05
18.	कनकपुरा	23.05
19.	कनारा	22.05
20.	कोलार (अनु. जाति)	23.05
21.	कोप्पल	24.05
22.	मांड्या	19.05
23.	मेंगलूर	23.05
24.	मैसूर	24.05
25.	रायचूर	22.05
26.	शिमोगा	18.05
27.	तुमकर	24.05
28.	उदिपी	22.05
	कुल	633.40

विवरण II

राज्य सभा सांसदों (कर्नाटक) को सां.स्था.क्षे.वि. योजना के अंतर्गत जारी निधि

वर्तमान राज्य सभा सासंद

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सांसद (राज्य सभा) और नोडल जिले का नाम	जारी निधि
1	2	3
1.	बी.के. हरिप्रसाद बेंगलुरु शहर	7.00
2.	जनार्दन पुजारी दक्षिण कन्नड़/मेंगलूर	12.00
3.	के. रहमान खान बेंगलुरु शहर	23.00
4.	के.बी. शन्नपा गुलबर्गा	4.00
5.	एम.ए.एस. रामास्वामी बेंगलुरु शहर	7.00
6.	एम. राजशेखर मूर्ति बेंगलुरु नगर	22.50
7.	एम.वी. राजशेखरन बेंगलुरु ग्रामीण	12.00

1	2	3
8.	एम. वैंकैया नायडु बेंगलुरु शहर	18.00
9.	ऑस्कर फर्नांडीस उदिपी	16.00
10.	प्रेमा करिअप्पा बेंगलुरु शहर	12.00
11.	राजीव चन्द्रशेखर बेंगलुरु शहर	3.00
12.	विजय माल्या बेंगलुरु शहर	9.00
	कुल	145.50
राज्य सभा के पूर्व सांसद		
13.	ए. लक्ष्मीसागर बेंगलुरु शहर	8.50
14.	बिम्बा रायकर बेंगलुरु शहर	12.00
15.	सी.एम. इब्राहिम शिमोगा	9.00
16.	गुंडप्पा कोरवार गुलबर्गा	4.05
17.	एच. हनुमंतप्पा चित्रदुर्ग	8.05
18.	एच.डी. देवगोडा हासन	1.50
19.	ए.के. जावरे गोडा हासन	12.00
20.	जर्नादन पुजारी-पूर्व दक्षिण कन्नड़/मेंगलूर	8.00
21.	के.वी. कृष्णमूर्ति बेंगलुरु ग्रामीण	12.00
22.	के.सी. कौंडैया बेल्लारी	7.00
23.	के.आर. जवदेवप्पा चित्रदुर्ग	4.05
24.	मारग्रेट अल्वा उत्तर कन्नड़/कारवार	3.55
25.	रामकृष्ण हेगडे बेंगलुरु शहर	10.00
26.	एस.एम. कृष्णा बेंगलुरु ग्रामीण	3.00
27.	एस.आर. बोम्मई धारवाड़	12.00
28.	सच्चिदानंद बेंगलुरु शहर	4.05
29.	श्री अब्दुल समाद सिद्दवी रायचूर	0.05
30.	श्री बी.के. हरिप्रसाद बेंगलुरु शहर	2.05
31.	श्री जी.वाई. कृष्णन कोलार	2.05
32.	श्री आई.जी. सनादि धारवाड़	2.05
33.	श्री जे.पी. जौली धारवाड़	0.05
34.	श्री प्रभाकर कोरे बेलगांव	2.05
35.	श्री राम जेठमलानी बेंगलुरु शहर	0.05
	कुल	127.10
	कुल योग	272.60

[हिन्दी]

ग्रामीण/जनजातीय लोगों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग

3427. श्री निहाल चन्द:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और जनजातीय लोग सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम का बहुत प्रयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में ग्रामीण और जनजातीय लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) इस बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) विज्ञापन तथा दृष्य प्रचार निदेशालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2006 में एक अभियान शुरू किया था। इस मामले में आगे और भी कदम उठाए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 08.11.2007 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/8/2007-आई.आर. द्वारा सूचना मांगने वालों के लिए एक निर्देशिका (गाइड) जारी की है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों को अपनी क्षेत्रीय भाषा(ओं) में अनूदित करवाएं और इनका व्यापक प्रचार करें। राज्य सकरारों और संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने में कार्य में शामिल करें। सुशासन केन्द्र, हैदराबाद, यशवन्त राव चव्हाण लोक विकास अकादमी, पुणे और पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एरिया आदि संगठनों ने सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों में जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम चलाए हैं।

[अनुवाद]

जंक फूड की बिक्री

3428. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जंक फूड की बिक्री बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ अध्ययन ऐसे हैं जिनके जंक फूड के उपभोग और मोटापे के बीच सकारात्मक संबंध का पता चलता है और जिसके कारण आहार संबंधी चिरकालिक गैर-संचारी रोग होते हैं।

(ग) सरकार, कार्बनीकृत पेय पदार्थों समेत जंक फूड के उपयोग को हतोत्साहित और लोगों को पोषक तथा पौष्टिक खाद्यों के बारे में जागरूक करने के प्रयास कर रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की कैन्टीनों से जंक फूड और कार्बनीकृत पेयों को वापिस लेने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए पत्र लिखा है। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को उनके संबंधित राज्यों में चिकित्सा एवं कृषि विश्वविद्यालयों समेत सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को शैक्षणिक संस्थाओं की कैन्टीनों से जंक फूड और कार्बनीकृत पेयों को वापिस लेने हेतु निर्देश जारी करने के लिए गम्भीरता से विचार करने हेतु भी पत्र लिखे गए हैं।

वनवासियों को भूमि दिया जाना

3429. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अभयारण्य भूमि का विशाल खण्ड वनवासियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) प्रति व्यक्ति कितनी भूमि सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 को 2 जनवरी, 2007 को अधिनियमित किया गया है, जिससे कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों सहित वन भूमि में वन अधिकारों और व्यवसाय को उन लोगों को अधिकार और मान्यता दी जा सके जो अनुसूचित जनजाति के वनवासी हैं और पारम्परिक वनवासी हैं जो कि पीढ़ियों से ऐसे वनों में पहले से निवास कर रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों और इस प्रकार से विहित वन अधिनियम को रिकार्ड करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने और वन भूमि के संबंध में ऐसी मान्यता और अधिकारों के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति को अभिलिखित नहीं किया जा सका था। इस अधिनियम के तहत नियमों को 1 जनवरी, 2008 से अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम के अनुसार, वन भूमि के संबंध में वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देना और प्रदान करना इस शर्त पर होगा कि ऐसी अनुसूचित जनजातियां अथवा जनजाति समुदाय अथवा अन्य

पारम्परिक वनवासी दिसम्बर, 2005 के 13वें दिन से पहले वन भूमि पर अधिग्रहित थे, जिसमें पारम्परिक वनवासी से अभिप्राय है कोई सदस्य अथवा समुदाय जिसकी दिसम्बर, 2005 के 13वें दिन से पहले कम से कम तीन पीढ़ियां मुख्यत: वनों में रह रही थीं और जो वन अथवा वन भूमि पर वास्तविक जीवनयापन आवश्यकताओं के लिए निर्भर करते हैं।

(ग) और (घ) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 6 में किसी व्यक्ति अथवा परिवार अथवा समुदाय के लिए अधिनियम की शुरूआत की तिथि पर भूमि की सीमा परिकल्पित है जो कि वास्तविक अधिग्रहण तक प्रतिबंधित होगी और किसी भी मामले में 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संवेदनशील वन्यजीव पर्यावासों में मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को जैसाकि अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत निर्धारित और अधिसूचित है, अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार तदंतर संशोधित अथवा पुन: व्यवस्थित किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधान 21 दिसम्बर, 2007 से लागू हैं। तथापि, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए कोई फ्रेमवर्क परिकल्पित नहीं किया गया है।

तटीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन

3430. **श्री राजू राणा:**
श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार तटीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात स्थित और गुजरात के निकट संघ राज्य क्षेत्र स्थित राज्य राजमार्गों का विशेष हवाला देते हुए तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उन्नयन कार्य हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं तथा इसे पूरा करने हेतु क्या लक्षित समय तय किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना इसी तथ्य पर निर्भर नहीं करता है कि वह तटीय राजमार्ग है बल्कि यातायात की आवश्यकता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता सहित अनेक अन्य तथ्यों पर निर्भर करता है। इस समय और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाय पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

तनाव और अवसाद की वजह से विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याएं

3431. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में तनाव व अवसाद के लक्षण और कारण की पहचान करने हेतु स्कूल शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामान्य फिजीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान देश में क्रमश: कुल 5610, 5138 और 5857 छात्रों ने आत्महत्या की जिससे मिश्रित प्रवृत्ति का पता चलता है। परीक्षा के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुन: कार्यनीति बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि समुदाय आधारित संगठनों की सक्रिय भागीदारी सहित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए आत्महत्या रोकने, तनाव प्रबन्धन, परामर्शी सेवाओं को शामिल किया जा सके। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों, सामान्य चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को छात्रों में तनाव और निराशा के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का चरण-वार ढंग से पूरे देश में विस्तार किया जाएगा।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

3432. श्री मित्रसेन यादव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटा से प्रावधानों के अनुसार नौकरियां दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा की रिक्तियों को भरने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित कितना प्रतिशत कोटा 31 मार्च, 2008 तक भरा जा चुका है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का वृद्धि प्रतिशत कितना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार दिया जा रहा है।

(ख) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा सीधी भर्ती के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत है। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता से इतर माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 25.84 प्रतिशत है। समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिनके प्रति सामान्यत: स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार ही आकर्षित होते हैं, पर सीधी भर्ती के मामले में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात और इस तथ्य के मद्देनजर किया जाता है कि अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही रहे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे।

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां, इस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं। उन्हें, ऊपरी आयु-सीमा में छूट जैसी विभिन्न रियायतें दी जाती हैं, ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उनके द्वारा ही भरी जाएं। आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध है।

(घ) वर्ष 1993 में, सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किए जाने के पश्चात्, सीधे भर्ती के माध्यम से पदों को भरने के लिए इन वर्गों के कोटे को कड़ाई से लागू करती आ रही है।

(ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, दिनांक 1.1.2004 को उनके प्रतिनिधित्व की तुलना में दिनांक 1.1.2005 को लगभग 15.36 प्रतिशत बढ़ गया।

[अनुवाद]

केरल में गरीबों के उपचार के लिए केन्द्रीय सहायता

3433. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से अवसंरचना विकास और गरीबों के उपचार के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य से वर्ष 2008-09 के लिए उसकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अतिरिक्त सहायता के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बुनियादी विकास के लिए 296 करोड़ रुपए की निधियां स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) केरल सरकार से प्राप्त हुए पूर्व प्रस्तावों के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केरल सरकार को वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमश: 25.26 करोड़, 44.60 करोड़ और 143.11 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं। वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा उसकी एनपीसीसी द्वारा जांच की गई है।

लघु पत्तनों के विकास हेतु अनुमति

3434. श्री हरिन पाठक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु पत्तनों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार से पत्तन विकास हेतु हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत केन्द्र सरकार महापत्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। महापत्तनों से भिन्न पत्तनों पर संबंधित राज्य सरकारों का समग्र क्षेत्राधिकार है तथा वे उनके विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं और महापत्तनों से भिन्न पत्तनों के विकास के लिए सामान्यत: केन्द्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, सांविधिक अनापत्ति सहित अपेक्षित अनापत्तियां संबंधित केंद्रीय प्राधिकरणों से लिए जाने की अपेक्षा होती है। समुद्रीय राज्यों से, छांटे गए बोलीदाताओं के मामले में, केन्द्र सरकार से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति लिए जाने की भी अपेक्षा होती है। जहां तक पत्तन के विकास के लिए जलराशिक सर्वेक्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का संबंध है, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कोरी क्रीक क्षेत्र का मामला उठाया है क्योंकि यह क्षेत्र सीमा सुरक्षा बल के द्वारा परिरक्षित क्षेत्र में पड़ता है।

कोयले की मांग पूरी करने के लिए समयबद्ध योजना

3435. श्री सुव्रत बोस:
श्री हितेन बर्मन:
श्री नरहरि महतो:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घरेलू कोयला उत्पादन से कोयला मांग पूरी करने के निर्धारित लक्ष्य के साथ सरकार ने कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रतिपादन के लिए कोयला और लिग्नाइट संबंधी कार्यदल का गठन किया गया जिसने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 के अंत में 731.10 मि.ट. कोयले की अखिल भारतीय मांग का मूल्यांकन किया और 680.00 मि.ट. (कोल इंडिया लि.-520.50 मि.ट., सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.-40.80 मि.ट. तथा अन्य-188.70 मि.ट.) के अखिल भारतीय कोयला उत्पादन का अनुमान लगाया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2006-07 में कोयला उत्पादन को 360.91 मि.ट.-सीआईएल और 37.71-एससीसीएल को बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक 520.50 मि.ट. और 40.80 मि.ट. करने के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा क्रमश: 119 और 22 नई परियोजनाएं आरंभ की जानी है।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए 182 कोयला ब्लाक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव

3436. श्री महावीर भगोरा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से 13 अन्य राज्यों से प्राप्त 10 से कम प्रस्तावों को मंजूरी न देकर 6 राज्यों से प्राप्त 100 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निधि से तीन संघ राज्य क्षेत्रों से किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की विषमता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 6 राज्यों में 100 से अधिक प्रस्ताव, 16 राज्यों में 10 से 100 के बीच प्रस्ताव और केवल 6 राज्यों में 10 से कम प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इसके

अतिरिक्त 5 संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 77 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रस्ताव मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, धनराशि की उपलब्धता और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को दी गई कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

विवरण

10वीं योजना में स्वीकृत केंद्रीय सड़क निधि कार्य

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या	धनराशि
1	2	3	4
I.	**100 से अधिक प्रस्ताव**		
1.	आंध्र प्रदेश	183	438.17
2.	गुजरात	370	437.96
3.	कर्नाटक	821	619.00
4.	महाराष्ट्र	320	712.96
5.	राजस्थान	441	656.00
6.	तमिलनाडु	383	473.21
II.	**10 और 100 के बीच प्रस्ताव**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	30	99.05
2.	असम	49	127.88
3.	बिहार	21	113.45
4.	छत्तीसगढ़	22	111.70
5.	हरियाणा	32	210.00
6.	हिमाचल प्रदेश	27	68.52
7.	जम्मू-कश्मीर	25	194.43
8.	झारखंड	10	111.20
9.	केरल	30	387.37
10.	मध्य प्रदेश	98	389.90
11.	मेघालय	11	30.37
12.	उड़ीसा	31	125.94
13.	पंजाब	30	146.73
14.	उत्तर प्रदेश	85	768.37
15.	उत्तराखंड	51	88.67
16.	पश्चिम बंगाल	17	257.62
III.	**10 से कम प्रस्ताव**		
1.	गोवा	4	12.73
2.	मणिपुर	7	21.54
3.	मिजोरम	6	11.23
4.	नागालैंड	8	23.84
5.	सिक्किम	9	11.71
6.	त्रिपुरा	4	9.69
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	7.58
2.	चंडीगढ़	4	6.60
3.	दादरा और नगर हवेली	3	1.23
4.	दिल्ली	65	117.00
5.	पुडुचेरी	3	6.72

[अनुवाद]

कोयला खोज संबंधी क्षमता

3437. श्री भरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. से अपनी कोयला खोज संबंधी क्षमता का विस्तार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में देश में कोयले की मांग में कई गुणा वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। सीएमपीडीआईएल की 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष की मौजूदा अन्वेषक ड्रिलिंग क्षमताओं को आउटसोर्सिंग तथा उच्च क्षमता की ड्रिलों की विभागीय खरीद दोनों के माध्यम से दोगुना कर 4 लाख मीटर प्रति वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) कोयले की मांग 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 में 474.18 मिलियन टन से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में 731 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस मांग को स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि और कुछ आयात के द्वारा पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। कोयला उत्पादन को वर्ष 2006-07 में 431 मिलियन टन से बढ़ाकर 2011-12 में 680.00 मिलियन टन करने की योजना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन वाला बनाया जाना

3438. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 20,000 किमी. लंबे 'सिंगल लेन' वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को दो लेन वाला बनाने के लिए इसे राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के किन-किन खंडों की पहचान की गई है;

(ग) दो लेन वाला बनाए जाने का कार्य किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा इस कार्य को किन एजेंसियों को दिया गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है और परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 के अंतर्गत विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन के राजमार्गों की 20,000 किमी. को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के राजमार्गों में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, खंडों के ब्यौरे, कार्यान्वयन एजेंसी, धनराशि के आबंटन, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा और अन्य रीतियों के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

3439. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खानों में दुर्घटनाओं में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों, विशेषकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) ने वर्ष 2008-09 को दुर्घटना रहित वर्ष घोषित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल इंडिया लि. की कोलफील्ड कंपनियों द्वारा सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न देखी गयी है और उक्त अवधि के दौरान खान दुर्घटनाओं का कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	घातक दुर्घटनाएं			सांघातिकताएं			गंभीर दुर्घटनाएं			गंभीर चोटें		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	15	8	7	16	13	8	123	102	105	125	105	115
भारत कोकिंग कोल लि.	12	11	10	17	60	10	71	45	66	76	47	66
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	8	4	7	22	4	8	24	19	16	24	19	16
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3	4	5	3	5	5	18	15	10	19	15	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11	13	12	11	13	12	47	57	60	48	60	61
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	14	7	10	15	7	10	93	68	60	98	72	63
महानदी कोलफील्ड्स लि.	9	2	4	9	2	4	13	10	9	13	17	9
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	1	0	0	1	0	0	2	1	0	2	1	0
कुल: कोल इंडिया लि.	73	49	55	94	104	57	391	317	326	405	336	340

नोट: 2006, 2007 के आंकड़े डीजीएमएस के समाधान के अधीन हैं।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां, दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं।

कोयला खान सुरक्षा से संबंधित सांविधियों के अनुपालन के अलावा, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं:

1. सीआईएल ने सुरक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न स्तरों पर लाइन प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक ढांचागत बहु-विधा वाले आन्तरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) की स्थापना की है।

2. नियमित अंतराल पर खानों में सुरक्षा की जांच आयोजित करना।

3. सुरक्षा की वृद्धि के उपकरण के रूप में जोखिम मूल्यांकन तथा प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है और इसे सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. पिट सुरक्षा समिति द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समिति की बैठक के माध्यम से कामगारों की भागीदारी को बढ़ाना।

5. जल भराव के कारण दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

   (क) प्रत्येक मानसून से पहले प्रत्येक खान में जल के भूमिगत तथा सतही स्रोतों से खतरे का आकलन करने के बाद जल भराव के खतरे के विरुद्ध अपेक्षित निवारक उपाय किए जाते हैं।

   (ख) कंपनी के सर्वेक्षकों द्वारा जांच सर्वेक्षण करना और भारतीय खनन विद्यापीठ (आईएसएम) तथा सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा कुछ मामलों में उक्त की पुन: जांच करना।

6. भूमिगत खानों में छत तथा साइड के गिरने की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया जा रहा है:

   (क) राक मास रेटिंग (आर.एम.आर.) आधारित सपोर्ट नक्शे बनाना और उक्त को कार्यान्वित करना।

   (ख) शीघ्र सेट होने वाले सीमेंट के कैप्सूलों द्वारा रूफ सपोर्ट की रूफ बोल्टिंग/स्टिचिंग पद्धतियों का अधिकाधिक उपयोग।

   (ग) रूफ बोल्टिंग मशीनों द्वारा मशीनीकृत ड्रिलिंग आरंभ करके रूफ बोल्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने और छत के गिरने के कारण रूफ बोल्टिंग क्रू के खतरे को कम करना।

   (घ) जल वाली सीमों में रेसिन ग्राउटेड रूफ बोल्टों को लगाना।

   (ङ) सपोर्ट कार्मिकों तथा सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण।

   (च) साइड डिस्चार्ज लोडर्स (एसडीएल)/लोड हाल डम्पर्स (एलएचडी), पावर्ड सपोर्ट लांगवाल (पीएसएलडब्ल्यू) तथा सतही खनिकों के माध्यम से भूमिगत खानों में मशीनीकृत प्रचालन की वृद्धि करके कामगारों के खतरे को कम करना।

7. ओपनकास्ट खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

   (क) सहयोग के लिए प्रचालन की विभिन्न व्यवहार्य संहिता का कार्यान्वयन तथा ड्रिलिंग और विस्फोट

के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) का रखरखाव विद्युत के प्रेषण, वितरण, आपूर्ति तथा उपयोगार्थ, ठेकेदार के कामगारों को ऊंचाई पर काम करने के लिए लगाना आदि, यातायात नियमों, कंपनी के इंजीनियरों द्वारा ठेकेदार के वाहनों/उपकरण की जांच करना।

(ख) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के प्रचालकों तथा ठेकेदार के कामगारों को प्रशिक्षण।

8. आपदा तैयारी के संबंध में निम्नलिखित के माध्यम से जोर दिया जा रहा है:

(क) भूमिगत खानों में प्रत्येक कार्यशील क्षेत्र में आपातकालीन कार्य योजनाओं की समीक्षा।

(ख) नक्शों तथा भूमिगत कार्यशील क्षेत्रों पर बचाव मार्गों का चिन्हीकरण।

(ग) छद्म अभ्यास करना और आगे सुधार के लिए खराब बिंदुओं की मानीटरिंग करना।

(घ) प्रचार तथा प्रसार, सुरक्षा अभियान, सुरक्षा सप्ताहों आदि के द्वारा सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

3440. डा. अरुण कुमार शर्मा:

श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'कनेक्टिविटी' में सुधार के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तथा वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू की गई/शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत कितनी निधियों का आबंटन किया गया और दसवीं योजना के अंतर्गत कितनी निधियों का उपयोग किया गया;

(ग) इस क्षेत्र में, विशेषकर असम में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए बनाए गए/बनाए जाने हेतु प्रस्तावित बाइपासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यवार प्रत्येक योजना को दो लेन वाला, चार लेन वाला बनाए जाने तथा बाइपासों के निर्माण के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निष्पादन सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन सिक्किम और त्रिपुरा में पूरी तरह से रारा कार्यों का निष्पादन कर रहा है और दूसरे राज्यों में मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष आबंटित एकमुश्त राशि में से आंशिक रूप से निष्पादन कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उन विशेष कार्यक्रमों का निष्पादन कर रहा है जिनके लिए वार्षिक योजना तैयार नहीं की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के राज्य लोक निर्माण विभाग भी उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाओं में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियों के आधार पर इन राज्यों में रारा कार्यों को निष्पादित करने के लिए लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 11वीं योजना को सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वर्ष 2007-08 (11वीं योजना के प्रथम वर्ष) के दौरान अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्यों की राशि और 6 लोक निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उपर्युक्त 6 राज्यों के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृतियों के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्यों की सूची में शामिल कार्यों की राशि नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु.)

राज्य	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदान की गई स्वीकृतियों की राशि	वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृतियों के लिए सूचीबद्ध कार्यों की राशि
अरुणाचल प्रदेश	0.00	30.00
असम	112.12	292.00
मणिपुर	37.97	99.00
मेघालय	43.87	264.00
मिजोरम	21.95	119.50
नागालैंड	47.08	50.50

(ख) 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किया गया व्यय 2383.93 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किए गए व्यय को पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय 91.65

करोड़ रु. है। वर्ष 2008-09 के बजट को संसद द्वारा अभी पारित किया जाना है।

(ग) चार लेन के गुवाहाटी बाइपास का कार्य 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया गया था। करीमगंज, नागांव, दाबोका, लंका, लूमडिंग, मैबंग, उदरबंद, महोर, बेहाटा और अगरतला बाइपासों का निर्माण कार्य चल रहा है और असम में डिब्रुगढ़, तिनसुकिया, माकुम, दमदमा, रूपई, डिगबोई, मारग्रेटा, लेडो और उत्तरी लखीमपुर बाइपासों तथा मेघालय में शिलांग, जोवई और तूरा बाइपासों तथा नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा बाइपास और सिक्किम में गंगटोक बाइपास का कार्य योजना एवं सर्वेक्षण और जांच स्तर पर है।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान दो लेन बनाने के कार्यों, चार लेन बनाने के कार्यों और अनुमोदित बाइपासों के निर्माण कार्यों के लिए समय-सीमा संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि वर्ष 2008-09 के दौरान दो लेन बनाने, 4 लेन बनाने और बाइपासों के निर्माण के लिए स्वीकृति अभी प्रदान की जानी है, प्रत्येक परियोजना के लिए समय-सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान वार्षिक योजना के अंतर्गत अनुमोदित दो लेन बनाने, 4 लेन बनाने और बाइपासों के लिए कार्यों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्य का नाम	समय-सीमा
1.	अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	लागू नहीं
2.	असम	(1) रारा 37 की 563/0 से 571/0 किमी. (8 किमी) तक विद्यमान मध्य लेन को दो लेन का बनाना	मार्च, 2010
3.	मणिपुर	(1) रारा 39 की 323.330 से 326.660 किमी. तक चार लेन बनाना	मार्च, 2010
4.	मेघालय	(1) रारा 51 के 21/870 से 43/00 किमी. तक विद्यमान एकल लेन को दो लेन का बनाना	मार्च, 2010
5.	मिजोरम	कुछ नहीं	लागू नहीं
6.	नागालैंड	(1) रारा 61 से 17.00 से 23.00 किमी. तक ज्यामितीय सुधार सहित दो लेन बनाना	मार्च, 2010
		(2) रारा 61 के 33.00 से 40.00 किमी. तक ज्यामितीय सुधार सहित दो लेन बनाना	मार्च, 2010

विदेशों में भारतीय व्यक्तियों की मृत्यु

3441. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में काम करने वाले भारतीय व्यक्तियों की दुर्घटनाओं, मौतों, चोटों तथा आत्महत्याओं संबंधी सूचनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शवों को लाए जाने तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत मध्य प्रदेश से लंबित प्रस्ताव

3442. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, देवास तथा बेतुल जिलों की सड़कों के उन्नयन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले बाइपास

3443. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री गणेश सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में दसवीं योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली बाइपास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माणाधीन बाइपास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को बाइपास के निर्माण के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सेवनी टाउन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर बाइपास के निर्माण के लिए प्रस्ताव सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में 10वीं योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए पूरी की गई बाइपास परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। 10वीं योजना के दौरान राजस्थान में 4 बाइपास परियोजनाएं पूरी की गई हैं और मध्य प्रदेश में कोई बाइपास परियोजना पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) चालू बाइपास परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) से (च) बाइपास के निर्माण के लिए किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को 596.750 से 653.225 किमी. तक 4 लेन बनाने की परियोजना के भाग के तौर पर 13 किमी. लंबाई में सेवनी कस्बे के लिए बाइपास का निर्माण किया जा रहा है। सेवनी बाइपास सहित 4 लेन बनाने की परियोजना को मई, 2010 तक पूरा किया जाना है।

विवरण I

10वीं योजना अवधि (2002-07) में पूरे किए गए बाइपास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रा.रा. सं.	10वीं योजना अवधि के दौरान निर्मित बाइपासों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	214	2
		5	1
2.	असम	37	2
3.	गोवा	4ए	2
4.	गुजरात	8	1
5.	कर्नाटक	4	2
6.	महाराष्ट्र	204	1
		6	1
7.	पंजाब	15	1
		1	1
8.	राजस्थान	64	1
		8	1
		79	2
9.	तमिलनाडु	46	1
		7	2
10.	उत्तर प्रदेश	26	1
		28	2
		24	2

विवरण II

चालू बाइपास परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रारा सं.	बाइपास का ब्यौरा	स्थिति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	219	मदनापल्ली बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
2.	असम	44	करीमगंज बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
		37	नागांव बाइपास	प्रगति पर	जून, 2009
3.	जम्मू-कश्मीर	1ए	बनिहाल बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
		1ए	सोपोर बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2010
		1ए	बौइल बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2008
		1ए	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड)	प्रगति पर	सितम्बर, 2008
		1ए	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड)	प्रगति पर	दिसम्बर, 2008
		1ए	जम्मू बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2008
		1डी	कारगिल बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2012
		44	अगरतला बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2010
		44	करीमगंज बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
4.	कर्नाटक	4	चित्रदुर्ग बाइपास	प्रगति पर	अक्तूबर, 2008
		4	तुमकुर बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2008
5.	केरल		कालीकट बाइपस चरण-4	प्रगति पर	मार्च, 2009
			अलपुझा बाइपास चरण-2	प्रगति पर	मार्च, 2009
			कालीकट बाइपास चरण-3	अभी सौंपा जाना है	मार्च, 2011
6.	मध्य प्रदेश	75, 3	ग्वालियर बाइपास	प्रगति पर	अक्तूबर, 2009
		26	सागर बाइपास	प्रगति पर	जून, 2009
		25, 76	शिवपुरी बाइपास	प्रगति पर	जून, 2008
7.	महाराष्ट्र	6	अकोला बाइपास	प्रगति पर	मार्च, 2009
8.	पंजाब	64	पटियाला बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2010
		15	बटाला बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
9.	राजस्थान	11ए विस्तार	दौसा बाइपास	सड़क कार्य पूर्ण हो चुका है, आरओबी निविदा स्तर पर है	मार्च, 2010

1	2	3	4	5	6
		65	जोधपुर बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2009
		76	कोटा बाइपास	प्रगति पर	जून, 2009
		76, 79	चित्तौड़गढ़ बाइपास	प्रगति पर	सितम्बर 2008
10.	तमिलनाडु	7	मदुरै बाइपास	प्रगति पर	अक्तूबर, 2008
		45, 4 व 5	चेन्नै बाइपास चरण-2	प्रगति पर	अक्तूबर, 2008
		45-बी	त्रिची बाइपास	प्रगति पर	मार्च, 2009
11.	त्रिपुरा	44	अगरतला बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2010
12.	उत्तर प्रदेश	2	इटावा बाइपास (शेष कार्य)	प्रगति पर	जून, 2008
		2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-1 (पुल)	प्रगति पर	मई, 2008
		2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-2	प्रगति पर	जून, 2008
		2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-3	प्रगति पर	जून, 2008
		2, 3	आगरा बाइपास	प्रगति पर	अक्तूबर, 2010
		28	गोरखपुर बाइपास	प्रगति पर	जून, 2009
		56एबी	लखनऊ बाइपास	प्रगति पर	जून, 2008
		25	झांसी बाइपास	प्रगति पर	अप्रैल, 2008
13.	उत्तराखंड	58	रुद्रप्रयाग बाइपास	प्रगति पर	दिसम्बर, 2020
14.	पश्चिम बंगाल	34	डलकोला बाइपास	प्रगति पर	अगस्त, 2008

कोयला खनन के लिए वन भूमि को पट्टे पर देना

3444. श्री भाईलाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला कंपनियों को वन भूमि पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के पट्टे के निबंधन एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला कंपनियां इन निबंधनों एवं शर्तों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद सरकार द्वारा वनभूमि कोयला कंपनियों को पट्टे पर दी जाती है।

(ख) भारत सरकार सामान्यत: निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की शर्त पर कोयला खनन के लिए पट्टे पर वनभूमि के अपवर्तन की अनुमति प्रदान करती है।

(1) अपवर्तित की जा रही वनभूमि के परिमाण में निम्नीकृत वनभूमि पर दोगुना प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी प्रतिपूरक वनरोपण की लागत राज्य वन विभाग को अंतरित करेगी।

(2) उपयोगकर्ता एजेंसी खनन क्षेत्र में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाएगी, उसके चारों ओर चार दीवारी बनाएगी तथा उसका रखरखाव करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी सुरक्षा क्षेत्र के निर्माण, सुरक्षा तथा नवीनीकरण के लिए वन विभाग के पास निधि जमा करेगी और निम्नीकृत वनभूमि में सुरक्षा क्षेत्र को डेढ़गुना वनरोपण लागत वहन करनी होगी।

(3) वनभूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

(4) राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी से अपवर्तित वन क्षेत्र का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूलेगी।

(5) उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा धंसाव विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

(6) वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गयी अनुमति एमएमडीआर अधिनियम अथवा किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए खनन पट्टे के साथ को-टर्मिनस अथवा 20 वर्षों के लिए, जो भी कम हो, होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गांवों में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु योजना

3445. श्री देविदास पिंगले:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **पंचायती राज** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गांवों में युवाओं को स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है जैसा कि दिनांक 31 मार्च, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के प्रथम चरण में किन-किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के साथ बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण तथा बाल अधिकारों के. कार्यान्वयन की मानिटरिंग के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका के संबंध में ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय एवं एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा 10-11 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित एक राष्ट्रीय मंत्रणा के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को बाल अधिकारों के संदर्भ में अपने अनुभवों को बांटने का अवसर प्रदान किया गया। इस परामर्श की अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर, एक मोड्यूल को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका प्रयोग पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए उनके सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर किया जाएगा।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में खेल परिसर

3446. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार दक्षिण भारत में, विशेषकर कर्नाटक में, केंद्रीय सहायता में विभिन्न खेल परिसरों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए अभी तक कितनी राशि का आबंटन किया गया है और अभी तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) यह मंत्रालय दिनांक 31.3.2005 तक दक्षिणी भारत सहित कर्नाटक में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए, खेल परिसरों के लिए बढ़ावा दे रहा था। किंतु 1.4.2005 से खेल अवसंरचना योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थीं तथा योजना आयोग द्वारा दी गई छूट के अनुसार 31.3.2007 तक केवल प्रतिबद्ध देयताओं पर विचार किया जा रहा था। वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्ववर्ती खेल अवसंरचना योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान" की योजना के अंतर्गत खेल सुविधाओं के सृजन सहित खेल परिसरों के लिए जारी निधियों का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक (31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	13.74	1	484.52	14	123.75	7	45.00	1	84.82	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.44	6	191.00	5	27.00	1	71.00	1	480.00	5
3.	असम	73.50	3	17	2	188.09	8	7.00	1	183.00	4
4.	बिहार	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
5.	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
7.	गुजरात	0.00	0	0	0	65.00	2	0.00	0	45.00	1
8.	हरियाणा	1.20	1	40.17	2	118.13	16	33.80	4	47.8065	6
9.	हिमाचल प्रदेश	6.61	3	100.21	8	118.63	10	0.00	0	93.135	8
10.	जम्मू-कश्मीर	5.02	5	26.82	18	22.50	1	0.00	0	0.00	0
11.	कर्नाटक	82.20	14	58.70	8	101.30	9	0.00	0	42.60	2
12.	केरल	0.124	1	13.01	4	1.50	1	0.00	0	8.44	2
13.	मध्य प्रदेश	62.40	4	152.27	13	115.40	6	18.00	1	219.265	11
14.	महाराष्ट्र	165.00	7	238.43	13	169.04	9	45.08	2	419.23	10
15.	मणिपुर	62.50	5	0	0	22.50	3	0.00	0	92.838	6
16.	मेघालय	0.00	0	100.11	5	234.55	5	0.00	0	0.00	0
17.	मिजोरम	57.75	11	136.32	21	30.00	1	59.59	1	0.00	0
18.	नागालैंड	194.00	8	962.46	21	115.98	12	45.00	1	1041.01	9
19.	उड़ीसा	15.50	2	0.05	1	0.75	1	0.00	0	10.75	2
20.	पंजाब	10.00	1	45.00	1	0	0	0.00	0	0.00	0
21.	राजस्थान	10.71	2	25.00	2	8.72	1	23.00	1	46.293	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	97.011	8	170.36	22	81.154	13	50.52	2	195.2	9
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	16.29	1	46.94	3	69.23	6	83.00	4	68.015	6
26.	पश्चिम बंगाल	28.00	2	20.07	15	49.70	4	0.00	0	0.00	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	78.50	4	0	0	0.00	0	0.00	0
28.	झारखण्ड	0	0	0	0	30.00	1	0.00	0	0.00	0
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	94.80	5	0.00	0	0.00	0
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
33.	दमन व दीव	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
34.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	1057.99	85	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19	3077.4025	90

पर्यावरण संबंधी कानूनों का प्रवर्तन

3447. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रख्यात पर्यावरणविदों ने कर्नाटक सहित देश में विभिन्न पर्यावरण संबंधी कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इनका कितना क्रियान्वयन/प्रवर्तन हुआ है;

(ग) देश में लागू पर्यावरण संबंधी कानूनों की आखिरी बार किस तिथि को समीक्षा की गई थी;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यनीति अपनाई गई है; और

(ङ) देश में विद्यमान पर्यावरण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) संसद ने पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई कानून अधिनियमित किए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला विधान, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, विभिन्न नियम/अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। मंत्रालय द्वारा कानूनों/नियमावलियों की समीक्षा, कानूनों/नियमों के क्रियान्वयन के दौरान अर्जित अनुभव के आधार पर समय-समय पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श से की जाती है; जैसे कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना प्रारंभ में 1994 में बनाई गई थी तथा 14 सितम्बर, 2006 को इसमें अंतिम संशोधन किया गया। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 नवम्बर, 2000 में बनाए गए तथा तत्पश्चात्, इनमें अक्तूबर, 2002 में संशोधन किया गया। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998 में बनाए गए तथा 2002 एवं 2003 में संशोधित किए गए थे। ये कानून/नियम राज्य सरकारों/केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत

गठित प्राधिकरणों के माध्यम से भी प्रवृत्त किए जा रहे हैं। केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु बैठकें आयोजित करता है।

रेल तथा सड़क परिवहन के उद्देश्य से देश की सीमाओं को खोलना

3448. श्री सुनील खां: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान की ओर जाने वाले और अधिक सीमा मार्गों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी यात्री रेलगाड़ी को पाकिस्तान में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) जून, 2004 में संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के शुरू होने से लेकर द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन के लिए तथा भारत एवं पाकिस्तान की जनता के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस अवधि के दौरान बहु बस सेवाओं के साथ-साथ दो रेल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। दोनों में से किसी भी देश के ट्रकों द्वारा वाघा-अटारी सीमा पार दूसरी तरफ निर्धारित स्थानों तक सीमा पार करने की प्रक्रिया अक्तूबर, 2007 से चालू हो गई है।

[हिन्दी]

नासा/इसरो द्वारा अध्ययन

3449. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नासा ने स्वयं द्वारा लिए गए चित्रों के आधार पर शिवालिक पहाड़ियों से राजस्थान होकर गुजरात जाने वाली पूर्ववर्ती नदी के तलछट के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भी ऐसा कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। इसरो को शिवालिक पहाड़ियों से राजस्थान होकर गुजरात जाने वाली पूर्ववर्ती नहीं के तटछट पर नासा द्वारा किए गए किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इसरो ने भारतीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में रेत आच्छादित थार मरूभूमि क्षेत्र में प्राचीन-नदी मार्गों/पुरा-निकास नेटवर्कों के मानचित्रण हेतु अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से अतीत में घग्गर नदी मार्ग से होकर गुजरने वाली एक प्रमुख नदी की संभावना का पता चला है। यह चैनल उत्तर-पूर्वी भारतीय सीमा के समीप सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई और अंतत: कच्छ के रण में मिलती हुई भी प्रतीत होती है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षित फार्मासिस्ट/कैमिस्ट की कमी

3450. श्री रमेश दूबे:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट/कैमिस्ट की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इस समय भारतीय भेषजी परिषद के पास लगभग 6.5 लाख फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं और देश के भेषजी संस्थानों द्वारा लगभग 52000 फार्मासिस्ट प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। केन्द्र द्वारा केमिस्टों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है और उनका रिकार्ड संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है।

कू-प्रशिक्षण संस्थान, चन्दावली का उन्नयन

3451. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को क्रू-प्रशिक्षण संस्थान, चन्दाबली के विकास तथा उन्नयन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान की उपलब्धियां

3452. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श के संदर्भ में भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के योगदान तथा उपलब्धियां क्या रहीं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वन प्रबंध संस्थान ने संयुक्त वन प्रबन्ध सतत् एन टी एफ पी प्रबन्धन, पारि-पर्यटन, सतत वन प्रबन्ध, जैव-ईंधन और ऊर्जा प्रबन्ध, नीति और संस्थागत फ्रेमवर्क और जैव-विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 183 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की हैं और वन प्रमाणीकरण, संयुक्त वन प्रबन्ध, सुरक्षित क्षेत्र प्रबन्ध, जलवायु परिवर्तन, मानव पशु भिड़ंत और प्राकृतिक संसाधन लेखांकन के क्षेत्र में 207 अनुसंधान दस्तावेज/रिपोर्टें, पुस्तक समीक्षाएं और तकनीकी टिप्पणियां प्रकाशित की हैं और 26 वन संबंधी विषयों पर परामर्श संबंधी कार्य किए हैं।

फायब्राइड्स से पीड़ित महिलाएं

3453. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी संख्या में भारतीय महिलाएं फायब्राइड्स नामक रोग से पीड़ित हैं जैसा कि दिनांक 18 फरवरी, 2008 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार फायब्राइड्स से ग्रस्त महिलाओं का ब्यौरा नहीं रखती है। तथापि, सरकारी और निजी अस्पतालों में फायब्राइड्स के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में कमी किया जाना

3454. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने मध्य प्रदेश स्थित विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद ने मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में कमी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संस्तुति नहीं दी है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मान्यता को वापस लेने/प्रवेश को रोकने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संस्तुति दी है जहां पर शिक्षण संकाय, अवसंरचना और नैदानिक सामग्री इत्यादि भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं:-

1. एस.एस. मेडिकल कालेज, रीवा।
2. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर।
3. राजा गजरा मेडिकल कालेज, ग्वालियर।
4. गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल।
5. एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इन्दौर।

मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य योजनाएं

3455. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य के लिए लागू की गई/लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित की गई धनराशि तथा अब तक खर्च की गई धनराशि एवं इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2 के तहत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। स्कीम में कमजोर जन स्वास्थ्य सूचकों तथा कमजोर आधारभूत ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में खासकर ग्रामीण आबादी के लिए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं समेत गुणवत्ता परक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और उस तक लोगों की पहुंच में सुधार करने की अपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

* जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद लाभ योजना है।
* समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का सुगमता से उपयोग में लाने के लिए प्रत्येक गांव के लिए आशा की नियुक्ति।
* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एकक के रूप में तथा 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सातों दिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालित करना।
* कुशल जन परिचर जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण द्वारा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।
* जीवन रक्षक अनैस्थेटिक कौशल और सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण।
* नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों (आई.एम.एन.सी.आई.) के समेकित उपचार।
* गृह आधारित नवजात परिचर्या (एच.बी.एन.सी.)।
* स्तनपान और पूरक आहार को बढ़ावा देना।
* तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण मौतों का नियंत्रण और अतिसारीय रोगों के कारण मौतों की रोकथाम।
* सूक्ष्म पोषकों, विटामिन-ए और आयरन द्वारा सम्पूरकता।
* आंगनबाड़ी केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन।
* व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
* सेवा प्रदानगी में सुधार हेतु खुली निधियां प्रदान करके उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
* जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों (अस्पताल प्रबन्धन समितियों) की स्थापना करना।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2 के अंतर्गत स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत निधियां जारी की जाती हैं। राज्य-वार निर्धारित निधियों तथा हुए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वित्त प्रभाग

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत जारी निधियां और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		कुल	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य**								
1.	बिहार	29.38	2.40	113.14	27.48	0.00	43.73	142.52	73.61
2.	छत्तीसगढ़	27.46	25.29	43.96	36.00	35.76	10.44	107.18	71.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हिमाचल प्रदेश	5.01	0.41	6.18	2.71	6.64	4.48	17.83	7.60
4.	जम्मू-कश्मीर	6.05	1.43	10.53	5.22	9.12	7.29	25.69	13.94
5.	झारखण्ड	40.60	5.28	21.41	12.95	22.16	11.76	84.17	29.99
6.	मध्य प्रदेश	66.20	26.29	114.35	108.20	230.65	101.82	411.20	236.32
7.	उड़ीसा	40.50	21.11	60.01	37.23	108.85	62.86	209.36	121.20
8.	राजस्थान	40.01	19.31	105.22	76.18	157.07	103.77	302.30	199.26
9.	उत्तर प्रदेश	169.73	26.21	156.00	87.12	192.72	119.71	518.45	233.04
10.	उत्तराखंड	7.46	3.98	12.91	6.52	12.97	8.74	33.34	19.25
	उप-योग	432.37	131.73	643.71	399.61	775.94	474.60	1852.02	1005.94
ख.	पूर्वोत्तर राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	7.35	4.24	6.74	7.50	12.08	3.97	26.17	15.71
12.	असम	64.92	2.48	55.76	66.11	166.95	90.00	287.63	158.59
13.	मणिपुर	7.43	1.43	4.32	4.69	14.25	3.80	26.00	9.93
14.	मेघालय	4.50	0.50	6.12	3.57	9.96	2.88	20.58	6.95
15.	मिजोरम	11.82	3.82	1.44	8.43	7.53	4.86	20.79	17.11
16.	नागालैंड	6.61	1.64	3.73	5.06	7.87	2.91	18.21	9.61
17.	सिक्किम	1.00	0.72	2.18	1.61	3.31	2.28	6.49	4.61
18.	त्रिपुरा	6.00	0.31	7.69	4.36	14.34	4.62	28.03	9.30
	उप योग	109.63	15.13	87.98	101.34	236.29	115.33	433.89	231.80
ग.	बोन-हाई फोकस राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	58.85	32.91	134.39	108.12	141.34	92.23	334.58	233.26
20.	गोवा	1.06	0.07	0.46	0.56	0.32	0.13	1.83	0.76
21.	गुजरात	33.83	7.42	49.35	51.64	67.01	22.87	150.19	81.93
22.	हरियाणा	11.43	8.34	30.13	20.94	27.75	10.44	69.31	39.72
23.	कर्नाटक	28.80	13.75	73.20	41.21	42.62	25.41	144.62	80.37
24.	केरल	21.44	2.07	31.20	3.17	41.97	32.19	94.60	37.43
25.	महाराष्ट्र	52.81	13.76	119.25	40.53	186.21	51.56	358.26	105.85
26.	पंजाब	17.42	5.02	23.72	11.17	13.89	9.60	55.03	25.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	तमिलनाडु	61.39	13.01	74.80	62.42	103.05	40.40	239.24	115.82
28.	पश्चिम बंगाल	59.83	3.99	65.82	59.61	71.10	45.59	196.75	109.20
	उप-योग	346.84	100.34	602.30	399.37	695.26	330.42	1644.40	830.13
छोटे राज्य/संघ क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.45	0.15	0.48	0.44	0.40	0.24	1.33	0.83
30.	चंडीगढ़	0.74	0.32	0.82	0.29	0.42	0.44	1.98	1.05
31.	दादरा और नगर हवेली	0.35	0.12	0.48	0.25	0.17	0.28	1.00	0.65
32.	दमन और दीव	0.23	0.10	0.59	0.21	0.00	0.14	0.82	0.46
33.	दिल्ली	7.27	1.94	13.38	4.97	6.19	7.61	26.84	14.52
34.	लक्षद्वीप	0.12	0.07	0.58	0.17	0.01	0.10	0.71	0.35
35.	पांडिचेरी	0.87	0.28	1.38	1.10	1.26	0.94	3.51	2.32
	अन्य				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग	10.01	2.99	17.71	7.43	8.45	9.76	36.17	20.18
	कुल योग	898.84	250.19	1351.70	907.75	1715.94	930.11	3966.48	2088.05

वित्त वर्ष 2007-08 में जारी निधियां अब तक की हैं। व्यय 31.12.2007 तक का दिया गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2 के अंतर्गत स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सीबल पूल के तहत निधियां जारी की गई हैं।

पीएनडीटी अधिनियम संबंधी समिति

3456. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (पीएनडीटी) अधिनियम को लागू करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय निरीक्षण तथा निगरानी समिति ने अपने क्रियाकलापों के बारे में कोई रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध थीसिस के विषय में जांच-केन्द्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की वर्ष 2000 की रिट याचिका (सी) संख्या 301 के संबंध में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए एक आश्वासन के अनुपालन में गठित 'राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति' जेनेटिक क्लीनिकों/ प्रयोगशालाओं आदि का निरीक्षण करने के लिए देश में विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों का आवधिक निरीक्षण दौरा करती है तथा अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपे गए प्राधिकारियों अर्थात् राज्य/संघ शासित समुचित प्राधिकारियों एवं समुचित जिला प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करती है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और उसके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, जो दौरे के दौरान पाए गए हों, के बारे में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी को सूचित किया जाता है तथा उल्लंघनकर्त्ता के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने और/अथवा बताई गई कमी को दूर करने की सलाह दी जाती है।

वर्ष 2006-08 में राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति ने जिन संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों का दौरा किया उनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं।

तपकारा सरिसृप विज्ञान केन्द्र को पर्यावरणीय स्वीकृति

3457. श्री विष्णु देव साय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के जासपुर वन्य उपखण्ड में तपकारा सरिसृप विज्ञान केन्द्र खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार से स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) छत्तीसगढ़ वन विभाग ने तपकारा में "सांपों संबंधी जागरूकता केन्द्र" की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि, यह प्रस्ताव मौजूदा स्कीम के अनुरूप नहीं था, इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि हरपेटो फाठना के अंत:स्थाने संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

भारत द्वारा नया वाणिज्य दूतावास खोला जाना

3458. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में चीन में गुआंग्जू में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) नवम्बर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच बेहतर क्रियाकलाप को स्थायी रूप देने, सुविधाजनक बनाने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देश में एक-एक अतिरिक्त प्रधान कोंसलावास खोले जाएंगे। इस निर्णय के अनुसरण में गुआंग्जू में भारत के वाणिज्य दूतावास ने मार्च, 2008 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव

3459. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदिरा सेवन से देश के लाखों युवकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मदिरा के अत्यधिक मात्रा में सेवन से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए निम्हांस द्वारा किया गया और वर्ष 2006 में प्रकाशित एक अध्ययन यह दर्शाता है कि मदिरा पीने वाले लगभग 30 प्रतिशत वयस्क पुरुष और 5 प्रतिशत से कम महिलाएं हैं जो 6:1 के पुरुष से महिला अनुपात के लिए उत्तरदायी होते हैं। गरीब समुदायों में मदिरा का प्रयोग अत्यधिक है। मदिरा पीना आरम्भ करने की औसत आयु 80 के दशक के दौरान 28 वर्ष से कम होकर हाल ही के वर्षों में 20 वर्ष हो गई है।

(ग) मदिरा की बिक्री एवं वितरण के संबंध में नीति, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती हैं। इसलिए, मदिरा से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किए गए प्रयास राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, क्लिनिकल परिचर्या, जागरूकता निर्माण, परामर्श एवं पुनर्वास सुविधाएं सरकार द्वारा चलाए जा रहे/वित्तपोषित नशा-मुक्ति केन्द्रों और परामर्श केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

वनों का विकास

3460. श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रिहायशी एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ वनों को काटने के स्थान पर वनों का विकास करना शुरू कर दिया है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र में अब तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी उप योजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वन ग्रामों के विकास की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी विकास के थ्रस्ट एरिया में से एक के रूप में 2005-06 में यह स्कीम शुरू की गई थी। मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, पहुंच मार्गों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के लिए सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक समय उपाय के रूप में 450.00 करोड़ प्रदान किए हैं। देश के 12 राज्यों में अभिनिर्धारित वन ग्रामों के विकास के लिए यह धनराशि प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) वन ग्रामों के विकास के लिए प्राप्त और अनुमोदित राज्यवार प्रस्ताव और जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। महाराष्ट्र के मामले में कोई वन ग्राम नहीं है।

विवरण

आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वन ग्रामों का विकास: कार्यान्वयन की स्थिति

31.03.2008
(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वन ग्रामों की कुल संख्या	ग्रामों की संख्या जिसके लिए परियोजना अनुमोदित की गई	अब तक जारी कुल धनराशि
1.	असम	499	475	5876.42
2.	छत्तीसगढ़	425	422	9554.37
3.	गुजरात	199	199	4007.00
4.	झारखंड	24	24	303.58
5.	मेघालय	23	23	390.71
6.	मध्य प्रदेश	893	867	19492.07
7.	मिजोरम	85	85	1710.00
8.	उड़ीसा	20	20	290.60
9.	त्रिपुरा	62	62	930.00
10.	उत्तराखंड	61	41	566.96
11.	उत्तर प्रदेश	13	0	0.00
12.	पश्चिम बंगाल	170	170	2803.00
	कुल	2474	2388	45924.71

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

3461. श्री रेवती रमन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री किए जाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद उन्हें तम्बाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर रोक है। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम में मोटे तौर पर निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

1. तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य का क्षमता निर्माण। राज्य तम्बाकू नियंत्रण कक्ष तथा जिला स्तरीय निगरानी कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।
2. तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विद्यालय-अध्यापकों आदि को प्रशिक्षण।
3. सरकारी विद्यालयों में विद्यालय कार्यक्रम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाना।
4. क्षेत्रीय आवश्यकताओं को उजागर करने के लिए व्यापक मीडिया/सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान।
5. तम्बाकू उत्पादों की जांच के लिए क्षमता निर्माण प्रयोगशालाएं।

इस कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण 9 राज्यों के 18 जिलों में शुरू किया गया है।

भारत में नकली औषधियों का विनिर्माण

3462. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में विश्व की 35 प्रतिशत नकली औषधियों का विनिर्माण होता है तथा ऐसी औषधियों को देश में सस्ती दरों पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। औषध महानियंत्रक (भारत) ने सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से की गई पूछताछ से पता चला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है।

[हिन्दी]

वन भूमि पर निर्माण कार्य

3463. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद भी प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योगों को वन भूमि में निर्माण कार्य करने की विशेष अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में कार्यशील कंपनियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसको संकलित करने के पश्चात् सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा न्यायालयों से मामले वापस लिया जाना

3464. श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा न्यायालयों से कितने मामले वापस लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) न्यायालयों से ऐसे मामले वापस लिए जाने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) वर्ष 2005 से 2007 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार दो मामलों को वापस लेने के लिए न्यायालय से निवेदन किया। एक मामला इसलिए वापस लिया गया क्योंकि दोषी व्यक्ति वर्ष 1978 में मामला दर्ज होने के बाद से लगातार फरार रहा तथा सभी प्रयासों के बावजूद उसका कोई अतापता नहीं चला। दूसरा मामला, आपराधिक साजिश तथा बदनीयती के इरादे के कारण को सिद्ध करने के पर्याप्त सबूत के अभाव में वापस ले लिया गया।

[अनुवाद]

नेयवेली-लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) में संविदा कामगार

3465. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) में कार्यरत संविदा कामगार अक्सर हड़ताल कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप एन.एल.सी. की इकाइयों में उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा नुकसान हुआ है;

(घ) क्या संविदा पर कार्यरत कामगार लंबे समय से उन्हें नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) एनएलसी के ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों ने एनएलसी जीवा ओपन्थ तोझीललाल संगम (एआईटीयूसी) द्वारा हड़ताल के आह्वान के प्रत्युत्तर में 29.3.2008 को प्रथम पाली में तथा 5.4.08 को रात्रि पाली में हड़ताल कर दी। यह हड़ताल निम्नलिखित मांगों के लिए थी जैसाकि यूनियन द्वारा अपने हड़ताल के नोटिस में उल्लेख किया गया है:

(1) एनएलसी में ठेकेदारों द्वारा तैनात किए गए ठेका कामगारों को न्यायालय के आदेशों के अनुसार इन्डकोसर्व तथा हाउसिकोस सोसाइटी के समान वरिष्ठता आधार पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए।

(2) वर्ष 2002 के दौरान सहायक श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल), चेन्नई के पत्र के अनुसार ठेकेदारों को ठेका कामगारों को बोनस के रूप में एक महीने के वेतन का भुगतान करना है और चूंकि ठेकेदारों ने इसका भुगतान नहीं किया है इसलिए प्रधान नियोक्ता के रूप में एनएलसी को बोनस का भुगतान करना चाहिए।

(3) एनएलसी जीवा ओपन्थ तोझीललार संगम (एआईटीयूसी) को एनएलसी द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि उनके पास सदस्यों के रूप में अधिकांश ठेका कामगार हैं तथा उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक दो हड़तालें की हैं।

(4) ठेका कामगारों को एनएलसी सामान्य अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। ठेका कामगारों जो औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल हैं, का एनएलसी द्वारा मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए और हुए व्यय की संबंधित ठेकेदारों से वसूली की जानी चाहिए।

(5) ठेका कामगारों को एनएलसी के नियमित कामगार के समान मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(6) ठेका कामगारों को मजदूरी का 20 प्रतिशत मकान किराया के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए अथवा उन्हें आवास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(7) ठेका कामगारों को यात्रा भत्ता के रूप में 500 रु. प्रतिमाह का भुगतान किया जाना चाहिए।

(8) ठेका कामगारों के भविष्य निधि खाते जिसे अभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, त्रिची के कार्यालय द्वारा देखरेख किया जा रहा है, को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और एनएलसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए।

(9) ठेका कामगारों को प्रत्येक वर्ष तीन सेट वर्दी और एक बरसाती दी जानी चाहिए।

(ग) जैसाकि एनएलसी द्वारा सूचित किया गया है, उपर्युक्त हड़ताल की अवधि के दौरान उत्पादन की कोई हानि नहीं थी।

(घ) जी, हां। कंपनी में उनकी सेवा का नियमितीकरण उनकी मांगों में से एक मांग थी।

(ङ) ठेका कामगारों की एनएलसी द्वारा सीधे तैनाती नहीं की जाती है। अधिकांशत: सिविल (मिट्टी) कार्य और स्वच्छता कार्य में एक विशिष्ट अवधि के लिए सभी ठेके कार्य हैं। हालांकि मजदूरी के भुगतान, भविष्य निधि और अन्य लाभों के लिए सभी सांविधिक प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है, ठेका कामगारों की सेवाओं को नियमित करने की प्रधान नियोक्ता की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके अलावा, एनएलसी में अतिरिक्त जनशक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रासायनिक यूनिटों के बंद होने के कारण पहले से ही अतिरिक्त जनशक्ति है।

सीजीएचएस द्वारा धनराशि का उपयोग

3466. श्री रामदास आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। सीजीएचएस के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। 117.05 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में एनईआर सहित वास्तविक व्यय 122.63 करोड़ रुपए है।

जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजना

3467. श्री पी. करूणाकरन:
श्री हरिशचंद्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में वित्तीय सहायता हेतु केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और इसके संरक्षण में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-2 देशभर की जनजातीय जनसंख्या सहित विशेषतया असुरक्षित समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस मिशन का संकेन्द्रण कमजोर जनस्वास्थ्य संकेतकों एवं कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य देश में कुल प्रजनन दर, नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अन्यों के साथ-साथ (1) गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकता पर ध्यान देने; (2) जन्म के समय दक्ष परिचर्या को बढ़ावा देने; (3) रोग प्रतिरक्षण की कवरेज बढ़ाने; (4) नवजात एवं बाल्यावस्था वाली बीमारियों का समेकित उपचार शुरू करने; (5) संस्थागत प्रसवों एवं आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाने; (6) समुदाय स्तर पर गर्भवती महिलाओं को दक्ष परिचर्या प्रदान करने; (7) प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या की कवरेज में सुधार करने तथा (8) अपने जनसाधारण की अन्य संबंधित प्रजनक, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए राज्यों को नम्यता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करने की एक योजना भी उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय महिलाओं सहित जनजातियों के लाभ के लिए 10 बिस्तरों वाले अस्पताल और सचल औषधालय की परियोजनाओं के अनुरक्षण के लिए सहायता-अनुदान दिया जाता है।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत जनजातीय स्वास्थ्य के लिए बजटीय सहायता मांगी जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में बजटीय सहायता मांगी गई है:-

क्र.सं.	कार्यकलाप	शिविरों की संख्या	कुल (रुपए लाख में)
1.	जनजातीय चिकित्सा शिविर	270	5.40
2.	चिकित्सा शिविर	197	5.91
	प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
3.	विशेष चिकित्सा शिविर	80	8.80
4.	किशोर स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाएं	463	2.315
	कुल		22.425

इसके अलावा, राज्य ने सिकल सेल रक्ताल्पता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 52.96 लाख रु. तथा जनजातीय जनसंख्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में अम्बेडकर मेमोरियल ट्राइबल हास्पिटल के विकास के लिए तथा वयानद जिले में चिरकारी तथा असाध्य रोगों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र के लिए 151.805 लाख रु. की वित्तीय सहायता भी मांगी।

गधुली-सन्तालपुर सड़क

3468. श्री पी.एस. गड़वी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गधुली-सन्तालपुर सड़क के निर्माण/सुधार के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय देश में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गधुली-सन्तालपुर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तथापि, सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार ने इस सड़क के निर्माण/सुधार के लिए सरकार के पास 127.16 करोड़ रु. की धनराशि का एक प्रस्ताव भेजा था। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

भेषज हेतु स्वायत्त निकाय की स्थापना

3469. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की तर्ज पर भेषज हेतु एकल और केन्द्रीय लाइसेंसिंग स्वायत्त निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ औषधों एवं प्रसाधन सामग्री के लिए राष्ट्रीय नियामक प्रणाली का उन्नयन करने और औषधों के विनिर्माण हेतु केन्द्रीयकृत लाइसेंसिंग लागू करने के उद्देश्य से एक भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए औषध एवं प्रसाधन-सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 नामक एक विधेयक 21 अगस्त, 2007 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा चीन की फर्मों को ठेके देने पर भारत की चिंता

3470. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा चीन की फर्मों को जलविद्युत परियोजनाओं के ठेके देने की इच्छा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लिंग परीक्षण संबंधी किट

3471. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी मूल की कंपनी द्वारा देश में लिंग परीक्षण की किटों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 23.11.2001 के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर से पता चला कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा से आई लिंग परीक्षण किटें पंजाब के कतिपय महंगे बाजारों में 15 से 20 हजार रुपए में उपलब्ध हैं तथा कतिपय जेनेटिक केंद्र वेबसाइट पर ऐसे किटों के विज्ञापनों के उत्तर में आनलाइन ऐसी किटों का आयात/क्रय कर रहे हैं और उन्हें अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं।

सीमा शुल्क स्कंध और राजस्व विभाग से 29.11.2007 एवं 5.01.2007 को क्रमश: अनुरोध किया गया कि वे ऐसी लिंग निर्धारण किटों का देश में आयातित किए जाने के समय सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 के तहत उन्हें अंतरावरोधित करने की संभावना की जांच करें तथा ऐसी किटों के आयातकों के ब्यौरे भेंजे ताकि सरकार को उनके खिलाफ प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिले।

स्वास्थ्य मंत्रालय के उक्त अनुरोध में जवाब में सीमाशुल्क विभाग ने आयातित लिंग परीक्षण किटों को जारी नहीं करने तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को वित्त मंत्रालय के दिनांक 4.3.2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 531 के उत्तर के तहत उपयुक्त रूप से सचेत किया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अदालती मामले में अपनी सूचना के आधार पर जानकारी दी है कि उसके बड़े पोत पत्तन सीमा शुल्क कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लिंग निर्धारण (लिंग परीक्षण) के रूप में विहित सामानों का आयात पिछले तीन वर्षों के दौरान ध्यान में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी किटों को अंतरावरोधित करने में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सामना की गई कतिपय कठिनाइयों के मद्देनजर उसने इस मंत्रालय के विचारार्थ कतिपय सुझाव अपने दिनांक 1.4.2008 के पत्र के तहत दिए हैं ताकि देश में लिंग परीक्षण किटों का आयात किए जाने के समय उन्हें अंतरावरोधित करने में यह मंत्रालय मदद कर सके। सीबीईसी के उक्त सुझावों की छानबीन करने तथा प्राथमिकता के आधार पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से अनुरोध करने का प्रस्ताव है।

राज्य सहायता केंद्र

3472. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य सहायता केंद्रों (एसएससी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण करने की शुरूआत भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी नहीं। पंचायती राज मंत्रालय के पास देश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य सहायता केन्द्रों (एस.एस.सी.) की स्थापना करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवहन विकास परिषद

3473. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई ऐसी बैठकों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद का गठन 2001 में किया गया था। तब से परिषद की केवल दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 25.08.2001 को और दूसरी बैठक 18.10.2002 को हुई थी। इसके बाद परिषद की कोई और बैठक नहीं हो सकी क्योंकि इसके विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण परिषद का पुनर्गठन अपेक्षित था।

[अनुवाद]

त्रिदेशीय गैस पाइपलाइन

3474. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विदेश सचिव की ईरान यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच त्रिदेशीय गैस पाइपलाइन से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 2007 में ईरान में विदेश सचिव की यात्रा के दौरान ईरान की सरकार को सूचित किया गया था कि भारत गैस पाइपलाइन और अन्य परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य हों और जिसमें आपूर्ति की सुरक्षा का भरोसा हो। गैस पाइपलाइन से जुड़े मामलों पर निकट भविष्य में पाकिस्तान की नई सरकार से चर्चा की जाएगी।

अन्य देशों में भारतीय मिशन

3475. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों में कितने भारतीय मिशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिशनों को आबंटित और इन मिशनों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और मिशनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) भारत के 116 देशों में स्थानिक मिशन और 5 विशेष मिशन भी हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिशनों को आबंटित निधियों और उपयोग की गई निधियों के वर्ष-वार एवं मिशन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न पैरामीटरों, जिनके अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति, मिशन का बजट, कोंसुलर और वीजा सेवाएं, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध आदि भी शामिल हैं, के अनुसार मिशन के कार्य-निष्पादन का सतत मूल्यांकन किया जाता है। मिशन द्वारा भेजी गई आवधिक रिपोर्टों का मूल्यांकन राजनैतिक उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कोंसुल कार्यकलापों और चांसरी के आंतरिक प्रशासन के संबंध में प्राप्त होने वाली नियमित विवरणियों का मंत्रालय के संगत कार्यकारी प्रभारों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मिशनों के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक रूप से मिशनों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मिशनों के लेखों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और विदेश मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा नियमित अंतरालों पर सांविधिक निरीक्षण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपना कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार ही कर रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मिशनों को आबंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और मिशन-वार ब्यौरा

(हजार रुपए में)

क्र.सं.	मिशन	2004-05		2005-06		2006-07	
		आबंटित निधि	वास्तविक उपयोग	आबंटित निधि	वास्तविक उपयोग	आबंटित निधि	वास्तविक उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ईआई आबिदजान	25262	25072	25604	16350	27556	26731
2.	एचसीआई अबूजा/एलओ लागोस	41147	43349	73945	73304	63748	62700
3.	ईआई अबुधाबी	73100	72097	76193	74714	77216	76946
4.	एचसीएल अकरा	37650	38026	39735	38433	39715	39647
5.	ईआई आदिस अबाबा	28435	27845	32237	31841	33481	33323
6.	ईआई अल्माटी/अस्ताना	45774	45816	48526	47428	47463	47253
7.	ईआई अल्जीयर्स	31773	31415	36853	35368	43539	42529
8.	ईआई अम्मान	13329	11972	14856	14779	15818	15531
9.	ईआई अंकारा	57871	57797	50700	48989	55464	55017
10.	ईआई अंतानानारिवो	19072	18981	25460	25352	23901	23071
11.	ईआई अश्गाबात	31929	30219	34534	34130	32608	32129
12.	ईआई एथेंस	33075	32772	32538	31977	37436	37280
13.	ईआई बगदाद	20221	19316	21364	14444	16701	21549
14.	ईआई बहरीन	42430	42390	44095	39881	48748	45983
15.	ईआई बाकू	19964	19638	20166	19644	34511	34000
16.	ईआई बैंकाक	66834	66909	67807	66965	75471	74385
17.	ईआई बीजिंग	140886	136741	147800	145155	145802	145532
18.	ईआई बेरूत	43102	43040	44000	43915	42110	41935
19.	ईआई बेल्ग्रेड	22356	23063	22860	22608	22392	21687
20.	ईआई बर्लिन	124433	124482	131926	135737	148029	147233
21.	ईआई बर्न	78909	77955	79324	76501	75879	75799

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	ईआई बिश्केक	36376	30798	28710	28878	35681	35295
23.	ईआई बोगोटा	34959	34224	39523	38432	40407	38995
24.	ईआई ब्रासीलिया	46423	46064	48537	48977	68444	67121
25.	ईआई ब्रातिस्लावा	39781	37549	35419	34661	39986	39595
26.	ईआई ब्रुसेल्स	107136	105630	101373	97875	103120	103109
27.	ईआई ब्रुनेई	28444	28826	29728	31188	33384	29668
28.	ईआई बुखारेस्ट	34789	34902	36947	36635	39000	38975
29.	ईआई बुडापेस्ट	34546	33076	36349	36413	37911	37511
30.	ईआई ब्यूनस आयरस	37264	37033	40331	38311	41339	40664
31.	ईआई काहिरा	63153	62841	61210	60390	64183	65607
32.	एचसीआई केनबरा	50300	49734	62732	62604	69718	68536
33.	ईआई कराकस	53991	50908	45220	44944	43152	42069
34.	एचसीआई कोलंबो	106544	104228	114344	115102	122805	123233
35.	ईआई कोपेहेगेन	45531	45708	46474	46250	43865	43762
36.	ईआई डकार	26373	24808	30631	30426	26985	25552
37.	ईआई दमस्कस	47182	45763	41837	41757	48793	48425
38.	एचसीआई दार-ए-सलाम	35962	35806	38676	38490	38886	39076
39.	एचसीआई ढाका	143893	142193	142612	135419	152623	150659
40.	ईआई दोहा	53238	52435	57680	57800	63895	64078
41.	ईआई डब्लिन	39260	39119	39901	37780	40321	40312
42.	ईआई दुशांबे	32292	33207	32063	30334	38181	41101
43.	एचसीआई गेबोरोन	30048	23146	21241	21685	26399	27046
44.	पीएमआई जेनेवा	138669	143645	145025	161347	147752	148325
45.	सीडी विंग जेनेवा	41447	46549	45340	48712	49015	48443
46.	डब्ल्यूटीओ विंग जेनेवा	105900	110188	115300	107995	102318	84472
47.	एचसीआई जार्ज टाऊन	32073	30688	33681	33013	31295	31537
48.	ईआई द हेग	80214	78850	86722	86001	99926	91276
49.	ईआई हनोई	48440	48386	48771	47831	53430	53388

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	एचसीआई हरारे	30832	30574	27564	27241	39058	35632
51.	ईआई हवाना	36669	34686	36941	37344	37566	38149
52.	ईआई हेल्सिंकी	35144	34914	42485	45797	50057	50121
53.	एचसीआई इस्लामाबाद	123396	123335	133432	134341	160398	134342
54.	ईआई जकार्ता	54172	53472	52454	51603	57094	56922
55.	ईआई काबुल	80829	53770	88929	86522	104770	102969
56.	एचसीआई कम्पाला	21566	21463	26609	23628	30282	30674
57.	ईआई काठमांडू	118872	115048	129070	122929	129655	123794
58.	ईआई खार्तूम	26010	19712	25741	23036	23480	23801
59.	ईआई कीव	48781	48753	48341	48178	52924	52024
60.	एचसीआई किंगस्टन	29157	27706	33425	33173	32384	32098
61.	एचसीआई क्वालालम्पुर	54648	54624	56687	56781	70996	71042
62.	ईआई कुवैत	91564	92089	91940	90903	93283	92398
63.	ईआई लीमा	25165	24629	26126	26158	26344	27531
64.	ईआई लिस्बन	40392	40484	39500	40392	43604	43666
65.	एचसीआई लंदन	395760	396893	407900	406682	447600	452247
66.	ईआई लुआंडा	31447	31447	34802	34048	37586	35151
67.	एचसीआई लुसाका	28420	28338	30400	26856	28868	27651
68.	ईआई मेड्रिड	60065	63293	64076	69957	84585	85302
69.	एचसीआई माहे/विक्टोरिया	26563	26723	28494	24044	26649	17100
70.	एचसीआई माले	37645	37508	45004	39971	45212	44385
71.	ईआई मनीला	27659	27100	33261	32618	33577	33194
72.	एचसीआई मापुतो	29274	28972	26763	23290	27924	27766
73.	ईआई मैक्सिको सिटी	39355	42733	39341	39319	43338	41611
74.	ईआई मिंस्क	23632	23112	27098	26062	27369	29552
75.	ईआई मास्को	143598	144073	154272	147075	177144	174370
76.	ईआई मस्कट	71986	66463	66920	63840	69154	66923
77.	एचसीआई नैरोबी	43555	43525	44430	49774	55115	53384

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	पीएमआई न्यूयार्क	182183	180396	220855	220282	207373	199952
79.	एचसीआई निकोसिया	27390	26872	27518	27684	27498	27423
80.	ईआई ओस्लो	43842	43495	44244	45068	43657	43159
81.	एचसीआई ओटावा	72581	72456	65027	66918	84012	83914
82.	ईआई पनामा	38015	34553	41117	41127	38389	37958
83.	ईआई पारामारिबो	27258	25956	29062	27969	32178	31005
84.	ईआई पेरिस	207986	217536	209191	207564	217976	220736
85.	पीडीआई पेरिस	30700	28375	43600	25240	35390	28996
86.	ईआई नोमपेन्ह	43331	37112	35678	33768	35559	33875
87.	एचसीआई पोर्ट लुई	45225	41460	44711	43744	45621	44954
88.	एचसीआई पोर्ट मोर्सबी	22390	22510	18437	18314	24837	24646
89.	एचसीआई पोर्ट आफ स्पेन	45378	43101	43591	43191	39780	39694
90.	ईआई परागवे	58534	57839	59348	59348	63244	61363
91.	एचसीआई प्रिटोरिया	69384	65288	66400	63530	63259	62827
92.	ईआई प्योंग यांग	16698	16784	17316	17611	17194	16899
93.	ईआई राबात	31029	30453	27026	25262	35337	35037
94.	ईआई रियाध	112450	112401	110793	108169	113672	111656
95.	ईआई रोम	123071	116612	106925	97434	119610	123845
96.	ईआई साना	22052	20051	19278	19140	22433	22235
97.	ईआई सांटियागो	34987	32116	31134	31133	37922	37834
98.	ईआई सियोल	64850	63057	65281	65439	69116	69488
99.	एचसीआई सिंगापुर	83992	84363	82747	82299	91730	89426
100.	ईआई सोफिया	23323	23156	26109	25743	26572	26229
101.	ईआई स्टाकहोम	62238	62004	64278	62888	70819	70223
102.	एचसीआई सुआ	34433	33943	35462	36215	38612	34244
103.	ईआई ताशकंद	40738	40165	42676	43315	49012	48878
104.	ईआई तेहरान	69995	69953	72954	72335	67004	66556

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	ईआई तेल अवीव	86869	86259	87381	86740	93871	93746
106.	ईआई थिम्पू	45708	45707	46061	45316	51605	51406
107.	ईआई टोकियो	132340	128756	120668	120751	115751	114782
108.	ईआई त्रिपोली	36451	29865	35019	29160	36442	36609
109.	ईआई ट्यूनिश	15937	15420	20477	20920	18706	18901
110.	ईआई उलान बटोर	19965	20194	21223	21071	19226	19875
111.	ईआई वियना	109998	107851	107900	100020	108085	101471
112.	ईआई विंयतियेन	22460	21676	20992	21072	21189	20170
113.	ईआई वार्सा	46677	43989	49556	46502	46016	45811
114.	ईआई वाशिंग्टन	296150	287225	342700	317336	352925	345861
115.	एचसीआई वेलिंग्टन	32353	31599	33001	32191	40192	40561
116.	एचसीआई विंडहोक	26076	25486	31038	28185	28845	28717
117.	ईआई यांगून	44371	44323	43097	41118	41563	41443
118.	ईआई येरेवान	24418	23867	25361	25700	29743	29538
119.	ईआई जागरेव	37237	37056	36653	36427	43362	42915
120.	ईआई किंशासा	*	*	*	*	32072	22697
121.	ईआई ल्यूबलिजाना	*	*	*	*	5623	1692
	कुल	6958999	6831918	7210790	7051566	7669440	7521116

*अवधि के दौरान कार्यालय कार्यरत नहीं रहा

ईआई : भारतीय राजदूतावास

एचसीआई : भारतीय उच्चायोग

पीएमआई/पीडीआई : भारत का स्थायी मिशन/शिष्टमंडल

क्षय रोग के मामलों का पता लगाने संबंधी धीमी प्रगति

3476. **श्री निखिल कुमार:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 'ग्लोबल ट्यूबर क्लोसिस कंट्रोल' संबंधी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत में क्षयरोग के मामलों का पता लगाने की प्रगति बहुत ही धीमी है जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में अब भी क्षयरोग से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान क्षयरोग से वर्षवार कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(ङ) क्या अधिकांश लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे क्षयरोग से पीड़ित हैं और वे स्वस्थ लोगों के बीच यह बीमारी फैला रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित विश्वभर में क्षयरोग नियंत्रण के लक्ष्यों में प्रगति हुई है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2006 से संबंधित आंकड़े थे। हालांकि पता लगाए गए एवं उपचार शुरू किए गए रोगियों की पूर्ण संख्या से वृद्धि प्रदर्शित हुई है, तथापि इस वृद्धि की दर विगत वर्ष की अपेक्षा धीमी रही है। 2006 में भारत में अनुमानित नए संक्रामक रोगियों में से 66 प्रतिशत का पता लगाया गया, 2007 में ऐसे रोगियों में से 70 प्रतिशत का पता लगाया गया है, इस तरह रोगी पहचान का वैश्विक लक्ष्य हासिल किया गया है। 2007 के इन आंकड़ों की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्ष 2008 में दी जाएगी और इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट 2009 में शामिल किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। क्षय रोग भारत में मौत का एकमात्र सबसे बड़ा कारण नहीं है।

(ङ) और (च) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की सेवाओं की सुगमता एवं उपयोग से संबंधित अध्ययनों तथा ए पी अध्ययनों (ज्ञान, मनोवृत्ति, प्रैक्टिस) से पता चलता है कि लोगों में जागरूकता के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। हिमायत, संप्रेषण, सामाजिक जुटाव, जागरूकता सृजन, रोगी परामर्श तथा निगरानी में उपचार पूर्ण करने के लिए रोगियों के लिए अभिप्रेरणा पर संकेन्द्रित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। इन कार्यकलापों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और संप्रेषण सामग्री तैयार की गई है और यह इस क्षेत्र में अनुकूलन हेतु संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सेवाओं के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए प्रसार भारती एवं अन्य चैनलों की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। इस क्षेत्र में संप्रेषण एवं सामाजिक जुटाव संबंधी कार्यकलापों को चलाने के लिए राज्यों और जिलों में नामोद्दिष्ट व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है।

समाज के अपेक्षाकृत बड़े भाग तक पहुंच बनाने के लिए इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य सिविल सोसाइटी संगठन एवं निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक भी शामिल हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम रोगी के घर के निकट सेवाएं प्रदान करने तथा अनुपालन एवं पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए भी समुदाय आधारित संगठनों, स्व-सहायता समूहों को भी शामिल कर रहा है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना

3477. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की पहचान करने संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पता लगाई गई शहरी मलिनावासी जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के घटकों में से एक है जो सरकार के विचाराधीन है।

डायमंड हार्बर पर जेट्टियों का निर्माण

3478. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में पांच जेट्टियों के निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जेट्टियों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन जेट्टियों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) कोलकाता डॉक प्रणाली और हल्दिया डॉक प्रणाली में कंटेनर यातायात में सुधार करने के प्रयोजन से इन दोनों पत्तनों में कंटेनरीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए पोत परिवहन विभाग द्वारा गठित एक

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कोलकाता पत्तन में डायमंड हार्बर पर कंटेनर संभलाई की सुविधाएं विकसित किए जाने की सिफारिश की थी। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ यह रिपोर्ट संभावित यातायात, निकासी सुविधाओं, स्टैक यार्ड की क्षमता, कंटेनर संभलाई के लिए निर्मित की जाने वाली जेट्टियों की संख्या और परियोजना की अनुमानित लागत के विषय में जानकारी देगी।

अंग बैंकों की स्थापना

3479. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में 10 अंग बैंकों की स्थापना करने का है जैसाकि दिनांक 11 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे अंग बैंकों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बैंकों द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा और नोडल केंद्र के रूप में अंग पुन:प्राप्ति बैंकिंग संगठन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पहले से कार्य कर रहा है। अंग पुन:प्राप्ति बैंकिंग के साथ 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक और पूर्त) का एक नेटवर्क बनाया गया है ताकि दिल्ली में अंगदान तथा प्रतिरोपण की प्रक्रिया का निर्विघ्न संचालन तथा समन्वय हो सके।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पक्षियों तथा पशुओं की प्रजातियों का विलुप्त होना

3480. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल यूनियन आफ कंजरवेशन आफ नेचर एण्ड नैचुरल रिसोर्सिज के अनुसार वनस्पति एवं जीव जंतुओं की कई प्रजातियां, विशेषकर गिद्ध इत्यादि विलुप्त होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पक्षी तथा पशु की प्रजातियों-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यूनियन ने अपनी रेड डाटा सूची (2007) में सूचित किया है कि भारत में पशुओं और पौधों की कुल 560 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनमें से गिद्धों आदि सहित कुल 313 प्रजातियां पशुओं की हैं जबकि 247 पौधों की प्रजातियां हैं। भारत में पशुओं की सूचित संकटाग्रस्त प्रजातियों की संख्या इस प्रकार है:

(1)	स्तनपोषी	:	89
(2)	पक्षी	:	75
(3)	सरीसृप	:	25
(4)	उभयचर	:	63
(5)	मत्स्य	:	39
(6)	मोलस्क	:	2
(7)	अन्य अकशेरुकी	:	20

वनस्पति जात और प्राणी जात प्रजातियों की संख्या में कमी आने का मुख्य कारण, इन प्रजातियों के वास स्थलों का क्षतिग्रस्त होना है। अन्य कारणों में मानवजनित दबाव, गहन कृषि, उद्यान कृषि, डेरी उद्योग आदि के कारण खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों को मिलाना शामिल है।

(ग) सरकार द्वारा इन प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनयम, 1972 के प्रावधानों के तहत शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंस, तिब्बती ऐन्टीलोप, समुद्री कछुओं, प्रवालों आदि सहित संकटापन्न वन्य पशुओं को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को संशोधित किया गया है और अधिक सख्त बनाया गया है, अपराधों के मामले में दंड में वृद्धि की गई है।

(3) संकटाग्रस्त प्रजातियों और उनके वास स्थलों सहित वन्य जीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण वास-स्थलों को कवर करते हुए देश भर में सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं।

(4) वन्य पशुओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम- 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है।

(5) राज्य सरकारों को फील्ड फारमेशन्स को सुदृढ़ करने और सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास गहन रूप से गश्त लगाने हेतु राज्य सरकारों को निवेदन किया गया है।

(6) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(7) प्रभावी संचार तंत्र के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु सड़कों तथा पत्तनों का विकास

3481. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रूस, चीन, अमरीका, ब्राजील और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में गोदाम सुविधाएं बहुत ही कम हैं जैसा कि दिनांक 19 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्न की ढुलाई हेतु सड़कों तथा पत्तनों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार पत्तनों की वस्तु संभलाई क्षमता को 600 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 1500 मिलियन मिट्रिक टन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और कालान्तर में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए तथा बाघ का मारा जाना

3482. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए तथा बाघ को मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में कोई तेंदुआ अथवा बाघ नहीं मारा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा देश में बाघों और अन्य प्रजातियों को लुप्तप्राय: होने से बचाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य सृजित किए गए हैं।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध बाघ, शेर, हाथी, तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंस, तिब्बती ऐन्टीलोप, समुद्री कछुओं, प्रवालों आदि सहित संकटापन्न वन्य पशुओं को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(3) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनयम को संशोधित किया गया है और अधिक सख्त बनाया गया है, अपराधों के मामले में दंड में वृद्धि की गई है।

(4) वन्य पशुओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है।

(5) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(6) राज्य सरकारों को फील्ड फारमेशन्स को सुदृढ़ करने और सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास गहन रूप से गश्त लगाने हेतु राज्य सरकारों को निवेदन किया गया है।

(7) बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए बहु आयामों बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया है जो 4.9.2006 से प्रभावी हुआ है इसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिजर्व प्रबंधन में नियामक मानक सुनिश्चित करना है और रिजर्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना आदि तैयार करना शामिल है।

(8) बाघ संरक्षण सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जाली बैंक गारंटियां

3483. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने सभी सरकारी विभागों को ठेकेदारों अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा की गई सभी बैंक गारंटियों का सत्यापन करने की सलाह जारी की है, जैसा कि दिनांक 9 मार्च, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई मामलों में ठेकेदारों अथवा आपूर्तिकर्ताओं ने सरकार के पास जाली बैंक गारंटियां जमा कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने किसी भी तरह की जाली गारंटियां स्वीकृत करने की संभावना को समाप्त करने के मद्देनजर बैंक गारंटियों को स्वीकार करने की प्रणाली को सरल व उपयोगी बनाने के लिए दिनांक 31.12.2007 के अपने परिपत्र संख्या 1.1.08 के तहत मंत्रालयों/विभागों के सभी सी.वी.ओ. को एक सलाह जारी की है।

(ग) से (ङ) 9 मामले, आयोग के ध्यान में लाए गए हैं जिनमें ठेकेदारों द्वारा जाली बैंक गारंटी दी गई है। इन मामलों में से 5 मामले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 2 मामले भारतीय खाद्य निगम और एक-एक मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण और बैंक आफ इंडिया से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 5 मामलों में दिल्ली पुलिस में एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करवा दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित ठेकेदारों के ठेके भी समाप्त कर दिए हैं और उन्हें काली सूची में डाल दिया है। भारतीय खाद्य निगम के दो मामले, जांच और रिपोर्ट के लिए, आयोग द्वारा संबंधित संगठन को भिजवा दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक मामले में, आयोग ने 26 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सलाह दी है। बैंक आफ इंडिया के मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, शिनाख्त किए गए कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की सिफारिश की है।

उड़ीसा में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

3484. श्री रनेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का विचार संयुक्त उद्यम में उड़ीसा में एक कोयला आधारित पिटहेड विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाएगा; और

(घ) इससे उड़ीसा में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर कितना कम होगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) का संयुक्त उद्यम में उड़ीसा में कोयला आधारित पिटहैड विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उड़ीसा में एनएलसी द्वारा अपना ही 2000 मे.वा. का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के लिए उड़ीसा सरकार के परामर्श से उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में रेंगाली के निकट स्थल की पहचान की गयी है।

(ग) इस संयंत्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा नीचे दिए अनुसार है:

80 प्रतिशत पीएलएफ पर वार्षिक सकल उत्पादन	:	14016 मि.यू.
वार्षिक कुल उत्पादन	:	12965 मि.यू.

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा इस परियोजना से विद्युत के अनंतिम आबंटन के अनुसार, उड़ीसा राज्य को 10 प्रतिशत (200 मे.वा.) का शेयर मिलेगा। इससे उक्त सीमा तक मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का आकलन

3485. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 में आरंभ किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच-2) कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय रणनीति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। चूंकि वयस्क प्रजनक और सेक्सुअल स्वास्थ्य कार्यनीति की शुरूआत से ही आरसीएच-2 कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त समीक्षा मिशनों के दौरान वर्ष में दो बार कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। ऐसी समीक्षाओं के दौरान राज्य कार्यनीति को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति की सूचित करते हैं। राष्ट्रीय शुरूआत के बाद से राज्यों के साथ क्षेत्रीय नियोजन बैठकें आयोजित की गई हैं और कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और राज्यों को प्रसारित किए गए हैं। इन विचार-विमर्शों के आधार पर राज्यों ने एआरएसएच कार्यनीति के कार्यान्वयन की योजना को अपनी संबंधित राज्य कार्यान्वयन योजनाओं में शामिल कर लिया है।

एआरएसएच कार्यनीति के अंतर्गत उपयुक्त प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किए गए हैं और राज्यों को प्रसारित किए गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों और प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और राज्य स्तर के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की गई है। महिला स्वास्थ्य विजिटर/सहायक नर्स धात्री के लिए प्रशिक्षण मैनुअल का स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है और इसका उपयोग उनके प्रशिक्षण में किया गया है।

बहु औषधि प्रतिरोधी टी बी रोगी

3486. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वार्षिक रूप से लगभग 70,000 भारतीयों का तपेदिक के उपचार में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं विफल रही हैं जैसाकि दिनांक 24 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में बहु औषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) तपेदिक मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बहु औषधि प्रतिरोगी तपेदिक से निपटने का है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किए गए अध्ययनों ने दर्शाया है कि तपेदिक रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जा रही औषधियां लगभग 100 प्रतिशत तभी प्रभावी हैं यदि ये उपयुक्त संयोजन और रोगियों को निर्धारित अवधि के लिए औषध के अति संवेदनशील खुराकों में दी जाएं। कार्यक्रम के अनुभव ने दर्शाया है कि औषधों का स्वतंत्र रूप से विफल होना नहीं है बल्कि उपचार लेने में असफल रहना है जिसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं। आरएनटीसीपी के अंतर्गत उपचार के लिए पंजीकृत रोगियों के बीच असफलता दर नए मामलों में लगातार 2 प्रतिशत और पुन: उपचार के मामलों में लगातार 5 प्रतिशत रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं, विगत में प्रमुख संस्थानों जैसे टीआरसी, चेन्नै और एनटीआई, बेंगलूर द्वारा किए गए औषध प्रतिरोध निगरानी अध्ययनों तथा हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में किए गए राज्य स्तर के अध्ययनों ने दर्शाया है कि बहु-औषध प्रतिरोधी क्षय रोग विगत अनेक वर्षों से नहीं बढ़ा है और इसके नए मामलों में लगातार 3 प्रतिशत और पुन: उपचार के मामलों में 12-17 प्रतिशत होने का अनुमान है। टीआरसी द्वारा अपने अध्ययन क्षेत्र में की गई अनवरत औषध प्रतिरोधी निगरानी ने वास्तव में एमडीआर क्षय रोग की व्याप्तता में गिरावट दर्शाई है।

(ङ) जी, नहीं। निम्न व्याप्तता के बावजूद, कार्यक्रम को क्षय रोग को गंभीरतापूर्वक नियंत्रित करने और इस पर ध्यान देने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति तैयार करने के लिए औषध प्रतिरोधी क्षय रोग के संभाव्य प्रकटन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला खतरा नजर आ रहा है।

(च) कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों द्वारा लगातार उच्च गुणवत्ता वाला डॉट्स कार्यान्वयन के जरिए एमडीआर-क्षय रोग की रोकथाम पर बल देता है।

एमडीआर क्षय रोग के प्रभावी प्रबंधन के लिए कल्चर और डीएसटी के जरिए उपयुक्त जांच और अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है। यह कार्यक्रम एमडीआर क्षय रोग रोगियों की जांच और निदान के लिए चरणबद्ध ढंग से करने के लिए देश भर में प्रत्यायित कल्चर और औषध अतिसंवेदनशीलता की जांच माध्यमिक संदर्भ प्रयोगशालाएं प्रत्येक राज्य में कम से कम एक, के लिए नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है। गुजरात और महाराष्ट्र के आईआरआल को हाल ही में प्रत्यायित कर लिया गया है। अन्य 10 आईआरएल प्रत्यायन की प्रक्रिया में हैं और उन्हें 2008 में प्रत्यायित कर लिए जाने की आशा है। शेष आईआरएल को 2009-10 में प्रत्यायित कर दिया जाएगा, निदान किए गए एमडीआर रोगियों पर कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के अनुरूप विकसित किए गए डॉट्स प्लस दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा। डॉट्स प्लस स्थलों, जिसमें से प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्थल होगा, पर रोगियों के प्रबंधन के लिए उपचार अर्हता प्राप्त स्टाफ द्वारा किया जाएगा और इसमें अंतरंग रोगी परिचर्या की आरंभिक अल्पावधि के पश्चात् एम्बुलेटरी डॉट प्रदान करने की प्रणाली होगी। वर्ष 2007 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में डॉट्स प्लस सेवायें रोल आउट की गई हैं। शेष राज्यों को वर्ष 2009-10 तक डॉट्स प्लस के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

पत्तनों का रेल संपर्क

3487. श्री हरिन पाठक:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बेदी और पोरबन्दर के रेल संपर्क के लिए गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य में चलायी गयी पत्तन परियोजना के अन्य रेल-सड़क संपर्क का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) बेदी और पोरबंदर के रेल संपर्क के संबंध में गुजरात सरकार की ओर से रेल मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस संबंध में उक्त परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

(1) पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन:

पोरबंदर से पोरबंदर पत्तन तक एक नई लाईन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 में पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 10 किलोमीटर लंबी नई लाईन के निर्माण की लागत का अनुमान 13.11 करोड़ रु. लगाया गया है जिसमें

आय की दर (-) 3.55 प्रतिशत है। चालू परियोजनाओं के कार्य को बड़े पैमाने पर आगे टाले जाने के चलन और संसाधनों की अत्यधिक कमी को देखते हुए, इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका और राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि चूंकि यह एक छोटी लाईन है, अत: इस परियोजना को स्वयं पत्तन द्वारा हाथ में लिया जा सकता है अथवा एक डिपाजिट कार्य के रूप में किया जा सकता है।

(2) बेदी पत्तन से रेल संपर्क:

यह भी एक छोटा संपर्क है और यातायात की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को मैसर्स राईट्स का एक अध्ययन प्राप्त हुआ है। यह कार्य पत्तन के डिपाजिट कार्ट के रूप में किया जाना है।

(ग) (1) जहां तक पत्तनों के रेल संपर्क का संबंध है, रेल मंत्रालय ने गुजरात राज्य में पत्तनों और पश्चभूमि से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाओं को हाथ में लिया है:

(1) गांधीधाम पालनपुर गेज कन्वर्जन (313 कि.मी.)-कार्य पूरा कर लिया गया है और सेवा प्रारंभ कर दी गई है।

(2) भरुच-समाज-दहेज गेज कन्वर्जन (62 कि.मी.)-इस परियोजना को एक विशेष प्रयोजनीय वाहन के माध्यम से लागू किया जाना है जिसके लिए शेयरधारकों के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कार्य रेल विकास निगम लि. को सौंपा गया है।

(3) भिल्दी समदारी गेज कन्वर्जन (223 कि.मी.)-कार्य चल रहा है और इसके वर्ष 2008-09 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। यह कार्य रेल विकास निगम लि. को सौंपा गया है।

(4) उपरोक्त कार्यों के अलावा, सूरत से हजीरा तक एक नई लाईन का कार्य भी एक विशेष प्रयोजनीय वाहन द्वारा प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य रेल विकास निगम लि. को सौंपा गया है और इस लाईन की सीधाई पहले निश्चित कर ली गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने इसकी सीधाई को बदलने की इच्छा जाहिर की है।

(2) जहां तक गुजरात राज्य में पत्तनों से सड़क संपर्क का संबंध है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के फेज-3 के अंतर्गत दो परियोजनाओं अर्थात् सूरत-हजीरा पत्तन (रा.रा.-6-29 किमी.) और कांडला मुंदरा पत्तन (रा.रा.-8ए विस्तार-73 कि.मी.) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का काम हाथ में लिया है।

अमरीका में भारतीय दूतावास द्वारा संपत्ति कर का भुगतान

3488. श्री उदय सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क के एक फेडरल जज ने मैनहटन में भारतीय राजनयिक भवन का गैर-शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के लिए हाल ही में भारत सरकार से संपत्ति कर तथा ब्याज के रूप में कई मिलियन रुपए का भुगतान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीकी प्रशासन के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) न्यूयार्क स्थित जिला न्यायालय ने विदेशी सरकार की संपत्ति के उस हिस्से के लिए वास्तविक संपत्ति कर के भुगतान के संबंध में न्यूयार्क सिटी के पक्ष में निर्णय दिया है जिसका उपयोग अनन्य रूप से प्रधान स्थानिक प्रतिनिधि या स्थानिक प्रतिनिधि जिसका ओहदा राजनयिक या मंत्री पूर्णाधिकारी का होता है, के लिए कार्यालयों या क्वार्टरों, अथवा ऐसे प्रतिनिधियों के स्टाफ हेतु कार्यालयों के रखरखाव हेतु नहीं किया जाता है। इसमें अंतर्ग्रस्त धनराशि 41451769.35 अमरीकी डालर (या 17.03.2008 की स्थिति के अनुसार 169.81 करोड़ रुपए) है।

(ग) और (घ) सरकार के अनुरोध पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अदालती कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार की अपील का समर्थन किया जिससे अपीलीय न्यायालय से अनुकूल निर्णय प्राप्त किया जा सका। हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और सं.रा. के संबंधित निकायों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मामले का एक स्वीकार्य हल निकाला जा सके।

लिग्नाइट खनन

3489. श्री सुव्रत बोस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन की गई लिग्नाइट की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान स्थान-वार और राज्य-वार कितना खनन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र को लिग्नाइट खनन पट्टा दिया जाता है/दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन कंपनियों को खनन पट्टा दिया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनित लिग्नाइट की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	तमिलनाडु	राजस्थान	गुजरात	कुल
2005-06	20.435	0.687	8.944	30.07
2006-07	21.014	0.464	9.788	31.285
2007-08 (अनंतिम)	21.555	0.597	11.699	33.861

राज्य-वार वर्तमान उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
1.	तमिलनाडु	24.00
2.	राजस्थान	1.60
3.	गुजरात	9.45
	कुल	35.05

(ख) और (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत लिग्नाइट के लिए खनन पट्टा विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण जैसे विशिष्ट अन्य उपयोगों में लगी निजी क्षेत्र की कंपनी को केवल उनके कैप्टिव उपयोग के लिए प्रदान किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने मैसर्स गुजरात हैवी केमिकल्स लि. को आवंटित खारसेलिया-1 ब्लाक तथा मैसर्स मरूधर पावर प्राइवेट लि. को आवंटित गुरहा ईस्ट लिग्नाइट ब्लाक के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन

3490. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन, सड़क निर्माण, पत्तन तथा नागर विमानन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए दसवीं योजना के अंतर्गत किए गए बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियां उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जारी की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त लक्ष्य दसवीं योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का केवल आधा ही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) बिजली, सड़कों, पत्तन और नागर विमानन क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना के परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्रक	परिव्यय (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)
बिजली	1,77,051	90,678
सड़कें	59,490	48,594
पत्तन	5,418	2,891
नागर विमानन	12,928	7,792

(ङ) और (च) दसवीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 21,080 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई जो 51.28 प्रतिशत है। ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारणों में बीएचईएल द्वारा सुपर क्रिटीकल प्रौद्योगिकी समझौता, कार्य देने, वित्तीय समापन, पर्यावरणीय स्वीकृति, परियोजना रिपोर्ट मसौदा की तैयारी में विलम्ब और राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर होने में विलम्ब इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति

3491. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) आज की तारीख तक संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो कि विचाराधीन हैं। पहले प्रस्ताव में अंडमान लक्षद्वीप हार्बस वर्क्स द्वारा कामोर्ता में मौजूदा घाट का विस्तार, वाहन नौका रैम्प का निर्माण, तट सुरक्षा के उपाय आदि शामिल हैं। संबंधित विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा इस प्रस्ताव को हाल ही में ई आई ए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

दूसरे प्रस्ताव में कार निकोबार में माडर्न स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण किए जाने से संबंधित परियोजना प्रस्तावक से इससे संगत मामलों से संबंधित, जैसेकि अंडमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी की, सूचना मांगी गई थी। स्पष्टीकरण हाल ही में प्राप्त हुए हैं और अब प्रस्तावों को उनके विचारार्थ और सिफारिशों हेतु विशेषज्ञ आकलन समिति के सम्मुख रखा जाएगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का नियंत्रण भारतीय नौसेना को सौंपा जाना

3492. डा. एम. जगन्नाथ:
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय नौसेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नियंत्रण भारतीय नौसेना को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बदले एक नया शिपयार्ड स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को भारतीय नौ सेना के नियंत्रण में देने का मसला, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के पुनर्वास-सह-वित्त-पुनर्संरचना के प्रस्ताव पर विचार करते समय मंत्रियों के दल के सम्मुख आया था। मंत्रियों के समूह ने इस संबंध में अब अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिन्हें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि पुल

3493. श्री ए.वी. वेल्लारमिन:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए तथा चौड़े किए गए/निर्माण के लिए प्रस्तावित उपरि पुलों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को पुलों के निर्माण के लिए कई राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर सुचिन्द्रम स्थित पुल सहित निर्माणाधीन/चौड़े किए जा रहे पुलों की स्थान-वार स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा अनुरक्षण हेतु धनराशि

3494. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा अनुरक्षण हेतु आबंटित धनराशि में से खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खर्च न की गई धनराशि की अगले वर्ष के आबंटन में जोड़ा जाता है और अगले वित्त वर्ष में जारी की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि को अगले वर्षों के आबंटन में जोड़ा गया है तथा अगले वित्त वर्षों में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों विकास (जिसमें सुदृढ़ीकरण शामिल है) और अनुरक्षण के लिए राज्य-वार अलग-अलग निधियां आबंटित की जाती हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य-वार आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि और किए गए व्यय के राज्य वार ब्यौरे

(धनराशि करोड़ रु. में)

वर्ष 2007-08

क्र.सं.	राज्य	विकास*		अनुरक्षण	
		आबंटन	व्यय**	आबंटन	व्यय**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	82.89	81.58	78.13	57.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.65	0.37	0.06
3.	असम	86.76	83.94	41.62	27.04
4.	बिहार	92.20	90.19	29.90	7.87
5.	चंडीगढ़	2.00	2.00	0.98	0.83
6.	छत्तीसगढ़	40.45	37.97	27.19	20.79
7.	दिल्ली	9.00	8.30	0	0
8.	गोवा	15.00	15.00	4.92	2.73
9.	गुजरात	65.17	65.16	40.27	32.18
10.	हरियाणा	81.25	81.24	18.13	16.83
11.	हिमाचल प्रदेश	57.00	57.00	17.70	15.60
12.	झारखंड	57.25	57.24	27.82	18.55

1	2	3	4	5	6
13.	कर्नाटक	106.63	106.28	59.45	45.15
14.	केरल	50.50	49.39	27.30	22.13
15.	मध्य प्रदेश	77.18	75.49	58.23	53.96
16.	महाराष्ट्र	144.80	144.79	63.16	45.50
17.	मणिपुर	12.10	10.08	14.30	3.30
18.	मेघालय	22.00	22.33	13.18	4.74
19.	मिजोरम	15.00	15.00	7.24	2.38
20.	नागालैंड	12.00	10.20	7.43	3.84
21.	उड़ीसा	139.31	138.87	50.51	41.28
22.	पुडुचेरी	7.55	7.49	0.91	0.59
23.	पंजाब	85.95	85.47	23.82	18.35
24.	राजस्थान	103.05	101.41	69.63	60.10
25.	तमिलनाडु	94.48	93.85	32.64	20.17
26.	उत्तर प्रदेश	132.90	132.50	62.02	65.27
27.	उत्तराखंड	38.99	38.98	19.10	15.41
28.	पश्चिम बंगाल	58.00	57.99	24.08	17.23
	उप जोड़	1695.41	1675.39	820.03	619.23
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को आबंटित धनराशि और व्यय				
	एनएचएआई	265.00	265.00	147.91	147.91
	बीआरओ	649.76	629.76	30.06	30.06

*इसमें रारा (मूल) और स्थायी पुल शुल्क निधि के लिए धनराशि शामिल है।

**समायोजन लंबित होने के कारण आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालयों का खोला जाना

3495. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात में सीजीएचएस औषधालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए मुआवजा

3496. श्री एम. शिवन्ना: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से कई परिवारों को आज तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इच्छा उन सभी परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने की है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) कैगा परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक सरकार के माध्यम से किया गया था, और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने, राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार, वर्ष 1988 में ही मुआवजे का भुगतान कर दिया था। कुछ परिवारों ने, सिविल जज के सामने बढ़े हुए मुआवजे के लिए अपील की है। सिविल जज द्वारा पारित अधिनिर्णयों और राज्य सरकार द्वारा तदनुरूपी मांगों का निपटान भी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कर लिया गया है। तथापि, कुछ अपीलें सिविल जज द्वारा निपटाए जाने हेतु लम्बित पड़ी हैं।

प्रवेश स्तर तक आरक्षण नीति

3497. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के अंतर्गत नौकरियों में प्रवेश स्तर तक आरक्षण नीति को सीमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वन रोपण के लिए अन्य देशों से निधियां

3498. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अधिक संख्या में वृक्षों का रोपण करने और अधिक क्षेत्रों को वन क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान में सरकार को तथा निजी एजेंसियों को भी उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष-वार/एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वनरोपण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों की उपयोग स्थिति और परिणाम की समय-समय पर समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। जापान बैंक फार इन्टरनेशनल काआपरेशन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य को ''राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना'' के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में वनीकरण कार्यकलाप करना है। प्रदत्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परियोजना की पुनरीक्षा (कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा) प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), जयपुर द्वारा की जा रही है।

विवरण

जापान बैंक फार इंटरनेशनल काआपरेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिपूर्ति के वर्ष-वार ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	निधियां (लाख रुपये में)
1.	2003-04	2066.31
2.	2004-05	6745.22
3.	2005-06	7377.14
4.	2006-07	8064.78
	कुल	24253.45

[अनुवाद]

कर्नाटक में सीजीएचएस सुविधा

3499. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में सीजीएचएस लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) बंगलौर में सीजीएचएस के अंतर्गत कर्मचारियों के उपचार हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न सीजीएचएस औषधालयों में एक ही दिन में मरीजों को नुस्खे की सभी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) दिसम्बर, 2007 में बंगलौर, कर्नाटक में 1,23,607 पंजीकृत सीजीएचएस लाभार्थी थे।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सीजीएचएस किसी भी निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र को एक पक्षीय रूप से पैनलबद्ध नहीं कर सकता। जब कोई अस्पताल/नैदानिक केन्द्र पैनलबद्ध करने संबंधी के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसका निरीक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा किया जाता है और सीजीएचएस क्यूसीआई की सिफारिशों पर ही अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को पैनलबद्ध करता है।

(घ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडारों से दवाइयों का प्रापण सीजीएचएस फार्मूलरी के अनुसार वार्षिक इंडेन्ट की प्रणाली अपनाकर किया जाता है। वे दवाइयां जो स्टाक में नहीं होती हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा नुस्खे में लिखी गई हों, उनका प्रापण स्थानीय कैमिस्ट की नियुक्ति के जरिए स्थानीय खरीद के लिए इंडेन्ट करके किया जाता है और आपात स्थिति में रोगी को स्थानीय कैमिस्ट से सीधे दवाइयां लेने के लिए प्राधिकार पर्ची जारी कर दी जाती है।

विवरण

सीजीएचएस, बंगलौर के अधीन पैनलबद्ध निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची

अस्पताल

1. चर्च आफ साउथ इंडिया हास्पिटल, पोस्ट बैग नं. 4, हजरत कम्बल पोश रोड, बंगलौर-560051
2. होसमट हास्पिटल, 45 मगरथ रोड, आफ रिचमंड रोड, बंगलौर-560025
3. के.आर. हास्पिटल, 979 25 मेन रोड, बी एस के फर्स्ट स्टेज, 50 फीट रोड हनुमंतनगर, बंगलौर-560060
4. मैलिज मेडिकल सेंटर, 31/32 क्रेशेंट रोड, बंगलौर-560001
5. माल्या हास्पिटल, 2 विट्टल माल्या रोड, बंगलौर-560001
6. नारायण हृदयालय, नं. 258/ए, बोम्मासान्ट्रा इन्डस्ट्रियल एरिया, होसुर रोड, अनेकल तालुक, बंगलौर-560099
7. पी.डी. हिन्दूजा सिंधी हास्पिटल, सिंधी हास्पिटल रोड, संपनगिरमनगर, बंगलौर-560027
8. पैनेसिया हास्पिटल्स (प्रा.) लि., 334, 8वां मेन रोड, 3 स्टेज, 4 ब्लाक, बासवेशवरनगर, बंगलौर-560079
9. सागर अपोलो हास्पिटल, 44/54, 30वां क्रास, तिलक नगर, जयनगर एक्सटेंशन, बंगलौर-560041
10. सेंट जान मेडिकल कालेज हास्पिटल, जान नगर, सरजपुर, बंगलौर-560034
11. सेंट मराठा हास्पिटल, नं. 5, नृपतुंगा रोड, बंगलौर-560001
12. दि बंगलौर हास्पिटल, नं. 202, राष्ट्रीय विद्यालय रोर्ड, बंगलौर-560004
13. शेखर हास्पिटल, नं. 81, बुल टेम्पल रोड, बंगलौर-560019

14. जैन डेंटल सेन्टर, ए-101, ब्रिगेड मजेस्टिक, 1, मेन, गांधी नगर, बंगलौर

15. इम्पीरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, (अपोलो हास्पिटल्स की एक यूनिट), 154/11, आईआईएम के सामने, बन्नेरगट्टा रोड, बंगलौर

16. येल्लम्मा दासप्पा हास्पिटल, नं. 25, एंड्री रोड, शांति नगर, बंगलौर-560027

17. स्पर्श हास्पिटल, एसवाई नं. 29/पी 2, नारायण हैल्थ सिटी, होसूर रोड, बोम्मसान्डरा, बंगलौर-560099

18. वाकहारडट हास्पिटल, नं. 14, कुन्नीनघाम रोड, बंगलौर-560052

19. बंगलौर वेस्ट लायन्स आई हास्पिटल एंड कोर्निया ग्राफ्टिंग सेन्टर, 5 लायन्स आई हास्पिटल रोड, (आफ जे.सी. रोड), बंगलौर-560002

20. ट्रिन्टी हास्पिटल एंड हार्ट फाउंडेशन, आर.वी. टीचर्स कालेज सर्किल के नजदीक, बसवानगुडी, बंगलौर-560004

नैदानिक केन्द्र

क्र.सं.	निजी नैदानिक केन्द्र का नाम
1.	मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसिज लिमिटेड, नं. 55, इन्फेंट्री रोड, बंगलौर-01
2.	आर.वी. डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, 21, 10वां क्रास, येलप्पा गार्डन, माल्लेश्वरम, बंगलौर-03
3.	राघव डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्रा. लिमिटेड, सदगुरु काम्पलेक्स, 4014, 27वां क्रास, 4 ब्लाक, वेस्ट जयनगर, बंगलौर-11

[हिन्दी]

पाम आयल के उपयोग के कारण दिल की बीमारी

3500. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पाम आयल के उपभोग से हृदय रोग होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त बीमारी से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मरीज पीड़ित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान/सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आईसीएमआर और एम्स के अनुसार, अनेक महामारी विज्ञानी अध्ययनों ने दर्शाया है कि संतृप्त वसीय अम्लों के उपभोग से एलडीएल कोलेस्ट्राल बढ़ता है जो हृदय-धमनी रोग के लिए सुविदित कारक है। पाम आयल में संतृप्त वसा की उच्च मात्रा होती है जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाती है। (नेचुरल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीच्यूट एंड डब्ल्यूएचओ)।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या से संबंधित राज्यवार और वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित गैर-संचारी रोगों के भार का मूल्यांकन 2006 के अनुसार, 1998 में स्थानिककारक्तता (इस्कीमिक) हृदय रोग के लगभग 1.86 करोड़ मामले थे जबकि यह आंकड़ा 2004 में 2.23 करोड़ था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धब्बेदार तेंदुआ और संकटापन्न प्रजातियां

3501. श्री मिलिन्द देवरा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वन अधिकारियों ने भारत-भूटान सीमा पर जैगांव में संकटापन्न धब्बेदार तेंदुए की पांच खालें बरामद की हैं, जैसाकि दिनांक 7 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संकटापन्न प्रजातियों की खालों के इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी हां। 25.2.2008 को, पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारियों ने जलपाईगुड़ी जिले के जैगांव में धब्बेदार तेंदुए की पांच खालें जब्त की है। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में अभियोगाधीन है।

भारत सरकार द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर कठोर दंड लगाया गया है।

2. वन्यजीव सुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

4. संकटापन्न प्रजातियों सहित वन्यजीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत, कन्वेशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

6. वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए भारत की चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों ने वन्य पशुओं की सुरक्षा व अवैध शिकार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।

2. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।

3. हथियार और गोला बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

4. जनता के लिए प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित करना।

5. स्थानीय समुदायों से सहयोग लेना।

वन गार्डों के लिए अत्याधुनिक शस्त्र

3502. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन गार्डों को उद्यान की अवैध शिकारियों से सुरक्षा के लिए पुराने शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्यानों की अवैध शिकारियों से सुरक्षा करने हेतु वन गार्डों को अत्याधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन गार्डों को गैर-प्रतिबंधित नली के साथ हथियारों को इस्तेमाल करने की अनुमति है और इसलिए उन्हें केवल .315 राइफल से लैस किया गया है। तथापि, असम वन सुरक्षा फोर्स कार्मिकों और तैनात होमगार्डों को .303 राइफल प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ) वार्षिक संचालन योजना के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना, हथियारों और गोलाबारूद की खरीद सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए लक्षित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ऐसे प्रस्ताव, केन्द्र सरकार निधियों की उपलब्धता और आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की शर्त पर प्रोसेस किए जाते हैं।

मानवों में आनुवांशिक विभिन्नता

3503. श्री रेवती रमन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानव आनुवांशिक विभिन्नता का एक विस्तृत और चिकित्सीय रूप से उपयोगी चित्र तैयार करने के लिए विश्वभर से विभिन्न लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग से संबंधित प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें कौन-कौन से स्वास्थ्य विज्ञानी शामिल हैं और ये किन देशों से हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) द्वारा 22 जनवरी, 2008 को जारी किए गए समाचार के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संकाय ने 1000 जीनोम परियोजना की घोषणा की थी जिसमें मानव जेनेटिक परिवर्तन की अब तक की अत्यधिक विस्तृत और चिकित्सीय आधार पर उपयोगी चित्र तैयार करने के लिए विश्वभर में कम से कम एक हजार लोगों के जीनोम का अनुक्रम बनाना शामिल है। इस परियोजना को वेल्कम ट्रस्ट संगोर इंस्टीच्यूट इन हिंकस्टन, इंग्लैंड, बीजिंग, जीनोमिक्स इंस्टीच्यूट शेनजेन (बीजीआई, शेनजेन), चीन और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों (एनआईएच) के भाग, राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार सृजित आंकड़े नि:शुल्क सुलभ सार्वजनिक डाटाबेस के माध्यम से विश्वभर के वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव जेनेटिक भिन्नता का विस्तृत मानचित्र जेनेटिक भिन्नता को विशेष रोगों से संबद्ध करने की इच्छा वाले बहुत से अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। बाद में, ऐसे अनुसंधान से दवाओं के निजी जेनोमिक युग की नींव रखी जाएगी जिसमें लोग रोग तथा दवाओं की प्रतिक्रिया के निजी जोखिमों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए नेमी तौर पर अपने जीनोम अनुक्रम बनवाएंगे।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार को समाप्त करना

3504. श्री काशीराम राणा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया है;

(ख) क्या ये एजेंसियां देश में भ्रष्टाचार को रोक पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्र सरकार के दो ऐसे अभिकरण हैं जिन्हें भ्रष्टाचार से निपटने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 की केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने वर्ष के दौरान कुल 11,149 शिकायतों में से 10,775 शिकायतों को निपटाया। इसके अतिरिक्त, पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों में, 3362 मामलों में भारी शास्ति लगाई गई थी और 5768 मामलों में लघु शास्ति लगाई गई थीं। भारी शास्ति के मामलों में, बर्खास्तगी/पद से हटाए जाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 916 मामले शामिल हैं। आयोग की सलाह के अनुसरण में, विभिन्न संगठनों में सक्षम प्राधिकारियों ने 150 लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए मंजूरी दी।

वर्ष 2007 के दौरान, सी.बी.आई. द्वारा जांच-पड़ताल किए गए 1070 नियमित मामलों में से 851 मामलों में सक्षम न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए थे। इस वर्ष के दौरान, विचाराधीन 674 मामले निपटाए गए थे जिनमें से 426 मामले दोष-सिद्धि में परिणत हुए।

(घ) सरकार भ्रष्टाचार के प्रति "बिलकुल बरदाश्त नहीं" की अपनी नीति को लागू करने हेतु पूर्णत: कटिबद्ध है और जीवन के सभी पहलुओं से भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु उत्तरोत्तर बढ़ रही है। भ्रष्टाचार को हटाने और सरकार के कार्यकरण को उन्नत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं इनमें से महत्वपूर्ण कदम हैं:-

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003;

(ख) भण्डाफोड़ करने वालों का (व्हिसिल ब्लोवर्स) संकल्प, 2004;

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

(घ) सतर्कता पर वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की पूर्व-सक्रिय भागीदारी।

सरकारी संगठन भी, ई-शासन, नागरिक चार्टर को जारी करने और प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों के सरलीकरण जिनका लक्ष्य, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, के माध्यम से अपने कार्यकरण को उन्नत बनाने में लगातार लगे हुए हैं।

चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्यकरण

3505. श्री वी.के. दुग्मर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिकित्सा महाविद्यालय और दंत चिकित्सा महाविद्यालय विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे किन-किन महाविद्यालयों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत में मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और दंत चिकित्सक (संशोधित) अधिनियम, 1993 और उनके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। एमसीआई/डीसीआई विनियमनों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाले मेडिकल/डेंटल कालेजों को एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार ने घटी हुई दाखिला क्षमता के साथ अनुमति दी है जहां मौजूदा दाखिला क्षमता के लिए अध्यापन, अवसंरचनात्मक और नैदानिक सुविधाएं आदि अपर्याप्त हैं और जहां पर कमियों को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मेडिकल/ डेंटल कालेजों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

विवरण I

2005-06

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने नकारात्मक सिफारिश दी है

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1	2
1.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, दिशपाली, आंध्र प्रदेश
2.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, विलासपुर, छत्तीसगढ़
3.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, वलिया, गुजरात
4.	टूथयूकूडी मेडिकल कालेज, टूथयूकूडी तमिलनाडु
5.	पंडित बी.डी. शर्मा पीजीआईएमएस, रोहतक (115 से 150 सीटें)
6.	एम.आर. मेडिकल कालेज, गुलबर्गा
7.	के.जे. सौम्मेया मेडिकल कालेज, मुम्बई
8.	एमजीएम मेडिकल कालेज, स्वांगी, वर्धा
9.	त्रिवूनवेली मेडिकल कालेज, त्रिवूनवेली, तमिलनाडु
10.	कोयम्बटोर मेडिकल कालेज, कोयम्बटोर
11.	विश्वेश्वर मेडिकल कालेज, चित्रदुर्ग
12.	एमवीजे मेडिकल कालेज, बंगलौर
13.	सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट मेडिकल साईंसिज, गंगटोक, सिक्किम

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां कमियों के परिशोधन पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनुमति प्रदान की गई थी

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, विलासपुर, छत्तीसगढ़
2.	टूथयूकूडी मेडिकल कालेज, टूथयूकूडी तमिलनाडु
3.	त्रिवूनवेली मेडिकल कालेज, त्रिवूनवेली, तमिलनाडु
4.	सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट मेडिकल साईंसिज, गंगटोक, सिक्किम
5.	उत्तरांचल फारेस्ट अस्पताल ट्रस्ट मेडिकल कालेज, हल्द्वानी, उत्तरांचल

2006-07

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने नकारात्मक सिफारिश दी है

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1	2
1.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, दिशपाली, आंध्र प्रदेश
2.	वी एम एम सी एंड सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली

1	2
3.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, वलिया, गुजरात
4.	सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट मेडिकल साईंसिज, गंगटोक, सिक्किम
5.	हसन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, हसन, कर्नाटक
6.	के.जे. सौम्मेया मेडिकल कालेज, मुम्बई (50 से 100 सीटें)
7.	प्रतिमा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, करीमनगर, आंध्र प्रदेश
8.	पी ई एस इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज एंड रिसर्च, कुप्पम, आंध्र प्रदेश
9.	जी एस एल मेडिकल कालेज, राजामुंदरी
10.	डा. पी एस आई मेडिकल कालेज साईंसिज रिसर्च फाउंडेशन, चिनऊटपल्ली, आंध्र प्रदेश
11.	सदन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, पेरिचचैरू, आंध्र प्रदेश
12.	भास्कर मेडिकल कालेज, येंकापल्ली, आंध्र प्रदेश
13.	कोनासिमा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, अमलापुरम, आंध्र प्रदेश
14.	भाश्वेश्वरा मेडिकल कालेज, चित्रदुर्ग, आंध्र प्रदेश

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां कमियों के परिशोधन पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनुमति प्रदान की गई थी

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1.	वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
2.	सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट मेडिकल साईंसिज, गंगटोक, सिक्किम
3.	हसन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, हसन, कर्नाटक

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर घटी हुई दाखिला क्षमता के साथ अनुमति दी गई

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1.	परथिमा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, करीम नगर, आंध्र प्रदेश
2.	पी ई एस इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज एंड रिसर्च, कुपाम, आंध्र प्रदेश
3.	डा. पी एस आई मेडिकल कालेज साईंसिज रिसर्च फाउंडेशन, चिनऊटपल्ली, आंध्र प्रदेश
4.	सदन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, आंध्र प्रदेश
5.	भास्कर मेडिकल कालेज, यनापल्ली, आंध्र प्रदेश
6.	कोनआसीमा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, अमालापुरम, आंध्र प्रदेश
7.	श्री राम मूर्ति सम्राट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, बरेली, उत्तर प्रदेश

2007-08

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने नकारात्मक सिफारिश दी है

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1	2
1.	सिमोगा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, सिमोगा, कर्नाटक
2.	रिचूर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, रिचूर, कर्नाटक
3.	वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
4.	एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, बहरामपुर, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
5.	टी.डी. मेडिकल कालेज, अल्पुज्जा, केरल (100 से 150 सीटें)
6.	क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, दिशपाली, आंध्र प्रदेश
7.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, विलया, गुजरात

1	2
8.	केसर सल मेडिकल कालेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात
9.	मांड्या इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, मांड्या, कर्नाटक
10.	थेनी गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, थेनी, तमिलनाडु
11.	गवर्नमेंट वेरल्ली मेडिकल कालेज, वेल्लोर, तमिलनाडु
12.	हसन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, हसन, कर्नाटक
13.	बेलगाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, बेलगाम, कर्नाटक
14.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, एनडीएमसी, जगदलपुर
15.	अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अगरतला
16.	त्रिपुरा मेडिकल कालेज एंड बीआरएएम हास्पिटल, अगरतला
17.	कन्याकुमारी मेडिकल कालेज, असरीपल्लम, तमिलनाडु
18.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, बिलासपुर
19.	श्री गुरु राम राय मेडिकल कालेज, देहरादून
20.	के.जे. सोमय्या मेडिकल कालेज, मुंबई (50 से 100 सीटें)
21.	कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, कराद (100 से 150 सीटें)
22.	एससीबी मेडिकल कालेज, कटक, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
23.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोटा (50 से 100 सीट)
24.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर (60 से 100 सीटें)

उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां कमियों के परिशोधन पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनुमति प्रदान की गई थी

क्र.सं.	मेडिकल कालेज का नाम
1	2
1.	शिमोगा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, शिमोगा, कर्नाटक
2.	रायचुर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, रायचुर, कर्नाटक
3.	वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बूर्ला, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
4.	एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, बेहरामपुर, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
5.	टी.डी. मेडिकल कालेज, अल्लापुजा, केरल (100 से 150 सीटें)
6.	मांड्या इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, मांड्या, कर्नाटक
7.	थेनी गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, थेनी, तमिलनाडु
8.	गवर्नमेंट वेल्लौर मेडिकल कालेज, वेल्लौर, तमिलनाडु
9.	हस्सन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, हस्सन, कर्नाटक
10.	बेलगांव इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, बेलगांव, कर्नाटक
11.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, एनडीएमसी, जगदलपुर
12.	अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अगरतला
13.	त्रिपुरा मेडिकल कालेज एंड बीआरएएम हास्पिटल, अगरतला
14.	कन्याकुमारी मेडिकल कालेज, असरीपल्लम, तमिलनाडु
15.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, बिलासपुर
16.	श्री गुरु राम राय मेडिकल कालेज, देहरादून
17.	एससीबी मेडिकल कालेज, कटक, उड़ीसा (107 से 150 सीटें)
18.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोटा (50 से 100 सीटें)
19.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर (60 से 100 सीटें)

विवरण II

उन डेंटल कालेजों/संस्थानों के नामों की सूची जहां भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार अध्यापन सुविधा सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी की वजह से या तो बीडीएस सीटें घटाई गई थी अथवा अनुमति नहीं दी गई थी

2005-06

1. सीटें घटाई गई

क्र.सं.	कालेज का नाम	सीटें घटाई गई
	शून्य	

2. अनुमति नहीं दी गई

क्र.सं.	कालेज का नाम	सीटें
	आंध्र प्रदेश	
1.	लेनोरा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज, राजामुंदरी	60
	बिहार	
2.	सरजुग डेंटल कालेज, लेहरिया सराय, दरभंगा, बिहार	40
3.	डा. बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज एंड हास्पिटल, पटना	40
4.	मिथिला माइनोरिटी डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, लेहरिया सराय, दरभंगा, बिहार	60
5.	दरभंगा डेंटल कालेज, दरभंगा (बिहार)	40
6.	डा. एस.एम. नकवी इमाम डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, बहेरा (बिहार)	60
	उत्तर प्रदेश	
7.	अवध इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज, लखनऊ	100

2006-07

1. घटाई गई सीटें

क्र.सं.	कालेज का नाम	सीटें घटाई गई
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	पणिनीया महाविद्यालय इंस्टीट्यूट फार डेंटल साईंसिज एंड रिसर्च सेंटर, रंगा रेड्डी जिला	100 से 60
2.	श्री साई डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रीकाकूलम	100 से 60

1	2	3
	महाराष्ट्र	
3.	महात्मा गांधी मिशन डेंटल कालेज, नवी मुम्बई	100 से 60
	राजस्थान	
4.	एकलव्य डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कोटपुतली	100 से 60
5.	जोधपुर डेंटल कालेज एंड जनरल हास्पिटल, जोधपुर	100 से 60

2. अनुमति नहीं दी गई

क्र.सं.	कालेज का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	लियोनोरा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज, राजामुंदरी
	बिहार
2.	दरभंगा डेंटल कालेज, दरभंगा
3.	डा. एस.एम. नक्वी इमाम डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, बहेरा
	केरल
4.	परियारम डेंटल कालेज, एकेडमी आफ मेडिकल साईंसिज, केरल
	उत्तर प्रदेश
5.	अवध इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज, लखनऊ

2007-08

1. घटाई गई सीटें

क्र.सं.	कालेज का नाम	सीटें घटाई गई
1	2	3
	छत्तीसगढ़	
1.	रूंगटा कालेज आफ डेंटल साईंसिज एंड रिसर्च, भिलाई	100 से 60
2.	न्यू होरीजन डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूड, बिलासपुर	100 से 50
	केरल	
3.	पेरियारम डेंटल कालेज	60 से 50
	मध्य प्रदेश	
4.	गुरू गोबिंद सिंह कालेज आफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेन्टर, बुरहानपुर	100 से 50

1	2	3
	महाराष्ट्र	
5.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट आफ डेन्टल साइंसिज एंड रिसर्च, लातूर	100 से 50
6.	आदित्या डेंटल कालेज, बीड	100 से 50
	उड़ीसा	
7.	गांधी डेंटल कालेज, भुवनेश्वर	60 से 50
	राजस्थान	
8.	जोधपुर डेंटल कालेज एंड जनरल हास्पिटल, जोधपुर	100 से 50
9.	एन आई एम एस डेंटल कालेज, जयपुर	100 से 50
	तमिलनाडु	
10.	आदिपराशक्ति डेंटल कालेज एंड हास्पिटल	100 से 60
	उत्तर प्रदेश	
11.	पूर्वांचल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज, गोरखपुर	100 से 50
2.	**अनुमति नहीं दी गई**	
	आंध्र प्रदेश	
1.	लेनोरा इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज, राजामुंदरी	60
	छत्तीसगढ़	
2.	छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, राजनन्दगांव	100
	तमिलनाडु	
3.	सोफिया डेंटल कालेज, चेन्नई	50
	उत्तर प्रदेश	
4.	अवध इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साईंसिज, लखनऊ	100
5.	कालका डेंटल कालेज, मेरठ	100

[अनुवाद]

उड़ीसा में उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति

3506. श्री जुएल ओराम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार की उद्योगों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश करने वाली पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पॉस्कों, वेदांत और मित्तल आदि जैसी बड़ी कंपनियों को किसी एजेंसी द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन कराने और सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा को पिछले दो वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों, एकीकृत स्टील प्लांट्स कैप्टिव माइनर पोर्ट, बेनीफिकेशन प्लांट्स, एल्यूमिनीयम स्मैलटर, तेल अन्वेषण क्रियाकलापों आदि के संबंध में चौदह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्टें प्राप्त हुई थी।

(ग) से (ङ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है। मै. पोस्को इंडिया लिमिटेड और वेदान्त ने अपनी परियोजनाओं के लिए ई आई ए रिपोर्टें मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी हैं जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मै. मित्तल इंडस्ट्रीज को ई आई ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। मै. मित्तल इंडस्ट्रीज द्वारा अभी तक कोई ई आई ए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

3507. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण नीति का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार की इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने की मंशा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारत सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार मुहैया कराया जा रहा है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय आदि भी इन अनुदेशों का पालन यथावश्यक परिवर्तन सहित करते हैं।

(ग) और (घ) संसद सदस्यों से, समय-समय पर सेवाओं में आरक्षण से संबंधित कुछ पत्र प्राप्त होते रहते हैं। यदि आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन नहीं किए जाने का कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सरकार अपेक्षित कार्रवाई करती है।

(ङ) और (च) सरकार ने पहले ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 नामक एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्था (पीआरआई) में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का प्रभाव

3508. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की पंचायती राज संस्था (पीआरआई) में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के प्रभाव का आकलन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी महिला प्रतिनिधियों के दस प्रतिशत के एक सेंपल आकार को सम्मिलित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर.) का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के विषय क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया, तीन दौर के चुनावों (अधिकांश राज्यों) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक सशक्तिकरण, विशेषकर आरक्षित सीटों पर उनके पुनर्निर्वाचन पर तथ्य एवं आंकड़े, पंचायतों के उच्चतर स्तरों पर महिलाओं के पहुंचने, पंचायतों में उनकी भागीदारी की गुणवत्ता एवं विकासात्मक गतिविधियों व सेवा सुपुर्दगी के संदर्भ में उसके प्रभाव, परिवार के भीतर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति, उनके कौशल के उन्नयन, उनके आत्मविश्वास के स्तर,

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी को मजबूत करने में स्व-सहायता समूहों, महिला संगठनों व अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका, समानान्तर निकायों, यथा-स्थानीय शासन में प्रयोक्ता समितियों एवं निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर उनके प्रभाव, सफलता की कहानियां आदि समेत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयामों को सम्मिलित किया गया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट अप्रैल, 2008 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध होने की आशा है।

[हिन्दी]

गरीब मरीजों के लिए मुफ्त उपचार

3509. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि का आवंटन पाने वाले निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में रियायती दर पर गरीब लोगों के उपचार का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों/नर्सिंग होमों के नाम क्या हैं तथा किन-किन निबंधन और शर्तों के अंतर्गत उन्हें भूमि आवंटित की गई थी;

(ग) क्या ये अस्पताल/नर्सिंग होम उन निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिनके तहत इन्हें भूमि आवंटित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ता अस्पतालों/नर्सिंग होमों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सामाजिक विधि शास्त्री बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका संख्या 2866/2002 में माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में उन सभी निजी अस्पतालों को जिन्हें रियायती दरों पर जमीन आबंटित की गई है, निदेश दिया गया है कि वे ओपीडी में 25 प्रतिशत और आईपीडी में 10 प्रतिशत तक मुफ्त उपचार की शर्त पूरी करें।

जहां तक भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का संबंध है, निम्नलिखित निजी अस्पतालों को जमीन आबंटित की गई है-

(क) सर गंगा राम अस्पताल

(ख) मूलचन्द अस्पताल

(ग) वीरावली अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल (दिल्ली हास्पिटल सोसायटी)

(घ) वीमहंस

(ङ) सेन्ट स्टीफन हास्पिटल

इसके अलावा भूमि और विकास कार्यालय ने सेठ आर.बी. सेठ जैस्सा राम हास्पिटल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आबंटित की जबकि इस अस्पताल के लिए जमीन का शुरूआती आबंटन डीडीए द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की गई है जो रियायती दरों पर जमीन का आबंटन प्राप्त कर चुके निजी अस्पतालों द्वारा गरीब रोगियों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त चिकित्सा का अनुवीक्षण करेगी। समिति इन अस्पतालों का निरीक्षण करती है और प्रधान स्वास्थ्य सचिव को इस मामले में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना

3510. श्री गणेश सिंह:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत ''वृद्धजन स्वास्थ्य संरक्षण'' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत क्या-क्या उद्देश्य और कार्यक्रम हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। इन चिकित्सा प्रणालियों की क्षमताओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जरा चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या हेतु आयुर्वेद और सिद्ध पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जरा चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या पर आधारित आयुर्वेद और सिद्ध के बारे में नीति निर्माताओं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर कार्यरत विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्साभ्यासियों और आम लोगों को सुग्राही बनाना है।

अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम और प्रयास किए गए हैं:

(1) नीति निर्माताओं आयुर्वेद/सिद्ध/एलोपैथी के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, चिकित्साभ्यासियों, अनुसंधानकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों की प्रतिभागिता के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला। यह कार्यशाला 23-24 जनवरी, 2008 को आयोजित की गई थी।

(2) राज्य/जिला अभियानों के द्वारा जरा चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या हेतु आयुर्वेद/सिद्ध की क्षमता को मुख्य धारा में लाने के लिए देश भर में संदेशों का संप्रेषण।

(3) एक नोडल निकाय के रूप में केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के साथ राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर की कार्यशाला।

(4) अभियान में राज्य की राजधानियों में अवस्थित आयुर्वेद/सिद्ध कालेजों को शामिल करना।

(5) जिला स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन।

(6) आयुर्वेद और सिद्ध के माध्यम से जरा चिकित्सा परिचर्या के लिए पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरओटीपी) और अनवरत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) पाठ्यक्रम।

इस प्रयोजनार्थ 50.00 लाख रु. खर्च किए गए हैं। राज्य और जिला स्तर के अभियानों को संचालित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु पर्याप्त निधियां निर्धारित की गई हैं।

[अनुवाद]

एनआरएचएम के लिए साझा समीक्षा मिशन

3511. **श्री निखिल कुमार:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) की स्थापना की है जैसाकि दिनांक 12 मार्च, 2008 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआरएम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सीआरएम द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) को समीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन के मिशन स्टियरिंग ग्रुप के अधिदेश के भाग के रूप में गठित किया गया था। जुलाई, 2006 में मंत्रिमंडल का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए प्राप्त होने तथा वास्तविक क्रियाविधियों के प्रारंभ होने के 16 महीने बाद इसने नवम्बर, 2007 में अपना मूल्यांकन कार्य शुरू किया। इसके विचारार्थ विषय में एनआरएचएमसीआरएम का कार्य एनआरएचएम की प्रगति का मूल्यांकन कोर कार्यनीतियों एवं केन्द्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 24 मापदण्डों पर करने के रूप में नियत किया गया। इनके आधार पर पेश आ रही कठिनाइयों का पता लगाने तथा सुदृढ़ीकरण एवं प्रगति में सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों के बारे में अनुशंसा करने के लिए सीआरएम को अधिदेश दिया गया। समीक्षा मिशन 52 सदस्यों-केन्द्र एवं राज्य स्वास्थ्य सरकारी पदधारियों तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिलकर बना था। दिल्ली स्थित मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा एक दिवसीय अभिविन्यास ब्रीफिंग के बाद यह दल 13 समूहों में विभाजित किया गया और यह चयनित राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुआ।

राज्य स्तर पर शुरू में एक दिवसीय ब्रीफिंग की गई जिसके बाद इस दल को दो समूहों में बांटा गया और प्रत्येक समूह एक या दो जिलों में गया। जिला स्तरीय दौरे दो या तीन दिनों के थे तथा मूल्यांकन ऐसे नयाचार का इस्तेमाल करते हुए किया गया जिससे न्यूनतम संख्या में सुविधा की प्रत्येक टाइप (और ग्राम) जिसका दौरा किया गया तथा उन विषयगत क्षेत्रों का पता चला जिनको जांच में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। राज्य मुख्यालय में लौटने के बाद सिविल समाज समूहों से वार्ताएं की गई जिसके

बाद रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया। अंत में सामान्य समीक्षा मिशन दलों ने मेजबान राज्य विभागीय प्रमुखों तथा एनआरएचएम सुविधा प्रदायक दलों को अपनी टिप्पणियां एवं निष्कर्ष उनके फीड बैक के वास्ते प्रस्तुत किए।

(ग) और (घ) जी, हां। सीआरएम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो इस मंत्रालय की वेबसाइट http.//mohfw.nic.in/ NRHM.htm. पर उपलब्ध है।

(ङ) एनआरएचएम की सीआरएम रिपोर्ट की प्रति सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुवर्ती कार्रवाई के वास्ते अग्रेषित कर दी गई है।

मिसीसिप्पी शिपयार्ड, अमेरिका में भारतीय कामगारों की दुर्दशा

3512. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री उदय सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका के मिसीसिप्पी शिपयार्ड में भारतीय कामगार घोर अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं जैसाकि दिनांक 9 मार्च, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर अमेरिकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इन कामगारों ने विद्रोह कर दिया है और अपने नियोक्ता के विरुद्ध अमेरिका में मानव दुर्व्यापार गिरोह में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन कामगारों ने मुम्बई स्थित भर्ती कम्पनी द्वारा उनके परिवारों को धमकाये जाने से बचाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मिशन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विदेशी नियोक्ता मैसर्स ग्लोबल रिसोर्सेस इंक. मिसीसिप्पी ने मैसर्स दीवान कंसलटेन्ट्स, मुम्बई की मार्फत कुल 590 भारतीय कामगारों की भर्ती की थी। वे अमरीका एच2बी वीजा (अतिथि कामगार वीजा कार्यक्रम) पर गए थे जो आरम्भिक तौर पर 10 माह के लिए वैध होता है, जिसे नियोक्ता और अमरीकी प्राधिकारियों की इच्छा से बढ़ाया जा सकता है। कामगारों को एक मेरीन फेब्रीकेशन कम्पनी, मैसर्स सिग्नल इंटरनेशनल के पासकागोला, मिसीसिप्पी और ओरेंज काउन्टी, पोर्ट आर्थर, टेक्सास स्थित यार्डों में लगाया गया था। कामगार असुविधाजनक आवास तथा आवास, भोजन, बिजली, पानी आदि के लिए उनके वेतन से कटौतियों, सस्ते आवास पर बाहर रहने की अनुमति न दिये जाने, समयोपरि घंटों का प्रावधान न करने और साथ ही स्थायी आवासीय दर्जा की तथाकथित आरम्भिक वचनबद्धता को पूरा न करने से परेशान थे।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मिशन ने भारतीय कामगारों की शिकायतों की विस्तृत जांच करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए अमेरिका सरकार से संपर्क किया है।

(ङ) और (च) 6 मार्च, 2008 को लगभग 100 कामगारों ने स्थायी निवास दर्जा/ग्रीन कार्ड आदि की प्रारंभिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के अतिरिक्त रोजगार को जारी रखने, बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग करते हुए नियोक्ता के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उन्होंने 10 मार्च, 2008 को न्यू ओरलिन्स में एक प्रेस सम्मेलन भी किया था और छोटे-छोटे समूहों में विरोध मार्च भी किए थे। उसके पश्चात उन्होंने मैसर्स सिग्नल इंटरनेशनल कम्पनी तथा भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध मानव दुर्व्यापार का आरोप लगाते हुए फिफ्थ सर्किट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यू ओरनिल्स में एक याचिका भी दर्ज की थी।

(छ) और (ज) लगभग 120 कामगार, 27 मार्च, 2008 को वाशिंग्टन में भारतीय राजदूत से मिले थे। उन्होंने अपनी परेशानियों के विरुद्ध जांच में तेजी लाने, स्वदेशी वापसी को रोकने, उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करने और भर्तीकर्ताओं द्वारा भारत में उनके परिवारों को धमकाने से रोकने की मांगों का उल्लेख

किया था। तथापि, कामगारों के परिवारों से भर्तीकर्ताओं द्वारा धमकाए जाने की कोई शिकायत इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

इस मंत्रालय ने मैसर्स दीवन कंसलटेन्ट्स और मैसर्स एस. मन्सूर एंड कम्पनी, मुम्बई का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया है, विदेशी नियोक्ता को काली सूची में डाल दिया है और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का उल्लंघन करने के लिए भर्ती एजेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। भारतीय मिशन ने इसमें शामिल मुख्य अमरीकी भर्तीकर्ताओं के वीजाओं को जब्त करने के लिए भी कदम उठाये हैं ताकि उन्हें अपने भर्ती कार्य को पुन: शुरू करने के लिए भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना

3513. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण तथा विशिष्ट फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए इससे उठने वाले मुद्दों पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है जैसाकि दिनांक 21.3.08 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री परिषद के मार्गदर्शन में कार्यरत विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद ने दिनांक 13 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया था कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई और की जाने वाली कार्रवाई को संकलित करके जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया जाए। तदनुसार भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा डा. आर. चिदंबरम, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार की अध्यक्षता में मई, 2007 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उक्त विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीन वर्ष है तथा इसे भारत पर मानव जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने तथा मानव जनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित मामलों को देखने हेतु आवश्यक उपायों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तैयार हो रही है और शीघ्र ही एक अंतरिम रिपोर्ट आने की संभावना है।

हॉकी और फुटबाल को बढ़ावा देना

3514. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हॉकी तथा फुटबाल सहित देश में खेले जा रहे सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हॉकी तथा फुटबाल के विकास तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) सरकार हॉकी तथा फुटबाल सहित खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, सरकार देश में तथा देश के बाहर प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षकों को लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है। विशिष्ट रूप से हॉकी में, सरकार ने राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों तथा जूनियर राष्ट्रीय टीमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले विदेशी विशेषज्ञ को तकनीकी सलाहकार के रूप में लगाया है। इसके अतिरिक्त, 14-21 के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भाखेप्रा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों तथा भाखेप्रा विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में इन खिलाड़ियों के पास हॉकी तथा फुटबाल की खेल विधाएं हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हाकी परिसंघ, भारतीय महिला हाकी परिसंघ, जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट सोसायटी तथा अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता नीचे दी गयी है:-

(रु. लाख में)

खेल परिसंघ का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
भारतीय हाकी परिसंघ	89.46	90.34	121.18
भारतीय महिला हाकी परिसंघ	78.81	111.64	189.09
जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट सोसायटी	7.00	1.75	4.00
अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	65.37	25.55	61.90
सुब्रतो मुखर्जी फुटबाल परिसंघ	5.00	5.00	5.00

[हिन्दी]

लोगों में रक्तदान संबंधी जागरूकता फैलाना

3515. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रक्तदान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रक्तदान संबंधी अभियान पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इसके फलस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस और 1 अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाकर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दे रही है। स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में स्वैच्छिक रक्तदान पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं का मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों द्वारा सम्मान किया जाता है। स्वैच्छिक रक्तदान पर आई ई सी सामग्री जैसे पोस्टर, विवरणिकाएं और पैम्फलटों को मुद्रित किया जाता है और उनका प्रचार किया जाता है। होर्डिंग्स और कियोस्क प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान पर माननीय मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों के संदेशों का प्रसारण किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय दैनिक मसाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, और दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए और रेडियो पर प्रसारित करने के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री विकसित की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने पर वर्ष 2005-06 में 42.2 लाख रुपए, वर्ष 2006-07 में 55.0 लाख रुपए और वर्ष 2007-08 में 186.6 लाख रुपए खर्च किए हैं।

(घ) इन अभियानों के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक रक्त एकत्रण जो 2005 में 4.7 मिलियन/यूनिट था, बढ़कर 2006 में 5.51 मिलियन/यूनिट और 2007 में 5.6 मिलियन/यूनिट हो गया है। स्वैच्छिक रक्तदान का अनुपात 2005 में 5.41 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 56.4 प्रतिशत और 2007 में 59.9 प्रतिशत हो गया है।

[अनुवाद]

धूम्रपान की अनुमति देने वाले संस्थानों/संगठनों पर जुर्माना लगाया जाना

3516. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे संस्थानों/संगठनों पर कठोर जुर्माना लगाने का है जो अपने परिसर में कर्मचारियों को धूम्रपान की अनुमति देते हैं जैसाकि दिनांक 21 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 21 में धारा 4 अर्थात् सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना, जो दो सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, की व्यवस्था है। अधिनियम में वर्तमान में संस्था/संगठन पर कोई जुर्माना लगाने की व्यवस्था नहीं है। अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए मुख्यतया राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।

(ग) व्यक्ति विशेष पर दंडात्मक उपबंधों को बढ़ाने और संगठन/संस्था, जहां पर धारा-4 के उपबंध का उल्लंघन होता है, के प्रभारी व्यक्ति पर प्रतिनिधिमूलक देयता लगाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत और मध्य एशिया के बीच सड़क संपर्क

3517. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य एशियाई देशों के साथ इस क्षेत्र में सड़क संपर्क के बारे में कोई चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस चर्चा का क्या परिणाम निकला; और

(ग) मध्य एशिया के साथ सड़क संपर्क सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ सीधा सड़क संपर्क नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों जिनका विस्तार पड़ोसी देशों की सीमा तक है, का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा के भीतर और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जाता है।

एस.ई.सी.एल. में ओपनकास्ट परियोजनाएं

3518. श्री रमेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की किसी ओपनकास्ट विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना व्यय किया जाएगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) इससे कोयला उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होगी; और

(घ) इस परियोजना से किन-किन राज्यों को कोयले की आपूर्ति की जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) की तीन ओपनकास्ट (ओसी) विस्तार परियोजनाओं यथा दीपका ओसी विस्तार, गेवरा ओसी विस्तार और कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार को अनुमोदित किया है।

इन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	वृद्धिक क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	वृद्धिक पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	लक्षित क्षमता प्राप्त करने की तारीख
1.	दीपका ओसी का 10 से 20 मि.ट. प्रतिवर्ष का विस्तार	12.7.2005	10	856.59	मार्च, 2010
2.	गेवरा ओसी का 12 से 25 मि.ट. प्रतिवर्ष का विस्तार	12.7.2005	13	1339.69	मार्च, 2010
3.	कुसमुण्डा ओसी का 6 से 10 मि.ट. प्रतिवर्ष का विस्तार	6.6.2006	4	360.25	मार्च, 2011

(घ) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों में विद्युत उपयोगिताओं और अन्य उपभोक्ताओं को इन परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

वैश्विक तापन तथा स्वास्थ्य पर इसके खतरनाक प्रभाव

3519. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य पर वैश्विक तापन के खतरनाक प्रभावों से निपटने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने भारत पर एन्थ्रोपोजेनिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने तथा एन्थ्रोपोजेनिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान देने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने के लिए मई, 2007 में 'जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की विशेषज्ञ समिति' गठित की है।

प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद के निर्देशों के तहत भारत के जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन एवं प्रशमन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की अभिकल्पना की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी 'वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन एवं स्वास्थ्य' पर कार्यदल गठित किया है जो ऐसे क्षेत्रों जिन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि (1) श्वसनी रोग एवं वायु प्रदूषक, (2) यूवी-बी और मोतियाबिंद, तथा (3) वेक्टरजनित रोग पर ध्यान संकेन्द्रित कर रहा है।

पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन

3520. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर के अनेक वस्त्र उद्योग और विशेषकर प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयां मौजूदा पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रंगाई और रसायनों के छोटे विनिर्माताओं को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए कोयला ब्लाकों का विकास

3521. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) 26 नए कोयला ब्लाकों का विकास करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लि. की उत्पादन क्षमता से मांग और पूर्ति के बीच का अंतर कितना कम हो पाएगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. क्षेत्र में 11वीं योजना अवधि के दौरान आरंभ किए जाने हेतु परिकल्पित 26 कोयला ब्लाकों/परियोजनाओं की पहचान की गई है।

(ख) ब्लाकों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भंडार मि.ट. में	ग्रेड
1	2	3	4
1.	कुसमुण्डा एवं विस्तार ओसी*	499.13	ई-एफ
2.	गेवरा एवं विस्तार ओसी*	975.00	ई-एफ
3.	दीपिका एवं विस्तार ओसी*	617.00	ई-एफ
4.	करटली ईस्ट ओसी	61.41	सी-डी
5.	राज वेस्ट ओसी	167.62	डी-एफ
6.	विजय ईस्ट ओसी	58.00	सी-डी

1	2	3	4
7.	बतुरा ओसी	35.00	सी-डी
8.	महान 3 एवं 4 ओसी	55.00	सी-डी
9.	पेलमा ओसी	235.00	बी-जी
10.	चिमटापणि ओसी	100.00	ई-एफ
11.	राज ईस्ट ओसी	मूल्यांकन किया जा रहा है	ई-एफ
12.	पोरदा ओसी	मूल्यांकन किया जा रहा है	ई-एफ
13.	जामपली ओसी	31.30	डी-एफ
14.	बिजारी ओसी	35.10	डी-एफ
15.	अम्बिका ओसी	39.37	बी-एफ
16.	पाठकपुर यूजी	74.43	बी-ई
17.	जमदई यूजी	मूल्यांकन किया जा रहा है	
18.	गुमरा यूजी	मूल्यांकन किया जा रहा है	
19.	बकुलमुनि यूजी	25.23	बी-सी
20.	अम्बा यूजी	मूल्यांकन किया जा रहा है	
21.	दुर्गापुर ओसी	76.40	डी-जी
22.	बोदरी/बोदरी नार्थ यूजी	72.14	सी-डी
23.	बदौली विस्तार यूजी	41.94	सी-डी
24.	अमृतधारा यूजी	23.22	बी
25.	चेनगारा ओसी**	14.33	जी/यूजी
26.	जारवाही ओसी**	19.66	बी-ई

*क्र.सं. 1 से 3 में दर्शाए गए ब्लाक/परियोजना वर्जित नहीं हैं, बल्कि विस्तार ब्लाक हैं।

**क्र.सं. 25 से 26 में दर्शाए गए ब्लाकों पर निम्न गुणवत्ता के कारण इस समय विकसित करने हेतु विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) एस.ई.सी.एल. की उत्पादन क्षमता को 10वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2006-07 के दौरान 88.50 मि.ट. स्तर से बढ़ाकर 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान 111.00 मि.ट. किए जावे का प्रस्ताव है।

महिला खेल अनुदेशकों की नियुक्ति

3522. श्री मनोरंजन भक्त: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी सह-शिक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला खेल अनुदेशक की नियुक्ति न होने के कारण प्रतिभाशाली लड़कियां/महिलाएं खेल अवसरों से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो लड़कियों/महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के

ऐसे सरकारी सह-शिक्षा विद्यालयों/महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जहां पर महिला खेल अनुदेशक हैं और ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां पर महिला अनुदेशक नहीं है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) "खेल" राज्य सूची का विषय है तथा राज्य स्तर पर खेलों का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। सरकारी सह-शिक्षा स्कूलों और कालेजों में महिला खेल अनुदेशकों की नियुक्ति करने की भारत सरकार की अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दो प्रशिक्षण केन्द्र अर्थात् (1) रंगनाथ में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता केंद्र (एनएसटीसी) तथा (2) पोर्ट ब्लेयर में विशेष क्षेत्र खेल केंद्र (एसएजी) है जिनमें विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी योजनाओं में महिला खिलाड़ी भी भाग ले सकती हैं। पोर्ट ब्लेयर में एसएजी केंद्र में साक्लिंग, फुटबाल, रोइंग, क्याकिंग और केनोइंग, भारोत्तोलन तथा तैराकी में 60 लड़के तथा 52 लड़कियां हैं। पंचवटी, रंगनाथ (अंडमान और निकोबार) में जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ कोचों ने फुटबाल खेल विधा में 25 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया।

कोलाचेल पत्तन का विकास

3523. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोलाचेल पत्तन के विकास के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) कोलाचल पत्तन के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है।

गुजरात में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं की अनुसंधान और विकास इकाई

3524. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं की अनुसंधान और विकास इकाई की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अनुसंधान इकाई कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने वर्तमान क्षेत्रीय अनुसंधान एकांश, अहमदाबाद, को आयुर्वेद औषध विकास संस्थान में उन्नयनकृत करने की सलाह दी है। सरकार ने केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यान्वयनार्थ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

छोटे गांवों के लिए चल औषधालय

3525. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के छोटे गांवों और रोगग्रस्त क्षेत्रों के लिए चल औषधालयों और पैथोलोजी सुविधाएं प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक पहचान किए गए रोगग्रस्त क्षेत्रों का रोगवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतौर पर अल्पसेवित क्षेत्रों में

स्वास्थ्य परिचर्या को लोगों की दहलीज तक ले जाने के उद्देश्य से प्रति जिला एक सचल चिकित्सा एकक की दर से सचल चिकित्सा एककों का भी अनुमोदन किया गया है। दो तरह के सचल चिकित्सा एककों की अभिकल्पना की गई है, एक पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए नैदानिक सुविधाओं के साथ। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर के लिए उनके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, सार्वजनिक परिवहन की गैर-सुगम्यता, कवर किए जाने के लिए लंबी दूरियों इत्यादि के कारण विशेषित सुविधाएं एवं सेवाएं जैसे कि एक्स-रे, ईसीजी एवं अल्ट्रासाउंड प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, राज्यों से आशा की जाती है कि वे विविधता पर काबू पाएं तथा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सचल चिकित्सा एककों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त एवं संपोषणीय प्रतिमान का अंगीकरण सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को उनकी अपनी-अपनी वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उनकी आवश्यकता के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

विकृति विज्ञान प्रयोगशाला सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर उपलब्ध है जिसे जनसंख्या के मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है।

(ग) वस्तुत: चल चिकित्सा एककों ने देश के अल्पसेवित क्षेत्रों तथा दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा प्रदान की है।

हृदय तथा किडनी रोगियों के लिए महंगी शल्यक्रिया

3526. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हृदय तथा किडनी संबंधी महंगी सर्जरी के क्या कारण हैं; और

(ख) अधिक कीमत को कम करने और इस प्रकार के रोगियों को उचित कीमत पर उपचार मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हृदय और गुर्दे की शल्यक्रिया में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकीय उपस्कर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सुपर स्पेसियलिटी के विषय नामत: हृदय वक्ष वाहिका शल्यक्रिया और मूत्रविज्ञान हैं। इन मरीजों को गहन शल्यक्रियोत्तर परिचर्या की जरूरत होती है जिससे लागत भी बढ़ जाती है। इन बीमारियों के उपचार की सुविधा चंद मेडिकल कालेजों तथा अग्रणी शीर्ष संस्थानों जैसे एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, एसजीपीजीआई, लखनऊ आदि में उपलब्ध है। सरकारी संस्थानों में इन मर्जों की चिकित्सा या तो मुफ्त अथवा अत्यंत इमदादी है। निर्धन और जरूरतमंद मरीजों, यदि उन्हें जरूरत होती है, के उपचार के लिए अतिरिक्त सहायता राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के तहत उपलब्ध रहती है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

3527. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित वर्तमान सूची और पूर्ववर्ती सूची के तुलनात्मक ब्यौरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कमी वर्तमान सूची और पूर्ववर्ती सूची में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदण्डों में अंतर के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) 1993-94 और 2004-05 के तुलनीय गरीबी अनुमान 2004-05 में बीपीएल व्यक्तियों की प्रतिशतता 35.9 प्रतिशत से 27.5 प्रतिशत तथा संख्या में 3203.68 लाख से 3017.20 लाख की गिरावट दिखाते हैं।

(ख) वर्ष 2002 के लिए बीपीएल सूची को सभी राज्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गिरावट बीपीएल व्यक्तियों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदण्डों में मदभेदों की वजह से है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति

3528. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आशापुरा माइनकैम लिमिटेड को पर्यावरण स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) जिसके आधार पर खनन संबंधी आंतरिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी स्वीकृति दी थी वह रूसी बाक्साइट माइन रिपोर्ट से चुराए गए आंकड़ों पर आधारित थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कंपनी को दी गयी स्वीकृति को रद्द करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मैसर्स आशापुरा माइनकैम लि. की बाक्साइट खनन परियोजना को 29.12.2006 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है जिसमें 99.86 हैक्टेयर खान पट्टा भूमि शामिल है।

(ग) और (घ) मैसर्स आशापुरा माइनकैम लि. की प्रारम्भिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर विशेषज्ञ आकलन समिति की मई 2006 में हुई बैठक में विचार किया गया था। विशेषज्ञ आकलन समिति ने पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं पाया था और इस प्रकार प्रस्तावक को पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट को संशोधित करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर विशेषज्ञ आकलन समिति की सितम्बर, 2006 में हुई बैठक में विचार किया गया था और समिति ने विधिवत गठित उप-समिति द्वारा स्थल दौरे की इच्छा व्यक्त की थी। स्थल का अक्तूबर, 2006 में दौरा किया गया और उप समिति ने अपनी रिपोर्ट विशेषज्ञ आकलन समिति को प्रस्तुत की। विशेषज्ञ आकलन समिति ने स्थल दौरा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नवम्बर, 2006 में हुई बैठक में परियोजना पर पुन: विचार किया और अंतत: परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की। विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सीजीएचएस औषधालयों में आपातकालीन सेवाएं

3529. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस औषधालयों द्वारा राजधानी में आपातकालीन स्वास्थ्यचर्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन औषधालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निम्नलिखित 21 औषधालय आपाती सेवाएं प्रदान कर रहे हैं:-

साउथ एवेन्यू, नार्थ एवेन्यू, टेलिग्राफ लेन, डा. जेड.एच. रोड, लोधी रोड (फिलहाल बंद है), एम.बी. रोड, कालकाजी-1, सादिक नगर, किदवई नगर, कस्तूरबा नगर-1, श्रीनिवासपुरी, आर.के. पुरम-1, मोती बाग, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, तिमारपुर, किंग्जवे कैंप, न्यू राजेन्द्र नगर, जनकपुरी-1, पालम कालोनी तथा पश्चिम विहार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि

3530. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में एक बार से ज्यादा चुनी गई महिला प्रतिनिधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सड़कों पर अपर्याप्त स्थान

3531. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में आज की तारीख के अनुसार कुल कितने वाहन चल रहे हैं;

(ख) क्या इन वाहनों के लिए सड़कों पर पर्याप्त स्थान नहीं है और इससे सड़कों पर भीड़-भाड़ रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2004 तक देश में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 7,27,17,935 थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-2004 के दौरान मोटर वाहनों की संख्या में लगातार 10 प्रतिशत की वार्षिकी दर से वृद्धि हुई थी। तथापि, सड़क के स्थान गति में वृद्धि वाहनों की संख्या के अनुपात में नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़भाड़, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि आदि जैसी अनेक गंभीर समस्याएं सामने आई हैं।

(घ) यह मंत्रालय मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सड़क कांग्रेस के कोड आईआरसी: 64-1990 और आईआरसी: 106-1990 के अनुसार क्रमश: ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता और मैदानी क्षेत्रों में शहरी सड़कों की क्षमता के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश विद्यमान हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनकी क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और उनकी क्षमता में वृद्धि करने तथा एक्सप्रैस मार्गों के निर्माण कार्य के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं।

[हिन्दी]

रूस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा

3532. श्री गणेश सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के दौरान हुए विचार-विमर्शों का ब्यौरा क्या है और इस दौरान कितने समझौतों, यदि कोई हों, पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां, रूसी परिसंघ के प्रधान मंत्री श्री विक्टर ए. झुबकोव ने 12-13 फरवरी, 2008 को भारत का दौरा किया।

(ख) रूसी परिसंघ के प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता से मिले। बैठक के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, प्रतिरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति और आपसी हितों के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। 12 फरवरी, 2008 को गणमान्य अतिथि ने व्यापार और निवेश संबंधी द्वितीय भारतीय-रूसी मंच में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2008 को भारत में "रूसी वर्ष" का उद्घाटन किया। दो सहयोग ज्ञापनों, जिनमें से एक भारतीय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और रूसी परिसंघीय सीमा शुल्क सेवा के बीच कानून के प्रवर्तन से संबंधित मामलों पर था और दूसरा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और रूसी परिसंघीय अभिलेख एजेंसी के बीच अभिलेख के क्षेत्र से संबंधित था, पर दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

पासपोर्ट कार्यालयों में स्थान की कमी

3533. श्री काशीराम राणा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर सूरत में पासपोर्ट कार्यालय स्थान की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) पासपोर्ट कार्यालय, सूरत 2003 में खोला गया था और तब से यह किराए के परिसर में स्थित है। परिसर का सार्वजनिक क्षेत्रफल उसे खरीदते समय पासपोर्ट चाहने वाले लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा गया था। विगत वर्षों के दौरान पासपोर्ट चाहने वालों की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी से यह क्षेत्रफल पर्याप्त नहीं रह गया है। वास्तव में, काम का बोझ बढ़ने से यह समस्या अधिकतर अन्य पासपोर्ट कार्यालयों के सामने भी उत्पन्न हो चुकी है। मंत्रालय ने हाल ही में सूरत में एक भूखण्ड खरीदा है और यह प्रस्ताव है कि उस पर हम अपना खुद का भवन बनाएंगे जिसका सार्वजनिक क्षेत्रफल पर्याप्त होगा।

पासपोर्ट सेवा परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के साथ ही सरकार का प्रस्ताव पूरे देश में 68 पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का है जहां आवेदक आराम से अपना पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र जमा करा सकेंगे, साथ ही प्रत्येक में आगंतुकों के लिए पर्याप्त स्थान की भी व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

बाघों का संरक्षण

3534. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बाघों के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय करने के निदेश दिए हैं जैसा कि दिनांक 22 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों की आबादी वाले राज्यों को इसके लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दी है और उनका अनुपालन न होने पर धनराशि में कटौती की भी चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को बाघ रिजर्व हेतु धनराशि को भी बन्द करने की चेतावनी दी है जब तक वे पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी, हां। बाघ सुरक्षा के लिए राज्यों को सलाह दी गई है। हाल ही में आयोजित हुई क्षेत्र निदेशकों की अखिल भारतीय बैठक में समीक्षा और विचार-विमर्श के आधार पर बाघ रिजर्वों के अंदर पहचान किए गए कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास से गांवों के पुनर्वास के लिए योजना के अलावा रिजर्व-वार बाघ संरक्षण योजना की सूचना देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(घ) से (च) अब तक केवल उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ रिजर्व से बाघ संरक्षण योजना प्राप्त हुई है और समझौता ज्ञापन की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य सभी बाघ रिजर्वों से समझौता ज्ञापन तथा बाघ संरक्षण योजना दोनों की प्रतीक्षा की जा रही है। बाघ रिजर्व राज्यों को सूचित किया गया है कि बाघ परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बाघ संरक्षण योजना और निर्धारित समझौता ज्ञापन प्राप्त होने पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

मनोरोग अस्पतालों में रोगियों का अनुपात

3535. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख के अनुसार देश के मनोरोग अस्पतालों में कितने रोगियों का उपचार चल रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): भारत की स्वास्थ्य सूचना-2005 में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (2004) के अनुसार मानसिक अस्पतालों में उपचार कराने वाले रोगियों की कुल संख्या 1231905 (918786-बहिरंग रोगी और 313119 अंतरंग रोगी) है।

[अनुवाद]

सिद्ध, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों/ अस्पतालों का कार्यकरण

3536. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री किन्जरपु येरनायडु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार केंद्र सरकार के कितने सिद्ध, आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल और औषधालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में और अधिक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार का एक मात्र अस्पताल अर्थात् आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड, नई दिल्ली है। आयुष विभाग के अधीन कार्यरत केंद्र सरकार के सिद्ध, आयुर्वेद और यूनानी औषधालयों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के विकास को संवर्धित करने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित कार्यों के लिए पात्र अस्पतालों/पाली क्लीनिकों के लिए सहायता अनुदान देती है-

(1) आयुर्वेद के पंचकर्म/क्षारसूत्र अथवा यूनानी चिकित्सा अथवा सिद्ध अथवा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अथवा होम्योपैथी के रेजीमेंटल उपचार के लिए अस्पतालकृत सुविधा सहित विशेषीकृत उपचार केंद्रों की स्थापना;

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (भाचिप एवं हो.) अर्थात् पद्धति विशिष्ट बहिरंग उपचार केंद्रों के विशिष्टता क्लीनिकों की स्थापना; और

(3) जिला एलोपैथिक अस्पतालों में भाचिप एवं हो. स्कंधों की स्थापना।

राज्य सरकारें सरकारी अस्पतालों में उपर्युक्त आयुष सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उपरिल्लिखित स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत औषधालय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीजीएचएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			श्रम एवं रोजगार मंत्रालय*		
		सिद्ध	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	आयुर्वेद	यूनानी
1.	आंध्र प्रदेश	–	2	2	–	3	–
2.	बिहार	–	1	–	1	2	1
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	2	–
4.	दिल्ली	1	14	5	–	11	–
5.	गुजरात	–	1	–	–	54	–
6.	हरियाणा	–	–	–	–	1	–
7.	कर्नाटक	–	2	1	–	2	–
8.	केरल	–	1	–	–	10	–
9.	मध्य प्रदेश	–	–	1	–	7	–
10.	महाराष्ट्र	–	5	–	–	13	–
11.	उड़ीसा	–	1	–	–	1	–
12.	राजस्थान	–	1	–	–	9	–
13.	तमिलनाडु	2	1	–	2	–	–
14.	उत्तर प्रदेश	–	4	1	–	11	–
15.	पश्चिम बंगाल	–	1	1	–	–	–
	कुल	3	34	11	3	126	1

*दर्शाए गए औषधालय ईएसआई कारपोरेशन और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड और नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन लिमिटेड क्रमश: 12 और 1 आयुर्वेदिक औषधालय का संचालन कर रहे हैं।

मध्य एशिया में सहकारी विकास और शांति

3537. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मध्य एशिया में सहकारी विकास और शांति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत मध्य एशिया में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञ प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। "मध्य एशिया में सहकारी विकास और शांति" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ द्वारा 15 और 16 मार्च, 2008 को आयोजित किया गया।

(ख) संगोष्ठी में व्यापक महत्व के विषय शामिल किए गए जिनमें क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और विकास के समसामयिक मुद्दे भी थे।

(ग) विदेश मंत्री ने सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि उनका मंत्रालय मध्य एशिया में एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगा रहा है जो क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी नागरिकों की अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में आवश्यकताएं पूरी कर सके।

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

(ङ) चूंकि अभी तक प्रस्ताव के तकनीकी और आर्थिक पैरामीटरों को तैयार नहीं किया जा सका है अत: इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद अधिनियम, 2007 में संशोधन

3538. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद अधिनियम, 2007 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार का आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक के पद और कार्यावधि हेतु पात्रता मानदण्डों से संबंधित भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) अधिनियम, 2001, के प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

चिकन पॉक्स के मामलों में वृद्धि

3539. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली में हाल ही में चिकन पॉक्स के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2007 के दौरान दिल्ली में चिकन पॉक्स के मालमों में वृद्धि की कोई सूचना नहीं दी गई है।

चिकन पाक्स एक ऐसा रोगा है जो अपने घटित होने में मौसमी बदलाव दर्शाता है। यह रोग वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है और यह स्वत: सीमित होने वाले रोग के तौर पर घटित होता है। इस रोग के बुखार जैसे लक्षणों से निपटने के अलावा कोई विशेष उपचार नहीं है। चिकिन पाक्स के उपचार की सुविधाएं देश के तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अधिक चिकित्सकों की मांग

3540. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के प्रशासनिक निर्माणाधीन अस्पतालों में कार्य के बढ़ते हुए दबाव से निपटने के लिए अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता है जैसा कि दिनांक 25 मार्च, 2008 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) यह सच है कि केन्द्र सरकार के दिल्ली स्थित अस्पतालों में रोगी भार बढ़त पर है। डाक्टरों की तादाद बढ़ाने के लिए नई भर्तियों पर लगी रोक पहले ही हटा दी गई है तथा संविदात्मक नियुक्तियां करने की भी अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय ड्रेजिंग नीति

3541. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ड्रेजिंग के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पत्तन-वार कितनी ड्रेजिंग परियोजनाएं आरंभ की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने मौजूदा नीति की समीक्षा करने के पश्चात् 1.4.2007 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए सभी महापत्तनों द्वारा अनुसरण की जाने वाली संशोधित ड्रेजिंग नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

(1) सभी महापत्तन ड्रेजिंग कार्यों के लिए खुली प्रतिस्पर्द्धी बोलियां आमंत्रित करेंगे और ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया सहित भारतीय ध्वज युक्त ड्रेजरों की स्वामी भारतीय कंपनियों को पहले मना करने का अधिकार होगा यदि उनकी दर सबसे कम वैध बोली के 10 प्रतिशत के भीतर हो। यह रखरखाव और कैपीटल ड्रैजिंग दोनों पर लागू होगा जिसका एकमात्र अपवाद कोलकाता पत्तन की रखरखाव से संबंधित ड्रैजिंग कार्य होगा जिसके लिए अलग निर्देश लागू होंगे।

(2) यदि भारतीय ध्वज युक्त ड्रैजर के स्वामित्व वाली एक से अधिक कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेती है, तो पहले मना करने का अधिकार, उस भारतीय कंपनी को जाएगा जिसने सबसे कम दरों की बोली दी है और वह बोली सबसे कम वैध बोली के 10 प्रतिशत के भीतर है।

(3) सभी महापत्तन निविदाओं को एक पारदर्शी तरीके से संसाधित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। पत्तन यह सुनिश्चित करें कि पहले से ही एक पूर्वअर्हता मापदंड निर्धारित किया जाए और वह इतना सख्त नहीं हो कि उससे कुछ संभावित भारतीय बोलीदाताओं के प्रवेश में रुकावट आए। पूर्वअर्हता शर्तें विस्तृत होने के साथ-साथ विनिर्दिष्टत भी हों। न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित शर्तें बोली दस्तावेज में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएं। इस संबंध में विस्तार से निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(4) भारत सरकार, पोत परिवहन विभाग के माध्यम से लोकहित में किसी भी महापत्तन में ड्रैजिंग कार्य का भी ठेका डीसीआई को नामांकन के आधार पर देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(5) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के संगत प्रावधानों के संबंध में नौवहन महानिदेशालय, मुंबई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश लागू होंगे।

(घ) विभिन्न महापत्तनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई ड्रैजिंग की परियोजनाओं और चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ की जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	पत्तन का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई परियोजना का ब्यौरा	मौजूदा वर्ष के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	तूतीकोरिन	शून्य	(1) 10.7 मीटर के ड्राफ्ट के जलयानों को संभालने के लिए घाट सं. 9 के सामने ड्रेजिंग कार्य (2) 11.70 मीटर के ड्राफ्ट के जलयानों को संभालने के लिए कोयला जेटी, तेल जेटी और पहुंच जलमार्ग के सामने ड्रेजिंग कार्य (3) 12.80 मीटर के ड्राफ्ट के जलयानों को संभालने के लिए जलमार्ग और बेसिन का गहरा किए जाने के प्रस्ताव

1	2	3	4
2.	पारादीप	शून्य	(1) भारतीय निकर्षण निगम द्वारा जलमार्ग को गहरा किया जाना (2) पैनामैक्स जलयानों को संभालने के लिए मौजूदा घाट प्रणाली में डुबाव को 12.5 मी. से 14 मी. करना
3.	एन्नौर	2007-08 पहुंच मार्ग और बंदरगाह बेसिन की ड्रेजिंग का रख-रखाव	तट के पोषण और भूमि उद्धार के लिए बड़े पैमाने पर ड्रायंग चरण-1 और ड्रेजिंग
4.	कोलकाता	डी सी आई के माध्यम से ड्रेजिंग का रख-रखाव 2004-05 - 18.89 मिलियन घन मीटर 2005-06 - 16.26 मिलियन घन मीटर 2006-07 - 16.73 मिलियन घन मीटर और 2007-08 - 16.40 मिलियन घन मीटर	नदी नियामक उपाय योजना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक दीर्घ कालिक अवधि के आधार पर हल्दिया जलमार्ग में डुबाव को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग करना शामिल है।
5.	मुंबई	कोई बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग का कार्य नहीं किया गया है	द्विवर्षीय चक्र में पत्तन द्वारा जलमार्गों का रख-रखाव किया गया है। पीर पाऊ के दूसरे रसायन घाट, इंदिरा गोदी में कंटेनर घाट, इंदिरा गोदी में बंदरगाह दीवार घाट 18-22 के विकास के लिए पहुंच जलमार्गों, टर्निंग सर्किल और घाट पोकेटों के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग करना।
6.	जेएनपीटी	मैसर्स भारतीय निकर्षण निगम के माध्यम से लगभग 1 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष की ड्रेजिंग गुणवत्ता सहित प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद पत्तन ड्रेजिंग का रख-रखाव करता है	14 मी. के डुबाव तक के जलयानों (6000 टीईयू क्षमता के जलयान) को संभालने के लिए मुम्बई बंदरगाह जलमार्ग और जवाहरलाल नेहरू जलमार्ग को गहरा और चौड़ा किए जाने के लिए परिवीक्षण आरंभ किए जाने का प्रस्ताव।
7.	चेन्नई	डा. अम्बेडकर गोदी बेसिन को और पहुंच जलमार्ग को गहरा किए जाने का कार्य नवम्बर, 2004 को पूरा कर लिया गया है	शून्य
8.	मुरगांव	पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से ड्रेजिंग का रख-रखाव किया गया है	अगस्त, 2008 से वार्षिक ड्रेजिंग का रख-रखाव आरंभ किया जाएगा।
9.	नव मंगलूर	2003-04 डीसीआई के माध्यम से ड्रेजिंग का रख-रखाव 2004-05 - 5.80 मिलियन घन मीटर 2005-06 - 7.30 मिलियन घन मीटर 2006-07 - 6.90 मिलियन घन मीटर बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग 2005-06 - 0.35 मिलियन घन मीटर	2007-08—6 (लगभग) मिलियन घन मीटर

मंदिरों के हाथियों की मृत्यु

3542. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत हाथियों की संख्या सहित मंदिरों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मन्दिर हाथियों की मृत्यु से संबंधित सूचना का मिलान केन्द्र सरकार स्तर पर नहीं किया जाता। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय को प्राप्त मन्दिर हाथियों की मृत्यु के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार है:-

क्र.सं.	हाथी का नाम	मन्दिर का नाम
केरल		
1.	हरी प्रसाद	पनमाना मीनामथोथथील भगवती मंदिर
2.	महादेवन	करुणागपाली पदानायर कुलंगरा मंदिर
3.	नीलकंठन	इट्टुमनूर महादेव मंदिर
कर्नाटक		
1.	शांथला	महालिंगपुर मठ, मुढोल, भागलकोट, कर्नाटक
2.	भारती/अरुन्धती (एक हाथी)	लक्ष्मी भाऊ, महाराजा जैन वस्ती, रायबाग टी क्यू, रायबाग, बेलगाम, कर्नाटक
3.	शंकरा	श्री क्षत्रीय धर्मस्थल, दक्षिण कन्नड, कर्नाटक

पश्चिम बंगाल	
हाथियों की संख्या	मन्दिर का नाम
1	इस्कान मंदिर, मायापुर, नाडिया जिला

[हिन्दी]

शीतल पेयों में रसायनों का प्रयोग

3543. श्री काशीराम राणा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीतल पेयों में रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन रसायनों के नाम क्या हैं तथा उनके उपभोग के पश्चात मानव स्वास्थ्य पर इनके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं;

(ग) क्या सरकार ने शीतल पेयों की प्रत्येक बोतल पर रसायन की प्रतिशतता दर्शाने हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) कार्बनयुक्त जल के मानकों को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में मद संख्या ए.-01.01 के तहत निर्धारित किया गया है। खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित कार्बनयुक्त जल के मानकों के अनुरूप कार्बनयुक्त जल को सुरक्षित समझा जाता है।

लेबलिंग उपबंधों को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जिनका प्रत्येक निर्माण को पालन करना होता है। उपयोग किए गए प्रत्येक खाद्य ग्रेड रसायनों या मिश्रणों के नाम और गुणवत्ता को कंटेनर पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला ब्लाकों के आवंटन में अनियमितताएं

3544. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पन्न करने वाली विभिन्न कंपनियों को कोयला ब्लाकों के आवंटन में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं जैसाकि दिनांक 19 मार्च, 2008 के "दि हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कोयला ब्लाकों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोई मानदंड तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो इस प्रकार के मानदंड को पूरा करने में विफल रही हैं तथा तत्पश्चात् उन्हें कोयला ब्लाक आवंटित कर दिए गए?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, नहीं। आवंटन उचित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था।

(ग) और (घ) कोयला ब्लाकों का आवंटन, कोयला ब्लाक के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया था न कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मानदंडों के आधार पर। कैप्टिव ब्लाक के लिए प्रतियोगी आवेदकों के बीच ब्लाक आबंटित करने के लिए परस्पर प्राथमिकता निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की गयी थी:

(1) परियोजनाओं की तैयारी की स्थिति तथा प्रगति का स्तर;

(2) आवेदक कंपनी का निवल मूल्य (अथवा नई एसपी/जेवी के मामले में, उनके मूल का निवल मूल्य);

(3) आवेदन में यथाप्रस्तावित उत्पादन क्षमता;

(4) आवेदन में यथाप्रस्तावित अधिकतम प्रतिलभ्य भंडार;

(5) आवेदन में यथाप्रस्तावित कैप्टिव खान के आरंभ होने की तारीख;

(6) आवेदन में यथाप्रस्तावित विस्तृत अन्वेषण (केवल गैर-अन्वेषित ब्लाकों के संबंध में) की पूर्णता की तारीख;

(7) तकनीकी अनुभव (कोयला/लिग्नाइट खनन तथा निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग में मौजूदा क्षमताओं के अनुसार);

(8) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश;

(9) संबंधित राज्य सरकार (अर्थात् जहां कैप्टिव ब्लाक स्थित है) की सिफारिश;

(10) कंपनी का ट्रैक रिकार्ड और वित्तीय स्थिति।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों में विकास कार्य

3545. श्री रामदास आठवले: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत देश के पिछड़े जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के बजाय सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विकास कार्य आरंभ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) की शुरूआत केंद्र व राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रमों व नीतियों को कारगर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से की गई थी जो देश के अभिचिह्नित पिछड़े जिलों में विकास के अवरोधों को दूर करेगा तथा विकास-प्रक्रिया को तेज करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। आर.एस.वी.वाई. को वर्ष 2006-07 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बी.आर.जी.एफ.) में समाहित कर दिया गया है। आर.एस.वी.वाई. में समाविष्ट 147 जिलों में से, 70 जिलों ने 45.00 करोड़ रुपये की अपनी पूरी हकदारी का दावा किया है।

राज्य सरकारें जिला प्रशासन के माध्यम से आर.एस.वी.वाई. का कार्यान्वयन करती हैं। आर.एस.वी.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त निधियों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी करती हैं। आरएसवीवाई के दिशा-निर्देश यह उपबंधित करते हैं कि लोगों की भागीदारी एवं पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं स्व-सहायता समूहों की संलग्नता को स्कीम के अंतर्गत योजना के प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग सहित उसके प्रत्येक चरण में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश ये भी निर्धारित करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं स्व-सहायता समूहों को जागरूकता व क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण आदि, जिनके लिए निधियों के लगभग दो प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा सकता है, में भी संलग्न किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के पास आर.एस.वी.वाई. के वर्तमान दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन लाने की योजना नहीं है।

[अनुवाद]

किशोरों द्वारा तम्बाकू का उपयोग

3546. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे के अनुसार देश में प्रत्येक पांच किशोरों में से एक किशोर तम्बाकू

का प्रयोग करता है जैसा कि दिनांक 20 मार्च, 2008 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नए "क्लासरूम एनफोंसर टोवेको मानिटर" लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषरूप से विद्यालय जाने वाले किशोरों तथा सामान्यत: अन्य युवकों द्वारा तम्बाकू के प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वैश्विक युवक तम्बाकू सर्वेक्षण भारत 2006-13 से 15 वर्ष की उम्र वाले छात्रों के प्रतिनिधिक प्रतिदर्श पर किए गए स्कूल आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्तमान में 10 छात्रों में से एक से अधिक छात्र तम्बाकू का सेवन करते हैं। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

* राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्थानों में सेकण्ड हैंड स्मोक के प्रति न्यूनीकृत अरक्षितता (49% से 40%),
* 10 वर्ष की आयु से पूर्व धूम्रपान की शुरूआत में राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त कमी हुई है (49% से 37%),
* तम्बाकू सेवन में लड़कों तथा लड़कियों के बीच अन्तराल कम होना,
* तम्बाकू सेवन की व्याप्तता में कमी नहीं आई है,
* सूचना पट्टों पर सिगरेट के विज्ञापनों के प्रति अरक्षितता में कमी नहीं आई है,
* 3 वर्षों के दौरान नाबालिगों को बिक्री से कोई वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है,
* कुछ क्षेत्रों में सिगरेटों के मुफ्त प्रतिचयन में बढ़ोतरी हुई है,
* मध्य, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि तम्बाकू की व्याप्तता में बढ़ोतरी हुई है या यह अत्यधिक रही है।

(ग) से (ङ) सरकार ने "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" बनाया है जिसमें शैक्षणिक संस्था सहित सार्वजनिक कंपनियों में धूम्रपान: नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री तथा विशेषतौर पर किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शैक्षणिक संस्था के आस-पास इसकी बिक्री को प्रतिषिद्ध किया गया है।

भारत सरकार ने 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। इसमें मौटे तौर पर निम्नलिखित की अभिकल्पना की गई है:-

1. तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों एवं जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठों का क्षमता निर्माण।
2. तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षकों इत्यादि को प्रशिक्षित करना।
3. किशोरों को सुग्राही बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में स्कूल कार्यक्रम चलाना।
4. क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल लोक प्रचार माध्यम/ सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान।

कश्मीर के संबंध में ओ.आई.सी. की टिप्पणी

3547. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "आरगनाईजेशन आफ इस्लामिक कान्फ्रेंस (ओ.आई.सी.)" ने कश्मीर मुद्दे के संबंध में कोई टिप्पणी की है जैसाकि दिनांक 17 मार्च, 2008 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। ओ.आई.सी. ने अपनी अंतिम विज्ञप्ति में जम्मू व कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की और 13-14 मार्च, 2008 तक डकार, सेनेगल में हुए अपने 11वें शिखर सम्मेलन में इस विवाद पर एक संकल्प पारित किया। ओ.आई.सी. विज्ञप्ति के उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत सरकार ने जम्मू व कश्मीर संबंधी ओ.आई.सी. की टिप्पणी पर खण्डन (16 मार्च, 2008) जारी किया है, जिसमें कहा

गया है "हमने खेदपूर्वक नोट किया है कि ओ.आई.सी. ने 13-14 मार्च, 2008 तक डकार, सेनेगल में हुए ओ.आई.सी. शिखर सम्मेलन के पश्चात जारी किए गए दस्तावेज में एक बार फिर से जम्मू व कश्मीर तथा भारत के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करना पसंद किया है। ओ.आई.सी. को जम्मू व कश्मीर, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, सहित भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम ऐसी समस्त टिप्पणियों का जोरदार विरोध करते हैं।"

(ग) भारत ओ.आई.सी. का न तो सदस्य है और न ही पर्यवेक्षक। भारत सरकार निरंतर कहती रही है कि जम्मू व कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी करने का ओ.आई.सी. को कोई अधिकार नहीं है और इसे ओ.आई.सी. के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पर उठाया गया है।

विवरण

इस्लामिक सम्मिट कांफ्रेंस, डकार-सेनेगल गणराज्य (13-14 मार्च, 2008) के ग्यारहवें सत्र की अंतिम विज्ञप्ति से जम्मू व कश्मीर तथा भारत संबंधी उद्धरण

56. शिखर सम्मेलन में संगत यू.एन. संकल्पों के अनुरूप जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के उनके वैध अधिकार को समर्थन की पुन: पुष्टि की गई। इसमें आजाद कश्मीर तथा पाकिस्तान में जम्मू एवं कश्मीर संबंधी महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के नेतृत्व वाली ओ.आई.सी. मिशन की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया गया। इसमें कश्मीरी जनता के मानवीय अधिकारों का आदर करने की बात कही गयी तथा भारत अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की मांग की गई। इसमें भारत से मांग की गई कि ओ.आई.सी. के एक तथ्यान्वेषी मिशन और साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को भारत अधिकृत जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति दी जाए ताकि भारत अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार की स्थितियों का जायजा लिया जा सके।

57. सम्मेलन में जम्मू एवं कश्मीर संबंधी ओ.आई.सी. संपर्क दल की सिफारिशों को समर्थन दिया गया। इसमें कश्मीरी जनता के सच्चे प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को नोट किया गया तथा कश्मीरी जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप जम्मू एवं कश्मीर विवाद के न्यायोचित तथा शांतिपूर्ण निपटान को बढ़ावा देने की ओ.आई.सी. की वचनबद्धता की पुष्टि की गई।

58. सम्मेलन में भारत के साथ चल रही संयुक्त वार्ता के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और तत्परता, लचीलेपन एवं साहस के साथ जम्मू एवं कश्मीर विवाद के संकल्प के प्रति बढ़ने की ओर पाकिस्तान द्वारा दिखाए गए लचीलेपन की सराहना की गई। इसने भारत से कहा कि अपने विवाद के कोर मुद्दे के रूप में जम्मू एवं कश्मीर विवाद के न्यायोचित यथा अंतिम निर्णय तक पहुंचने के क्रम में सकारात्मक सहयोग करे। सम्मेलन में भारत के साथ संयुक्त वार्ता के लिए सक्षम माहौल तैयार करने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु पाकिस्तान की सराहना की गई।

59. सम्मेलन में जम्मू एवं कश्मीर की जनता के साथ गहरी हमदर्दी जाहिर की गई जिन्होंने 8 अक्तूबर, 2005 के विनाशकारी भूकम्प के परिणामस्वरूप अत्यधिक मानवीय, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षति से हानि उठाई। इसने भूकम्प पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर ओ.आई.सी. के सदस्य राज्यों द्वारा दिए गए अंशदानों के लिए आभार प्रकट किया तथा भविष्य में आवश्यक सहायता देते रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इसने सदस्यों राज्यों तथा मुस्लिम संस्थाओं से अपील की कि वे ओ.आई.सी. देशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में कश्मीरी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें।

डी.पी.टी. टीके की प्रभावकारिता

3548. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.पी.टी. के टीके संपूर्ण जीवन के लिए प्रभावकारी नहीं रहते हैं तथा 6 से 7 वर्ष के बाद पुन: टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है जैसाकि दिनांक 30 मार्च, 2008 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, नवजात शिशुओं को 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु होने पर डीपीटी टीके लगाए जाते हैं और 18 महीने की आयु पर डिप्थीरिया, परटुसिस और टेटनस टाक्साइड से प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए बूस्टर खुराक दी जाती है। टेटनस और डिप्थीरिया टाक्साइड अत्यधिक इम्यूनोजेनिक (95-100%) हैं, परटुसिस के

टीके की 70-90% की संरक्षी प्रभावकारिता है। होल सेल वैक्सीन के बाद प्रतिरक्षण की अवधि 6-12 वर्षों की अवधि में 50% तक कम हो जाती है। क्योंकि होल सेल टीके को 6 वर्षों के उपरांत लगाना प्रतिक्रियात्मक समझा गया था, इसलिए उस आयु के उपरांत प्रतिरक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त परटुसिस प्रतिरक्षण को शामिल नहीं किया गया।

(ग) और (घ) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत डीटी (डिप्थीरिया और टेटनस टाक्साइड) का टीका बच्चों को 5 वर्ष की आयु में और टीटी (टेटनस टाक्साइड) का टीका 10 और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु आवंटित धनराशि

3549. डा. पी.पी. कोया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजना में प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) हेतु आवंटित धनराशि में से कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) आज की तारीख तक कितने प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (एएसएचए) तथा संपर्क कार्यकर्त्ताओं की भर्ती, प्रशिक्षित तथा तैनात किया गया; और

(ग) देश में एनआरएचएम योजना के क्रियान्वयन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या भूमिका सौंपी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 11वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु आवंटन 89,478 करोड़ रुपये है। 11वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2007-2008 के दौरान लगभग 10223 करोड़ रुपये की कुल राशि का व्यय किया गया है।

(ख) नीचे दी गई तालिका में अब तक, चयनित एवं प्रशिक्षित प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) एवं संपर्क कार्यकर्ताओं की संख्या दर्शाई गई है:-

आशा एवं संपर्क कार्यकर्ताओं की स्थिति

क्र.सं.		आशा	संपर्क कार्यकर्त्ता
1.	मिशन अवधि के लिए प्रस्तावित	535104	262474
2.	चयनित (12.03.008 तक की की स्थिति के अनुसार)	481308	147984
3.	कम से कम एक माड्यूल में प्रशिक्षित (12.03.08 तक की स्थिति के अनुसार)	406464	116385

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सदस्यता का प्रावधान है। इसके अलावा, स्थानीय सांसद/विधान सभा सदस्य या उनके प्रतिनिधि भी जिला, अनुमण्डलीय एवं खण्ड स्तर पर गठित रोगी कल्याण समितियों के सदस्य होते हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

3550. डा. राम लखन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक करोड़ रुपये की पूंजी से कम लागत वाले तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों को दिनांक 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के पैरा 3(ग) की अनुसूची एक के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी से मुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जी हां। यद्यपि 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की नई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित किया गया है। नई अधिसूचना में शामिल विकास कार्य उत्पादन

क्षमता से संबंधित उनकी प्रारम्भिक सीमा पर आधारित होंगे न कि निवेश मानदण्ड पर।

[अनुवाद]

वन्य जीवों का अवैध शिकार

3551. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्यान प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण वन्य जीव अवैध शिकारियों द्वारा मारे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा करने वाले पर्यटकों के आतिथ्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय के पास ऐसी कई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा करने वाले वी आई पी पर्यटकों के आतिथ्य के लिए सरकार द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्य जीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर कठोर दंड लगाया गया है।

2. वन्य जीव सुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्य जीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

4. वन्य जीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों ने वन्य पशुओं की सुरक्षा व अवैध शिकार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।

2. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।

3. हथियार और गोला बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

4. जनता के लिए प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित करना।

5. स्थानीय समुदायों से सहयोग लेना।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8508/2008]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डैवलपमेंट एंड डिजाईन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डैवलपमेंट एंड डिजाईन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8508ए/2008]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं श्री महावीर प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8509/2008]

(3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8510/2008]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 11 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार अद्यतन की गई विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8511/2008]

(2) हैंडबुक आफ प्रोसीजर्स (वाल्यूम-1) 2004-2009 (11 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार अद्यतन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8512/2008]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, श्री हंसराज भारद्वाज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 56, जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ.एन. 26(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जून, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश सं. 49 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8513/2008]

(2) परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या ओ.एन. 11(अ), जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 282/केटी/2007-खण्ड 5 का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8514/2008]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8515/2008]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8516/2008]

(5) जनसंख्या स्थिरता कोष (नेशनल पापुलेशन स्टेबेलाइजेशन फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8517/2008]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8518/2008]

(9) दंत.चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत डेंटल काउंसिल आफ इंडिया का संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 जो 10 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 11 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8519/2008]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 351(अ) जो 18 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 164(अ) जो 29 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1950(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु-केरल बार्डर) (वालायार-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1951(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चनियम्पारा-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1952(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वालायार-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 282(अ) जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 335(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2007, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 1899(अ) जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1900(अ) जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबागल-कोलार-बंगलौर बार्डर) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1929(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबागल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 415(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 528(अ) जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 [इटावा से सिकन्दराबाद (कानपुर-देहात)] के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (तीन से पांच और आठ से दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8520/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8521/2008]

(2) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2008, जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8522/2008]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 428(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसके द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8523/2008]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8524/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8525/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8526/2008]

(3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या आईजी/प्रशा. (जी)/रजिस्ट्रार/2003/753 जो 7 अप्रैल, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 5(7) के उपखंड (ख) और (घ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या आईजी/प्रशा. (जी)/एसटी10क/2003/950 जो 22 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 10क के खंड (1) (12) में कतिपय संशोधन परिवर्धन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8527/2008]

(4) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8528/2008]

अपराह्न 12.01¼ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

37वां से 40वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 37वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 38वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 39वां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

55वां से 59वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(5) डाक विभाग में भू-संपदा प्रबंधन के बारे में समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 15-डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.02 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

20वां और 21वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 20वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 21वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 16—श्री अनन्त कुमार—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.02½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

67वां से 71वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 67वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 68वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 69वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 70वां प्रतिवेदन;

(5) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-2009 के लिये रेल मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

31वां और 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति का 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

25वां और 26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

31वां से 34वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलंदशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

31वां से 33वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 31वां प्रतिवेदन;

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 32वां प्रतिवेदन;

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

85वां और 86वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 85वां प्रतिवेदन; और

(2) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

130वां से 133वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला (तरनतारन): मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 130वां प्रतिवेदन;

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 131वां प्रतिवेदन;

(3) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 132वां प्रतिवेदन; और

(4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 133वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों स्थायी समितियों ने जिस प्रकार से शानदार कार्य किया है तथा समय पर प्रतिवेदन सौंपे उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं एवं उनकी प्रशंसा करता हूं। कृपया मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं प्रशंसा स्वीकार करें। मेरे विचार से हमारी संसद इसी प्रकार से कार्य करती है। हम इस प्रकार से कार्य करते हैं यह हमारी संसद के लिए शान की बात है। मेरा मानना है कि सभी समितियों के प्रतिवेदनों पर एक राय है। मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 47वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुए घाटे के बारे में दिनांक 04.12.2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुई हानि" के संबंध में दिनांक 4.12.2007 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2610 के भाग (ख) के उत्तर के अनुलग्नक में निम्नानुसार अशुद्धिशोधन करने की प्रार्थना करता हूं:

प्रश्न का भाग	जिनके संबंध में अशुद्धिशोधन किया जाना है क्र.सं.	पढ़ा जाए
भाग (ख)	1. एबीसीएल	विलोपित
	15. बिसावा क्रिएशन	विलोपित
	50. मार्डन	विलोपित
	56. नीडवाइज एडव. प्रा.लि. (एएमडी)	विलोपित
	100. वेव्ज कम्यूनिकेशंस (एएमडी)	विलोपित

असुविधा के लिए खेद है।

उपरोल्लिखित प्रश्न के उत्तर में त्रुटि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दिनांक 18.12.2007 को पायी गयी थी। इसलिए, अनुलग्नक के उत्तर में किए गए अशुद्धिशोधन को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि संसद का सत्रावसान निर्धारित समय से पहले हो गया था।

अब लोक सभा में संसद के बजट सत्र में किसी भी सुविधाजनक दिन एक वक्तव्य दिया जाएगा।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8529/08

अपराह्न 12.08 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 22वें और 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशों (पांचवां संस्करण) के निर्देश 73क के अनुसरण में मैं सदन के पटल पर रखे जा रहे विवरण में इंगित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 22वें और 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया अब मुझे बोलने दें। मैं जानता हूं कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं। परंतु आज हमारे पास एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर संसद का हर वर्ग चर्चा करना चाहता है।

इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इसे प्रारंभ कर सकता हूं- इस पर सहमति हुई है कि अपराह्न 12.30 बजे से हम इसे आरंभ कर सकते हैं। अब मैं एक या दो मामलों को उठाने की अनुमति दूंगा। मैं अन्य मामलों के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। मैं कल माननीय सदस्यों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं निश्चित ही उन्हें आधे घंटे की अनुमति दूंगा। यदि कोई व्यक्ति नियमित कार्यवाही के दिन के अंत तक प्रतीक्षा करना चाहता है, तो यह ठीक है। अन्यथा कल मैं उन्हें अवसर देने का भरसक प्रयत्न करूंगा। कृपया सहयोग करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदयः यह तथ्य कि आपने वाद-विवाद में भाग लेने पर सहमति जताई है, दर्शाता है कि आप इसके विरुद्ध नहीं हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः परंतु यह एक मात्र प्रस्ताव है जिसके माध्यम से हम सरकार की निंदा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक है। आप यह कर सकते हैं। अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री त्रिपाठी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि मैं इस मुद्दे के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। मुझे इसके बारे में पता है। मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर संरचनात्मक बहस होनी चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या भविष्य है?

अध्यक्ष महोदयः यह तथ्य कि इसे अब तक अनुमति नहीं दी गई यह दर्शाता है कि इसे अनुमति नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी की टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। श्री यादव जी, कृपया संक्षेप में बोले।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैं भी यह कह रहा हूं कि श्री यादव जी जो मामला उठा रहे हैं, यदि मुझे नोटिस प्राप्त होता है, यदि मुझे नियमों के तहत उचित नोटिस प्राप्त होता है, तो मैं नियमों के तहत इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा। आपके निवेदन पर अनुमति दी जानी चाहिए थी परन्तु दुर्भाग्यवश अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होता है। अब, मैं आज आपके सर्वश्रेष्ठ भाषण सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8530/08

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.13 बजे

उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण के दायरे से ''क्रीमी लेयर'' को बाहर रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के राष्ट्रीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं आई.आई.टी. और आई.आई.एम. में, मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय पर सैद्धांतिक रूप से मुहर लग गई है और इस निर्णय से सामाजिक न्याय की जीत हुई है। दूसरी तरफ क्रीमी लेयर को बाहर रख देने से ओबीसी की 52 फीसदी आबादी जो इस देश में है, उनके बच्चे बच्ची एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जो मैट्रिक या इंटर ही पास नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण क्रीमी लेयर के बाहर करने से हो गया। मतलब यह है कि एक तरह से आयरन फिल्टर गेट लग गया इस रिजर्वेशन से। यह जाब रिजर्वेशन नहीं है, यह केवल दाखिले में रिजर्वेशन इन अपार्चुनिटी है। संविधान के आर्टिकल 16(4) और 15(4) में जो प्रावधान है, दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह पास हुआ था। यहां आपकी अध्यक्षता में इसी सदन में पारित हुआ था और दूसरे सदन में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ था। आर्टिकल 15(5) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो 52 फीसदी देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट जरूर सुप्रीम है लेकिन समाजशास्त्र की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से होने लगी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, नौकरी में जिनका आरक्षण 1992 में हुआ आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में, उनका 5.7 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है। अभी तक 27 फीसदी कोटा पूरा नहीं हुआ। यदि इन बच्चों का कोटा ही पूरा नहीं होगा तो यह कोटा सामान्य कोटा में डाल दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से स्टेटस देने की बात है, हिस्सेदारी देने की बात है। बराबरी का अवसर देने की बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जब आरक्षण का प्रावधान 1992 में हुआ था, तो कहा गया था कि शैक्षणिक शिक्षा में आरक्षण करो, नौकरी में क्यों करते हो? और जब शिक्षा में किया गया तो यहां भी आयरन फिल्टर गेट एक क्रीमिलेयर लगा दिया गया। इकोनोमिक क्राइटेरिया कहीं संविधान में नहीं है। *...(व्यवधान)* जो आर्टीकल 15(4) है, इसमें कहीं इकोनोमिक क्राइटेरिया नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो ढाई लाख रुपए का इकोनोमिक क्राइटेरिया रखा गया है, यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी नहीं है। ए, बी, सी और डी केटेगिरी, छठे वेतन आयोग के बाद जो सिफारिश आएगी तो डी केटेगिरी के बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा, तो किस का एडमिशन होगा, जो ए, बी, सी और क, ख एवं ग नहीं पढ़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना मुद्दा रख दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से इतना ही आग्रह है कि ये रिव्यू पेटीशन केन्द्र सरकार न्यायालय के सामने डाले। *...(व्यवधान)* नहीं तो जेपीसी बने। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आप रिव्यू पेटीशन डालिए, आन द बेसिस आफ द इंडियन कांस्टीट्यूशन, *...(व्यवधान)* या केन्द्रीय लॉ लाइए, इसे लागू करने के लिए सुनिश्चित करिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना मामला भली-भांति रख दिया है। कृपया सहयोग करें। मैंने उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने इस मामले को उठाने के लिए नोटिस दिए हैं, उनसे केवल संक्षिप्त भाषण देने का अनुरोध किया है। मैं इस मामले पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति दूंगा। मुझे विश्वास है कि सभी दल सहमत हैं कि अपराह्न 12.30 बजे तक एक या दो मामलों को उठाया जा सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया, आप बैठ जाइए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, संसद द्वारा 93वें संविधान संशोधन पर आंशिक रूप से उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाई है और सरकार की अपेक्षा के उल्टे क्रीमिलेयर को जो 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण था, उसे बाहर रखा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि हर पांच साल बाद इस आरक्षण की समीक्षा होगी तथा मलाईदार तथ्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जाएगा। क्रीमिलेयर का निदान केन्द्र सरकार की 8 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना के अनुसार होगा।

अध्यक्ष महोदय, 8 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना के मुताबिक एक लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को क्रीमिलेयर में माना जाएगा। 11 साल बाद इसकी समीक्षा आई और सन् 2004 में इसमें संशोधन करते हुए कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिवर्ष ढाई लाख रुपए या इससे ज्यादा आय वाले को क्रीमिलेयर में माना जाएगा।

एक अदना सा सरकारी कर्मचारी प्रोफेशनल मलाईदार कैसे हो सकता है? हमारे देश में जो जमीन की हद का कानून है, इसमें 85 फीसदी किसान हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, आपने मुद्दा उठाया है, सरकार ने आपकी बात को सुना है। इस पर पूरी चर्चा होगी।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये 85 फीसदी वे किसान हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये भी क्रीमिलेयर की सीमा में होंगे।

अर्जुन सिंह जी को बहुत जल्दी है, उनका कहना है कि इसी सत्र में वे इस आरक्षण को लागू करेंगे। उनका उच्चतम न्यायालय से कहने का कोई इरादा नहीं है। महोदय, संशोधन करना या कानून बनाना संसद का अधिकार है। यह जो आधा-अधूरा आरक्षण इस सत्र में लागू किया जा रहा है, यह सही मायनों में पिछड़ों के साथ नाइंसाफी है। सरकार को इस बात पर पहल करनी चाहिए और इसमें जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसका निवारण करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूं तथा अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहता हूं तथा कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि आपने कोई नोटिस नहीं दिए हैं। वे सभी माननीय सदस्य जो अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहते हैं, पर्चियां सभा पटल पर भेज सकते हैं।

इस मामले के साथ सम्बद्ध कर उनके नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिए जायेंगे। इस मामले पर पूर्ण वाद-विवाद होगा और आप इसके लिए नोटिस दे सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास: महोदय आपने बीएसी की बैठक में कहा था कि केवल मुद्रास्फीति पर चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: इसका मतलब यह नहीं है कि आप नोटिस नहीं देंगे और यहां खड़े हो जायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन माननीय सदस्यों के नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कीजिये जो अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करना चाहते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, लम्बे समय से लंबित न्यायिक निर्णय की घोषणा ने कोटा प्रणाली के भविष्य पर अनिश्चितता की वेदना को समाप्त कर दिया है। इसने समाज के कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की संकल्पना को वैध ठहराया है। यह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु बेहतर अवसरों के द्वार खोल देगा। परंतु दुर्भाग्यवश, सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय तिरानवें संशोधन जिसके माध्यम से सरकार शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु सक्षम हुई के अंगीकरण के फलस्वरूप उठाए गए विवादपूर्ण प्रश्नों पर अंतिम निर्णय नहीं है।

न्यायालय ने 2.5 लाख रुपये या इससे अधिक की सालाना आय वाले क्रिमी लेयर व आर्थिक रूप से सुदृढ़ अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्वामित्व वाले संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा को लागू नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण शाश्वत नहीं होगा तथा इस नीति की प्रत्येक पांच वर्षों में समीक्षा की जाएगी, जिसका यह अभिप्राय है कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो क्रिमी लेयर में आ गए है उन्हें परिणामस्वरूप हटा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, यह निर्णय है। आप सभी जानते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: यह मुद्दे हैं जिन्होंने समाज को आन्दोलित कर रखा है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्रिमी लेयर के लिए मानदण्ड निर्धारण नया नहीं है। मैं यह कहूंगा कि क्रिमी लेयर के मानदण्ड की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह पहली बार नहीं है कि क्रिमी लेयर को परिभाषित किया जा रहा है। यह पहले ही मौजूद है। इसे पहली बार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिभाषित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आपने मामले की चर्चा कर दी है। मैं नोटिसों के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि मैं वाद-विवाद की अनुमति दे सकूं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने 8 सितंबर, 1993 को इसकी परिभाषा दी। उस समय क्रीमीलेयर के लिए आय की सीमा 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा थी। बाद में एनबीसीसी ने सूची के संबंध में निर्णय लिया। इसे 9 मार्च, 2003 को संशोधित किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं क्षमा करेंगे। यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि वर्ष 2003 में यह निर्णय लिया गया था कि वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये होगी तथा अब उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसे 2.5 लाख रुपये निर्धारित किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रामगोपाल यादव, कृपया।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद का समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यहां मामला यह है कि उच्चतम न्यायालय ने पांच वर्ष बाद भी आय की सीमा में वृद्धि नहीं की है। जब न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पांच वर्ष के अन्दर इसकी पुनरीक्षा होगी। मैं केवल सरकार से न्यायालय में जाने का अनुरोध करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव-उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं इस वर्ष की बजाय प्रत्येक पांच वर्ष में क्रीमीलेयर निर्धारित करने संबंधी मानदंडों में संशोधन की मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इस मामले पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इस तरह की किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप निवेदन नहीं करें। मैंने आपको निवेदन करने के लिए नहीं कहा। मैंने श्री गणेश सिंह को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं करें।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं सम्पूर्ण वाद-विवाद की अनुमति दूंगा। लेकिन इस तरह से अनुमति नहीं दूंगा। आपका नाम संबद्ध लोगों के रूप में रिकार्ड किया गया है। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। श्री कुप्पुस्वामी, श्री कृष्णास्वामी, प्रो. रामदास, श्री ए. रविचन्द्रन, श्री सी. कृष्णन, श्री संतोष गंगवार, श्री कीरेन रिजीजू, श्री रामदास आठवले, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, डा. के. धनराजू तथा श्री गणेश सिंह के नाम प्रमुख रूप से संबद्ध लोगों के रूप में रिकार्ड किए जाते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर नहीं हैं। मैंने आपको बुलाया है। वहां से बोलने के लिए पीठाध्यक्ष की अनुमति लें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो मामलों पर नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हां, मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति के संबंध में।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के दो-तिहाई जिलों में भयंकर अकाल, भुखमरी और पेयजल के अभाव के कारण आदमियों और जानवरों का पलायन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के 38 जिलों और 163 तहसीलों में भयंकर सूखा और पेयजल संकट है। आदमी एवं पालतू जानवर दोनों बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। सबसे बुरा हाल गरीबों का है, एक तरफ महंगाई ने उनका आटा गीला कर रखा है। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न में भी कटौती कर दी है। केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी वहां की भयावह स्थिति को देखा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से केन्द्र सरकार ने अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं जब लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्या तब उनकी मदद की जाएगी? राज्य सरकार ने अपने सीमित साधनों से भूख और पानी के कारण हो रहे पलायन को रोकने के लिए, पानी का परिवहन तथा भूख से लोगों को बचाने के लिए 3 रुपये प्रति किलो में गेहूं तथा साढ़े चार रुपये प्रति किलो में चावल उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है। जिन जिलों में अकाल तथा भीषण पेयजल संकट है, वहां की लगभग 50 से 60 फीसदी आबादी गरीबी रेखा में शामिल है। मैं केन्द्र से तत्काल सहायता की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की तीन महत्वपूर्ण वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया गया है। इनमें से एक 100 वर्ष पहले स्थापित की गई थी, दूसरी इकाई 80 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी तथा तीसरी 60 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। ये वैक्सीन विनिर्माण इकाइयां चेन्नई, कन्नूर तथा मुंबई में स्थित हैं।

महोदय, उन्हें अस्पतालों को वैक्सीन की आपूर्ति करने से मना किया गया है। इस तीन प्रमुख वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किए जाने के कारण प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर भी काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत हैं। महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि कतिपय नई वैक्सीन विनिर्माण इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित हुई हैं। वे काफी ऊंचे मूल्य पर वैक्सीन बेच रहे हैं। गरीब लोग सरकार की वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के बंद होने के कारण परेशान हो रहे हैं। केन्द्रीय औषध नियंत्रक के निदेशक ने इन तीन वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों को बंद करने के लिए एक आदेश जारी किया है। महोदय, मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय औषध नियंत्रक के तत्कालीन निदेशक द्वारा जारी किया गया वह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, इन तीनों इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण किया जाए, तथा उन्हें प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वैक्सीन आपूर्ति करने के लिए कहा जाये। महोदय, इस देश के गरीब लोगों के हित में इन इकाइयों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उन सदस्यों द्वारा जिन्होंने अपनी नोटिस दी है, विशेष उल्लेख करने का समय है। हमने निर्णय किया है कि पांच मामलों तक की अनुमति दी जाएगी। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विद्यमान है जिस पर हम तत्काल चर्चा आरंभ करेंगे तथा मैं आपसे विनम्र सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं सरकार से आश्वासन की मांग करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब यह नहीं किया जा सकता है। श्री आचार्य, आप यहां 30 वर्ष से हैं तथा आप यह जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं सरकार से एक आश्वासन की मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना उत्तर नहीं देगा। मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं अपने आप को उनसे संबद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संबद्ध करने का समय समाप्त हो चुका है। केवल श्री गिरधारी लाल भार्गव की टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शीतलहर से काफी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हुई है, गिरदावरी अभी पूरी नहीं हुई है, इस बीच राजस्थान में ओलावृष्टि और भयंकर बारिश से लोगों की फसल खराब हो गई है। इससे राजस्थान के किसान बहुत दुखी हैं। प्रार्थना है कि गिरदावरी अभी पूरी नहीं हुई है, जिनको शीतलहर से नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई की जानी जरूरी है। ओलावृष्टि और वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भारत सरकार कानून में एमेंडमेंट करे। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार कैलेमिटी रिलीफ फंड और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अमेंडमेंट करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा भ्रमित न हों।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: एमेंडमेंट करके राजस्थान के किसानों की भरपाई की जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस मामले से संबद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा भ्रमित न हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: महोदय, श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण विशेष से मैं अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपका नाम सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

अब यदि आप उपस्थित हों तो अन्य मामलों को आज सभा की समाप्ति के समय पर उठाया जाएगा अन्यथा मैं कल यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करूंगा।

अपराह्न 12.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में जो छोटे-छोटे शहर हैं वहां पर शहरी विकास की योजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं जिसके कारण कई शहरों में गंदगी का माहौल है और सीवरों के अभाव में गंदगी काफी फैली हुई है। शहरों में जो गरीब आबादी है उनके लिए आवास की बहुत कमी है, गर्मियों के दिनों में इन शहरों में लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता है और महिलाओं को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है। शहरों की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। यहां पर जो नगर निगम कार्यरत है, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में नगर निगमों को शहरी सुविधाएं दिलाये जाने हेतु केन्द्र स्तर पर एक वित्तीय सहायता पैकेज उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर गहनता से विचार किया जाये।

(दो) झारखंड के गोड्डा और देवघर जिलों में बाढ़-प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): झारखण्ड राज्य के अंतर्गत एवं देवधर जिलों में लगातार दो वर्षों से अति वृष्टि एवं बाढ़ से 18600 गरीबों के मकान बह जाने से लोग बेघर हो गये है।

झारखण्ड सरकार ने भी विशेष रूप से इन दोनों जिलों में लोगों के मकान निर्माण एवं क्षतिपूर्ति के लिए एक सौ करोड़ की मांग भारत सरकार से की है। यह विशेष राशि केन्द्र सरकार से नहीं पहुंच पाने से गरीबों के मकान निर्माण नहीं होने से लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं भयावह है।

अत: केन्द्र सरकार शीघ्र इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले।

(तीन) उत्तराखंड में एल पी जी और मिट्टी के तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड में कुकिंग गैस एवं केरोसिन के कोटे में और अधिक बढ़ोतरी करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उत्तराखंड एक वन एवं पहाड़ी बहुल वाला भू-भाग है। पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कुकिंग गैस एवं केरोसिन की किल्लत को दूर करने के लिए, इनके कोटे में और अधिक बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। क्षेत्र में ईंधन के लिए आसानी से अन्य विकल्प उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश के लोगों को वनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज ईंधन के लिए वनों से पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग को समाप्त करने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वन बहुल दूर-दराज वाले क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए केरोसिन के मूल्य में और अधिक कमी के साथ प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी कराना होगा। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों जहां गैस की आपूर्ति में कठिनाई है उस क्षेत्र में अतिरिक्त केरोसिन का कोटा सुलभ कराना भी आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में कुकिंग गैस और केरोसिन के कोटे में प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी करने के साथ इनके मूल्यों में और अधिक छूट दी जाए।

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से होकर जाने वाली तथा अलवर, राजस्थान को रेवाड़ी, हरियाणा से जोड़ने वाली सड़कों की उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कसौला-चौक (गढ़ी बोलनी चौक) से गढ़ी बोलनी (हरियाणा), कोटकासिम-बीबीरानी होते हुए किशनगढ़ (अलवर) को जाने वाली सड़क पर बहुत अधिक यातायात है। हरियाणा के रिवाड़ी कस्बे को राजस्थान के अलवर शहर से जोड़ने वाली यह सड़क अत्यंत खराब स्थिति में है। मैं सड़क परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस महत्वपूर्ण सड़क को राजस्थान में चौड़ा करने व नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से बजट आबंटित करे।

(पांच) गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा में कृषि उपज विपणन समिति को आय कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना जिले में ऊंझा में मसालों की एक अंतर्राष्ट्रीय मार्किट है जहां से पूरी दुनिया में धनिया, जीरा, कडियारी, राई एवं दिवालिया इत्यादि का निर्यात किया जाता है। इस कार्य के लिए किसानों की एक कोआपरेटिव सोसायटी ए.पी.एम.सी. कार्यरत है,

[श्री जीवाभाई ए. पटेल]

जो किसानों को मसालों के उत्पादन एवं उनके निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसानों को ऋण, मसाले संबंधी अनुसंधान में समय-समय पर सहायता करती है और जिसका उद्देश्य नो लास एवं नो प्रोफिट का होता है, परन्तु केन्द्र सरकार ए.पी.एम.सी. पर आयकर लगाती है जो किसानों के साथ अन्याय है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ए.पी.एम.सी. पर जो आयकर लगाया जाता है उसे तत्काल हटाया जाये।

(छह) राजस्थान में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि का हिस्सा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगौरा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक जल प्रदाय योजनायें भूजल पर आधारित हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन व अल्पवर्षा के कारण राज्य में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। इस कारण वर्तमान में 237 ब्लाक्स में से मात्र 30 ब्लाक्स ही भूजल दोहन हेतु उपयुक्त बचे हैं। भूजल की गुणवत्ता भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2003 में किये गये हेबीटेशन सर्वे के परिणामों से पता लगा कि राज्य में 34,183 आबादियां जल गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त हैं।

जल प्रदाय के दूरगामी हल के लिए भूजल स्रोत विश्वसनीय नहीं हैं। सभी उपलब्ध विकल्पों को दृष्टिगत करते हुए व भूजल भंडारण के परिवर्तन की गतिविधि संबंधी अध्ययनों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि पेयजल योजनाओं हेतु अधरातलीय स्रोत ही विश्वसनीय व स्थिर है। राज्य में निरंतर आपूर्ति वाले धरातलीय जल स्रोत भी गिने चुने ही हैं तथा चम्बल व इसकी सहायक नदियां, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली व नर्मदा नहर इत्यादि, जिन्हें जलप्रदाय योजनाओं हेतु विश्वसनीय माना जा सकता है। इस परिमितता के कारण गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की जल समस्या के हल के लिए दूरी पर स्थित धरातलीय जल स्रोत से ग्रामों व नगरों के समूह को लाभान्वित करने वाली वृहद परियोजनाएं ही एकमात्र विकल्प बचती हैं। इस तरह की वृहद योजनाएं लंबी पाईप लाईन वितरण तंत्र के कारण अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली होती है। राजीव गांधी पेयजल आपूर्ति मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रभावित आबादियों की पेयजल योजनाओं हेतु वित्त पोषण किया जाता है। ऐसी योजनाओं हेतु वित्त पोषण क्रमशः 75 प्रतिशत 25 प्रतिशत भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य में गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त ग्रामों की संख्या विश्वसनीय जल स्रोत के अभाव के कारण पेयजल योजनाओं की अपेक्षाकृत अधिक लागत व राज्य मद में उपलब्ध सीमित धनराशि को देखते हुए राज्य में गुणवत्ता की समस्या के हल के लिए भारत सरकार की हिस्सा राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

राजस्थान राज्य की पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की भीषण समस्या को दृष्टिगत करते हुए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (क्वालिटी) के तहत योजनाओं का वित्त पोषण शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं केन्द्रीय हिस्से की प्रथम किश्त 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

(सात) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर-मंडला को मध्य प्रदेश के जबलपुर से जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है और दो करोड़ की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 80-90 लाख है। बिलासपुर मंडला और जबलपुर से रेलवे लाईन का सर्वे वर्ष 1971 में शुरू हुआ था और इतने वर्षों के बाद, अभी सर्वे का काम पूरा हुआ है। उसे प्लानिंग कमीशन के पास भेजा जाये क्योंकि लगभग 125 किलोमीटर नई रेलवे लाईन बिछाने से लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। लोगों का जीविकोपार्जन होगा। वहां पर कोयला, बाक्साइट और डोलामाइट इत्यादि की खनिज सम्पदा है उससे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग को आमदनी होगी, इस कारण मैं मांग करना चाहता हूं कि बिलासपुर मंडला जबलपुर में नई रेलवे लाईन को अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाए।

(आठ) नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता क्योंझर गढ़ चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के लिए नई दिल्ली से केवल सप्ताह में पांच दिन ही राजधानी एक्सप्रैस चलती है। गाड़ी संख्या 2421-2422 खड़गपुर-आद्रा मार्ग से और गाड़ी संख्या 2443-2444 खड़गपुर और टाटानगर मार्ग से होकर गुजरती है। ये दोनों राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियां अलग-अलग दिन गया पहुंचती हैं और वहां से दिल्ली जाती हैं। शेष दो दिनों में नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं है।

बांसपानी-दैतारी लाइन पूरी होने के कारण अब बांसपानी और दैतारी होते हुए टाटानगर और जाजपुर रोड से सीधा रेल मार्ग है।

यह लाइन सिंहभूम और क्योंझर जिले जहां पर बड़े पैमाने पर इस्पात संयंत्रों/स्पंज लौह संयंत्रों और अन्य खनन उद्योगों के प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, के प्रमुख हिस्सों से होकर निकलती है। इन दो जिलों के लोग भी कुछ व्यवसायों या अन्य किसी कारण से नई दिल्ली की यात्रा करते रहते हैं। अतएव राजधानी एक्सप्रैस को इन जिलों से जोड़ने का औचित्य है। यदि राजधानी एक्सप्रैस टाटानगर से क्योंझर के लिए मुड़ जाती है और जाजपुर-क्योंझर रोड पर जाकर मिलती है और वहां से भुवनेश्वर जाए तो उड़ीसा और झारखण्ड के दो पिछड़े जिलों से नई दिल्ली के लिए सीधे रेलगाड़ी मिलेगी। उससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे और यदि मालढुलाई की जाएगी तो रेलवे को उससे काफी राजस्व भी प्राप्त होगा।

अतएव मैं मांग करता हूं कि बिना किसी देरी के शेष दो दिनों के लिए भी क्योंझर गढ़ होते हुए राजधानी एक्सप्रैस से भुवनेश्वर और नई दिल्ली को जोड़ा जाए।

(नौ) "सर्वशिक्षा अभियान" के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का अंश बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): भारत सरकार ने पहले से ही नए विद्यालयों की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा हेतु पहुंच दर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने उस अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है जिसमें 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है और उसे प्राथमिक शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान के उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी जिसमें होने वाले कुल व्यय में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में से क्रमश: 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दर से धनराशि मुहैया कराई गई है। पिछले वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा के लिए यही अनुपात था परंतु अज्ञात कारणों से हाल ही में यह धनराशि परिवर्तित होकर 65 प्रतिशत और 35 प्रतिशत हो गई है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 75 प्रतिशत था उससे अधिक कर दी जाए।

(दस) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच बरास्ता वाराणसी उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): बड़ी संख्या में विदेशी और देशी यात्रियों ने उड़ीसा के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की है। धार्मिक महत्व के भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और धापुई, रत्नागिरी, उदयगिरी लैनगिरी और बौद्ध स्थल लांगुडी भी इसी राज्य में स्थित हैं। वाराणसी और बौद्ध स्थल गया की यात्रा करने वाले यात्री और तीर्थयात्री वायुमार्ग से भुवनेश्वर भी जाते हैं, परंतु उन्हें काफी असुविधा होती है क्योंकि वाराणसी और भुवनेश्वर के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। यदि सुबह के समय वाराणसी होते हुए दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए कोई सीधी उड़ान प्रारंभ कर दी जाए तो वे सुविधाजनक रूप से भुवनेश्वर जा सकते हैं। और यदि यही उड़ान शाम को भी हो तो वे भुवनेश्वर से वापिस दिल्ली भी जा सकते हैं। यह उड़ान दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चल रही इस समय उपलब्ध सीधी उड़ान के अतिरिक्त होनी चाहिए।

अत: मेरी मांग यह है कि बिना किसी देरी के पर्यटन महत्व के इन स्थानों तक पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए वाराणसी होते हुए दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच अतिरिक्त उड़ान प्रारंभ की जाए।

(ग्यारह) तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित मेलूर तालुक में एक केन्द्रीय पालिटेकनीक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): शिक्षा समवर्ती सूची में है और यह केन्द्र सरकार का भी दायित्व है कि देश के विभिन्न भागों में विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में संस्थान स्थापित करें जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधा के बिना रह रहे हैं। उदाहरणस्वरूप तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलुर तालुक में कोट्टमपट्टी पंचायत संघ एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर उच्च शिक्षा के लिए न तो कोई महाविद्यालय है और न ही तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कोई संस्थान है हालांकि यहां पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बारह हाईस्कूल हैं जहां से प्रति वर्ष तकरीबन 1200 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। चूंकि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के इन बच्चों को पालिटेक्निक संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अभाव में तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं मिल पाता अतएव 90 प्रतिशत छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और उन्हें दैनिक मजदूरी करने के लिए कामगार के रूप में अन्य स्थानों को जाना पड़ता है। इस पिछड़े क्षेत्र के युवाओं की आवश्यकता और मदुरै जिले के मेलूर तालुक में कोट्टमपट्टी पंचायत संघ में पल्लापट्टी गांव में सर्वेक्षण सं. 1/1, सायम्बकोन पट्टी में तकरीबन 356 एकड़ कृषि रहित खाली पड़ी सरकारी भूमि जो कि उर्वरक पहाड़ी पृष्ठाधार वाली है और पर्याप्त जल संसाधनों से भरपूर है, के मद्देनजर यहां पर एक उच्चतर तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाने पर विचार किया जा सकता है। अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि समाज के दलित वर्गों के बच्चों के हित के लिए वहां पर एक केन्द्रीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जाए।

(बारह) केरल में जिन किसानों की फसलें भारी वर्षा के कारण बर्बाद हो गई हैं, उन्हें राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): हाल ही में केरल में गर्मी के मौसम में हुई भारी वर्षा के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर धान और अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। इस अप्रत्याशित आपदा के कारण 1091.95 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। केवल धान की क्षति से ही 161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अलपुज्जा जिले में, कुट्टानाड जोकि केरल में चावल का मुख्य केंद्र है, को 62 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। धान के अतिरिक्त इस बेमौसमी वर्षा से नकदी फसलों सहित अन्य सभी फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। इसके परिणामस्वरूप कृषि मजदूरों के कुल कार्य दिवसों में कमी आई जिसके चलते, उन्हें 14,05,285 कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। केरल में पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। केरल ने अपने राज्य के किसानों को राहत पैकेज देने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है।

मैं सरकार से पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने तथा जारी करने का अनुरोध करती हूं।

(तेरह) बुंदेलखंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों में बुंदेलखंडीय भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र चम्बल, यमुना, बेतवा, धसान, केन पांच नदियों से घिरा हुआ है। देश की आजादी में झांसी की रानी एवं पंडित परमानन्द, दीवान शत्रुघ्न सिंह, स्वामी ब्रह्मानन्द एवं हजारों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के कोने-कोने में इस भाषा को जानने वाले लोग रहते हैं। यह भाषा ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। जिस कारण यह भाषा देश के सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र एवं वीर योद्धा आल्हा-उदल के चर्चित आल्हा काव्य में इसकी बखूबी वर्णन है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि-

बुन्देले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
आल्हा-उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गयी तलवार, आदि आदि।
एक के मारे दो मर जावें, तीसरा देख देख मर जाए।

बुंदेलखंडी फड़ साहित्य विषय में स्वर्गीय डा. गनेशीलाल बुधौलिया ने शोध भी किया है जिसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, डा. वृंदावन लाल वर्मा की बुंदेलखंडी भाषा में अनेकों किताबें प्रसिद्धि प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ-बुंदेलखंड का आल्हा काव्य आज भी भारत में कोने-कोने में गाया जाता है। बुंदेलखंड की वीरभूमि में आल्हा, उदल जैसे लोगों ने जन्म लिया है। यह भाषा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में प्रसिद्ध है।

अत: सदन के माध्यम से अनुरोध है कि बुंदेलखंडी भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। इस संबंध में मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध कर चुकी हूं। मेरी जानकारी में आया है कि सरकार प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलना चाहती है। इस संबंध में मुझे जिला प्रशासन ने बताया है कि वह इस कार्य के लिए समुचित स्थान पर भूमि दिये जाने के लिए तैयार है परन्तु केन्द्र स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निशाद (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जनपद-फतेहपुर उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में देश के कोने-कोने में भारत सरकार के अधीन लोक उपक्रम सहित सेना में कार्यरत हैं, लेकिन उनके परिवार जनपद में ही रह रहे हैं और उनके बच्चों के लिए आज की आधुनिक शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय विद्यालय जनपद फतेहपुर में नहीं है, जिसके कारण बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही है।

अत: मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र जनपद में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु ठोस कार्यवाही करें।

(सोलह) महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र में 19 मई, 2007 को कई शुगर मिलों के लाइलेंस रद्द कर दिये गये हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है। महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन को देखते हुए शुगर मिलों का होना और उनका काम करना अति आवश्यक है। इन शुगर मिलों के न होने से गन्ने की क्रशिंग नहीं हो पाई और लोगों को गन्ना जलाना पड़ा एवं सरकार को 25 हजार रुपये का हर्जाना प्रति हैक्टेयर के हिसाब से देना पड़ा है। महाराष्ट्र के विकास में और यहां के किसानों को आगे बढ़ाने में शुगर मिलों ने अहम् भूमिका निभाई है। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इन मिलों को जल्द खोले जाने के लिए लाइसेंस दिया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में जो भी प्रक्रिया है, उसको तत्काल किसान और शुगर मिलों के हित में जल्द लागू किया जाये जिससे ये शुगर मिलें खुल सकें।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में गन्ने की क्रशिंग को चालू करने के लिए शुगर मिलों को जल्द से जल्द लाईसेंस दिये जायें।

(सत्रह) पशुओं के विरुद्ध क्रूरता को रोकने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परंपरागत बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोहन जेना (जाजपुर): बैलगाड़ी को आज भी यातायात के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कृषि उपज, पालतू मवेशियों के लिए चारा लाने, जलाने के लिए लकड़ियां लाने तथा लोगों को इधर से उधर लाने-ले जाने इत्यादि के लिए, निर्भर हैं। बहुत समय पूर्व से बैलगाड़ी ग्रामीण भारत की पहचान है और स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। बैलगाड़ी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह वहां जा सकती है जहां कोई सड़क नहीं है। परन्तु कच्ची और असमतल ग्रामीण सड़कें जोकि वर्षा के बाद और खराब हो जाती है, में उपयोग की जानी वाली बैलगाड़ी के बैलों को बेरहमी से पीटा जाता है और उनसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। इन बैलगाड़ियों के पहियों में गोलियां या बैरिंग नहीं लगाए जाते और इनमें रबड़ के टायर भी नहीं लगाए जाते जिससे बैलगाड़ी में जुते हुए बैल की तकलीफ को कम किया जा सके। इसलिए मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अविलम्ब इन परम्परागत बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाने को प्राथमिकता देने और इन आधुनिक बैलगाड़ियों की कीमत को 10,000 रुपए से अधिक न होने देना सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण कारीगरों को इन आधुनिक बैलगाड़ियों की मरम्मत का प्रशिक्षण देने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिले से गुजरती इच्छामती नदी की गाद निकालने तथा उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): इच्छामति नदी बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषत: पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के दो उप मंडलों से होकर बहती है और इस नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई जनसंख्या के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्राय: समुचित रखरखाव न होने और इस नदी की गहराई कम होते जाने के कारण ये नदी यहां के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गई है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं।

इसलिए यह समय की जरूरत है कि इस नदी की गहराई में वृद्धि किए जाने के साथ-साथ तत्काल पुनरुद्धार कार्य शुरू किए जाए। हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कुछ काम करना शुरू किया है लेकिन यह बहुत कम है और वह पूरा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के मद्देनजर मैं सरकार से इस नदी को बचाने के साथ-साथ लाखों लोगों को जान-माल की हानि से बचाने के लिए तत्काल सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाए ताकि इच्छामती नदी के पुनरुद्धार का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जा सके।

(उन्नीस) पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अवसंरचना विकास के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना एक शिक्षण अनुसंधान और सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में 1985 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र तीन संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तक है। इस विश्वविद्यालय द्वारा अपने 9 विद्यालयों, 31 विभागों, 4 केन्द्रों

[प्रो. एम. रामदास]

तथा 2 पीठों के माध्यम से 45 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 51 एम. फिल और पी.एच.डी. कार्यक्रम, 3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस विश्वविद्यालय में कुल 2,100 छात्र पढ़ते हैं। भारत में यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें रुचि आधारित क्रेडिट पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती थी। इस समय 74 सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से कुल 203 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके अतिरिक्त समुदाय महाविद्यालय के माध्यम से 16 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यद्यपि इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस पिछड़े क्षेत्र में इसे एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी लेकिन इसे पर्याप्त धनराशि नहीं मिली। और तो और विश्वविद्यालय अभी तक कक्षा के कमरों और प्रयोगशालाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि जैसे सांविधिक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मूलभूत मानदंडों को भी पूरा नहीं कर पाया है। जब हम इसकी तुलना दक्षिण में स्थित असम्बद्ध हैदराबाद विश्वविद्यालय से करते हैं तो हम देखते हैं कि हालांकि पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय है लेकिन यह कई क्षेत्र में हैदराबाद विश्वविद्यालय से पीछे है और इसे विकास के लिए कम अनुदान मिलता है जिससे इसका विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तत्काल अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है (एक) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह न्यूनतम मूलभूत अवसंरचना प्रदान करने के लिए अपनी मूल आवश्यकता को पूरा करना तथा (दो) इस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र में 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में स्थापित करने के लिए वृद्धि और विकास करना। इस विश्वविद्यालय की अवसंरचना विकास की अनुमानित लागत 195 करोड़ रुपए है और केन्द्र सरकार द्वारा भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के आलोक में इसे शीघ्र मंजूरी दी जाए।

(बीस) तमिलनाडु में शिवकाशी और श्रीविल्लीपुत्तूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे समपार संख्या 427 पर सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिवकाशी एक उभरता हुआ कस्बा है। केवल शिवकाशी में ही 2000 से अधिक औद्योगिक इकाईयां स्थित हैं। शिवकाशी कस्बे के पश्चिमी तरफ शिवकाशी और श्रीविल्लीपुत्तुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर रेलवे समपार संख्या 427 है। इस सड़क पर और समपार के समीप भारी यातायात रहता है। अत: रेलवे समपार संख्या 427 पर एक सड़क उपरि पुल की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए मैं रेल मंत्रालय से इस मुद्दे पर शीघ्र गौर करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.31 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 31 पर कार्यवाही करेंगे-

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। इसके लिए छह घंटे का समय आवंटित है और इस पर सहमति हो गई है। उसके पश्चात् रेलवे बजट पर चर्चा की जाएगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि मैंने व्यर्थ ही प्रतीक्षा की है क्योंकि अगस्त 2007 में भी इस विषय को चर्चा के लिए लिया गया था। लगभग आठ माह पश्चात् मुझे इस लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने हेतु सभा की अनुमति और सहमति प्राप्त हुई।

अध्यक्ष महोदय: यह पहले सूची में था परंतु आप भली-भांति जानते हैं कि किन कुछ कारणों के चलते इस पर चर्चा नहीं की जा सकी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ पर आरोप मत लगाइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: नहीं महोदय। इसलिए मैंने कहा कि मुझे सभा की सहमति प्राप्त हो गई है।

प्रश्न यह है कि देश के समक्ष अनेक मुद्दे हैं। देश के समक्ष असंख्य मुद्दे हैं। परंतु आज, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय मुद्दा, मूल्य वृद्धि का है।

इस सभा, इस देश और सरकार द्वारा दो बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली यह कि मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को बहुत अधिक तकलीफ हो रही है। दूसरी यह कि मूल्य वृद्धि को रोकने में सरकार बुरी तरह असफल रही है। यदि मूल्य वृद्धि एक आपदा है-तो हमें इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि यह सरकार की असफलता के कारण है। मैं इसे घोर अत्याचार कहता हूं। जब मूल्य वृद्धि एक आपदा है, यह एक घोर अत्याचार है, तो मैं कहूंगा कि इस राष्ट्रीय मुद्दे के प्रति सरकार का रवैया अत्यधिक लापरवाही पूर्ण रहा है।

मूल्यवृद्धि बेलगाम असहनीय है, तथा तेजी से बढ़ती मूल्य वृद्धि 7.41 प्रतिशत तक जा पहुंची है। यह चालीस महीने में सबसे अधिक है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि थोक मूल्य पर बाजार में वस्तुएं नहीं बिकती हैं। बाजार में खुदरा मूल्य पर वस्तुएं बिकती हैं तथा खुदरा मूल्य थोक मूल्य से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। इसलिए, देश दोहरे अंक की भयानक मूल्य वृद्धि का सामना करने जा रहा है।

महोदय 8 मार्च, 2008 को थोक मूल्य सूचकांक क्या था? यह 5.92 प्रतिशत था। 15 मार्च को यह 6.68 प्रतिशत था। फिर यह 7 प्रतिशत था और आखिरकार यह 7.41 प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि मूल्य वृद्धि बेलगाम जारी है। अगर हम कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य के बीच अंतर है, तो आज हमारा देश लगभग 12 प्रतिशत खुदरा मूल्य वृद्धि का सामना कर रहा है। बाजार में आग लगी हुई है, और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य पर महंगाई का सबसे अधिक असर हुआ है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि मौद्रिक उपाय असफल रहे हैं, सरकार द्वारा इस संबंध में गठित समिति और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है? पृष्ठभूमि में यह स्थिति है जिसके कारण आज महंगाई देश के आम लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक विभीषिका बन गई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री और सरकार की जानकारी के लिए कटु सत्य से उनका परिचय कराता हूं। मैं दाल और रोटी, या रोटी और दाल की बात कर रहा हूं जो लोगों का आम भोजन है। चपाती, रोटी की क्या स्थिति है? मुंबई में यह 4 रुपये और बिहार के एक व्यापारिक केन्द्र लखीसराय में यह 3 रुपये की है। दिल्ली में यह 2.50 रुपये है। दिल्ली के निकट ऊंची इमारतों वाले औद्योगिक शहर नोएडा में कुछ रोटियों, पानी नुमा दाल तथा बैगन जैसी सब्जी के साथ हल्के-फुल्के भोजन का मूल्य 20 रुपये है। आम आदमी की परेशानियों की कल्पना कीजिये। एक रोटी की कीमत 4 रुपये है। एक हल्का-फुल्का भोजन 20 रुपये का है। यह सबके लिए नि:शुल्क है और यह सट्टेबाजी की अर्थव्यवस्था, जिसे सरकार ने इस देश में स्थापित किया है, उसका श्राप है।

दिल्ली को देखें। दिल्ली में तीव्र मूल्य वृद्धि हुई है। 13 मार्च को सरसों के तेल के मूल्य 58.2 प्रतिशत बढ़ गए, वनस्पति के 41 प्रतिशत; तूर दाल के 20 प्रतिशत; आलू के 12.5 प्रतिशत; गेहूं के 8.3 प्रतिशत और आटे के मूल्य में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मुद्रास्फीति है। यह इसके आयाम हैं। यह पीड़ा है। यह आपातकाल है। क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की?

मुद्दा यह है कि अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें, यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को परिकलित करने का एक अन्य तरीका है। कृषि मजदूर और फार्म मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पंजाब व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, हरियाणा इस सूची में सबसे ऊपर और मणिपुर सबसे नीचे है। हरियाणा के लिए यह 448 और मणिपुर के लिए यह 336 है। इस सबके बावजूद कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक त्रुटिपूर्ण है, परिकलन अवैज्ञानिक है; बास्केट मनमानी है, उस स्थिति में भी त्रुटिपूर्ण उपभोक्ता सूचकांक देश में मूल्य वृद्धि विस्फोट को छिपाने में सफल नहीं हो पाया।

आइये अब हम सरकारी समिति के प्रतिवेदन पर नजर डालें। मैं किसी भी वामदल द्वारा परिचालित किसी समाचार पत्र को नहीं देख रहा हूं। श्री सेनगुप्ता की अध्यक्षता में सरकारी समिति ने कहा कि 77 प्रतिशत लोग भोजन करने के लिए प्रतिदिन केवल 8 से 20 रुपये खर्च करने में भी समर्थ नहीं हैं। ग्रामीण लोग भोजन पर अपनी आय का 55 प्रतिशत व्यय करते हैं। शहरी लोग भोजन पर अपनी आय का 45 प्रतिशत व्यय करते हैं। अगर यह स्थिति है, तो आसमान छूते मूल्य, अधिकांश लोगों को व्यथित कर रहे हैं।

दाल की बात करें। मैं रोटी के बारे में बोल चुका हूं। दाल के संबंध में, न केवल मंत्री परंतु संपूर्ण सरकार धन्यवाद की पात्र है चूंकि वे आम नागरिकों की सामान्य भोजन की सूची में से दाल को हटाने में कामयाब हुए हैं। अब, दाल को त्योहार के रात्रि भोज की राजसी खाद्य मद समझा जाता है। मूल्य क्या है? यह 50 रुपये और 80 रुपये के बीच है। सरकार ने देश को इस स्थिति पर ला दिया है।

अब मैं दूसरे भाग पर आता हूं। संपूर्ण देश में आसमान छूती महंगाई के उभरते हुए खतरनाक परिदृश्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या मुझे वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए या बजट का धन्यवाद देना चाहिए अथवा क्या मुझे सरकार की नीति का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इससे मुद्रास्फीति हुई और उन्होंने मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया और उन्होंने लोगों को और गरीब बना दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद इस परिणाम के लिए तथा आपको होने वाले लाभ के लिए है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे उन्हें अवश्य धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आप परिचित हैं कि कार्य मंत्रणा समिति में हमने अनुरोध किया कि कम से कम माननीय वित्त मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ प्रतीक्षा करें। यह छह घंटों का वाद-विवाद है।

श्री खारवेल स्वाईं: कम से कम वित्त राज्य मंत्री को यहां होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास काफी वरिष्ठ तथा सक्षम माननीय मंत्री हैं।

श्री खारवेल स्वाईं: हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, इसी विषय पर दूसरी सभा में चर्चा की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री वहां हैं। उन्होंने सूचित किया है कि वे यहां आएंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हमारे पास काफी वरिष्ठ एवं सक्षम मंत्री हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, इस वर्ष खाद्य पदार्थों का उत्पादन कुछ बेहतर है-गत वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा है। अधिक उत्पादन, अधिक आपूर्ति तथा अधिक मूल्य—इसमें क्या अर्थशास्त्र है। आपूर्ति अधिक है। उत्पादन ज्यादा है। लेकिन मूल्य ज्यादा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में इस देश में मांग तथा आपूर्ति मिलकर बाजार मूल्य तय नहीं कर रहे हैं। अर्थशास्त्र असफल है। मूल्य मनमाना है, मूल्य जमाखोरों तथा कालाबाजारियों द्वारा तय किया जा रहा है।

क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि वे देश के हितों को हानि पहुंचाने वाले देश में खाद्यान्नों के मूल्य को जोड़-तोड़ करने वाले संदिग्ध व्यापारी घरानों को किस प्रकार निशाना बनाएंगे?

मेरा अगला मुद्दा यह है, तथा यहां माननीय वित्त मंत्री को होना चाहिए था। मैं पूरी तरह से अपने युवा मित्र से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे सदाबहार हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया जारी रखें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: बात यह है कि जब अन्य देशों में मूल्य वृद्धि होती है तथा बाजार में तेजी होती है तब प्रशासनिक मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है, यह स्थगित कर दिया जाता है ताकि बाजार में बहुत तेजी न हो। हमने ठीक इसका उल्टा किया। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में लगातार वृद्धि ने उत्पादन लागत बढ़ाई, परिवहन लागत बढ़ाई तथा बाजार में मूल्यों को बढ़ा दिया।

आपने हमारे मित्रों को कभी नहीं सुना। उन्होंने हमारे मित्रों को कभी नहीं सुना। कृपया इसे स्पष्ट करें। उन्होंने वामपंथ की सलाह को पूरी तरह ठुकरा दिया। कृपया यह स्पष्ट कर दें कि उन्होंने मजदूर संघों के सुझाव को पूरी तरह अनसुना कर दिया। 'अकेले चलो' उनकी नीति है मानो अकेले ही वे सरकार चला लेंगे। 'एकला चलो भाई'। उन्होंने हमें अनसुना किया। इसका क्या परिणाम हुआ? यदि उन्होंने हमें सुना होता, यदि उन्होंने कर में कटौती की होती, इस राजस्व की हानि दूसरे क्षेत्रों में, जहां लोग अदा करने की स्थिति में हैं, पर कर लगाकर पूरा कर सकते थे। उन्होंने हमें नहीं सुना।

महोदय, इन सबसे बढ़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए था, जमाखोरों को मजबूर करने तथा मूल्य को नीचे लाने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के रूप में क्योंकि राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली आय अन्तरण करता है तथा लोगों को मूल्य वृद्धि के खतरे से बचाता है। अब स्थिति क्या है? गरीब पश्चिम बंगाल को लें। हमारी खाद्य कोटा को कम कर दिया गया है। इससे भी गरीब केरल है। उनका 80 से 82 प्रतिशत कोटा कम कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* यही स्थिति बिहार और उड़ीसा की है। अधिकांश राज्यों में इसे कम कर दिया गया है।

महोदय, कृषि राजसहायता करीब-करीब समाप्त कर दी गई है। न खाने योग्य खाद्य वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। मैंने मुम्बई में गुणवत्ता देखी है। आपूर्ति कम हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, चोरी की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुरी हालत में है। माननीय मंत्री आपने अपने आप को बाजार से हटाकर अधिकार विहीन कर दिया है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बुरी हालत में ले आए हैं। इस सरकार ने क्या किया है? यह सरकार चार वर्ष से सत्ता में है। एक सरकार को अपना कार्य करने के लिए यह काफी छोटा समय नहीं है। इस सरकार ने कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया है? इस सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया है?

महोदय, कृषि राजसहायता करीब-करीब हटा ली गई है। सरकारी निवेश कम हो रहा है तथा बैंक ऋण समाप्त हो गया है। इसीलिए मैं यह कहने को विवश हूं तथा सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इसने कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन की बिल्कुल अनदेखी की तथा ऐसी परिस्थिति ला दी-मैं अकाल नहीं कहूंगा-जहां पूरे भारत में कमी तथा उच्च मूल्य को लेकर खाद्य दंगे हो सकते हैं। आपकी अग्नि शमन मशीनरी कहां है? जब बाजार जल रहा है तब आपकी अग्नि शमन नीति वाले कदमों का क्या है? मैं पुन: सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार को मूल्य संकट गंभीर न हो जाय इसलिए ऐहतियातन उपाय करने चाहिए थे।

महोदय, मुझे आपकी विनम्र अनुमति से भारत के प्रधान मंत्री सहित दो माननीय मंत्रियों के दो वक्तव्यों का उल्लेख करने दें। माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं, बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया जैसा कि हम प्रेस में पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकना कठिन है। यह राष्ट्र को क्या संकेत देता है? यह अवश्य एक दार्शनिक वक्तव्य है। वे कोई राहत नहीं देते हैं लेकिन देश को आतंकित करता है। मैं आतंकित हूं। समूचे देश में घबराहट है क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूल्य को रोकना कठिन है। कल्पना करें कि देश का प्रधानमंत्री इतना शक्तिविहीन हो जाए कि वह निस्सहाय होकर कहे कि उनकी सरकार मूल्य को रोकने में असमर्थ है, इसका अर्थ राष्ट्र के लिए क्या है? बात यह है कि इसके परिणामस्वरूप लगता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। इसके परिणामस्वरूप, कालाबाजारी तथा जमाखोर अपना कार्य तत्परता से कर रहे हैं। यदि माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार बोलेंगे तो लोगों को इस सरकार पर भरोसा रहेगा या जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं लेकिन मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि यह देश के खराब बाजार बलों के समक्ष शर्मनाक आत्मसमर्पण है। यह शर्म की बात है। प्रधानमंत्री को पश्चाताप करना चाहिए। यदि वे अपना खेद व्यक्त नहीं करना चाहते हैं और यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमसे त्रुटि हुई है, प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का सहारा लेना एक अदूरदर्शितापूर्ण प्रयास है।

श्री कपिल सिब्बल तो इससे थोड़ा और आगे चले गए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मूल्यों को कम करने के लिए सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि मंत्री महोदय जादूगर बन जाए। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा क्योंकि वे विद्वान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, हम चाहते हैं कि वे मूल्य वृद्धि का वैज्ञानिक विश्लेषण करें।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की अकर्मण्यता का बचाव करने के लिए मंत्री महोदय बहुत ही तुच्छ बात कह रहे हैं। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि यदि मूल्य वृद्धि एक आपदा है तो सरकार की अकर्मण्यता एक निर्लज्जतापूर्ण कार्य है। ...*(व्यवधान)* प्रश्न उठता है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सेनाइल कह दिया, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: सेनाइल उन्होंने बोला है, मैंने तो नहीं बोला है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, जराग्रस्त (सेनाइल) एक असंसदीय शब्द नहीं है। ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): क्षेत्रीय मित्रों को सहन किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: वे मुझे सहन कर रहे हैं या हम उन्हें सहन कर रहे हैं, यह एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि लोग किसे सहन करेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: बिल्कुल ठीक; और इसे साबित किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक सदस्य पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री खारबेल स्वाईं: लोग इसमें से किसी को भी सहन नहीं करेंगे।

मोहम्मद सलीम: महोदय, ये असहनीय होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी लोगों के नाम पर बोलते हैं लेकिन लोगों को लगता है, हमें नहीं पता।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कई बार हंसी भी आरोप लगाने का संकेत देती है। कोई बात नहीं, ये अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय: वर्तमान संदर्भ में ये बुढ़ापे का संकेत भी हो सकता है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: प्रश्न यह है। आपने गत चार वर्षों के दौरान क्या किया है? मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। जब आप

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

सत्ता में थे तो वर्ष 2005-06 में कृषि में सरकारी निवेश घटकर 1.9 प्रतिशत रह गया और यह वर्ष 2000-2001 के 2.2 प्रतिशत से कम है। आज जब कृषि संकट में है तब कृषि में सरकारी निवेश कम होता जा रहा है। सरकार अपराध कर रही है और जब हमने विदेशों से आयात करके अपनी खाद्य संप्रभुता खो दी है तो ऐसी स्थिति में प्रतिकार और प्रतिरोध होना लाजिमी है। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आयातित मुद्रास्फीति का सिद्धान्त एक कपटजाल है।

आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर विदेशी मूल्यों से आशु प्रभावित होन वाला क्यों बनाया? ऐसा इसलिए किया गया कि उत्पादन नहीं करते, क्योंकि आप उत्पादन करने में असफल रहे और क्योंकि आपने कृषि में सरकारी निवेश में कमी की। वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिशत के रूप में ग्रामीण विकास व्यय का हिस्सा वर्ष 2002-2003 से कम है। निवेश में कमी आई है, ग्रामीण व्यय में कमी आई है और इस पर आप चाहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि न हो।

आज सिंचाई की क्या हालत है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाएगी? मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्हें इसका खंड करने दो। हमारे देश में सिंचित क्षेत्र 47 मिलियन हेक्टेयर है और वे कुल कृषि उत्पादन का 52 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। दो तिहाई असिंचित भूमि भी है जोकि 96 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से आधा उत्पादन हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उत्पादकता में कमी आई है क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। लगभग एक तिहाई भूमि में आधा उत्पादन हो रहा है और दो-तिहाई भूमि में शेष आधे का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश में सिंचाई की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है?

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, क्या मुझे इस संबंध में मेरे दाहिने ओर बैठे मित्रों से उत्तर मिलेगा, खरीद का निजीकरण किया गया और भंडारण का निजीकरण किया गया था? इसका मतलब यह हुआ कि निजी लोग खरीद और भंडारण कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिबद्धता थी? आपने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि आपने सभी गलतियों को सुधार देंगे। क्या आपने ऐसा किया? आप अपना सारा समय हमें इस बात का भरोसा दिलाने में लगा दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या भूमिका रही? उन्होंने खरीद के निजीकरण की अनुमति दी। उन्होंने खाद्य पदार्थों के भंडारण की अनुमति दी और ये सब करके जमाखोरो, कालाबाजारियों और व्यापारिक क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए। क्या आपने वो दरवाजे बंद किए? *...(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): तब मूल्य एकदम सही थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप यहां बैठकर इस तरह से बात नहीं कर सकते। यह सभा का अपमान है।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या आपने उन गलतियों को सुधारा? आज खाद्य वस्तुओं का व्यापार बहुत ही आकर्षक और फायदे का व्यापार बन गया है।

बैंक के ऋणों को देखिए माननीय मंत्री को अपने सहयोगी से पूछना चाहिए कि वे खाद्य वस्तुओं के व्यापार में लगे धन का पता लगाए। वर्ष 2005-06 में बैंकों द्वारा खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और इस समय खाद्य वस्तुओं के व्यापार के लिए 46,521 रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए खाद्य वस्तुओं के बेईमान व्यापारियों को लोगों की 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ऋण दिया गया है। लोगों का शोषण करने के लिए लोगों के धन का ही उपयोग किया जा रहा है। सरकार कहां है?

कृषि ऋण का क्या हुआ? क्या आपने अपने सहयोगी से पूछा कि कितना कृषि ऋण दिया गया है? मार्च, 2006 में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कृषि ऋण दिया गया था। यह कुल बैंक ऋण का 11 प्रतिशत था और मार्च, 2006 में कुल कृषि ऋण 15 प्रतिशत था। मार्च, 2007 में प्रत्यक्ष कृषि ऋण 11 प्रतिशत ही रहा, बैंक ऋण वही रहा; मूल्य आसमान छूने लगे लेकिन बैंक ऋण वही रहा और कृषि ऋण 15 प्रतिशत रहा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं?

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं, मैं सच बोलूंगा कृपया इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, यहां बाजार अर्थव्यवस्था है, यहां व्यापारिक घराने हैं, यहां विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, यहां विदेशी मुद्रा भंडार है लेकिन ऐसा लगता है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं हैं। यहां कोई सरकार नहीं है, बाजार की अर्थव्यवस्था सभी चीजों की नियन्ता है और बाजार की शक्तियों को लोगों का शोषण करने की खुली छूट दी गई है।

इस शोषण के लिए आप जिम्मेवार हैं, विदेशों में व्याप्त मूल्य अस्थिरता के प्रति देश को सुभेद्य बनाने के लिए आप जिम्मेवार हैं; ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए आप जिम्मेवार हैं जिसमें कृषि में सुधार नहीं हो सकता है; मंत्री महोदय, आपको अपने पद के अस्तित्व को न्यायसंगत सिद्ध करना चाहिए।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार को अपने अस्तित्व का औचित्य स्थापित करना चाहिए। सरकार को दिखाना होगा कि हम सरकार हैं। इसे लाचार नहीं बने रहना चाहिए। तब लोग यह विश्वास करेंगे कि आप वह व्यक्ति हैं जो लोगों का भला करेंगे। महोदय, मुझे खेद है कि हमने आपकी सरकार को चार साल तक समर्थन दिया है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि यह प्रयोग असफल हो गया है; सरकार वास्तव में सही दिशा में नहीं जा रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपने जो 'आप' संबोधित किया है उसका आशय 'मैं' नहीं हूं। आज भोजनावकाश नहीं होगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी इससे सहमत होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरे बारे में क्या कहेंगे। मेरा नाम सूची में है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम यथासमय आएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में.....

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण का मामला नहीं है। श्री आचार्य, आपका नाम यथासमय आएगा। आपको धैर्य रखना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे कब मौका मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय: आपको सत्ताधारी दल के सदस्य के पश्चात् मौका मिलेगा। श्रीमती सुमित्रा महाजन के पश्चात् मुझे सत्ताधारी दल के किसी सदस्य को बुलाना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: अगर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया गया होता तो श्री गुरुदास दासगुप्त के तत्काल बाद मैं बोलता।

अध्यक्ष महोदय: फिर तो आपको उस ध्यानाकर्षण अवधि में वापस लौटना होगा। श्री आचार्य, आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, महोदय, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे निर्णय को अच्छी भावना से स्वीकार करें।

श्री खारवेल स्वाईं: वे सरकार का विरोध करेंगे और पुन: सरकार का समर्थन करेंगे। आखिरकार उनके बोलने की आवश्यकता ही क्या है?

अध्यक्ष महोदय: यह सही है, आखिरकार आप क्यों बोलेंगे। विपक्ष के एक काफी सम्माननीय सदस्य को सुनें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र काफी शीघ्र सत्ता में आना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि हम सरकार गिरा दें। इतिहास इस प्रकार करवट नहीं लेता; आपको कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। आपके प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी को और इंतजार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, माननीय गुरुदास दासगुप्त जी मेरे से काफी सीनियर और बड़े हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम तो वोट तक रुके हुए हैं, हम फिर भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप तो कभी केन्द्र में सत्ता में आने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): चर्चा महंगाई पर हो रही है, लेकिन आप कहीं और जा रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे गंभीरतापूर्वक लें।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां महंगाई पर बोलने के लिए खड़ी हूं लेकिन अभी भी मेरे सामने से मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला का चेहरा नहीं हट रहा है, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो हमेशा कहती थी कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना खुशी से करेंगे और वास्तव में खुश रहने का प्रयास करती थी। पार्लियामेंट आने से पहले यूं ही मैं उसको मिलने गयी तो वह कुर्सी पर ऐसी बैठी थी जैसे कोई संवेदनहीन व्यक्ति बैठता है। मेरे पूछने पर बोलने लगी कि क्या बताऊं, आज की तारीख में थोड़े बहुत पैसे हाथ में हैं और हाथ में सामान की लिस्ट भी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

है, लेकिन सोच यह रही हूं कि केवल आटा ही लाऊं और दाल-तेल की बात सोचूं ही नहीं।

अपराह्न 1.01 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

थोड़ी सी सब्जी लाऊं या न लाऊं या वे पैसे बचाकर बच्चे की फीस भरूं। लेकिन बच्चे की फीस भी महंगी हो गयी है, उसकी किताबें भी लानी हैं, क्योंकि एक अप्रैल से बच्चों की नयी कक्षा शुरू हो गयी है, बच्चे किताबें मांग रहे हैं। किताबें भी महंगी हो गयी हैं। इसलिए न तो किताबें ला सकती हूं न घर में आटे-दाल की सोच सकती हूं और ऐसे में कल ही सासुजी को बताया गया है कि उनका आपरेशन होना है और ससुर जी पहले से बीमार हैं। दवाई लाने की सोचूं तो आटा-दाल-नून-तेल में कुछ कमी करनी पड़ेगी, बच्चों की फीस भरूं, यह भी सोचना पड़ेगा। दवाई नहीं लाऊं तो ससुर जी की चिंता और सासुजी का आपरेशन भी आ गया है लेकिन दोनों ने मुझे कल यह कह दिया कि हम तो अब बूढ़े हो गये हैं, हमें तो ऐसे ही मरने दो, न हमारे लिए दवाई लाओ, न आपरेशन की सोचो, तुम तो अपने बच्चों की सोचो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब करूं? मेरे अंदर जो मनुष्य है, वह मनुष्य मेरे सास-ससुर को बिना दवा के क्या मरने देगा, मेरे अंदर जो मां बैठी है, वह भूखे पेट बच्चों को स्कूल भेजने की भी सोचे, तो भी भेज नहीं पा रही है। वह महिला बोली कि मुझे सुमित्रा जी याद आ रही हैं जो बताती थीं कि एक समय अश्वथामा को उसकी मां ने पानी में आटा मिलाकर उसके दूध की पूर्ति करने की सोची और बेटे को कहा कि इसी को दूध समझकर पी ले, लेकिन आज ऐसे कितने ही अश्वथामा पड़े हैं जिनको पानी में मिलाने के लिए आटा भी नहीं है। यह स्थिति हो गयी है तो मैं कहां से हंसूं, कहां से जीवन को उभारूं। यह वास्तविक चित्र मैं आपको बता रही हूं, मैं कोई अतिश्योक्ति नहीं कर रही हूं।

आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस पर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप जो मुद्रा-स्फीति का सूचकांक पेपरों में छपवाते रहते हैं, हर 15 दिन बाद बोलते रहते हैं कि सूचकांक 7 प्रतिशत हो गया उससे अधिक हो गया, मेरे जैसी सामान्य महिला को तो रोज मालूम पड़ रहा है कि किस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा-दाल-तेल के साथ एक समस्या और आती है कि मकान-मालिक को अगर हमने कहा कि एक साल के बाद हम अपना मकान बनाएंगे तो आज सीमेंट-लोहा भी इतना महंगा हो गया है कि न हम मकान बना सकते हैं न ही अपने बच्चों को ठीक से खिला सकते हैं। इस तरीके की महंगाई क्या एक दिन में हो गयी है? इस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं और हर 15 दिन के बाद मूल्य-सूचकांक सामने आता है, चाहे गेहूं हो, आटा हो, दाल हो या तेल हो, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। अगर इनके दाम पढ़कर सुनाने हों तो बहुत समय लगेगा लेकिन मुख्य-मुख्य चीजों के दाम भी देखें तो दूध के भाव आज क्या हो गये हैं? आज से चार-पांच साल पहले भाव क्या थे और आज क्या हो गये हैं? माननीय गुरुदास जी ने बहुत सी चीजों के भाव बताए, मैं तो रोज ही उन्हें देखती हूं।

आज दाल कितनी महंगी हो गई है, 40 रुपए से 42 रुपए, फिर 45 रुपए और अब 48 रुपए किलो हो गई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह सरकार दावे बड़े-बड़े करती है, मैं माननीय शरद पवार जी को कहना चाहूंगी कि आपने क्रिकेट बहुत खेल लिया है, अब आप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मैदान में जो खेल हो रहा है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस तरह से इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमारे देश के वित्त मंत्री कहते हैं कि महंगाई होने वाली है, भाव बढ़ने वाले हैं, सजग रहिए। क्या यह बताने के लिए आपको वित्त मंत्री बनाया गया है कि महंगाई जरूर बढ़ेगी और थोक मूल्य सूचकांक बढ़ेगा ही। थोक मूल्य सूचकांक और कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स के बीच के अंतर को क्या कभी किसी ने देखा है? आज जब बाजार में हम आटा, तेल, दाल खरीदने जाते हैं, तो क्या इनके भाव देखने की किसी ने कोशिश की है, यह मुझे बताएं? अगर मूल्य सूचकांक और ग्रोथ रेट देखा जाए, मुझे समझ नहीं आता है कि वित्त मंत्री किस तरीके से बात करते हैं। आज मुद्रास्फीति 7.41 फीसदी पर जा पहुंची है। कभी-कभी एनडीए के कार्यकाल की चर्चा की जाती है। चार साल में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई, महंगाई को रोक नहीं पाए। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन वे भी जब यह कहते हैं कि यह हमें विरासत में मिला है, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अगर पिछली सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, तो चार साल आप क्यों सोते रहे? एनडीए के कार्यकाल की अगर मुद्रास्फिति दर देखी जाए, तो 4.7 परसेंट से हम 3.8 परसेंट पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही आपका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो वर्ष 2004-05 में 5.7 परसेंट से आज 7.41 परसेंट मुद्रास्फीति दर हो गई है। यह दर इससे भी ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आप 15-15 दिन के आंकड़े देते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर दिए जा रहे हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, अगर आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, तो क्या अटल जी के पास जादू की छड़ी थी, जो हमने महंगाई को कंट्रोल किया था। क्या कभी आपने इस

बारे में सोचा है? वर्ष 2003-04 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे आपने ही पेश किया है, उसे आप पढ़िए। उसमें आपने कहा है कि आर्थिक मूलधार दृढ़ प्रतीत होता है, भुगतान संतुलन मजबूत है, यद्यपि कीमतों पर अल्पकालिक दबाव है, लेकिन वर्ष की संभावनाएं सुखद हैं, यह आपकी रिपोर्ट है। हमने यह करके दिखाया था। इससे पहले हमें भी विरासत में जो मिला था, अगर आप देखना चाहें, वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, वैसे ही हमने इसे कंट्रोल किया। हमारे समय भी सूखा पड़ा था, लेकिन उस समय हमने उस सूखे का सामना किया, क्योंकि वर्ष 2001-02 में करीब 21 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2002-03 में 17 करोड़ टन से कम हो गया था, लेकिन इस कमी की हमने पूर्ति की। अनाज के गोदाम भरे हुए थे और इस कारण हमने सूखे के समय, खराब मानसून होने के बावजूद भी कीमतों पर रोक लगाई थी और इसे करके दिखाया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इनके सामने समस्या क्यों आती है? क्यों नहीं यह भी अनाज के गोदाम भरकर रखते हैं? बाजार में खरीदारी होती नहीं है। इनका कहना है कि हमने सपोर्ट प्राइज बहुत थोड़ी बढ़ायी थी। हालांकि हमने उस समय थोड़ी नहीं बढ़ायी थी, आवश्यकता के अनुसार सपोर्ट प्राइज फिक्स की थी और लोगों ने हम पर विश्वास करते हुए अनाज की अच्छी-खासी खरीदारी की थी। हमारे शासन काल में अनाज के भंडार भरे थे और यहां तक कि उनका निर्यात भी कर सकते थे लेकिन आज आपके अनाज के भंडार क्यों खाली पड़े हैं? क्यों आप अधिक कीमत देकर अनाज आयात करते हैं। जब किसान का गेहूं आने की बात होती है तभी सामने से घोषणा होती है। अभी भी वायदा किया गया है कि किसानों का गेहूं ले लिया जाएगा। आज किसान का गेहूं बाजार में है। आप अच्छी सपोर्ट प्राइज देकर किसान का गेहूं बाजार से क्यों नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है लेकिन इनकी करने की इच्छा नहीं है। आज जिस तरीके से मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है या कंज्यूमर प्राइज बढ़ रहे हैं, बाजार में कुछ भी लेने जाओ, सब महंगा मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता है जब चिदम्बरम जी कहते हैं कि यह ग्लोबल फिनौमिना है। शरद पवार जी, आप किसान रह चुके हैं। क्या देश ने उत्पादन क्षमता खो दी है? हम देश को गांवों का और किसानों का देश कहते हैं। आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? मेरे घर में छोटा पोता भी मुझ से पूछता है कि क्या टमाटर के भाव ग्लोबल फिनौमिना के कारण ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्या इसके लिए भी ग्लोबल फिनौमिना काम कर रहा है? ऐसा नहीं है। हम कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह कंट्रोल आज की बात नहीं है। हमने नेहरू जी के समय सुना था और वह कहते थे कि कालाबाजारियों को सरे-आम फांसी दी जाए लेकिन हमने आज तक किसी कालाबाजारी को सड़क पर घसीटते हुए और सजा देते हुए नहीं देखा है। एक और सोचने लायक बात है जो आज लोगों के मन में प्रश्न कर रही है। एक महिला ने भी मुझसे पूछा कि सुमित्रा जी, इस बात को सोचो कि हमेशा कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही क्यों महंगाई बढ़ती है? यह वास्तव में सोचने वाला प्रश्न है। बहुत सी चीजों पर आपने कई कमेटियां बनायी हैं। प्राइज राइज के लिए भी हाई लैवल कमेटी बनायी है। ...*(व्यवधान)* बंसल जी, हंसो मत। संगठन में अपनी अध्यक्षा को बोलो कि अगर बहुत अच्छी तरह संगठन को कसना प्रारम्भ किया है तो इसके लिए भी वास्तव में एक हाई पावर कमेटी बनायी जाए। जब कांग्रेस की सरकार आती है तब इस तरह भाव क्यों बढ़ते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी। आपातकाल के समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इनको उत्तर देने की आदत उस समय से है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा जी ने उत्तर दिया था कि भ्रष्टाचार ग्लोबल फिनौमिना है। क्या जरूरी है कि हर ग्लोबल फिनौमिना हमारे यहां आए, हम इसे भुगते, क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी कोई संस्कृति या नीति नहीं हो सकती है? उस समय भी यही हाल था। नारे लगते थे "कांग्रेस के भूखे बैल खा गए शक्कर, पी गए तेल, फिर गाय-बछड़ा आया, हम कहते थे कि यह गाय ही ऐसी है जो अपने बछड़े को ही दूध पिलाती है, जनता को कुछ नहीं देती है।" गरीबी हटाओ का नारा लगाया लेकिन गरीबों को हटा रहे हैं। ये सब जुमले आपकी सरकार के समय चले। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। गुरुदास जी, आप बताएं, लोग कहने लगे कि एक तराजू में जूते रखो और दूसरे तराजू में शक्कर रखो, मिल जाएगी बाजार में। क्यों ऐसी स्थिति आई। सरकार आने से थोड़ा पहले स्थिति यह थी कि एक-एक किलो तेल लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, कंट्रोल हो गया। क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ है। उस गड़बड़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आपको एक संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद, अटल जी की सरकार की बात मैंने बता दी। उनके दिमाग में एक बात थी कि अगर यह देश एक ग्रामीण देश है, अगर यह देश किसानों का देश है तो विकास का रास्ता किसानों तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पचास-पचास सालों तक राज करने वाले तुम लोगों के ध्यान में नहीं आई, लेकिन उस व्यक्ति के ध्यान में आई, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा थी। आज आपने कौन सी रीति-नीति अपनाई है, मुझे समझ में नहीं आता। आज एकदम से आप बोलते हैं कि किसी चीज के ऊपर ड्यूटी कम करो, बासमती चावल बाहर भेजने से रोको, ऐसे छोटे-छोटे हथियारों से महंगाई काबू में आने वाली नहीं है। चार सालों में आपने कोई नीति नहीं अपनाई। किसानों की बीज की समस्या है। आपने किसानों की कौन सी समस्या पर ध्यान दिया? किसान कहां से उत्पादन बढ़ायेगा। किसानों की बीच की समस्याएं हैं, लेकिन आप टर्मिनेशन सीड लाये।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

हिन्दुस्तान में किसान खुद अपने बीज बनाता था, शरद पवार जी, आप बताइये। आज हमने किसान की क्या स्थिति कर दी है, हर बात पर किसान को निर्भर किया। हमारे यहां की जमीन के लिए अलग-अलग प्रकार से फास्फेट्स ला-लाकर हम अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करते जा रहे हैं। आपने कौन सी नीति बनाई। सपोर्ट प्राइस के लिए आपने कौन सी नीति बनाई। महंगाई पर एक दिन में काबू नहीं होता, यह हम भी मानते हैं। पी.डी.एस. को मजबूत बनाने के लिए आपने कौन सी नीति बनाई। आपने तो पूरे पी.डी.एस. सिस्टम को उजाड़ दिया है।

आपने सैकिंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की थी। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आपने क्या ग्रीन रिवोल्यूशन किया? आज हमारे वित्त मंत्री बोलते हैं कि अमरीका ने लैन्ड यूज चेंज किया या कुछ नीति में परिवर्तन किया, इसलिए महंगाई बढ़ी है। आप बोलने में भी थोड़ा संयम रखें। आपने क्या किया, यह भी नहीं बोल सकते। नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां चलती हैं, लेकिन उससे क्या मिला। आपने भी कुछ अंग्रेजी शब्द सिनाइल यूज किया, आपकी पार्टी भी इस मामले में कोई कम नहीं है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। ...*(व्यवधान)* आपने क्या किया। जब एसईजेड की बात आई तो एसईजेड का भी विरोध किया। लेकिन एसईजेड की जो नीति थी, उसे बोलते थे कि यह व्हीकल आफ इकोनोमिक डैवलपमेंट है। आपने उसका क्या किया? वह रियल एस्टेट का डैवलपमेंट प्रोजैक्ट हो गया। किसानों की अच्छी उपजाऊ जमीन जबरदस्ती छीनकर उसके ऊपर एसईजेड बनाने से इस देश को क्या फायदा मिलेगा। उसका प्रोजैक्ट भी आप ठीक तरीके से नहीं बना पाये। यहां डैवलपमेंट को कोई नहीं रोकता है। डैवलपमेंट को रोकने की बात नहीं है, लेकिन किसानों की भूमि को सुरक्षित रखते हुए, उसकी भूमि को उर्वरा बनाने की दृष्टि से जो भी नीति बनानी चाहिए थी, चार साल में आपने उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा।

सभापति महोदय, यहां बाहरी धन आने लगा है। ठीक है, आपने भी कहा, हमने नीति बनाई है। खुदरा व्यापारी और छोटे उद्योग के बारे में हम हमेशा बोलते आये हैं कि इन्हें संरक्षण देने की दृष्टि से नीति नहीं अपनाई गई और इसलिए आज ऐसा हो गया कि बड़े-बड़े घरानों को उपजाऊ जमीन तो दी जा रही है, वे आकर डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं, मगर मैं बताना चाहूंगी कि बाजार में जो भाव बढ़ रहे हैं, किसानों को वे भाव नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं एक लीटर दूध के लिए 25-30 रुपये देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं 32 रुपये लीटर दूध खरीदूंगी तो किसान को उसके अगर 20 या 25 रुपये भी मिलते हों तो भी हम तैयार हैं। लेकिन किसान को वह भाव नहीं मिलता है, सब बिचौलिये खा जाते हैं।

शरद पवार जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में आज आलू का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है, लेकिन गोदाम और कोल्ड स्टोरेज पहले ही बुक करा दिये गये। किसान को कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के लिए जगह नहीं मिली, ताकि वह उनके हाथ अपना सामान बेचे, यह स्थिति है। आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पूरी रीति-नीति इस प्रकार की हो गई है कि इसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं।

वित्त मंत्री जी विकास की बड़ी बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि विकास दर बढ़ रही है। जब वह विकास दर की बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रोथ रेट इतना हाई है, तब मुझे वह ग्रोथ रेट ऐसी लगती है जैसे एक मध्यम वर्गीय पति-पत्नी का बेटा विदेश चला जाता है, वैसी मुझे ग्रोथ रेट लगती है। वह तो विदेश में चला गया, यहां बैठे हुए पति पत्नी सोचते हैं कि मेरा बेटा पैसा कमाने के लिए गया है, उसने बहुत विकास किया है, वह विदेश गया है और यहां उस बूढ़े पति पत्नी को पानी मिलाने वाला भी कोई नहीं है। यहां अगर वे बीमार हो जाएं तो वह इन्तजार करें कि उसके यहां से पैसे आ जाएं तो दवा करूं, उसका इंतजार करके बैठे। इस प्रकार यह सरकार की विकास दर की बात हो रही है। तब तक श्वास थामे रहो। क्या तब तक श्वास थामे रह सकते हैं? क्या तब तक यहां का आम आदमी जी सकता है? महंगाई के कारण केवल मरने की स्थिति की बात मैं नहीं कर रही हूं। यहां इंसान मरेगा, इंसानियत मरेगी। जब यह दिखेगा कि एक तरफ तो बड़े-बड़े मॉल खड़े हैं क्योंकि हमारे यहां मैं यह भी देख रही थी कि बड़े-बड़े घराने अगर करोड़पतियों की लिस्ट में आते हैं, हमें यह देखना पड़ेगा कि हम करोड़पति की रिस्ट में हैं। वर्ष 2006 में 25 भारतीयों के पास 4000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। वर्ष 2007 में इनकी संख्या 48 हो गई। दस खरबपति हो गये और इधर लाखों किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। कौन सी स्थिति में हमने भारत को लाकर रख दिया है? हमने 4 साल में क्या किया है? नेशनल सैम्पल सर्वे हम तो नहीं करते। आपने क्या कभी खोलकर देखा है कि एक तिहाई ग्रामीण भारत 12 से 26 रुपये के बीच है। 10 प्रतिशत तो केवल 9 रुपये रोज पर जी रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वे 9 रुपये में क्या खाएंगे? शहरी गरीब जो हैं, उनमें 30 प्रतिशत लोग 19 रुपये रोज पर जी रहे हैं। यह आपका नेशनल सैम्पल सर्वे है। क्या कभी इसके बारे में सोचा है? जरा सोचो। केवल हम बड़े-बड़े स्टेटमेंट दें। आज स्थिति क्या है? इनके एक मंत्री कहते हैं प्राइज राइज की क्या कहें, प्राइस राइज कंट्रोल करने संबंधी मीटिंग कब होगी, हमें नहीं मालूम। यानी इधर तो लोग बाजार में मर रहे हैं और इनकी मीटिंगें चल रही हैं और वे मीटिंग भी आपसी तालमेल नहीं होने के कारण कब होगी? यानी आज हमारी स्थिति यह हो गई और मुझे याद है कि एक जमाने में रोटी, कपड़ा, और मकान

नामक एक सिनेमा आया था। मगर उसमें जो एक बात थी, वह बात उस समय इतनी समझ में नहीं आई। आटा लेने गई युवती पर आटे के ढेर में बलात्कार होता है मगर उसे दो रोटी का आटा नहीं मिल पाता है। यह स्थिति है। मैं जो सामाजिक संतुलन बिगड़ने की बात कर रही हूं, यह सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, मुझे डर इस बात का हो रहा है।

महोदय, आज शिक्षा पहुंच के बाहर हो रही है। दवाई की कीमतें, स्वास्थ्य सुविधा महंगी हो रही है। व्यक्ति बीमारी से डर रहा है। व्यक्ति भूख से डरे, शिक्षा से डरे और बीमारी से डरे तो आम आदमी जिंदगी से डरे, यह बात हो रही है। इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है और इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर नमक छिड़कने की बात हो रही है। इलाज नहीं हो रहा है। हम अपने ही प्रधान मंत्री को पत्र लिखते हैं। एक सुपर प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, महंगाई कम करो। यह क्या कोई तरीका होता है? मैं साबित करना चाहूंगी और यह होगा कि आपकी गलत नीतियों से, आपकी गलत और भ्रष्ट नीतियों से, आपकी निष्क्रियता से देश और आम आदमी आज मरणासन्न हुआ है और अगर आप उसे राहत और जीवन नहीं दे सकते हैं तो जनता कहती है कि छोड़ दो सिंहासन। क्यों चिपके बैठे हो? दूसरे किसी को आने दो। आप कहेंगे कि दूसरा यानी आप। यह सवाल नहीं है, जनता को निर्णय करने दो लेकिन ऐसे चिपककर रहने से क्या फायदा कि जहां पर केवल मनुष्य नहीं मर रहा है, बल्कि मानवता मर रही है और कल को सामाजिक मूल्य नष्ट हो जाएंगे और यह केवल आपकी निष्क्रियता के कारण होगा।

इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार पर भी काबू रखिए। कोई रीति-नीति अपनाइए। मैंने आंकड़े का खेल तो नहीं दिखाया कि कितना क्या महंगा हो रहा है, आंकड़े तो सबके पास हैं और आप भी हर 15 दिन में केवल आंकड़े डिक्लेयर करते जा रहे हैं। कृपा करके आंकड़े डिक्लेअर मत करिए। इन आंकड़ों पर काबू पाना सीखिए। कहीं न कहीं एक रोटी का टुकड़ा गरीब के मुंह में जाए। केवल करोड़ों रुपये का ऋण माफ करने से नहीं चलेगा। ऋण नहीं लेना पड़े, इसके लिए रीति-नीति बनाइए। यहां का गरीब सुख से कैसे रह सके, इसके लिये रीति-नीति लगाइये, तभी हम जानेंगे। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो बता दीजिये। आप छोड़ दें, और दूसरों को कोसना छोड़कर अपने गिरेबान में झांककर देखें। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट (दौसा): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मैं महंगाई जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है जिसका आजकल हम सामना कर रहे हैं, पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले मेरे साथी माननीय श्री दासगुप्त हमेशा कि तरह बहुत ही भावोत्तेजना से बोले परंतु मेरे विचार में वे बातों को जरा बढ़ा-चढ़ा कर बोले। इस सबके बावजूद मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि आज हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं इसे हमारे देश का कोई एक वर्ग नहीं अपितु पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहूंगा कि सं.प्र.ग. सरकार कई मुद्दों पर बहुत ही संजीदा है। इस सदन में मैंने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर कई बहस देखी हैं। परंतु मेरे मनानुसार आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद-विवाद खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। यू.पी.ए. सकार का यह दृढ़ संकल्प रहा है और आज भी है कि वह भारत की आम जनता के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

आपके सहयोग से मैं, आज हम जहां पर है वहां पर रहने के कारणों के संक्षिप्त इतिहास के विषय में बोलने के लिए कुछेक मिनट लेना चाहूंगा। यू.पी.ए. सरकार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर चार से पांच प्रतिशत रही। जब एन.डी.ए. ने सत्ता छोड़ी तो मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत थी। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुद्रास्फीति हमें विरासत में मिली है।

मूल्यों में लगातार वृद्धि होना अत्यंत चिंताजनक वैश्विक प्रवृत्ति बन गयी है। संयुक्त राष्ट्र के एफ.ए.ओ. अर्थात् खाद्य तथा कृषि संगठन ने 36 राष्ट्रों को चिन्हित किया है जिन्हें खाद्य के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। अफ्रीका, मैक्सिको, फिलिपिन्स और इटली जैसे देशों में भी खाद्यान्न की कमी बताई गयी है। वैश्विक खाद्यान्न की कमी की बात सर्वविदित है और खाद्यान्न भण्डार 1980 से अपने निम्नतम स्तर पर है। विगत तीन वर्षों में वैश्विक खाद्यान्न मूल्यों में लगभग 80 प्रतिशत और केवल पिछले एक वर्ष में ही 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछले तीन या चार वर्षों में तांबे, लौह अयस्क, सीसा, निकल, टिन, जिंक की कीमतों में या तो दोगुनी या तीन गुनी वृद्धि हुई है। लौह अयस्क के मामले में कीमतें 2004 से विशेष रूप से बढ़कर चार गुणा हो गयी है। कच्चे तेल के दाम 2004 में 34 अमरीकी डालर प्रति बैरल थे जो आज लगभग 110 अमेरीकी डालर प्रति बैरल के आस-पास है। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस देश के लोग जानते हैं कि विगत चार महीने में तेल का मूल्य 3000 रु. प्रति बैरल हो गया है। इस वृद्धि के बावजूद हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में मात्र 1 रुपये या दो रुपये या तीन रुपये तक की ही वृद्धि की है। इतनी ज्यादा कीमते बढ़ जाने पर भी हमने

[श्री सचिन पायलट]

मिट्टी के तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की। जैसा कि सभापति जी आप जानते ही हैं कि मिट्टी के तेल का प्रयोग हमारे देश के सर्वाधिक गरीब और कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है।

भारत गेहूं के बड़े उत्पादक देशों में से एक है। इस वर्ष हमने 75 बिलियन टन उत्पादन करने का अनुमान लगाया है। सर्वाधिक गेहूं उगाने वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान विश्वभर के राष्ट्रों से आगे आता है। गेहूं का उत्पादन करने वाले विश्व के कुल क्षेत्रफल का 13 प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का होता है। लेकिन हमारी चिंताजनक स्थिति उत्पादकता के संदर्भ में है और गेहूं के प्रति हैक्टेयर उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 57वां है। इसीलिए मेरा सरकार से और इस सभा से यह अनुरोध है कि वह ''सतत् हरितक्रांति' के लिए कार्य करें न कि उसके लिए जो हम 25 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। विश्वस्तर पर उर्वरकों के मूल्यों में भी गत एक वर्ष में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकार के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह सुनिश्चित करना कि हमारे कृषकों को यथासंभव श्रेष्ठ मूल्य मिलें और दूसरे यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य मदें भारत के लोगों की उपयुक्त पहुंच में रहे। पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूपीए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 2003-04 में यह 630 रुपये प्रति क्विंटल था। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि रा.ज.ग. ने अपने पांच-छः वर्ष के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में पांच या दस रुपये की नाम मात्र की ही वृद्धि की थी। परंतु यह ऐतिहासिक बात है कि यू.पी.ए. सरकार कृषकों को पैसा देना चाह रही है इसलिए उन्होंने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। चावल के मामले में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 645 रुपये तक बढ़ाया और साथ ही 100 रुपये का बोनस भी दिया। कीमतों में बढ़ोतरी के कई कारण बताए गए हैं।

मैं सोचता हूं कि कई अवसरों पर माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया कि जैव-ईंधन की बढ़ती मांग से भी खाद्य मदों की कीमतें बढ़ गयी हैं। इस विशेष मामले में मैं अपने वामपंथी मित्रों से सहमत हूं कि इस संबंध में अमरीकी नीतियां गलत रही हैं। उन्होंने भूमि और खाद्यान्नों का विपथन जैव-ईंधन की ओर कर दिया है जिससे पूरे विश्व में खाद्य कीमतों में बहुत तेजी आ गयी है और इससे न केवल हम अपितु अधिकांश विकासशील राष्ट्र प्रभावित हो रहे हैं।

महोदय, मैंने जो समस्या देखी है वह दोमुखी है। एक तो खाद्य मदों, गेहूं, चावल, आटा, खाद्य तेल आदि मदों की कीमतें बढ़ रही हैं और उपभोक्ता को इनके लिए ज्यादा कीमतें अदा करनी पड़ रही है, परंतु वास्तविक उत्पादक कृषक जो इसको पैदा कर रहा है और इन मदों का उत्पादन करने में अपनी जी-जान जुटा रहा है उसे मुश्किल से कीमतों का 10 से 15 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी भारतीय यह नहीं कहेगा कि वह कृषकों को लाभकारी कीमतें नहीं देना चाहते। परंतु समस्या यह है कि उन्हें वह कीमत नहीं दी जा रही जिसका भुगतान उपयोक्ता कर रहे हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य का 65 से 80 प्रतिशत भाग प्राईवेट प्लेयर्स, बिचौलियों, थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के जेबों में चला जाता है। हमें इस पर नियंत्रण करना होगा।

महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं। दिए गए सुझावों में से एक सुझाव ब्याज दरों में वृद्धि करने का है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने भी उसे नोट कर लिया है। हमें ब्याज दर बढ़ानी ही होगी भले ही इससे हमारे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस समय हम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विकास कर रहे हैं और यदि कीमतों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो राष्ट्र थोड़ी धीमी गति से ही विकास करेगा और दूसरा विकल्प यह है कि रुपये की कीमत बढ़ने दें उससे आयात सस्ता होगा। हम खाद्य तेल और ईंधन कम कीमतों पर प्राप्त कर सकेंगे। परंतु ऐसा होने पर हमारे निर्यातकों को हानि भी सहनी होगी।

महोदय, इस राष्ट्र में विनिर्माण विशेषकर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निर्यात करने वाले लोगों को इस बात से तात्कालिक रूप से हानि तो होगी ही। महोदय पिछले वर्ष यूएस डालर की तुलना में रुपये में 12% की बढ़ोतरी हुई है।

महोदय, मैं उन शब्दों को भी पढ़ना चाहूंगा जो भारतीय खाद्य निगम ने कहे हैं।

''4 मिलियन टन गेहूं का बफर स्टाक सुरक्षित है।''

आज की तारीख के अनुसार हमें $5^1/_2$ मिलियन टन गेहूं प्राप्त हो चुका है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि वैश्विक कीमतों में हुई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप इस सरकार द्वारा विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद हमने अपना दिल, दिमाग, आत्मा और ऊर्जा गरीबों और हाशिये पर रह रहे लोगों पर ही केन्द्रित रखी। पहले के दो वक्ताओं ने केन्द्र सरकार की भूमिका पर आक्रमण किया है।

मेरा विचार है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ेगी। हमें भारत की जनता ने यहां मत देकर भेजा है और हम पूरी मेहनत से अपने उत्तरदायित्व का वहन करेंगे। परंतु चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत राज्य सरकारों को चोरबाजारी और जमाखोरी में लिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति दी गई है। 31 दिसम्बर, 2007 तक राज्य

सरकारों द्वारा 119 लोगों को निरुद्ध किया गया 2,07,000 छापे मारे गए, 4004 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 348 लोग ही दोषी पाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बार विभिन्न राज्य सरकारों को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के संबंध में कठोर कदम उठाने के लिए लिखा है चूंकि हममें से ही कुछ लोग स्थिति का फायदा उठायेंगे और अवैध धन कमाने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। हर पार्टी का कोई न कोई सपोर्ट बेस समाज में होता है। यह बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी का किसान वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़े हैं, नौजवान हैं, जो हमारी पार्टी का वोट बेस हैं। हो सकता है, कुछ ट्रेड यूनियन लैफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करती हों, लेकिन वह समाज का तबका जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उन काला बाजारी करने वाले, होर्डिंग करने वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाजपा के भाइयों और नेताओं से बोलें कि राजनीति करने के लिए बहुत से अवसर आएंगे। अभी चुनाव में साल भर है, कोई और मुद्दा मिल जाएगा तो हम दो-दो हाथ कर लेंगे, लेकिन जहां भारत में गरीब भूखे मर रहे हैं, अगर अपने सपोर्टरों से कहकर उनके गोदामों के ताले खुलवा दें और वह अनाज देश में आ जाए तो देश पर बहुत बड़ी कृपा होगी, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमैंट्स को केन्द्र सरकार ने अधिकार दिया है कि आप स्टाक लिमिट्स बनाइए, छापे डालिए, काली बाजारी और होर्डिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार कीजिए, उनको जेल में डालिए।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कल महाराष्ट्र सरकार ने अकोला और बीड़ जिले में रेड डाली और लोगों को गिरफ्तार किया। वहां पर पौने दो करोड़ रुपए की दाल मिली है और जमाखोरों को जेल भेजा गया है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 में स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ताकत दी गई है। विधि की विडम्बना है कि राज्य सरकारें, अलग-अलग पार्टियों की, बात करती हैं कि स्ट्रक्चर को और फेडरल बनाइए। सारी ताकतें राज्य सरकारों को मिलनी चाहिए, इस बात से हम भी सहमति रखते हैं। जब योजना आयोग पैसा देता है, राज्य सरकारें मांगती हैं तो उन्हें मांग से ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, मेरे नजरिये से उसे उन्होंने ठीक से नहीं निभाया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कोई अच्छी फिल्म निकलती है और लोगों को वह पसन्द आती है तो अभिनेताओं एवं फिल्म निर्माताओं को खुश करने के लिए उसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया जाता है। राज्य सरकारें पिक्चरों को टैक्स फ्री घोषित कर सकती हैं, लेकिन दाम को कम करने के लिए और गरीबों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन राज्य सरकारों को सचेत करें।

[अनुवाद]

महोदय, भारत सरकार ने स्थिति की तात्कालिकता को पहचाना है। हमने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है। हमने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई है, बासमती के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1100 डालर से बढ़ाकर 1200 डालर कर दिया है।

केन्द्रीय निर्गत मूल्य के संबंध में, मैं यह कहूंगा कि इसे वर्ष 2002 से बढ़ाया नहीं गया है। बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं 4 रुपये तथा चावल 5 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। इसलिए गरीबों को बचाने के लिए लक्षित सा.वि.प्र. आरंभ की गई है। राज्यों को गेहूं, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया है ताकि वे इसे उचित दर की दुकान से वितरित करें। यह सर्वज्ञात सत्य है कि सा.वि.प्र. को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। परंतु मेरे विचार से सा.वि.प्र. हेतु केवल राशि एवं खाद्यान्न में वृद्धि करना ही उपाय नहीं है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सुपुर्दगी प्रणाली अधिक प्रभावी हो जाए, यहां जांचोपाय हैं तथा प्रत्येक राज्य सरकार को व्यावहारिक रूप से रिकार्ड पर यह बताने के लिए जवाबदेह है कि कितने मूल्य पर कितने खाद्यान्न का उठान किया गया तथा उचित दर की दुकान के माध्यम से अत्यंत जरूरतमंद व अत्यधिक अकिंचन लोगों को कितना खाद्यान्न दिया गया।

अब मैं इस संबंध में उठाए गए कुछ कदमों में से एक दो कदमों की चर्चा करना चाहता हूं। मैं संख्या और आंकड़ों के संपूर्ण नेटवर्क में जाना नहीं चाहता। परन्तु सभा के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि दलहनों के आयात पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है। मक्का के लिए सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत घटाकर शून्य कर दिया गया है। दलहनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कच्चे तेल, खाद्य तेल पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया। रिफाईंड तेल तथा वेजीटेबल तेल पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। घी और मक्खन पर सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।

अन्य पहलू जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी को कम कर कुछ सीमा तक सहायता की है। नकदी आरक्षी अनुपात को 7 से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे बाजार से 30,000 करोड़

[श्री सचिन पायलट]

रुपये की नकदी कम हुई ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

फ्यूचर मार्केट के ऊपर बहुत चर्चा हुई। इस पर एक कमीशन बैठा हुआ है और वह अध्ययन कर रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार ने गेहूं और चावल पर पहले से बैन लगा दिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी। अर्थशास्त्री बोलते हैं कि इससे दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और कई लोग बोलते हैं कि फर्क पड़ता है।

महोदय, मेरी दृष्टि में इस बात का अध्ययन हम करते रहें, लेकिन देश में यह संदेश जाना जरूरी है कि यह सरकार और सदन महंगाई से चिन्तित है। फर्क पड़ता हो या न पड़ता हो, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग पर फिलहाल रोक लगा दें और बाद में इसका अध्ययन करें। अगर यह सही हो तो इसे दोबारा चालू कर दें, लेकिन आज यह संदेश देश में जाना बहुत जरूरी है कि महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

महोदय, हम सब लोग इस बात से चिन्तित हैं और मैं आपके माध्यम से सदन और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आज यूपीए की सरकार दिल्ली में शासन में है। हम लोग जब सत्ता में आए थे तो एक वचन और प्रतिबद्धता लेकर आए थे कि हम लोग आम आदमी के साथ रहेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। यह बात सच है कि महंगाई हमारे सामने है, लेकिन यह बात भी सच है कि इस सरकार ने महंगाई कम करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सभापति महोदय, राजनीति करने के लिए, बड़े-बड़े भाषण देने के लिए, लोगों का मन जीतने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अगर विपक्षी पार्टियां बड़े-बड़े होर्डिंग लगाती हैं, लोगों को टेलीविजन पर कोसती हैं, मंत्रियों के काम में गलतियां निकालती हैं, तो इसको लोग जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन असली काम कर रहा है। मैंने आपके समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत किए, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी पर बैन लगाया गया है, यह सब इसे देखते हुए किया गया है कि आम आदमी तक मदद पहुंच सके। हकीकत यह है कि जब महंगाई बढ़ती है, तो जो मिडिल क्लास है या उससे ऊपर वाला है, वह थोड़ी-बहुत कटौती कर के अपना जीवन बिता सकता है, लेकिन जैसा श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने कहा, जो गरीब आदमी है, जो बिलकुल गरीब है, जो बी.पी.एल. है, उस पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। जो मार खाता है, वह किसी का वोटर नहीं है। वह बी.जे.पी., लैफ्ट पार्टी या हमारा वोटर नहीं है, वह देश का नागरिक है और उसकी सुरक्षा करना, उसके मुंह तक अन्न पहुंचाना, इस सरकार की कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे हटने वाली नहीं है।

महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। जब सरकार बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी को स्मरण था कि इंदिरा गांधी ने जब इस देश में राज किया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये वही इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीबों का हाथ थामा था। ये वही इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने इस देश में राजा-महाराजाओं का प्रिवीपर्स बन्द कर के देश से तानाशाही खत्म की थी। यह सरकार, हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार, हमारी प्रतिबद्धता और हमारा वचन जनता के साथ है। इस महंगाई को आने वाले समय में राज्य सरकारों की मदद से और पूरे सदन की मदद से, पूरी निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी से महंगाई पर रोक लगाएंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

महोदय, मैं इस सदन का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है, जो आज जनता की नब्ज को छूता है। हम लोग अपनी राजनीति भूलकर, इन आंकड़ों के खेल में न पढ़कर, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर, अगर मिलकर कार्रवाई करेंगे, तो पूरा देश इस बात को समझेगा और राजनेताओं की जो छवि है, उसे सुधारने का यह एक अच्छा मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों, उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि उनकी भी इसमें एक भूमिका है और आज पूरा देश देख रहा है कि हम सब मिलकर, सारी पार्टियां मिलकर कैसे इस महंगाई से लड़ सकती हैं और इसे कैसे मिटाएंगी।

अन्त में, मैं आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: श्री पायलट, मुझे आशा है कि जब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा आप सभा में उपस्थित रहेंगे।

श्री सचिन पायलट: मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है परंतु आप बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वर्ष 2004 के लोक सभा के चुनावों में जनादेश किसी एक विशेष राजनैतिक गठबंधन के पक्ष में नहीं था, परन्तु यह स्पष्ट था कि हमारे देश के लोगों ने नीति

में परिवर्तन, एनडीए सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनादेश दिया था। परन्तु यूपीए सरकार हमारे देश के लोगों के जनादेश को कार्यान्वित या उसका सम्मान रखने में असफल रही। महोदय, यूपीए सरकार की सबसे बड़ी असफलता लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित तथा सीमित नहीं कर पाना रहा है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा काम करने वाले अधिकांश लोग जिनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र में हैं जिनकी संख्या 37 करोड़ है के कष्टों में वृद्धि हुई है। उनके लिए मुद्रास्फीति से कोई सुरक्षा नहीं है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। जब चर्चा को अनुमति दी गई थी तो उस समय मुद्रास्फीति केवल 4.11 प्रतिशत थी। आज जब सभा ने इस मुद्दे पर कार्यवाही की है, तो यह बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई है।

महोदय, हर सप्ताह मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। अब तक सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने तथा कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल समिति की बैठक बुलाई है। परंतु उस निर्णय का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

महोदय, मूल्य वृद्धि सरकार की नई उदार नीति का ही प्रत्यक्ष परिणाम हैं जो 1991 से लागू है जबसे आर्थिक नीति को अंगीकार किया गया था। इस नई उदार नीति के तहत कृषि की जानबूझकर अनदेखी की गई है। हमारे कृषि क्षेत्र को क्या हुआ है? कृषि क्षेत्र में संकट क्यों है? एनडीए शासन काल में वर्षों तक कृषि में धनराशि का आवंटन कम हुआ। सिंचाई में विस्तार भी रुका रहा और इसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादन में विकास 2 प्रतिशत से कुछ कम हो गया। एक वर्ष में यह जनसंख्या विकास से 1.87 प्रतिशत कम रहा। यह हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अनदेखी के कारण हुआ और इन दिनों के दौरान 8 मिलियन हैक्टेयर की कृषि भूमि जहां खाद्यान्न का उत्पादन होता था, उस पर अन्य फसले बोई जाने लगी। जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी हुई, इसलिए अब कृषि क्षेत्र में संकट है। आज भी, हमारे देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कृषि में संकट और कृषि क्षेत्र में विकास में कमी के कारण अनाज, दलहन, तिलहन तथा सब्जियों के उत्पादन में भी ठहराव आ गया है। वर्ष 2007-08 में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई इसके बावजूद भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में अन्न की खरीद नहीं की गई।

दूसरा मुद्दा जो मैं रखना चाहता हूं जो कि इस सभा में अनेक बार उठाया जा चुका है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने व इसके पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंचाने से संबंधित है। 1990 में इसकी शुरूआत हो गई थी जब देश की जनसंख्या को एपीएल और बीपीएल दो श्रेणियों में बांटा गया। एक सर्वमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाकर इसे एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदल दिया गया। वर्ष 1998 से एनडीए के शासनकाल के दौरान क्या किया गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति की जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दी गई थी। एपीएल लोगों के संबंध में हम समझते हैं कि एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली के तहत गरीबी का प्राक्कलन किया जाता है।

महोदय, एनडीए शासन काल में क्या हुआ? एपीएल उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के मूल्य किस प्रकार निर्धारित किए गए? मूल्यों को पूर्ण व्यय खरीद की संपूर्ण लागत, भण्डारण एवं वितरण की पूर्ण लागत का परिकलन कर निर्धारित किया गया था।

हमने 1998, 1999, 2000 और 2001 में देखा कि एपीएल हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति किए गए गेहूं अथवा चावल, बाजार के मूल्य से अधिक था। धीरे-धीरे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटन भी एक वर्ष में कम हो गया। वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 137.6 लाख टन एक वर्ष में बहुत बड़ी कमी थी।

यूपीए सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह वायदा किया गया था कि अगले तीन माह में एक वृहद मध्यम अथवा खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जाएगी जिसका उद्देश्य यदि संभव हुआ तो आगे आने वाले समय में देश को एक सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। चार वर्ष पश्चात् भी यह अधूरा ही है। पुनः, न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह कहा गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिए।

आज यह हो रहा है कि जबकि मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं, तथापि धीरे-धीरे राजसहायता कम की जा रही है। जबकि वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्य राजसहायता में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परंतु यह 7.41 प्रतिशत मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में है। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविक रूप में प्रदान की जा रही खाद्य राजसहायता कम कर दी गई है।

विशेषरूप से पश्चिम बंगाल तथा केरल के लिए केन्द्रीय आबंटन में भारी कमी की गई है। यह केवल इन दो राज्यों के लिए ही सत्य नहीं है अपितु अन्य राज्यों के लिए भी सत्य है। पश्चिम बंगाल के मामले में गेहूं के आवंटन में 50 प्रतिशत की कमी की गई जबकि केरल के लिए चावल में कमी 82 प्रतिशत तक की गई है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, आप जानते हैं कि केरल ज्यादा चावल पैदा नहीं करता है। उन्हें केन्द्रीय आबंटन पर निर्भर रहना पड़ता है तथा यदि इस आवंटन में 82 प्रतिशत कमी कर दी जाए तो सरकार किस प्रकार बढ़ते मूल्य को नियंत्रित कर पाएगी।

मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर करना है जो रा.ज.ग. सरकार के समय शुरू की गई थी। जनसंख्या का वह वर्ग जो समूचे एपीएल वर्ग का हिस्सा है वह खाद्य सुरक्षा प्रणाली से बाहर किया जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने आकंड़े जारी किए हैं तथा यह दर्शाता है कि ग्रामीण परिवारों का 70.5 प्रतिशत, सभी कृषि कामगार परिवारों का 52 प्रतिशत, ग्रामीण अनुसूचित जातियों के परिवारों का 60.7 प्रतिशत तथा आदिवासी परिवारों के 55.4 प्रतिशत के पास या तो कोई राशन कार्ड नहीं है या केवल एपीएल कार्ड है।

महोदय, इस प्रकार से इन्हें प्रभावी रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर बाहर किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर की गई सत्तर प्रतिशत जनसंख्या को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करके वापस लिया जा सकता है और यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबद्धता की गई है।

महोदय, गरीबी अनुदान की सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का पता लगाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा दोषपूर्ण है। इसलिए, वाम दल लगातार यह मांग करते रहे हैं कि जनसंख्या की बीपीएल श्रेणी का पता लगाने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना चाहिए। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा रो नीचे है। यह 2004-05 में किया गया। असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने डा. अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता में 2004-05 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया था। उन्होंने नोट किया कि भारत की कुल जनसंख्या का 77 प्रतिशत, अर्थात् 83.6 करोड़ व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन 20 रुपये से कम व्यय करते हैं।

हाल ही में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने भी प्रदर्शित किया है कि तीन वर्ष की आयु के अंदर की भारत की जनसंख्या का 40 प्रतिशत तथा एक तिहाई महिलाओं से ज्यादा का वजन आवश्यकता से कम है तथा भारत में 70 प्रतिशत बच्चे तथा 55 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रसित हैं।

मैं राष्ट्रीय उद्यम आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहूंगा:

"1993 से 2005 तक सीमांत समूह के हिस्से में शायद ही परिवर्तन आया है जबकि कमजोर वर्ग का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया। समग्र वृद्धि काफी सीमित रही जो अत्यधिक 82 प्रतिशत से केवल 77 प्रतिशत रही। जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए यह वृद्धि कुल भार में कमी नहीं लायी क्योंकि गरीब तथा कमजोर वर्गों की कुल जनसंख्या 733 मिलियन से बढ़कर 836 मिलियन हो गई। गरीबों में अधिकतम कमी बहुत ज्यादा गरीब तथा गरीब के समूह में हुई लेकिन वे सीमांत तथा कमजोर की समग्र श्रेणी के अन्दर रहे।"

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है: 77 प्रतिशत जो कुल 836 मिलियन लोग हैं, तथा जिनकी आय लगभग 20 रुपये है वे भारत की जनसंख्या के गरीब तथा कमजोर वर्ग है। इस प्रकार, गरीबी रेखा के लिए अनुमान पद्धति जो अपनाई जा रही है वह दोषपूर्ण पद्धति पर आधारित है। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

महोदय, वायदा कारोबार को वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है।

अपराह्न 2.00 बजे

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों संबंधी एक स्थायी समिति है जिसके सभापति श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव हैं। आज उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने पुरानी सिफारिश को दोहराया है कि 25 आवश्यक वस्तुओं का अग्रिम तथा वायदा कारोबार वापस ले लिया जाना चाहिए। लेकिन 2007-08 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने केवल दो वस्तुओं के मामले में अग्रिम तथा वायदा कारोबार वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने डा. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। मैं नहीं जानता कि उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? जब इस सभा से मांग है तथा खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति से एकमत सिफारिश है तब सरकार उन्हें अग्रिम तथा वायदा कारोबार से हटाने में क्यों झिझक रही है? सरकार अग्रिम तथा वायदा कारोबार से 25 आवश्यक वस्तुओं को वापस लेने के संबंध में ठोस दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना रही है? केवल इसके चलते, सट्टेबाजी चल रही है। जमाखोरी तथा कालाबाजारी हो रही है।

रा.ज.ग. सरकार के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम को कमजोर किया गया। इस अधिनियम को मजबूत करने के लिए लगातार मांग हो रही है ताकि राज्य सरकारें जमाखोरों तथा कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने में मजबूत हो सकें। सरकार

इस अधिनियम में संशोधन करने, इसे मजबूत करने तथा इसे लागू करने में क्यों झिझक रही है ताकि जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोका जा सके।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम आगे नहीं आ रहा है; यह खाद्यान्न खरीदने के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। गत वर्ष, भारतीय खाद्य निगम अपने लक्ष्य का केवल 35 प्रतिशत ही खरीददारी कर सका था। अब हमारे देश में उत्पादित खाद्यान्नों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत कतिपय निगमित क्षेत्र तथा कतिपय निजी क्षेत्र द्वारा खरीदा जा रहा है। उनके केन्द्रीय भंडार की कोई सीमा नहीं है कि वे कितना रख सकते हैं। इसलिए अपने 23वें प्रतिवेदन में स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो जमाखोरी कर रहे हैं तथा अप्राकृतिक रूप से मूल्य वृद्धि कर रहे हैं।

सभापति महोदय: श्री आचार्य, आप 20 मिनट बोल चुके हैं। आपको कितने समय की आवश्यकता है? क्या आपको पूरे 6 घंटे का समय चाहिए?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मुझे और 10-11 मिनट चाहिए।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें आठ बार बढ़ायी गयी। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता थी? इस संबंध में हम विशेषत: वाम दल सुझाव देते रहे हैं कि शुल्कों और उपकर को पुन: तय किया जाना चाहिए। अब, एक ही वर्ष 2007-08 में भारत सरकार ने तेल पर आयात शुल्क के रूप में 40,000 करोड़ रु. एकत्र किये जो बजट में किये गए प्रावधान से अधिक है। हमने मांग की, सुझाव दिया और कहा कि ये 40,000 करोड़ रु. राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियों को दिया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ानी न पड़े।

हमने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में सीमा और उत्पाद शुल्क वृद्धि के यथामूल्य ढांचे पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या हो रहा है? जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं सरकार को यथा मूल्य उत्पाद शुल्क और उपकर के कारण और अधिक राजस्व प्राप्त होता है, अत: सरकार हमारे सुझावों से सहमत नहीं हुई। चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का अन्य वस्तुओं की कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अत: हमारी मांग है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के मामले में कर तथा उपकर में परिवर्तन अथवा फेर बदल करने पर विचार करना चाहिए।

जहां तक अनेक लोगों का प्रश्न है परिस्थिति बहुत गंभीर है। आज वे खाली पेट सोने जाते हैं। कीमतें इस कदर बढ़ रही है कि आप पाएंगे कि सभी सब्जियों और दालों के दाम बढ़ गए हैं। ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि आज प्रति व्यक्ति दलहन उपलब्धता घटी है। प्रति व्यक्ति दलहन उपलब्धता द्वितीय विश्व युद्ध के समय की उपलब्धता के समान पहुंच गयी है। दलहन गरीब व्यक्तियों का प्रोटीन है। यदि सभी दलहनों की कीमतें 50 रु. से 80 रु. बढ़ जाती है तो 70 प्रतिशत आबादी कैसे जीवित रहेगी? क्या सरकार ऐसी परिस्थिति के प्रति उदासीन रह सकती है?

आज हमने वित्त मंत्री का वक्तव्य देखा है। वह कहते हैं वह नहीं जानते कि मूल्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक कब बुलायी जाएगी। वे आशा करते हैं कि मूल्य वृद्धि को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि 23 मार्च 2005 को वाद-विवाद का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार हमारे देश के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक वस्तुओं को न केवल उपलब्ध कराने बल्कि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रत्येक प्रयास करेगी।

सभापति महोदय: अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम ठंडे बस्ते में है।

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, महोदय, अतएव, हम मांग करते हैं कि सरकार आगे आकर संशोधन लाए और अधिनियम को सुदृढ़ करे। किसलिए ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): आपके राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह हाल की घटना नहीं है। इस सभा ने पहली बार इस पर 4 दिसम्बर 2004 को चर्चा की थी। मैंने वाद-विवाद शुरू किया था। उस समय कई बार उत्तर देते हुए आश्वासन दिये गये थे किन्तु संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा वादा करने के बावजूद, मूल्य नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी।

महोदय, हम समर्थन दे रहे हैं। वाम दल इस सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समर्थन दे रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट भाषा में खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिकता इत्यादि का उल्लेख है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने कहा था वे ऐसा तीन महीने में करेंगे तीन वर्षों में नहीं। उन्होंने खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए व्यापक मध्य अवधि रणनीति की बात कही थी। मैं माननीय मंत्री, श्री शरद पवार जी से जानना चाहूंगा कि खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

[श्री बसुदेव आचार्य]

के लिए एक व्यापक मध्यावधि रणनीति तैयार करने में इस सरकार को कितना समय लगेगा। इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। न केवल गेहूं और चावल बल्कि अधिकाधिक वस्तुएं यथा दलहन, खाद्य तेल-इन सबको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंद्रह वस्तुएं शामिल की जानी चाहिए। आपने इस सभा को आश्वासन दिया है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की न केवल आपूर्ति सुदृढ़ करेगी बल्कि आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की संख्या भी बढ़ाएगी।

सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है; यह एपीएल और बीपीएल, गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे जैसी चीजों को समाप्त किया जाए तथा 85 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उन्हें सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा इसका सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह तभी संभव है जब बाजार में हस्तक्षेप किया जाए। सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं केरल तथा अन्य राज्यों की बात कर रहा हूं। मेरा यह सुझाव है। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न में कटौती को बहाल करें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दलहन, खाद्य तेल और चीनी सहित 15 आवश्यक वस्तुओं को सम्मिलित करें।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: दूसरे, आप 25 कृषि वस्तुओं में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाएं जैसा कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव किया गया है।

मेरा तीसरा सुझाव है कि आप तेल पर सीमा तथा उत्पाद शुल्क में कटौती करें तथा पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कम करें। मेरा अगला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव है-आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें तथा जमाखोरी तथा कालाबाजारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाएं।

महोदय, इस देश की जनता ने राजग सरकार को इसलिए सत्ता से बाहर किया क्योंकि वे देश की आर्थिक नीति बदलना चाहते थे। इन चार वर्षों के दौरान यह सरकार भी उसी नई उदार आर्थिक नीति को अपना रही है इसी कारणवश मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, कृषि पर तथा अन्य क्षेत्रों में भी ...*(व्यवधान)*

इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आत्म-विश्लेषण किए जाने की भी जरूरत है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार यह बताए कि वह हमारे द्वारा दिए गए चार सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही करेगी। हम कई महीनों से मूल्यों को नियंत्रित करने के बारे में सुझाव देते रहे हैं ताकि हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय श्रेणी के लोगों को जिनकी वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो रही है, को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

सभापति महोदय: आप 35 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आज मध्यमवर्गीय लोगों के लिए क्या हुआ है? आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उनके मासिक बजट में वृद्धि हो गई है, किंतु उनकी वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनका मासिक बजट 845 रुपये बढ़ गया है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि सरकार जनता की परेशानियों पर ध्यान दे। अब देश गरीब और अमीर में बंट गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण 85 प्रतिशत लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

हम यहां पर चर्चा करने के लिए ही नहीं बैठे हैं। हम मांग करते हैं कि चर्चा का उत्तर देते समय या तो वित्त मंत्री अथवा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री मूल्य वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताएं और उसका भरोसा दें।

सभापति महोदय: आपका भाषण मूल्य वृद्धि से बेहतर नहीं है। हम मूल्य वृद्धि को बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु आप भाषण देने में काफी अधिक समय ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मोहन सिंह, मैं समझता हूं कि आपका भाषण सहनीय और तर्कसंगत होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति जी, आप चिंतित न हों। जैसे इस देश के जमाखोर और मुनाफाखोर इस सरकार से नहीं डर रहे हैं, वैसे ही सरकार को हमारे गुरुदास दासगुप्त जी और आचार्य जी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं हैं।

इस सदन में हर साल महंगाई के ऊपर चर्चा होती है। हर बार इतनी ही जोर से इन लोगों द्वारा दहाड़ लगाई जाती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। इन्होंने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को धमकाया, उसी तरह प्राइस राइस पर भी धमकाते, तो मैं समझता हूं कि प्राइस राइस चैक हुआ होता और उसकी रफ्तार कम होती। मैं मानता हूं कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस बैसाखी पर वह टिकी हुई है, वह उससे अधिक जिम्मेदार है, ऐसी मेरी मान्यता है।

इस देश में सरकार का नियंत्रण किसी भी चीज पर नहीं है, क्योंकि जब उसने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर दिया और एक उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया, तो किस मुंह से किसे आप नियंत्रित करने की बात कहेंगे। इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले साल सीमेंट के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने अपनी तरफ से सीमेंट निर्माताओं को कंसेशन दिया और धमकाया भी कि यदि सीमेंट के दाम कंसेशन के बाद भी कम नहीं किए गए तो हम वह छूट वापस ले लेंगे। स्वयं वित्त मंत्री जी ने और व्यापार तथा वाणिज्य मंत्री जी ने देश के सीमेंट कारखानेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार की ओर से दी हुई सुविधा के साथ चेतावनी भी दी, लेकिन सारे सीमेंट कारखानेदारों ने सरकार के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर हम सीमेंट के दाम नहीं घटाएंगे और सरकार खामोश होकर बैठ गई। वही हालत इस साल हुई। इस्पात के मामले में इस्पात मंत्री जी रोज धमकी देते रहे कि रैगुलेटरी अथारिटी बनेगी। उनकी उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि एस्मा लगाएंगे। उन्होंने भी कह दिया कि एस्मा लगाने की हैसियत हो तो लगा लो। नतीजा हुआ कि साल भर में छड़ की कीमत ढाई-गुना बढ़ गयी, तीन सौ रुपये क्विंटल का दाम बढ़कर पांच हजार से ऊपर हो गया। मैं समझता हूं कि सरकार का किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इस सरकार से कोई भय नहीं खाता है, उसका कारण यह है कि प्राइस-राइज के समय सरकार ने अलग-अलग तरह के वक्तव्य दिये हैं। माननीय कृषि मंत्री जी के सहयोगी मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि भारत में लोगों की फूड-हैबिट्स बदल गयी हैं इसलिए देश में खाद्यान्न का कंजम्शन बदल गया है और दाम बढ़ रहे हैं। यह दुनिया के आंकड़ें आप निकालें तो हमारे देश में स्वस्थ रहने के लिए एक आदमी को जितनी खुराक और खाद्यान्न चाहिए, चीन, अमेरिका और कनाडा के मुकाबले में वह केवल आधी मिलती है, पूरी खुराक नहीं मिलती है। फूड-हैबिट्स किसकी बदली हैं? आज भी गांव का गरीब आदमी मुश्किल से एक आलू और एक रोटी पर अपनी जिंदगी बसर करता है, बहुत से लोगों के पास तो आलू भी नहीं है और वह रोटी के ऊपर नमक लगाकर अपनी गुजर-बसर करता है। उसकी फूड-हैबिट्स में क्या बदलाव आया है? इस देश की सरकार उन संभ्रांत परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके पास सब-कुछ है और उन्हीं की सुविधा के लिए सरकार सब कुछ करती है। इसलिए हम इस बात के लिए चिंता प्रकट करते हैं कि इस देश के अंदर जो गरीब आदमी के खाने की दाल सबके लिए सुलभ है वह भी 80 रुपये किलो हो गयी है। आप कहते हैं कि यह तो टैम्प्रेरी फेज है, थोड़े दिन में भाव में कमी आयेगी तो 80 रुपये प्रति किलो का भाव 75 रुपये हो जाएगा, पांच रुपये की राहत गरीब को हो जाएगी और सरकार भी सकून से सोने लगेगी कि गरीब आदमी को पांच रुपये की राहत मिल गयी। हम आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा जागना होगा और यह संदेश देने का काम सरकार को बंद करना पड़ेगा कि यह इंटर-नेशनल फिनोमिना है, सारी दुनिया में जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आज कनाडा में जो गेहूं का भाव है क्या भारत में भी वही भाव है। इस देश में हमने पिछले 40 वर्ष से यही सुना है कि किसान के घर में जब गेहूं आता है तो बाजार में गेहूं की कीमत घट जाती है, लेकिन पहली बार हम सुन रहे हैं कि जब रबी की फसल बाजार में आई, तो रबी जिन्सों के दाम आसमान छू रहे हैं। जब दलहन की फसल हमारे घर आई तो दलहन के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि आज तक अर्थशास्त्र के जितने सिद्धांत थे, इस सरकार के जमाने में वे सारे सिद्धांत उलटी दिशा में बह रहे हैं। इस बारे में सदन को गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है।

बार-बार इस बात को कहने से काम नहीं चलेगा कि जमाखोरी को रोकना, कालाबाजारियों को पकड़ना केवल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जब आपने वायदा-कारोबार में, कानूनन इस बात का अधिकार दे दिया कि दो-चार खाद्यान्नों को छोड़कर, वायदा-कारोबार खाद्यान्न के सभी क्षेत्रों में होगा, तो आप उन जमाखोरों को कैसे पकड़ सकते हैं? यदि पकड़ेंगे भी तो कल उनकी जमानत हो जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को डि-फंक्ट बनाने का काम कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वायदा-कारोबार पर सरकार को हफ्ते भर

[श्री मोहन सिंह]

के भीतर नियंत्रण लगाने और उसको स्थिर करने का काम करना चाहिए। यह दोनों के लिए आत्मघाती है। मैं निजी तौर पर कह सकता हूं कि जो खाद्यान्न के कारोबारी हैं वे भी मर रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। जो किसान हैं उनको वायदा-कारोबार के जरिये इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी उपज की मुनाफेदार कीमत मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि एक सप्ताह पहले एक गैर-सरकारी एजेंसी ने आपके आंकड़े प्रकाशित किये कि इस देश का चार लाख टन खाद्यान्न पिछले 6 महीने में यहां से नेपाल चला गया। भारत की सरहद नेपाल से खुली हुई है। हमारे पड़ोस के देशों में खाद्यान्न की बहुत कमी है। बर्मा, बंग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान में खाद्यान्न की कमी है। जब तक उन देशों में फूड-सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर भारत सरकार नहीं समझेगी, मैं समझता हूं कि खाद्यान्न की तस्करी रुक नहीं सकती है। जितने वायदा कारोबारी हैं, उन सबने हमारे देश के खाद्यान्न को देश से बाहर भेजा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन रोज उनके दाम बढ़ रहे हैं। बाजार में आप जाएं, जितनी चाहे आप दाल खरीद सकते हैं, जितना चाहे आप आटा खरीद सकते हैं, जितना चाहे चावल खरीद सकते हैं। हमारे देश में इस साल चावल का सरप्लस उत्पादन हुआ है। हमारे पास दो करोड़ से अधिक बफर स्टाक चावल का है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भी इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार की किसी प्रकार की दहशत इनकी कालाबाजारी करने वालों को ऊपर नहीं है। इसके चलते वे मनमाना दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत सरकार इस सदन में बजट पेश कर रही है। एक सुनहरे बजट का सपना इस देश को दिया था कि हमारे देश में अमन चैन हो जाएगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऊंची छलांग लगाएगा। लेकिन ठीक दूसरे दिन सारी चीजों के दाम इस देश में बढ़ने लगे।

मैं उन सभी साथियों का समर्थन करता हूं, जिन्होंने इस बहस को शुरू किया है और इसी के साथ मैं सरकार से इस तरफ ध्यान देने का निवेदन भी करूंगा। हम सरकार के हमदर्द हैं, सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि सरकार के रहते जनता की तकलीफ इसी तरह बढ़ेगी, तो सरकार को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, सरकार के हमदर्द भी घाटे में रहेंगे। माननीय मंत्री जी मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, खाद्यान्न की कमी और कमर तोड़ महंगाई यदि तीनों चीजें साथ-साथ चलीं, तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार, आपके सहयोगी तथा आपकी पार्टी के सभी साथी, जो सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका राजनैतिक भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह सावधान हो जाए, हथियार मत डाले। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के जरिए यह कहना कि दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में बढ़ते हुए दामों को रोक पाना कठिन काम है, मैं समझता हूं कि एक गलत संदेश इस देश के कालाबाजारियों को गया है और इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को क्राइसिस के समय नहीं देना चाहिए।

इस अपील के साथ मैं आपको, क्योंकि आपने बहस में चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया, धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, माननीय सदस्यों ने महंगाई के लिए चिंता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि गुरुदास जी ने काफी मुद्दों को उठाया है। बढ़ती हुई महंगाई देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि महंगाई का असर सभी लोगों पर पड़ता है। यह कमरतोड़ महंगाई है तथा बेलगाम होती जा रही है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम प्रभावी क्यों नहीं हो रहे हैं, यह गंभीर सवाल है।

दूसरी बात यह है कि इसके क्या कारण हैं तथा इसके क्या समाधान होने चाहिए। महंगाई की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई है कि किस तरह से खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई है।

अपराह्न 2.29 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]

किस तरह से करखनिया उत्पादन का दाम बढ़ा है। तुलनात्मक तरीके से महंगाई पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, यह सरकार के लिए चुनौती है। हमारे देश में होल सेल प्राइज इंडैक्स के आधार पर महंगाई को मापा जाता है।

महोदय, यह महंगाई का सही माप नहीं है। जब होल सेल प्राइज इंडैक्स के आधार पर महंगाई को मापा जाएगा, तो यह सही माप नहीं होगा। होल सेल प्राइज इंडैक्स से महंगाई सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। दूसरे विकसित देश महंगाई को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर प्राइज इंडैक्स के जरिए महंगाई की सही तस्वीर उभरकर सामने आती है। 80 के दशक में मुद्रास्फीति की दर 9 प्रतिशत थी, जबकि जीडीपी केवल 5 प्रतिशत थी। दो वर्ष पहले विकास दर 8 प्रतिशत तक पहुंची थी, फिर भी मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत तक ही सीमित रही। कई बार आंकड़ों का खेल खेला गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि महंगाई का असली कारण क्या है? क्या ऊंची विकास दर इसका कारण है? सरकार

को महंगाई के सभी कारणों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यह कहना ठीक नहीं है कि विकास की ऊंची दर महंगाई का कारण है। अगर यही सही है, तो देश की जनसंख्या, जो महंगाई से जूझ रही है, उन्हें निजात दिलाना बहुत कठिन है। महंगाई को रोकने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। हम खाद्यान्न के उत्पादन पर जोर नहीं दे रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के नए-नए तर्क चल रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े अर्थशास्त्री हैं। डिमांड और सप्लाई का संतुलन नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। कई ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो समझ से परे हैं। माननीय मंत्री जी ने आगे बढ़ कर जो कुछ कहा उसका जिक्र सदन में हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई केवल जादू की छड़ी नहीं है। मैं अभी इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं? प्राइवेट ट्रेडर्स, लिमिटिड स्टाक और अनलिमिटिड टाइम तक प्रोक्युरमेंट करने की छूट दी गई है, क्या यह एक कारण है? इस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लिमिटेड स्टाक और अनलिमिटिड टाइम तक प्रक्योरमेंट करने की जो छूट दी गई है वह एनडीए के शासनकाल में दी गयी थी। इतना ही नहीं, जमाखोर सामानों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं। इससे बाहरी बाजार के मैकेनिज्म पर डायरैक्ट सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। जमाखोरों को पकड़ने के लिए और रेड्स करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत डायरैक्टिव्स् भी जारी किए गए हैं। इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए चूंकि हमारे फैडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। राज्यों को विश्वास में लेने की कोशिश की गई है। अभी यह स्थिति है कि 11 राज्यों ने सहमति नहीं दी है। स्टाक लिमिट करने की कोशिश की गई तो कई राज्यों ने सहमति नहीं दी है। जिन राज्यों ने सहमति नहीं दी है, उनको सहमत करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जानकारी मिली है कि राज्य संघों में खास करके उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जमाखोरी भंडार से बाहर लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का अधिकार एक मार्च 2008 को केन्द्रीय आदेश की वैधता को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 13 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने गेहूं और दलहन संबंधी भंडार सीमा निर्धारण लाइसेंसिंग भंडार की घोषणा की आवश्यकता संबंधी अधिसूचना जारी की है। अन्य 11 राज्य संघों ने अभी तक स्टाक लिमिट को निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है और 5 राज्य चुपचाप हैं। सरकार ऐसे कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से लोगों को बचाने के लिए, केन्द्रीय आदेश के अनुपालन के लिए सभी राज्यों पर दबाव डाले और इसकी जरूरत भी है। इसके लिए राज्यों को विश्वास में लेकर फूड मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर एक मीटिंग करे। आवश्यक वस्तुओं की जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, वह सभी सरकारों के लिए एक चुनौती है। केवल केन्द्र सरकार के लिए नहीं है बल्कि सभी राज्य सरकारों के लिए है क्योंकि महंगाई की मार सब को झेलनी पड़ रही है। सरकार कुछ काम कर रही है और ड्यूटी घटा रही है। इसका क्या अंजाम हो रहा है, मैं उसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। 20 मार्च 2008 को क्रूड पाम आयल, एडिबल आयल के 115 डालर प्रति-टन पर भारत सरकार ने ड्यूटी घटायी ताकि इसका असर देश में हो और दाम घटे। इसका प्रतिफल क्या हुआ? 24 मार्च 2008 को इंडोनेशिया ने 140 डालर प्रति-टन पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। आपने 115 डालर प्रति-टन पर ड्यूटी घटायी ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर हो। इंडोनेशिया से 90 परसेंट क्रूड पाम आयल का आयात होता है। हम देश में एडिबल आयल का आयात 40 परसेंट करते हैं। देश के अंदर जो हमारा डोमैस्टिक कंजम्पशन है, देश के अंदर एडिबल आयल की जो पैदावार होती है, उससे हम साठ प्रतिशत जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन चालीस प्रतिशत हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। उसमें अकेले इंडोनेशिया से चालीस परसैन्ट का 90 प्रतिशत आयात होता है।

सभापति महोदय: मलेशिया से।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: दस परसैन्ट मलेशिया से और चालीस परसैन्ट का 90 प्रतिशत भाग हम इंडोनेशिया से मंगाते हैं। यह हर बार भारत को मंगाना पड़ता है, हर साल यह चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कंज्यूमर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आपने ड्यूटी घटा दी और आगे चलकर एडिबल आयल की ड्यूटी जीरो परसैन्ट कर दी। यह 30 मार्च, 2008 को किया गया और आज 16 अप्रैल को बहस हो रही है यानी 15 दिन पहले यह किया गया। लेकिन इसका असर यह हुआ कि इंडोनेशिया ने उसी अनुपात में एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। इस तरह से एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाने से हिंदुस्तान का सात हजार करोड़ रुपया इंडोनेशिया को चला गया या जहां से भी आयात करते हैं, वहां चला गया। यही सात हजार करोड़ रुपया यदि एडिबल आयल या आयल सीड्स के किसानों का उत्पादन बढ़ाने पर खर्च किया जाए तो देश आत्मनिर्भरता की ओर जा सकता है। हम तेल का एक स्थाई समाधान निकाल सकते हैं और डिमांड के अनुसार सप्लाई को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें दिशा बदलनी होगी, सरकार को एक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आयात पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्योंकि हर बार हम यह मानकर चलें कि हम बाहर से आयात करके यहां की डोमैस्टिक कंजम्पशन को पूरा करेंगे, यदि यही मन बनाकर रखेंगे तो हम मूल्यों पर कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए मैंने निवेदन

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

किया कि आयात घटाने का क्या परिणाम हो रहा है, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने आपके सामने किया है।

सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा जाता है कि उत्पादन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप तो अच्छी से जानते हैं कि केन्द्र सरकार ने महंगाई नियंत्रण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाने की कोशिश की है, जिसमें दलहन और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, दलहन के आयात पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करना, दलहन, आयल सीड्स और एडिबल आयल पर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए गेहूं का आयात, प्राइवेट ट्रेडर्स के गेहूं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करना, इस तरह से सरकार ने अनेक खाद्यान्नों के दामों को कम करने की कोशिश की है। लेकिन फूड सिक्युरिटी में जो मिनिमम बफर स्टाक है, उसके नार्म्स को भी पिछले साल पूरा नहीं किया। पिछले साल प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा 92 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। इस तरह से 92 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद प्राइवेट ट्रेडर्स, कारगिल कंपनी और मल्टीनेशनल्स के द्वारा की गई। लेकिन इतना गेहूं खरीद कर तो रख लिया, लेकिन यहां बफर नार्म्स पूरे नहीं हुए, जितना बफर नार्म्स में चाहिए था, उतना अनाज सैन्ट्रल पूल में नहीं आने से बाहर से 50 लाख मीट्रिक टन आयात करने का आपको आदेश देना पड़ा। इसीलिए खाद्यान्नों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। हमें इन कारणों पर ध्यान देना होगा। हमें प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए मैक्सिमम स्टाक लिमिट करनी होगी। केवल सर्कुलर जारी कर देना और स्टेट्स पर छोड़ देना कि इतना लागू होगा या नहीं होगा, इसके लिए स्टेट्स को विश्वास में लिया जाए। जो भी इसके लिए प्रक्रिया है, डिप्लोमैटिक तरीका है, उसे अपनाना चाहिए और प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए निश्चित रूप से स्टाक लिमिट करनी चाहिए और अनलिमिटेड टाइम तक उसे प्रोक्योरमैन्ट की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उस पर बंदिश लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे सैन्ट्रल पूल में भारत सरकार की एजेंसी एफ.सी.आई. है या राज्य सरकार की एजेंसी नैफेड है, इसके अलावा एग्रीकल्चर की भी एजेन्सीज हैं, जो प्रोक्योरमैन्ट करती हैं, अनाजों की खरीद करती हैं, उन्हें दिक्कतें आयेंगी। वे सैन्ट्रल पूल को अनाज नहीं दे सकेंगी। यदि सैन्ट्रल पूल में अनाज की कमी होगी तो बफर स्टाक का नार्म्स पूरा नहीं होगा और बफर स्टाक का नार्म्स यदि हम मेनटेन नहीं करते हैं तो देश के अंदर जो सुखाड़, बाढ़ और तूफान आदि आते हैं, हम उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह एक नीतिमूलक बात है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है।

सभापति महोदय, आप डा. लोहिया की चर्चा सदन में बराबर करते रहते हैं और आपके प्रति इसलिए मेरा पूर्ण आदर है। डा. लोहिया ने कहा था-दाम बांधो नीति। करखनिया माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज करखनिया माल की क्या हालत है। आज बहुत हाय-तौबा हो रही है, जब कृषि के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरुद्ध बड़े जोर से आवाज उठती है। कृषि उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो सभी लोग आवाज उठाने लगते हैं। स्वाभाविक है कि कृषि और अनाज से सभी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि फूडग्रेन्स से सबका संबंध है लेकिन सीमेंट, लोहा, खाद, कपड़ा, दवाई और नमक इत्यादि चीजों से भी लोग जुड़े हुए हैं, ये कारखाने से उत्पादित वस्तुएं हैं। यह कारखाना माल जब चार गुना बढ़ जाता है तब भी उतनी आवाज नहीं उठती है जितनी आवाज फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाने से उठती है। चूंकि फूड तो हर इंसान की पेट की ज्वाला को शांत करता है इसीलिए इसमें थोड़ी भी वृद्धि होगी तो हल्ला होगा। डीजल की कीमत बढ़ती है और जिसका बोझ डाइरेक्ट किसान पर पड़ता है, उस पर उतनी हायतौबा नहीं होती। प्रैस में कुछ बयान आ जाते हैं, खासकर हमारे वामपंथी भाईयों के बयान आ जाते हैं।

खेती वाली जमीन सैज के चलते कम होती जा रही है। यह जो सैज है, इसके तहत 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर की लैंड भी एक्वायर की जा सकती है। बार-बार कहा गया कि बंजर भूमि आप एक्वायर करो। जो खेती लायक जमीन है, जो इरीगेटेड लैंड है, वह उद्योग और सैज में नहीं देना चाहिए और सैज के लिए हालत यह है कि राज्य सरकार भी प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बन गई है। अब कंपनी को यदि जमीन लेनी है, चाहे टाटा को जमीन लेनी हो या रिलायंस को लेनी हो, जमीन बड़ी-बड़ी कंपनियों को लेनी हो लेकिन राज्य सरकार जहां जमीन लेनी है, वहां की राज्य सरकार प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बन जाती है। ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। जिनको किसान से लेना है, वे किसान से डाइरेक्ट बात करें और डाइरेक्ट किसान को मुआवजा दें जितने मुआवजे की वे मांग करते हैं और बंजर भूमि को ज्यादा इसमें ले। इस बात पर रहना चाहिए कि खेती लायक जमीन नहीं दी जाएगी।

महोदय, मैं महंगाई के कारण पर बोल रहा हूं। जमीन यदि घटेगी तो राष्ट्रीय उत्पादन पर असर होगा और राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा तो इसकी महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी। करोड़ों लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जमीन चली जा रही है। लिखा हुआ है कि 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर लैंड भी जाएगी। जब राज्य सरकार उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी डीलर बनी हुई है तो जितनी जमीन है, उतनी जमीन प्राइवेट कंपनियों को एक्वायर करा दी जाएगी। इसलिए सैज के द्वारा भी जो एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, उससे भी उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पाद, तेल, सीमेंट, लोहा, दवा इत्यादि वस्तुएं 1966 के मुकाबले 20 गुना से 30 गुना ज्यादा भाव में लोग खरीद रहे हैं। अब क्या कृषि उत्पाद की कीमत उसी अनुपात में बढ़ पाई है? इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं यह मांग करता हूं कि एक मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए।

कृषि उद्योग के उत्पाद की कीमत में संतुलन बनाने के लिए जिस अनुपात में उद्योग के उत्पाद, औद्योगिक कारखानों के उत्पाद के दाम बढ़ते हैं, उसी अनुपात में कृषि उत्पाद के दामों में संतुलन बनाने पर विचार करना चाहिए। जो कीमत बढ़ती है, वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी होती है, इस अनुपात में कृषि उत्पाद की कीमत भी बढ़े। मैं यह कहना चाहता हूं कि सस्ता भोजन राष्ट्र को जरूर मिले। साथ-साथ सामान भी किसान को मिले। इस पर भी ध्यान रखना होगा। यह डा. राम मनोहर लोहिया का दृष्टिकोण दाम बांधो नीति है। कारखाने के माल का दाम डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक फसल की कीमत अगली फसल तक उसी कीमत पर दस प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मूल्य आयोग कारखाने के उत्पाद की कीमत निर्धारित करे और तब कीमत तय हो। जब तक कारखाने के माल की कीमत तय नहीं होती है, तब तक उद्योगपति मनमानी करते रहेंगे और किसान लुटता रहेगा। इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में, मैं फारवर्ड ट्रेडिंग के विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि फारवर्ड ट्रेडिंग क्या है। बड़ी जोर से हल्ला हुआ कि फारवर्ड ट्रेडिंग किसानों की दशा सुधारने के लिए है। अप्रैल 2003 में एनडीए के शासनकाल में हम लोग हल्ला करते रहे कि आप इसे नहीं करिए। वर्ष 2003 में एनडीए के शासनकाल में अप्रैल में फारवर्ड ट्रेडिंग चला दी गई। महंगाई बढ़ने के जितने कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण फ्यूचर ट्रेडिंग-वादा बाजार प्रथा रही है क्योंकि आजादी के बाद फारवर्ड ट्रेडिंग कांटैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 आया। 1952 के आने के बाद फारवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना मुंबई में एक रेगुलेटर के रूप में की गई। लेकिन जब 1960 में फारवर्ड ट्रेडिंग के नाम पर महंगाई बढ़ गई तो इस पर बैन करना पड़ा। जब एन.डी.ए. का शासनकाल आया तो अप्रैल, 2003 में दुबारा चालू किया गया। यह कहा गया कि इसे खोलने से किसानों की दशा में सुधार किया जायेगा। व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव से किसानों को बचाने के लिये यह फारवर्ड ट्रेडिंग लगा दिया गया। जब यह शुरू किया गया तो देश के 24 कम्युनिटी एक्सचेंजों में किसानों को प्रवेश नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में था लेकिन अहमदाबाद और मुम्बई की बात छोड़िये। नेशनल कम्युनिटी एक्सचेंज दो मुम्बई में और एक अहमदाबाद में है। यह कहा जा रहा है कि किसानों के लिये फारवर्ड ट्रेडिंग में प्राइस मैनेजमेंट में मदद करेगा। एन.सी.डी.एफ. ने कहा कि किसानों को भविष्य में प्राईस की एडवांस इनफौरमैशन देगा जिससे किसानों को फसल चुनने में मदद मिलती है लेकिन यह जमीनी सच्चाई नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभ मिलना चाहिये। जहां फारवर्ड ट्रेडिंग कमीशन किसानों को एडवांस में फसलों के मूल्यों की सूचना देगा, वहां वैबसाइट में भी यही कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज कितने छोटे या मझौले किसानों के घरों में कम्प्युटर्स हैं? लेकिन दो-ढाई एकड़ वाले छोटे किसानों और मझौले किसानों को डिस्ट्रेस, सैल पर अपना कच्चा माल बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। उस किसान को अपने घर के लिये साड़ी, नमक, साबुन, बच्चों के लिये किताबें लेनी पड़ती हैं क्योंकि वह अनाज स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिये स्पाट पर सस्ता बेचने के लिये मजबूर है। इसलिये उन्हें इस ट्रेडिंग से कोई लाभ नहीं है। केवल 10 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो फायदा ले रहे होंगे, बाकी 90 प्रतिशत किसानों को कोई लाभ नहीं है।

सभापति महोदय, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की परिस्थिति में फारवर्ड ट्रेडिंग में इनफ्लेशन सरकुलेशन बढ़ रहा है। इसलिये जितना कृषि उत्पाद है, उसे फारवर्ड मार्किट से बाहर किया जाये। इनमें दालें, खाद्य तेल, चीनी को कम से कम तत्काल फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर किया जाये। मेरा सुझाव है कि राष्ट्र को महंगाई की मार से बचाने के लिये इन सब चीजों को फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर रखा जाये।

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): सभापति महोदय, आज बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिये इस सभा में हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं इस चर्चा में सहभागी होना चाहता हूं। आज महंगाई की हालत यह है कि लाखों गरीब लोग रात में भूखे सो रहे हैं। गांवों में यहां तक देखने में आ रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिये नशायुक्त पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। आज सरसों का तेल 100 रुपये किलो, तूर की दार 70-75 रुपये किलो तक पहुंच गये हैं। किसानों के लिये खाने की चीजें 30-40 रुपये किलो तक बिक रही हैं। इस महंगाई की मार गरीब और किसान दोनों पर है। आज चीजों के भाव इतने बढ़ने के बाद किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को उनकी उपज का मूल्य वही मिल रहा है जबकि सब से ज्यादा फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। सरकार ने इस परिस्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये हैं और क्या वे कदम सख्ती से पूरे किये जा रहे हैं? मैं तो यह देख रहा हूं कि आज की परिस्थिति में सख्त कदम उठाने के लिये और निश्चित कदम और निश्चित बात करने के लिये राजनैतिक सोच में कमी है। जहां जाते हैं, हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को न समय पर पानी मिल पा रहा है, न खाद मिल रही है और न ही बीज समय पर मिल रहे हैं। जब उनके पास अनाज तैयार हो रहा होता है, तब प्रकृति की मार-ओलावृष्टि, बरसात से बरबाद हो जाता है। किसानों के बारे में सरकार की कोई सोच नहीं है। दक्षिण में चुनाव में लुभावने नारे दिये जा रहे हैं कि उन्हें 2 रुपये किलो चावल और 3 प्रतिशत ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है। क्या इस तरह से किसानों से पैसा वसूल किया जा सकेगा? जब किसानों द्वारा उपज पैदा की जा रही है, यदि उसे उसके उत्पाद का पैसा नहीं मिल रहा है तो इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा? जब उसे उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो महंगाई के

[श्री रमेश दूबे]

बारे में क्या सोचा जाये और क्या किया जाये? मात्र इस बात पर चर्चा की जाए कि जिस चीज की महंगाई बढ़ेगी, उसे हम विदेशों से मंगाकर पूरा करेंगे, तो इससे महंगाई नहीं रुकेगी। यह देखा जा रहा है कि पीडीएस के माध्यम से गांवों में गरीबों के पास जो सामान जाना चाहिए, उसकी सीधे-सीधे कालाबाजारी हो रही है। किसी भी तरह का सख्त कानून लागू नहीं हो रहा है जिससे लोग डरें बल्कि लोगों का मन बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। जहां तक गरीबों को अनाज बांटने का सवाल है, वह भी कहां जा रहा है, वह पता लगाइए। गांवों में अनाज नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जो चीजें पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, वे सख्ती से लोगों में बंटे और महंगाई रोकने के लिए उत्पादन और उसका जो खर्च है, उसके साथ किसानों को किस तरह से लाभ हो, कैसे वे ज्यादा अनाज पैदा कर सकें, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर अपने साथियों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, धन्यवाद। देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। केन्द्र की यह कांग्रेसनीत-यूपीए सरकार गरीब और आम आदमी से धोखा कर रही है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण उनका 'आम आदमी' वाला अभियान एक मजाक बन गया है। केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही है जिससे गरीब आदमी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

यूपीए सरकार जिसने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आवश्यक वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखने का वादा किया था, अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ" नामक कांग्रेस के नारे का क्या हुआ? अब यह एक चुटकुला बन गया है। सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे-चावल, गेहूं, चीनी, दालों, लाल मिर्च, चना, सरसों, खाद्य तेल, दूध, फलों, सब्जियों, दवाओं, औषधियों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। किन्तु यह शर्म की बात है कि सरकार खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के प्रति गंभीर अथवा चिंतित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार की ढुलमुल नीतियां जिम्मेदार हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार खाद्य नीति में घपलेबाजी कर रही है। इस मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण वायदा कारोबार की नीतियां, पीडीएस की विफलता और जमाखोरी है।

पहले, कालाबाजारियों और जमाखोरों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एक उपबंध था। यह उपबंध 'विशेष न्यायालय' गठित करने संबंधी था। अधिनियम की धारा 12(क)(क) के उपबंध के अंतर्गत यह प्रावधान था। उपबंध के अंतर्गत केवल 'विशेष न्यायालय' ही जमानत संबंधी आवेदनों पर विचार करने हेतु सक्षम था। अधिनियम में अब यह उपबंध नहीं है। यह अब लागू नहीं है।

इसलिए, मेरा इस सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस उपबंध को पुन: लागू करे ताकि जमाखोरों और कालाबाजारियों के दिमाग में इसका डर हो क्योंकि उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों से जमानत नहीं मिल पाएगी। केवल 'विशेष न्यायालय' उनके जमानत संबंधी आवेदनों पर विचार कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है। सहकारी क्षेत्र भी अब काम नहीं कर रहा है।

आज देश में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए तीन नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजों, एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और एनएमसीई में आज भारी सट्टेबाजी के बीच इन वस्तुओं की भारी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। वस्तु बाजार में उतार-चढ़ाव के दौर में बाजार में नए निवेशक आ गए हैं जिन्हें डे-ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है। स्टाक बाजार में ऐसे निवेशकों की उपस्थिति आम बात है। ये निवेशक वस्तु बाजार के भारी मुनाफे के चलते अपना धन इस बाजार में लगाते हैं और इससे भारी मुनाफा कमाते हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा हो रहा है।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के कार्य-निष्पादन को दर्शाती है। आज हमारे लिए यह बात बहुत ही चिंताजनक है कि हमारा देश अतिरिक्त खाद्यान्न अर्थव्यवस्था से एक अभावग्रस्त खाद्यान्न अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। यदि इस बार प्रकृति की कृपा नहीं हुई और इस वर्ष वर्षा कम हुई तो इससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा और पूरी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति का दबाव झेलना पड़ेगा।

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजकोषीय उपायों की सहायता करने वाली नीति को कड़ा किए जाने की संभावना है। लेकिन मौद्रिक हस्तक्षेप से तुरन्त परिणाम नहीं मिल सकते क्योंकि वर्तमान वृद्धि आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न हुई है न कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से।

महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य वस्तुओं से संबंधित मूल्यों के बारे में कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं। मार्च, 2007 में चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम था मार्च, 2008 में यह 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया और यह बढ़ोतरी 20 प्रतिशत है। मार्च,

2007 में गेहूं का मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 13 रुपए प्रति किलोग्राम है और यह बढ़ोतरी 8 प्रतिशत है। मार्च, 2007 में काली उड़द की दाल का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 39 रुपए प्रति किलोग्राम हैं और ये बढ़ोतरी 22 प्रतिशत है। मार्च, 2007 में तूर दाल का मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 42 रुपए प्रति किलोग्राम है और ये बढ़ोतरी 20 प्रतिशत है। मूंगफली के तेल का मूल्य 98 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 121 रुपए प्रति किलोग्राम है और ये बढ़ोतरी 23 प्रतिशत है। मार्च, 2007 में सरसो के तेल का मूल्य 56 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम है और ये बढ़ोतरी 43 प्रतिशत है। मार्च, 2007 में चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 18 रुपए प्रति किलोग्राम है और ये वृद्धि 12.5 प्रतिशत है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण देते समय सीमेन्ट और इस्पात के मूल्यों का उल्लेख किया है। जनवरी, 2007 में सीमेन्ट का खुदरा मूल्य 165 रुपए प्रति बोरी था जनवरी, 2008 में ये 206 रुपए प्रति बोरी था और ये बढ़ोतरी 20 प्रतिशत है। जहां तक जनवरी, 2007 से जनवरी 2008 तक इस्पात के हाट-राल्ड, कोल्ड राल्ड और फ्लैट राल्ड काएल का संबंध है तो ये बढ़ोतरी क्रमश: 14 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 13 प्रतिशत है। यदि हम वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के मूल्यों से इनकी तुलना करें तो इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।

महोदय, पिछले कुछ समय से मुद्रास्फीति विशाल अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चिंता है। जब 15 मार्च, 2008 को 13 महीनों में मुद्रास्फीति बिंदु दर बिंदु आधार पर 6.68 प्रतिशत थी उसी समय खतरे की घंटी बजने लगी थी। इसके बाद अगले सप्ताह यह दर बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई थी और 29 मार्च, 2008 को सप्ताह के आखिर में ये बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन 29 मार्च के आखिरी सप्ताह में अनन्तिम मुद्रास्फीति 14 महीने में सबसे अधिक 7.41 प्रतिशत रही।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि मुद्रास्फीति की दर ऊंची है तो व्यापक स्तर पर यह बात महसूस की जाती है कि इससे आर्थिक वृद्धि में रुकावट आएगी और सामाजिक न्याय का मार्ग भी अवरुद्ध होगा। पूरा देश उच्च मुद्रास्फीति से त्रस्त है।

आज वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर अधिक है। ये आंकड़े फरवरी के दूसरे सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक अनुमानों की अंतिम समीक्षा पर आधारित हैं। यह समीक्षा 67 मूल प्वाइंटों पर आधारित है जिससे मुद्रास्फीति की दर में 4.74 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 5 जनवरी से 2 फरवरी के बीच के पांच सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की औसत समीक्षा 57 मूल प्वाइंटों के आधार पर की जाती थी। यदि आप 100 प्वाइंट के साथ 1990-91 को इसका आधार वर्ष माने तो विनिर्मित उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक 24 मार्च, 2007 को बढ़कर 183.8 हो गया था और 22 मार्च, 2008 को 195.4 था। प्राथमिक उत्पाद सूचकांक 215.3 से बढ़कर 234.6 हो गया और ईंधन, विद्युत, लाइट और लुब्रीकेंट के संबंध में यह 326.6 से बढ़कर 341.4 हो गया था और उक्त अवधि के दौरान अन्य सभी वस्तुओं से संबंधित सूचकांक 201.1 से बढ़कर 224.8 तक पहुंच गया था।

अपराह्न 3.02 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आगे आकर जमाखोरों और कालाबाजारियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना चाहिए और इसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए तथा इसकी परिधि में और अधिक आवश्यक वस्तुओं को लाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के वायदा कारोबार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है तथा तेल संबंधी सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के पुनर्गठन के उपायों के साथ-साथ पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा मूल्यों में भी कमी लायी जानी चाहिए।

मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी सभी सरकारी शुल्कों में कमी की जानी चाहिए, डालर के मुकाबले रुपए को मजबूत बनाना चाहिए एवं ब्याज दरों को भी कम किया जाना चाहिए। कृषि में और अधिक निवेश किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय काम नहीं कर रहे हैं। अत: जमाखोरों तथा कालाबाजारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष न्यायालयों को दोबारा अस्तित्व में लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महंगाई के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने विगत चार सालों में क्या किया? महंगाई के कारण देश में बहुत गम्भीर परिस्थिति निर्मित हुई है। महंगाई के कारण गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, सभी परेशान हैं। पक्ष और विपक्ष के सांसद भी परेशान हैं। सरकारी पक्ष के सांसद यू.पी.ए. की चेयरपर्सन और प्रधान मंत्री से मिलते हैं, तो वे भी अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं, लेकिन वे भी इसे कम करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है।

महोदय, यू.पी.ए. की सरकार में महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए कोई नियोजन नहीं किया गया है। इसीलिए महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। वर्ष 2004 में यह सरकार आई और उससे पहले एन.डी.ए. की सरकार थी। मैं एन.डी.ए. की सरकार में जो रेट थे, भाव थे और आज यू.पी.ए. सरकार के समय जो रेट हैं, उनमें हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, एक वैबसाइट में एक नोट मैंने देखा था। मैं उससे पढ़कर बताऊंगा। उनका कहना है कि रिटेल प्राइसेस में चार मैट्रो शहरों में 40 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 14 आवश्यक वस्तुओं के रखे गए विस्तृत मूल्य आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई के बाद राष्ट्रीय राजधानी में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में सबसे ज्यादा मूल्यवृद्धि दर्ज की गई है। मिनिस्ट्री आफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ही कहा कि इतना यह हुआ और इसलिए अन्य महानगरों के मुकाबले मूल्यवृद्धि से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि दिल्ली खाद्य आपूर्ति के लिए किसी पश्चभूमि से जुड़ी हुई नहीं है। तेल के मूल्यों, संभार तंत्र और ढुलाई की लागत में हुई वृद्धि ने खाद्य पदार्थों की कीमत को बढ़ाने में आग में घी का काम किया है।

[हिन्दी]

यह बहुत गम्भीर परिस्थिति निर्माण होने का कारण कुछ नियोजन नहीं होना है, मैंने ऐसा कहा। मैं यह भी कहूंगा कि जो एन.डी.ए. के समय में फीगर थी, उस फीगर में कितनी बढ़ोतरी हुई। एन.डी.ए. के समय मई, 2004 में गेहूं नौ रुपये था, अब 14 रुपये हो गया। आटा 10 रुपये था, आज 18 रुपये हो गया, इसमें आठ रुपये की बढ़ोतरी हुई। मैदा 12 रुपये थी, आज 20 रुपये हो गई। चावल 10 रुपये से आज 28 रुपये हो गया। ब्रैड आठ रुपये से आज 15 रुपये हो गई। शुगर 14 रुपये से अभी 24 रुपये हो गई। चाय का दाम 80 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गया। मस्टर्ड आयल का 40 रुपये से आज 80 रुपया हो गया। डालडा 40 रुपये था, वह आज 68 रुपये हो गया, उसमें 28 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। देसी घी 130 रुपये था, आज 225 रुपये हो गया। मूंग दाल 24 रुपये से आज 42 रुपये हो गई। दूसरी भी जितनी दालें हैं, अरहर दाल, मसूर दाल, उनमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई। चना दाल भी 25 रुपये से आज 37 रुपये किलो हो गई। राजमा तो दिल्ली में हम सभी लोग खाते हैं। राजमा एन.डी.ए. के समय मई, 2004 में 28 रुपये किलो मिलता था, वह आज 55 रुपये किलो हो गया। गुड़ का भाव भी 14 रुपये से 20 रुपए हो गया। बेसन का भाव 20 रुपये से 48 रुपये किलो हो गया। दूध 14 रुपये लीटर था, वह आज 24 रुपये हो गया। पनीर 62 रुपये का था, आज 140 रुपये तक चला गया। कैरोसीन 18 रुपये प्रति लीटर था, वह आज 28 रुपये हो गया। एल.पी.जी. 240 रुपये से 295 रुपये हो गई। पैट्रोल 33.15 रुपये था, वह आज 47 रुपये हो गया, कई जगह तो उससे भी ज्यादा का मिलता है। डीजल 22 रुपये से आज 32 रुपये हो गया। सीमेंट 125 रुपये से 240 रुपये और स्टील का भाव तो आपको पता है। स्टील और सीमेंट के भाव तो इतने बढ़ गये कि गरीब आदमी कहां से अपना मकान बनाएगा। स्टील 23 हजार रुपये था, आज 44 हजार रुपये प्रति टन है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। बीच में 49 हजार का भी हो गया, ऐसी अभी सवेरे न्यूज थी। ब्रिक्स (ईंट) 1800 रुपये प्रति हजार से आज 2500 रुपये का भाव है तो गरीब आदमी कहां से मकान बनाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान देने की हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यू.पी.ए. सरकार इसमें बिल्कुल फेल हो गई और उसमें कुछ नहीं कर सकी।

यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने 29 फरवरी को बजट दिया तो बजट देने के बाद बड़ी वाहवाही हुई कि हमारी किसानों का पांच एकड़ तक का लोन क्लियर हो गया, उनकी कर्जमुक्ति हुई, लेकिन आज पांच एकड़ का किसान बिल्कुल रो रहा है। आदरणीय शरद पवार जी ने और हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी जगह-जगह जाकर, सब किसानों से बात होने के बाद यह कहा कि बड़े किसानों को भी उसमें राहत मिलनी चाहिए और राहत दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यह करना ही चाहिए। आज अगर हम किसानों को खेती करने के लिए कुछ प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि सब जगह एस.ई.जैड. बन रहे हैं। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो खेती का उत्पादन कम होता जायेगा और निश्चित रूप से आगे चलकर शार्टेज और महंगाई में ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है।

आज हम एस.ई.जैड. के नाम पर इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं। आज हमारा किसान भी यह देखता है कि एस.ई.जैड. में जमीन जाने दो, इस भाव में जा रही है। सरकार ने भी यह कहा है कि इंडस्ट्री वाले जाकर सीधे किसानों के साथ सौदा कर लें। इससे किसान को लालच हो जाता है और लालच के कारण से अगर समझो कि दो लाख रुपये प्रति एकड़ की उसकी खेती होगी तो वह उसे 10 लाख रुपये में बेच देगा और खेती करना बंद कर देगा और गांव में कहीं भी चला जायेगा। अगर यह भूमि किसानों की हो गई तो खेती में जो भी उत्पादन होगा, वह नहीं होगा। इस पर भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, यह मेरी आदरणीय शरद पवार साहब से और यहां बैठे हुए मंत्री जी से विनती है। 29 तारीख को बजट पेश होने के बाद 4 मार्च को फिगर क्या थी। राजमा जो 40 रुपये से 42 रुपये किलो था, वह 44 रुपये से 50 रुपये तक हो गया, मतलब उसमें दो-तीन रुपये बढ़ गए। बजट के बाद हर चीज में दो-दो, तीन-तीन रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अरहर की दाल, मूंग धुली, मूंग छिलका, उड़द छिलका, चना दाल, मसूर की दाल, इन सबके दामों में बढ़ोतरी हो गई। मूंग की दाल जो 35 रुपये किलो थी, वह 38 रुपये की हो गई। बजट के बाद ही सब चीजों के दाम तीन-तीन, चार-चार रुपये बढ़ गए, इसका क्या कारण है। जो लोग अपने पास स्टाक रखते हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुछ साथियों ने कहा कि राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता। राज्य सरकारों का सहयोग क्यों नहीं मिलेगा। आपने राज्य सरकारों से कोआर्डीनेशन कब किया? यदि राज्य सरकारों से कोआर्डीनेशन होता तो ठीक होता। मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी, तब हमने पांच सालों तक पांच मुख्य वस्तुओं के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी, जनता को उसी दाम में वे वस्तुएं दी गईं। उस समय गेहूं की कीमत 5 रुपये किलो थी, 4 रुपये क्षेत्र में था, आदिवासी क्षेत्र में 3 रुपये किलो दिया जाता था और बाजार में 11 रुपये किलो था। चावल के दाम 7.90 रुपये और 7.50 रुपये थे। शक्कर का दाम 9.05 रुपये था और खाद्य तेल 32 रुपये का था। हमने पांच सालों तक इन चीजों के दामों में बढ़ोतरी नहीं होने दी। जब राज्य सरकार इतना कंट्रोल कर सकती है तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। फर्टीलाइजर कम्पनियों को एक लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की बात हो रही है। इस बारे में राम विलास पासवान जी का स्टेटमैंट आ रहा है। इस कारण आने वाली फसल के समय बहुत मुश्किल होने वाली है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुझाव दे दीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे: सबसिडी नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है, यानी अगली बार किसान और मर जाएगा। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महाराष्ट्र और दूसरी कई जगहों पर छोटे-छोटे व्यापारियों के वहां छापा मारा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में ज्यादा स्टाक रखा हुआ है। बड़े माल्स वालों पर छापा क्यों नहीं मारा जाता। कई कम्पनियां जैसे अदानी एक्सपोर्ट्स, रिलायंस आदि एक्सपोर्ट करती हैं, काफी स्टाक रखती हैं। कौन से अधिकारी उनके वहां जाकर स्टाक चैक करते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि वायदा बाजार बंद होना चाहिए, माल्स वालों पर कंट्रोल होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आदरणीय शिवराज पाटील ने हाई लैवल कमेटी के बारे में कहा। ...*(व्यवधान)* यदि हाई लैवल कमेटी सीरियस और सिनसेयर होगी तभी काम होगा, नहीं तो वह सिर्फ जाकर देखेगी, कुछ करेगी नहीं। इस बारे में ऐसा डिपार्टमैंट खोलना चाहिए जो रोज यह देखे कि कहां किस चीज के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। किसान और व्यापारियों के बीच दलाली बंद होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

राज्य सरकार अपना कर्त्तव्य निभाती है, लेकिन केन्द्र सरकार का कोआर्डीनेशन भी होना चाहिए। यूपीए सरकार की कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण आज जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो रोज एजीटेशन होते रहेंगे। यूपीए सरकार के साथी कहते थे कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया है। लेकिन महंगाई के कारण उनका नुकसान हो रहा है। ...*(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई देते हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे: यह मुद्दा बहुत सीरियस है। यूपीए सरकार के लोगों को देश में सब जगह आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, मुद्रास्फीति भोली-भाली जनता अर्थात् आम-आदमी पर लगाया गया परोक्ष कर है। मुद्रास्फीति न केवल व्यापार में निवेश के स्तर को कम करता है बल्कि उत्पादन के कारकों की कार्यक्षमता को भी कम करता है। आइये देखें की सरकार के प्रतिनिधि किस प्रकार मूल्यवृद्धि की इस कष्टकारी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं।

[श्री खारबेल स्वाईं]

जब कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री सचिन पायलट बोल रहे थे, वे एक नए सदस्य हैं तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने उनसे उनके भाषण के बाद उपस्थित रहने का अनुरोध किया था चूंकि मैं जानता था कि वे अपने भाषण के बाद उपस्थित नहीं होंगे। उस समय मैंने उन्हें उत्तर नहीं दिया, परंतु मैंने उनसे प्रतीक्षा करने और हमारे भाषण को सुनने का अनुरोध किया था। परंतु हमेशा की तरह वे उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि ने व्यापारियों के कारण कालाबाजारी करने वालों व जमाखोरों जो कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं के कारण भयानक स्थिति पैदा कर दी है।

उन्होंने यह कहा था।

मुझे याद है कि 1998 में बीजेपी सत्तारूढ़ थी, प्याज के दाम 60 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए थे। दिल्ली राज्य के चुनावों के दौरान कांग्रेस के लोग प्याज के हार पहन कर हर जगह यह कहते हुए घूम रहे थे कि प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। हम चुनाव हार गए थे। कुछ समय बाद चमड़े की कीमतें बढ़ गईं। मैं सोच रहा था कि क्या अब कांग्रेस के लोग अपने गले में जूतों का हार पहन कर घूमेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अब, चूंकि सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हो गई है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपने गले में सीमेंट के बोरों का हार डाल कर घूमना चाहिए, हम उनकी मदद करेंगे जैसाकि वे वर्ष 1998 में पहले ही उदाहरण पेश कर चुके हैं।

महोदय प्रधान मंत्री से आरंभ करते हुए सरकार की इस पर प्रतिक्रिया को देखें। प्रधानमंत्री का कहना है कि मुद्रास्फीति को रोकना कठिन है। माननीय मंत्री, श्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसी प्रकार आपातकाल के दौरान, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी घटना है। हम इसे रोक नहीं सकते।

प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि किसानों के ऋणों को माफ करने के कारण, यूपीए सरकार एनडीए सरकार के अदत्त बिलों का भुगतान कर रही है। सरकार की यह प्रतिक्रिया है। सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि मूल्य वृद्धि मौसमी है। अन्य सदस्य ने कहा कि यह तीव्र आर्थिक विकास का नैसर्गिक परिणाम है।

महोदय, पिछले एक या दो दशकों में चीन ने तीव्र आर्थिक विकास किया है परंतु इसकी मुद्रास्फीति की दर 2 प्रतिशत से कम है। वे इसे इतने न्यूनतम स्तर पर कैसे रख पाएं हैं? क्या ऐसा नहीं है कि पिछले अनेक वर्षों से उनकी विकास दर भी बहुत अधिक रही है?

अब, वे आपूर्ति में कठिनाईयों, आपूर्ति और मांग के बीच के असंतुलन की बात कर रहे हैं। वे अब यह कह रहे हैं कि यह आपूर्ति की कठिनाईयां हैं। मूल्य वृद्धि के यह कारण दिए गए हैं। परंतु मैं यह कहूंगा कि सरकार मुद्रास्फीति को रोक पाने में अपनी असफलता पर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। सरकार बच नहीं सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि का बढ़ना सराकर की नीति इस सरकार की आमूल नीति परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

15 मार्च को मुद्रास्फीति 6.68 प्रतिशत थी और 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में 7 प्रतिशत तथा 29 मार्च को यह 7.41 प्रतिशत थी। यहां मैं सरकार से एक प्रश्न और पूछता हूं। क्या डब्ल्यूपीआई जो कि थोक मूल्य सूचकांक है, भी ठीक है? क्या डब्ल्यूपीआई द्वारा संग्रहित आंकड़े ठीक हैं?

सरकार स्वयं एक ही बात कहती है कि चावल के बाजार के दाम में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, खाद्य तेलों के मूल्यों में 40 प्रतिशत, दुग्ध उत्पादों के मूल्य में 12 प्रतिशत तथा दलहनों के दामों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वे कैसे कहते हैं कि मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत है? यह तो कहीं अधिक है।

ऐसा इसलिए है चूंकि उन्होंने इसके परिकलन में अनेक उन मदों को शामिल नहीं किया है जिनकी कीमतें पिछले अनेक माह से अधिक रही हैं। समय की कमी के कारण, मैं उन वस्तुओं का ब्यौरा नहीं दूंगा कि वे कौन-कौन सी हैं। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे बिस्कुट, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, विद्युत चालित मशीनरियों, विद्युत उपस्करों, औषधों तथा दवाओं की कीमतें पिछले अनेक महीनों से बहुत अधिक हैं। अब, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। चावल पर प्रतिटन निर्यात शुल्क बढ़ गया है। सरकार ने इसे 1,000 डालर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय किसानों को सस्ते आयात से बचाने की बजाय, सरकार, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक खाद्य वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित कर रही है।

अब, सरकार को अपनी प्राथमिकताएं ठीक करनी होगी। इसकी नीति क्या है? एक तरफ तो सरकार किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती हैं वहीं दूसरी ओर यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती है। क्या किया जाना चाहिए। यदि आप किसानों को अधिक पैसा देंगे तो स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति का रूझान बढ़ेगा। अगर आप मुद्रास्फीति नहीं चाहते हैं तो आप किसानों को अधिक लाभ देने की बातें क्यों कर रहे हैं? सम्भवत: सरकार यह सोचती है कि यदि कुछ लोगों द्वारा जमाखोरी की जाती है तो यह राष्ट्र के लिए बुरा है परंतु यदि निर्यात कर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्र द्वारा जमाखोरी की जाती है तो यह विश्व के लिए अच्छा होगा।

सरकार स्वयं ही कह रही है कि चूंकि खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि की घटना विश्वव्यापी है और भारत के प्रभावित होने का यही कारण है। अब आप देखिये कि खाद्य पदार्थों की वस्तुओं में विश्व भर में वृद्धि क्यों हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह खाद्य पदार्थों की कमी है। हर कोई कह रहा है कि अमेरिका में उगाया गया 1/3 मक्का तथा एक तिहाई गन्ना खाद्य स्टाक की बजाय बायो ईंधन बनाने में उपयोग किया जाता है। हम यही कह रहे हैं। अफ्रीका का उदाहरण लें। वे संकट का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका में भोजन के लिए अनेक दंगे हुए। बुरकिनो फासो, गाबोन एवं अन्य देशों का उदाहरण लें, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। आप पुनः कह रहे हैं कि आप निर्यात रोक रहे हैं। इससे विश्व में खाद्य पदार्थों के मूल्य में और वृद्धि होगी और विश्व में खाद्य पदार्थों के मूल्य में और वृद्धि का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत के किसान जानते हैं कि विश्व भर में बाजार भाव क्या है। इसलिए, वे गेहूं और चावल की जमाखोरी करेंगे और जब कभी भी गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि होगी, वे उसे बाजार में बेच देंगे। तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा खाद्यान्न की खरीद में विफलता आएगी। यह पहले ही असफल हो चुकी है। इसलिए, यह सरकार असमंजस की स्थिति में है। अतः यह नहीं जानती की क्या मुद्रास्फीति को रोका जाए अथवा किसानों को उनकी फसलों के अधिक मूल्य दिए जाएं।

महोदय, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। अब, सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात बाजार किस प्रकार कार्य करता है? ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): गैर-बासमती चावल।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे खेद है। सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात बाजार किस प्रकार कार्य करता है? क्रयादेश काफी पहले दे दिए जाते हैं तथा निर्यातकों से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, आपने किसानों को इसे निर्यात करने की अनुमति दी तथा उन्होंने विश्व बाजार में प्रतिबद्धता की है। अब अचानक आपने इसे रोक दिया है। तब किसानों का क्या होगा? यही संशय है। एक बार आपने सोचा कि आपको किसानों को देश के बाहर अपना उचित मूल्य प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए और आपने यह अनुमति दी है तथा उन्होंने यह प्रतिबद्धता की। अब अचानक आपने किसानों को इसका निर्यात नहीं करने के लिए कहा है।

अतएव, यही उनका संशय है जिसे मैं बस आपके सामने रख रहा हूं। जब अन्न की भरमार है तो सरकार भारत को मुक्त अर्थव्यवस्था का नाम देती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने से इंकार करती है क्योंकि भंडार पर्याप्त है। जब मूल्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से मजबूत होता है और भारतीय निर्यात भी मजबूत है तब सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। अतएव, मैं सरकार पर यह संशय बनाए रखने का आरोप लगाता हूं।

महोदय, जब सं.प्र.ग. सरकार सत्ता में आई, तीन महान अर्थशास्त्रियों नामतः स्वयं प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, डा. मोंटिक सिंह अहलूवालिया का त्रिकोण बना। लेकिन कृषि के संबंध में उनकी नीति क्या है? कृषि वस्तु बाजार सरकारी हेराफेरी तथा ढुलमुल नीति से प्रभावित है। यह अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। समय-समय पर, सरकार ने केवल बस यही किया है कि वह गैर बासमती चावल सहित निर्यातों पर प्रतिबंध लगाना, कुछ वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना है। सरकार ने केवल इतना ही किया है। यह केवल घबराहट में आकर की गई प्रतिक्रिया है जो इस सरकार ने की है। सरकार ने घटते रकबे के मुद्दे का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। यह बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही; यह इसका अनुमान लगाने में विफल रही।

महोदय, वैश्विक उत्पादन परिदृश्य के संबंध में लगभग सात-आठ दिन पूर्व कोलकाता से प्रकाशित 'दि टेलीग्राफ' में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि गत दो वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री माननीय कृषि मंत्री को इन मामलों को देखने के लिए इशारा करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह समाचार 'दि टेलीग्राफ' में प्रकाशित हुआ। आप नहीं कह सकते हैं कि यह भाजपा का अखबार है जिसने यह आरोप लगाया है। यह आरोप 'दि टेलीग्राफ' ने लगाया था। हर समय माननीय कृषि मंत्री यह कह रहे हैं कि यह सब कुछ भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवर्तनशील उपयोग के कारण हो रहा है। वे कह रहे हैं कि आजकल खान पान की आदतें बदल गई हैं; यहां तक कि दक्षिण भारतीय लोग भी रोटी खा रहे हैं, वे भी गेहूं की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इन कारणों का भी उल्लेख किया कि गेहूं के विश्व उत्पादन में उतार चढ़ाव हो रहा है, मांग तथा आपूर्ति के बीच ताल मेल नहीं है, तथा निजी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य दे रहे हैं जिसके कारण खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं।

महोदय, वर्ष 2007-08 में समग्र खाद्य उत्पादन को किसी लक्ष्य को प्राप्त करना था लेकिन यह लक्ष्य से 2.2 मिलियन टन कम था। वर्ष 1999-2000 से गेहूं का उत्पादन स्थिर हो गया है। उस समय यह 76 मिलियन टन था तथा 2006-07 में यह 72.5 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 1990-2007 के दौरान खाद्यान्न

[श्री खारबेल स्वाईं]

उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक रूप से 1.2 प्रतिशत हो गई। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत है। अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। अतएव, यह अंतर विद्यमान है और यह सरकार केन्द्र में गत चार वर्षों से है। यदि वे इसका अनुमान नहीं लगा सके तो यह कौन करेगा? वे केवल यह कह रहे हैं कि राज्य कुछ नहीं कर रहे हैं, राज्य जमाखोरों को नहीं पकड़ रहे हैं। क्या उन्होंने यही बात 1998 में कही थी? उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली में उनकी सरकार ने क्या किया था? उन्होंने कहा, ''राजग सरकार के शासनकाल में प्याज का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था। हमें पुन: राज्यों में आने दें।'' उन्होंने उसी तर्ज पर नहीं सोचा जैसा कि वे अब कह रहे हैं, अर्थात्, वे अपने स्तर पर बेहतर कर रहे हैं, वे इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने भी उस समय यही कहा था। लेकिन उन्होंने लोगों को क्या कहा? उस समय, उन्होंने लोगों को कहा, ''भाजपा के जमाखोरों तथा भाजपा के मारवाड़ियों के कारण मूल्य वृद्धि हो रही है।'' वे भी पुराने टूटे हुए रिकार्ड को बजा रहे हैं।

आपके वक्ता भी यही कह रहे हैं। अंत में, अपनी बात समाप्त करने के पूर्व, मैं एक या दो बात कहना चाहता हूं।

उत्पादन होना चाहिए। यह काफी स्पष्ट है कि यदि आप मुद्रास्फीति रोकना चाहते हैं तथा खाद्यान्नों का मूल्य कम करना चाहते हैं तो खाद्यान्नों का मूल्य कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना एकमात्र उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अतएव, हमें उत्पादन बढ़ाने में बाधक स्थिर प्रति एकड़ उत्पादन पर ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक किसान अनाजों एवं खाद्यान्नों की खेती को छोड़ नकदी फसलों, जैसे कपास, गन्ना, इलायची, जूट इत्यादि की खेती की ओर रुख कर रहे हैं।

कृपया मुझे दो या तीन मिनट और दें। माननीय कृषि मंत्री जोकि काफी योग्य मंत्री है, मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनसे यह प्रश्न पूछता हूं। क्या किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं? कौन से किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बिहार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। वे किसान जो धान उपजाते हैं, आत्महत्या नहीं करते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अमीर किसान जो कपास, जूट, गन्ना उगाते हैं वे आत्महत्या करते हैं। वे लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं वे अन्न उपजाने वाले नहीं बल्कि गेहूं के उत्पादक ऐसा कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में कोई आत्महत्या नहीं करता है। अतएव, उन कारणों का पता लगाएं कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं।

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जूट, गन्ना तथा कपास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया उत्पादन लक्ष्य से आगे चला गया। उत्पादन ज्यादा है। इसलिए उन्हें मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तथा वे आत्महत्या कर रहे हैं। अतएव, मेरी अपील यही है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं तथा एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्री, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील भी यहां उपस्थित हैं।

मैंने वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य से अनेक बार बहस की है। फसल बीमा योजना का क्या हुआ? फसल बीमा योजना के संबंध में आपके नियम के अनुसार समूचा ब्लाक एक इकाई हैं। यदि सारे ब्लाक की फसल नष्ट हो जाती है तभी किसानों को बीमे के दावे का लाभ मिलेगा। जब किसान को फसल ऋण दिया जाता है तो प्रत्येक सहकारी बैंक द्वारा उसे दी जा रही धनराशि में से 2 प्रतिशत बीमा लाभांश काट लिया जाता है। ऐसा सहकारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है न कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। आप उससे पहले ही किस्त ले लेते हैं। लेकिन जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तब आप उसे एक पैसा भी नहीं देते क्योंकि उस समय आप कहते हैं कि समूचे ब्लाक की फसल नष्ट नहीं हुई है। अत: हम यह मांग करते हैं और हमने माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री से अनेक बार यह मांग की है कि आप ग्राम पंचायत को एक इकाई बना दीजिए। लेकिन स्थायी समिति में एवं सर्वत्र अधिकारियों ने हर बार कहा कि उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें फसल काटने का अनुभव हो। यदि आप फसल काटने का काम नहीं कर सकते तो फिर इस काम को राज्य सरकारों पर क्यों नहीं छोड़ देते। आप इस काम को पंचायत समिति को सौंप सकते हैं। आप उन्हें ये कार्य करने दीजिए।

आप ऋण माफी के लिए 60,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं लेकिन आप फसल बीमा योजना के लिए 10,000 रुपए नहीं दे सकते। आप यह धनराशि नहीं दे सकते। आपने कितनी धनराशि प्रदान की है? यह धनराशि 200 करोड़ या 300 करोड़ रुपए है। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं आपसे अपील करता हूं कि यह सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में एक बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूं कि कन्ट्रोल डीलरशिप व्यापार को समाप्त कीजिए। यहां कन्ट्रोल डीलरशिप क्यों होनी चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि आप मुझे कन्ट्रोल डीलरशिप दे दीजिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सारी वस्तुओं को काले बाजार में बेच देगा। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप 'खाद्य कूपन' की शुरूआत क्यों नहीं करते। जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने

ऐसा किया है। बिहार सरकार ने भी इसे लागू किया है। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा करके हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले चावल और गेहूं को लक्षित लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे इसे सही लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वास्तविक लोगों को इसका फायदा मिलेगा और यह राशन कालाबाजारियों के हाथों में जाने से भी बच जाएगा। यह बांग्लादेश या नेपाल में नहीं बेचा जा सकेगा जैसाकि हाल की रिपोर्टों में सामने आया है। अत: मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसे कृपया लागू कीजिए।

माननीय यादव जी ने वायदा व्यापार के संबंध में एक बात कही है। मुझे नहीं लगता कि वायदा व्यापार की वजह से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। वायदा बाजार एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार को इस बात के संकेत मिलते हैं कि भविष्य में सरकार को कितना खाद्यान्न प्राप्त होने वाला है। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आई है। आप चीन जा सकते हैं और वहां जाकर यह देख सकते हैं कि चीन में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हो रहा है और उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है। आप देखेंगे की भारत में खाद्यान्न उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। यदि आप कोशिश करें तो ऐसा कर सकते हैं।

आखिर में, जब सरकार कहती है और जब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मूल्यवृद्धि को रोकना हमारे वश की बात नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि यहां गंभीर आर्थिक संकट व्याप्त है और सरकार इस आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। यह सरकार जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी ही एक नई सरकार अस्तित्व में आएगी जो मुद्रास्फीति को रोकेगी ताकि वास्तविक आम आदमी को इसका फायदा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब श्री संदीप दीक्षित बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। मेरे जितने साथियों ने अपनी बात कही है, मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। गुरुदास जी ने बहुत भावुक तरीके से इस चर्चा को प्रारम्भ किया और अलग-अलग पार्टियों के सदस्यों ने अपनी बात कही। श्री स्वाईं जब भी अपनी बात कहने के लिए उठते हैं, मैं बहुत ध्यान से इनकी बात सुनता हूं। कई बार इनसे सीखने को मिलता है, लेकिन आज मैं इनकी बातों से थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मुझे मालूम नहीं है कि इन्होंने जो विचार अभी सदन में रखे, वे इनके व्यक्तिगत विचार हैं या पार्टी के विचार हैं। कई बार मैंने इनकी पार्टी के नेताओं को बार-बार कहते सुना है कि जो निर्यात नीति है, जैसे हम फूड ग्रेंस का या दूसरी चीजों का निर्यात करते हैं, जब तक उनका निर्यात नहीं रुकेगा, तब तक प्राइसिस का स्टेबेलाइजेशन नहीं हो सकता है। स्वाईं जी ने एक दूसरी आर्थिक नीति की सोच समझ को सदन के सामने प्रस्तुत किया है। स्वाईं जी ने सरकार के लिए कंफ्यूजन की बात कही है, मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर की जो कंफ्यूजन है, ये इनके वक्तव्य से ज्यादा साफ रूप से बाहर आती है। बीजेपी का प्रबल वक्ता कुछ और कहता है और इससे पहले सुमित्रा जी ने जो बात कही, वह बिल्कुल विपरीत कही। स्वाईं जी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको करेक्ट करूं, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि चाइना में इस समय इंफ्लेशन रेट 8.27 परसेंट के करीब है। हमारे कुछ मित्रों के लिए चाइना आदर्श राज्य भी है, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाइना में इंफ्लेशन रेट हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई का जो भयंकर रूप इस देश में देखा जा रहा है, सुबह से इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। हर व्यक्ति ने निजी अनुभव से भी और सरकारी आंकड़े पेश करके भी अपनी बात प्रस्तुत की है। दो चीजें मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, गेहूं और चावल, ये हमारे दो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। इनकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मेरा अनुभव दिल्ली की मार्केट्स का है, जो मेरा क्षेत्र है, चाहे शाहदरा मार्केट की बात कहूं, चाहे नरेला की बात कहूं या चाहे न्यू अशोक नगर की बात कहूं, यहां खाने के पदार्थों में जो बढ़ोतरी हुई है, वह उस तरह से नहीं हुई है, जिस तरह की पिक्चर बार-बार प्रस्तुत की जाती है। इसके पीछे कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से कम से कम कृषि में एक तरीके का निवेश किया गया है। सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि कृषि में जिस तरह की कमजोरियां हमें देखती थीं, जिस तरह के निवेश की कमी कृषि में हमें दिखती थी, उस कमी को दूर किया जाए। आज दुनिया में भले ही दूसरी चीजों में भयानक रूप से प्राइज बढ़ा हो, वीट का प्राइज शायद 90 प्रतिशत बढ़ गया है, पैडी या राइस का शायद 110 प्रतिशत बढ़ गया है, किसी दूसरी चीज का 200 प्रतिशत प्राइज बढ़ गया है, लेकिन हमारे देश में आज भी आटे और चावल की कीमत नियंत्रण में है। मैं मानता हूं कि 13 रुपए की जगह 14 रुपए कीमत हो गई होगी, 14 रुपए की जगह 15 रुपए कीमत हो गई होगी, लेकिन ऐसी हालत नहीं हुई है, जिसे लोग सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ रिकार्ड के लिए यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

[श्री संदीप दीक्षित]

सबसे ज्यादा तर्क की स्थिति बन रही है, वह एडिबल आयल की बन गई है, उसका भी एक कारण है। हम लोग इसमें 30 से 40 परसेंट बाहर के लोगों पर निर्भर रहते हैं। सबसे ज्यादा भयानक स्थिति स्टील, सीमेंट की बन रही है। इन तीनों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। जहां तक स्टील, सीमेंट या दूसरे पदार्थों की बात है, हमने जब से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनायी है, प्राइवेट सैक्टर में एक तरह का अहंकार दिखायी देने लगा है। वामपंथी मित्रों या मोहन सिंह जी ने बात की तो कहा कि सरकार का वह चेहरा जिसे लेकर जनता कभी-कभी अपना आक्रोश प्रकट करती है, जनता के अहित का काम होने के बाद अगर वह घबरा कर पीछे हटने का काम करेगी तो उसे सामने लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री के लोग सरकार को खुले रूप में कह सकते हैं कि आप चाहें या न चाहें, हम कीमतें कम नहीं करेंगे, सरकार के कहने के बावजूद या किसी दलील के बाद सीमेंट 14-15 रुपए बोरा ही बढ़ना चाहिए, 40 रुपया बोरा नहीं, पूंजीपति सरकार के सामने आकर कहते हैं कि आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, ऐसे में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसके पास बहुत शक्ति है, वह उस चेहरे को सामने लाए जिसे लेकर देश की जनता सरकार को कोसती है। सरकार में वह दम है। जब आवश्यकता पड़ती है, इसी सरकार ने बार-बार उस चेहरे को सामने लाकर दिखाया है। उसने पिछले दो-तीन साल में बहुत उदारता दिखायी है। अब उस उदास चेहरे को पीछे हटाने की आवश्यकता है। एक भी क्षेत्र में अगर सरकार आगे बढ़ कर उस चेहरे को दिखाएगी तो कीमतों में अपने आप कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ा है। बार-बार बात हो रही थी कि क्या राज्य सरकारों ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है? जब रेड्स की बात आ रही थी तो स्वाईं साहब ने उदाहरण दिया कि 1998 में उस समय की राज्य सरकार ने रेड्स नहीं डाले थे। बात गलत है। उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। अगर इन दोनों ने अपने-अपने इलाकों में रेड्स डाले होते तो अच्छा होता। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आने के बाद तुरन्त प्याज पर रेड पड़ी थी और 15 दिन के अन्दर प्राइज गिरे थे। यह काम उनके यहां की सरकारें कर देती तो दिल्ली और राजस्थान का चुनावी इतिहास कुछ और होता। आज फर्क पड़ा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बार-बार हर किसी ने अपने राज्य का उदाहरण दिया है। इसलिए मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा और मेरे पास दिल्ली के आंकड़े भी हैं। कहा गया कि और राज्य सरकारों को क्यों नहीं कान्फिडेंस में लिया गया है? यह बात गलत है। प्रधानमंत्री जी का एक पत्र सभी मुख्यमंत्रियों के लिए था कि एस्मा एक्ट के अन्दर तुरन्त कार्रवाई करिए। मैं दिल्ली का छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में 5-6 दिनों में 200 जगह रेड्स पड़े जिसमें 96 एलपीजी के गोडाउन्स थे, 30-35 बड़े गोडाउन्स थे। इन रेड्स में दिल्ली में दो हजार क्विंटल व्हीट, तीन लाख क्विंटल चावल, एक लाख नौ हजार लीटर तेल और दस हजार क्विंटल से ज्यादा प्लसिज होर्डिंग्स का पकड़ा गया है। केवल तीन या चार दिन की रेड के बाद इतना माल पकड़ा गया है। मैं पेपर से कोट कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ कोट नहीं कर रहा हूं। ये वही पेपर्स हैं जो बार-बार दिखाते हैं कि हमारी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में निकम्मी हो गई है, वही कहते हैं कि

[अनुवाद]

> "पूरी दिल्ली के गोदामों में मारे गए छापों के बाद दिल्ली में चने के वर्तमान मूल्य में 7.7 प्रतिशत की कमी आई है और चावल और गेहूं के मूल्यों में 20 प्रतिशत की कमी आई है।"

[हिन्दी]

सरकार अगर चाहे तो उन जगहों में जहां वह कंट्रोल कर सकती है, इस काम को कर सकती है। महाराष्ट्र, दिल्ली में रेड्स हुए हैं। मैं नहीं जानता कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या अन्य राज्यों में रेड्स हुए हैं या नहीं, या राजस्थान, मध्य प्रदेश में रेड्स हुए हैं या नहीं? वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा न हो कि इन राज्यों की सरकारें कभी न कभी अपनी दलगत राजनीति को देश हित और गरीब हित से पहले आगे रखते हों। आप बताएं कि कभी इन राज्यों में रेड्स पड़े हैं? मुझे बताएं कि कहां किन-किन गोदामों में क्या-क्या चीजें पकड़ी गई हैं? दिल्ली एक छोटा राज्य है। अगर एक राज्य में डेढ़ लाख लीटर तेल तीन दिन में पकड़ा जा सकता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में होर्डिंग्स क्यों नहीं हो रही हैं? अगर उन राज्यों में होर्डिंग नहीं हो रही है तो बताया जाए कि उन राज्यों में क्यों होर्डिंग नहीं हो रही है? राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों सरकारें महंगाई को लेकर साथ-साथ काम करती हैं। *...(व्यवधान)* मैं वेस्ट बंगाल पर भी आ रहा हूं। वहां भी ऐसा होता है। वैस्ट बंगाल के मित्र बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): होर्डिंग्स से प्राइज राइज नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। हर दल को अपनी बात कहने का हक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: आपका कहना है कि होर्डिंग से कीमतें नहीं बढ़ सकती हैं, यह तो अलग-अलग बातें हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: यह इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण कमैन्ट है, जैसे कभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने केवल एक व्यवस्था को सामने रखते हुए कहा था कि इंफ्लेशन का कंट्रोल डिफिकल्ट है और उस बात पर आप अड़ गये। आप यह कहते हैं कि किसी प्रधान मंत्री की तरफ से यह शब्द नहीं आने चाहिए। मैं इस समय बहुत मायूस हूं, अगर आप यह कहते हैं कि होर्डिंग के कारण प्राइस नहीं बढ़ते हैं। जिस देश ने कालाबाजारी के कारण चालीस साल गरीबी झेली है, उस सदन में लोग कहें कि होर्डिंग के कारण प्राइस नहीं बढ़ते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस देश को कालाबाजार ने रेन्सम पर रखा हुआ था, जिस देश की पूरी राजनीति इसलिए चली है कि सिर्फ हम कालाबाजारियों के खिलाफ और होर्डिंग के खिलाफ हैं, आज आपकी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। आज आप लोग कहते हैं कि होर्डिंग के कारण प्राइसेज नहीं बढ़ते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। *...(व्यवधान)* यह पहली बार मैंने सुना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपको परेशान किया जा रहा है? कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया ऐसा मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): पाठक जी, अचानक बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों को बोलना है। उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए। आप इस तरह से किसी सदस्य को बाधित नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: इनके सदस्यों ने क्या कुछ नहीं कहा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): जब ये हम पर आरोप लगा रहे थे तो हमने इन्हें बीच में नहीं टोका। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे उत्तर देने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों को बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री आप अपने सदस्य को बाधित न करें। यह ठीक नहीं है। वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: वे एक युवा सांसद है। हम सभी को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं जो कुछ ये कह रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन वास्तव में अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: मैंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में कदम उठाये गये हैं, इस तरीके के कदम सब राज्यों में भी उठाये जाएं। मैं एक आग्रह करूंगा, यहां वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं कि अगर भारत सरकार को लगता है कि हमारी राज्य सरकारें रेड्स करने के लिए तत्पर नहीं हैं, अगर एस्मा कानून के अंतर्गत भारत सरकार को अधिकार नहीं है तो यह सदन इस समय चल रहा है, त्वरित रूप से कोई न कोई ऐसा कदम उठाया जाए, जिसमें भारत सरकार के पास भी इस तरह का अधिकार आये। अगर हमारी सी.बी.आई. घर-घर जाकर रेड्स कर सकती है, अगर हमारे इंकम टैक्स के अधिकारी घर-घर जाकर रेड्स कर सकते हैं और हमें लगता है कि हमारी राज्य सरकारें प्राइसेज और महंगाई के मामले में उस तरीके से संवेदनशील नहीं हैं तो यह अधिकार अगर भारत सरकार चाहेगी, मैं पूरी तरह जानता हूं कि आगे बढ़कर यह सदन इस सरकार का समर्थन करेगा और भारत सरकार को यह अधिकार भी देगा। मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी का जिस तरीके से इस समय रुख रहा है, वह भी भारत सरकार को जरूर समर्थन देंगे।

श्री हरिन पाठक: बिल्कुल करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]

श्री सन्दीप दीक्षित: महोदय, एक बात जो बार-बार इस महंगाई के दौर में कही जा रही है और उसमें एक तथ्य भी दीखता है। श्री गुरुदास दासगुप्त ने शुरू में जब बात कही तो उस बात को नकारा और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका प्रभाव भारत में कीमतों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस तर्क को, इस दलील को नहीं मानता हूं। हो सकता है कि पूरे तरीके से वह इस दलील को न मानते हों। परंतु इस दलील में भी तथ्य है। आज पूरी दुनिया में महंगाई में अभूतपूर्व बढ़ाव हुआ है। कोई कहता है कि 83 परसैन्ट के करीब बढ़ी है। मैंने कुछ आंकड़े देखे थे, जो अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं। जहां राइस में 76 परसैन्ट की इनक्रीज हुई है, वहीं पाम आयल में 100 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है। व्हीट करीब 161 प्रतिशत बढ़ा है। आज अगर हम दुनिया को एक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय भावों का प्रभाव हम पर पड़ेगा। कृषि मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन सरकार के और मंत्री यहां बैठे हुए हैं, यहां मैं यह चीज जरूर जानना चाहूंगा और मेरे ख्याल से यहां कहीं न कहीं इस देश की जनता को कांफिडैन्स में लेकर सरकार को जरूर बताना चाहिए। जब हम गेहूं और चावल की कीमतों को कम रख पाएंगे, उन पर इसका असर नहीं हुआ है तो बाकी कुछ आइटम्स पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कीमतें आज हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। मैं सब्जी का एक उदाहरण लेना चाहता हूं। सब्जी के दाम बढ़े हैं, घटे हैं, मैं मानता हूं कि मौसम दर मौसम सब्जी की कीमतों में बढ़ाव होता है। कभी 5 रुपये बढ़ जाती है तो कभी 5 रुपये घट जाती है लेकिन अचानक सब्जी में भी हर जगह बढ़ाव आया है तो सरकार को बात स्पष्ट करनी चाहिए। इससे हमें भी पता चलेगा और हम भी जाकर अपनी राज्य सरकारों को बता पाएंगे कि क्या कारगर कदम हम ले सकते हैं जिसमें कम से कम सब्जी के दाम एक सामान्य स्तर तक रहें। प्याज के दाम और आलू के दाम सामान्य स्तर तक हैं लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बीच में इतने अंतर में पड़ती हैं।

पिछली बार दोनों के दामों में एक अजब बढ़ाव आया था। जो दाल 30 रुपये में बिकती थी, वह 38 रुपये की हो गई और जो 35 रुपये की बिकती थी, वह 42 रु. या 44 रु. की हो गई। जो 40 रुपये प्रति कि.ग्रा. बिकती थी, वह 55 या 60 रुपये तक चली गई। आज दालों के दाम में भी हर जगह 5 या 10 रुपया बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसमें मैं सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि दाल का इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी अबकी बार जिस तरीके से सरकार ने दाल की कीमतों पर नियंत्रण किया है, और जगह पर भी सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इससे यही पता चलता है कि जिस मुद्दे पर भी हमारी सरकार तय करती है कि वह प्राइस पर नियंत्रण रख सकेगी। उस जगह पर नियंत्रण करने में वह पूरी तरह से सफल होती है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं और कृषि मंत्री जी भी आने वाले हैं। मैं सभी से कहूंगा कि जो मेरे तीन-चार छोटे-छोटे सुझाव हैं, हो सकता है कि इनसे कुछ मदद मिले।

क्रूड आयल में जिसमें अभी 42 रु. या 45 रु. हमारे पैट्रोल और डीजल की कीमत है, बहुत समय से यह मांग आ रही है कि जो एक्साइज ड्यूटी इन दोनों चीजों पर है, उसे कम करने से हो सकता है कि एक संकेत मिले। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि आप अर्थ नीति में जब कोई एक संकेत आप देते हैं तो बात यह नहीं होती है कि कितना बड़ा संकेत है बल्कि उसका असर बड़ा दूरगामी होता है। बीजेपी की सरकार जब सत्ता में थी तो

बार-बार एनडीए सरकार से यह कहा गया कि आप एक्साइज ड्यूटी कम करिए लेकिन उन्होंने कभी यह बात नहीं मानी। उस समय तो 38 डालर बैरल था। आज 113 या 115 डालर पर बैरल बिक रहा है और हमने कीमत शायद 32 या 35 रुपये से 42 या 43 रु. तक बढ़ाई है। लेकिन अगर इस बात को वित्त मंत्री जी देख सकें और कम से कम इस पीरिएड तक जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जटिल रूप से महंगाई बढ़ती जा रही है तो क्या कुछ ऐसे क्षेत्रों में हम लचीलापन दिखा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बात प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कही है। मैं उनकी सराहना करूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ग्रोथ को भी महंगाई के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हमारे दोनों लीडर्स का यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसीलिए इसी वाणी में इनसे अनुरोध करूंगा कि अगर जरूरत पड़े और अगर आपको लगे कि आवश्यकता है तो आप कहीं न कहीं पैट्रोल की कीमतों को भी कम कराने की बात कहें। मैं एक और बात कहूंगा कि अगर हमें लगता है कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री भारत सरकार की बात नहीं मानती हैं तो भारत सरकार के पास भी एक हथियार है और यह हथियार 1967-68 के दशक में भी सरकार ने इस्तेमाल किया था। इसलिए जब जरूरत पड़े तो सरकार को भी दिखाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा हथियार देश के पास है जिसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अगर हमें लगे कि स्टील और सीमेंट के सैक्टर में हमारी निजी कंपनियां हमारे देश में हमारे लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रही हैं तो राष्ट्रीयकरण करने की तरफ कम से कम सोच इस सरकार को बढ़ानी चाहिए और इस देश के पूंजीपति को एक संकेत अवश्य देना चाहिए कि अगर आप देश की प्रगति में हिस्सेदार हो, हमारे मकान और सड़क बनाने में हिस्सेदार हो, जहां तक आप सहभागी के रूप में आप हिस्सेदार हैं, हम आपका साथ देंगे लेकिन अगर एक लुटेरे के रूप में आप यहां अपना रूप दिखाना चाहते हैं तो सरकार भी अपनी दमनकारी शक्ति सामने रख सकती है। मैं इन्हीं छोटे-छोटे सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, यह नोट करना अत्यंत दुखद है कि मुद्रास्फीति 40 महीने के सबसे उच्चतम स्तर, 7.41 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दलहनों तथा सब्जियों के दामों में वृद्धि जनता, विशेषकर आम आदमी, समाज के गरीब वर्ग को प्रभावित कर सकती है। वास्तव में, वर्तमान में मूल्यवृद्धि एक वैश्विक स्थिति है। अनेक देश इसी प्रकार की मुद्रास्फीति के रुझानों का सामना कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय जैसे गैर-बासमती चावल, दलहनों, खाद्य तेलों तथा सीमेंट के निर्यात को रोकने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। तथापि, मुद्रास्फीति दिसम्बर 2007 को 4% से 7% के सहनीय स्तर को पार कर गई थी जिसके परिणामस्वरूप, खाद्य, ईंधन और खाद्य वस्तुओं विशेषकर धातुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई। इस्पात मंत्री ने देश की मुख्य इस्पात कंपनियों को लांग-स्टील उत्पादों के मूल्यों को वापिस लेने को सहमत कर लिया है, परंतु पिछले एक वर्ष में इस्पात के मूल्य दोगुने हो गए।

तथापि, इस्पात और सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के कारण आम आदमी को एक छोटा सा घर बनाने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त उपायों के बावजूद वर्तमान मुद्रास्फीति चिंता का एक बड़ा कारण है। इस असामान्य मुद्रास्फीति के रुझान के अनेक कारण हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि में बिचौलिये और जमाखोर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे बेईमान व्यक्तियों पर चौकसी रखने के लिए निवारक उपाय किये जाने चाहिए।

मूल्य वृद्धि में सहायक एक अन्य कारक सट्टेबाजी है। उदाहरण के लिए, छठे वेतन आयोग द्वारा वेतन वृद्धि को देखते हुए अनेक आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पूर्व ही कई गुणा वृद्धि हो गई है। वेतन आयोग की सिफरिशों का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा परंतु मूल्य में वृद्धि का भार समूची जनता, विशेषकर दबे-कुचले, गरीब और आम आदमी को सहना पड़ रहा है। सट्टा बाजार की शक्तियों से कड़ाई से निपटने के लिए केन्द्रीय तंत्र का गठन करना पड़ेगा। सब्जियों, दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की ऑन-लाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगानी चाहिए चूंकि आमतौर पर यह सट्टे के आधार पर मूल्य वृद्धि होती है।

यद्यपि वैश्वीकरण के कारण देश को अनेक लाभ हुए हैं जैसे रोजगार के अवसरों का सृजन आदि साथ ही इसने देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों के दुष्प्रभावित होने वाला बना दिया है, जो कि देश में वर्तमान मुद्रास्फीति के रुझान का एक कारण है। केन्द्र सरकार को देश में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उचित रक्षात्मक उपाय आरंभ करने चाहिए। महोदय, सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे कच्चे तेल पर आयात शुल्क को हटाकर शून्य करना तथा रिफाईन्ड तेल पर इसे कम करने 7.5% करना; गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाना और बासमती के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना; तैयार इस्पात उत्पादों और इस्पात के निर्यात पर रोक लगाना; 5 मीट्रिक टन के युक्तिपूर्ण भंडार जिसमें तीन मी. टन चावल और दो मीट्रिक टन गेहूं के भंडार बनाने का निर्णय लेना, यह उस बफर स्टाक के अतिरिक्त होगा जो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखती है। तब भी मुद्रास्फीति जारी है।

अब, मैं मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में दो या तीन मुद्दे रखना चाहूंगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि लोगों की क्रय क्षमता को कम कर देती है; अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो हम कम सामान और सेवाएं खरीद पाएंगे। इसलिए, मुद्रास्फीति लोगों को और गरीब बना देती है; तथा विश्व बाजार में विनिर्मित निर्यात को कम प्रतिस्पर्धात्मक बना देती है; भारत में इसके अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में मुद्रास्फीति की अधिक वृद्धि दर, भारतीय सामान को अपेक्षाकृत अधिक महंगा का देती है जिससे निर्यात वृद्धि में कमी होती है; सरकारी राजस्व संग्रहण मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि व्यय का एक बड़ा भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बिल– मुद्रास्फीति से संबद्ध होता है जिससे व्यय में वृद्धि होती है तथा अधिक राजकोषीय घाटा होता है।

महोदय, आज मुद्रास्फीति का भार राज्य सरकार से केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से विश्व बाजार पर चला गया है। जो भी मामला हो, आज के परिदृश्य में लोग देश के विकास या सं.घ.उ. के बारे में चिंता नहीं करते। वास्तव में, आम आदमी नहीं जानता है कि स.घ.उ. क्या होता है और विकास क्या होता है। वे दैनिक जीवन की वस्तुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे चिंतित होते हैं कि रोजमर्रा के सामान की कीमत दोगुनी हो गई है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में गंभीर कदम उठाएं।

सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए जैसाकि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, श्री के. करुणानिधि ने तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, दाल, खाद्य तेल आदि का वितरण कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाकर किया है। वर्तमान मुद्रास्फीति के रुझान से कहीं पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए 1000 वर्ग फीट के मकान का निर्माण करने वाले लोगों को पीडीएस के माध्यम से 200 रु. प्रति बोरी की दर पर 400 बोरी सीमेंट प्रतिव्यक्ति वितरण करने की एक योजना कार्यान्वित की। इस प्रकार के दूरदृष्टि वाले कदम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को वास्तव में रोकते हैं। केन्द्र सरकार भवन निर्माण करने के लिए सा.वि.प्र. के माध्यम से इस्पात के वितरण के लिए केन्द्रीय राजसहायता उपलब्ध करा सकती है। यह कदम न केवल इस्पात के मूल्यों को ही रोकेंगे बल्कि गरीब तबके के लोगों को भवन निर्माण के लिए इस्पात की सुलभ उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए, मैं पुन: एक बार फिर सरकार से, मुद्रास्फीति के भार को एक सरकार से दूसरी सरकार पर या इस सरकार से वैश्विक बाजार पर स्थानांतरित न करने का अनुरोध करूंगा। कृपया इसे गंभीरता से लें और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दलहनों, सब्जियों, खाद्य तेलों, दूध इत्यादि पर ऊपरी मुख्य सीमा को लागू करने के वैद्य सुझावों पर त्वरित कार्यवाही आरंभ करें जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): क्या मंत्री जी इंटरवीन कर रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चर्चा जारी रहेगी। वे केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं हस्तक्षेप करूंगा फिर दूसरे सदन में जाऊंगा। अंत में कृषि मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि वाद-विवाद के अधिकांश भाग के दौरान मैं यहां उपस्थित नहीं था परन्तु मैंने अपने साथी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय से अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राप्त कर लिया है। कृषि मंत्री जी ने भी मुझे संक्षिप्त जानकारी दे दी है। जबकि अंतत: वह वाद विवाद का उत्तर देंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उठाए गये कुछ मुद्दों का उत्तर देने के लिए हस्तक्षेप कर रहा हूं।

महोदय, हम चाहें या न चाहें और हमारी विचारधारा के अनपेक्षत:, भारत वैश्विक रुझानों से प्रभावित हुआ है। एक प्रश्न उठाया गया था, मेरा विश्वास है कि, शेष विश्व से हम अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं; हम यह दावा क्यों करते हैं कि शेष विश्व में क्या हो रहा है इससे हम प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी देश किसी भी मद या प्रत्येक सामान या किसी सेवा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। अगर हम खाद्य, तेल या वस्तुओं के मामले में पूर्णरूप से आत्मनिर्भर हैं तो निश्चित ही विश्व में क्या हो रहा है हम इससे प्रभावित नहीं होंगे न ही हमें इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता है कि विश्व में क्या हो रहा है। परंतु हम सब यह जानते हैं कि हम तेल के एक प्रमुख आयातक हैं। हमारी आवश्यकता का 75% कच्चा तेल आयात किया जाता है। हम गेहूं की थोड़ी मात्रा का ही आयात करते हैं। कुछ वर्षों तक हमने गेहूं का आयात नहीं किया परंतु अब हम थोड़ी मात्रा में गेहूं का

आयात करते हैं। हम खाद्य तेलों के बड़े आयातक हैं। हम भारी मात्रा में दलहनों के आयातक हैं। हम उर्वरकों का भारी मात्रा में आयात करते हैं। हम धातुओं सहित अनेक वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयातक और बड़े उपभोक्ता भी हैं।

अगर भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 3-4 प्रतिशत की दर से विकास कर रही है, जैसाकि स्वतंत्रता के पश्चात् पहले 30 वर्षों में हुआ है, तो हमें इतना अधिक उपभोग करने की आवश्यकता न पड़ती; हमें इतना आयात नहीं करना पड़ता। परंतु आज हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत से अधिक दर से विकास कर रही है, और मुझे आशा है कि यह एक बिंदु है जिस पर हम सब प्रसन्न हो सकते हैं। वस्तुतः पिछले चार वर्षों में औसत 8.8 प्रतिशत रहा है। इस विकास दर को बनाए रखने के लिए हमें न केवल खाद्य अपितु गैर-खाद्य वस्तुओं का भारी मात्रा में उपभोग करने की आवश्यकता होगी।

यदि हम बड़े आयातक हैं तो हमें बड़ा निर्यातक भी बनना होगा, अन्यथा हम अपने आयातों का भुगतान किस प्रकार करेंगे? हमें आयात का भुगतान उस देश की मुद्रा में करना होता है, और यदि हमें उन आयातों का भुगतान करना है तो हमें निर्यातक भी बनना पड़ेगा। इसीलिए एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका प्रमुख कार्य निर्यात को बढ़ावा देना है ताकि हम आयात का भुगतान कर सकें। यदि हम एक बड़े आयातक हैं और यदि हम बड़ा निर्यातक भी बनना चाहते हैं तो हम विश्व के रुझानों से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतना भोला है जो यह मानता होगा कि हम विश्व के रुझानों से पूरी तरह अलग हैं।

मेरे पास दो अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित एक लेख है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, परन्तु इसे सभा के कुछ वर्गों में सहमति मिलेगी। अब मैं पढ़ता हूं कि दो अर्थशास्त्रियों सी.पी. चन्द्रशेखर और जयंती घोष ने लिखा है:

> "यह (मूल्य वृद्धि के पीछे के कारणों को) समझने के लिए विभिन्न वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के पीछे के कारणों की जांच करना आवश्यक है। खाद्यान्न के मामले में केवल उसकी मांग ही कारण नहीं है। हालांकि, निश्चित रूप से यह सही है कि एशिया तथा विकासशील विश्व के अन्य भागों में बढ़ती आय के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ी है...."
>
> "खाद्यान्न की फसलों के लिए वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को बदलने के लिए पांच प्रमुख पहलू, आपूर्ति की स्थितियों को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं।"

महोदय, मैं इसे पूरी तरह नहीं पढ़ूंगा। मैं प्रत्येक विचार का भाग ही पढ़ूंगा।

> "प्रथम प्रभाव है तेल के बढ़ते मूल्यों का, जिससे कि कृषि की लागत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है क्योंकि उर्वरकों तथा सिंचाई की लागत के साथ खाद्यान्न की ढुलाई सहित कृषि प्रक्रिया में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण अंग है। द्वितीय, तेल के मूल्यों और अमरीका, यूरोप, ब्राजील और अन्य स्थानों पर पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियां, दोनों का भी प्रभाव पड़ा है। तीसरे पिछले दो दशकों से नीति में कृषि की अनदेखी किये जाने का प्रभाव। चौथे बाजार के ढांचे में परिवर्तनों का प्रभाव, जोकि वस्तुओं में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी को बढ़ाता है। अंत में, प्राइमरी कमोडिटी बाजार भी वित्तीय सट्टेबाजों को आकर्षित कर रहे हैं।"

महोदय, विश्व की स्थितियों का हम पर प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप, जनवरी तक जो चीजें नियंत्रण में थीं, उनमें अचानक पूरी तरह परिवर्तन आ गया है। मैं जानता हूं कि उस ओर बैठे माननीय सदस्य, मेरे मित्र दावा करेंगे कि जब वे सत्ता में थे तो महंगाई नियंत्रण में थी। मेरा संक्षिप्त उत्तर है कि समय के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं उन्हें उनके समय की महंगाई के बारे में याद दिलाऊंगा। परन्तु, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी महंगाई का आपकी महंगाई से मुकाबला नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि विश्व को स्थिति कैसी थी, जब वे सत्ता में थे तो स्थिति अच्छी थी और आज विश्व की स्थिति में किस प्रकार नाटकीय परिवर्तन आया है?

महोदय, हमें वर्ष 2004, मार्च 2007 और मार्च 2008 में मूल्यों को देखना होगा। मैं वर्ष दर वर्ष के आंकड़े पढ़ कर सुना सकता हूं। परन्तु हमें वर्ष 2004; मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के मूल्यों को पैमाने के तौर पर देखना चाहिए। सबसे पहले कच्चे तेल को लीजिए, इसको कीमत 37.7 डॉलर प्रति बैरल थी, जो गत वर्ष बढ़कर 60 डॉलर प्रति बैरल हो गई और मार्च में इसकी कीमत 102 डॉलर थी और आज सुबह इसकी कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी। क्या कच्चे तेल की कीमतों को वापस लेने का मुझे कोई सुझाव दे सकता है।

अब पॉम तेल को ही देखिए। वर्ष 2004 में इसकी कीमत 471 डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी। मार्च 2007 में यह बढ़कर 622 डॉलर हो गया और अब इसकी कीमत 1248 डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। एक वर्ष में ही पॉम तेल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एथनॉल बनाने के लिए पॉम

[श्री पी. चिदम्बरम]

तेल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मूल्य वृद्धि को वापस लिया जा सकता है? यूरिया को लीजिए। हम यूरिया के प्रमुख आयातक हैं। वर्ष 2004 में इसकी कीमत 175 डालर प्रति मीट्रिक टन थी; मार्च 2007 में बढ़कर यह 318 डालर और मार्च 2008 में 378 डॉलर हो गई। क्या ऐसा कोई तीरका है, जिससे मैं इस मूल्य वृद्धि को वापस ले सकूं?

महोदय, अब हम बात करेंगे लौह अयस्क की। हमारे यहां लौह अयस्क होता है। चूंकि हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, इसलिए इसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बराबर हो गई हैं। लाखों नौकरियां लौह अयस्क उत्खनन तथा निर्यात पर निर्भर करती हैं। यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए हमने निर्यात शुल्क लगाया है। परन्तु, अच्छी गुणवत्ता वाले तथा कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। हम अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। परन्तु इसकी कीमत बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर तक पहुंच गई है। वर्ष 2004 में इसकी कीमत 37.9 डॉलर प्रति यूनिट थी, जो मार्च 2007 में बढ़कर 77 डॉलर हो गई और मार्च 2008 में यह 140 डॉलर तक पहुंच गई।

महोदय, मैं बता रहा हूं कि आज विश्व में क्या हो रहा है। दो दिन पहले मैं वाशिंगटन में था और जो कुछ पश्चिमी देशों, विकसित देशों में हो रहा है, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित था। उनमें से बहुत से मुझसे इस बात के बारे में सहमत थे और उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की ओर से हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, वे बिलकुल ठीक हैं। समाचार पत्रों में इनमें से कुछ के बारे में समाचार आए हैं। मैंने कहा था कि खाद्य पदार्थों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना मानवता के विरुद्ध अपराध है। जब इस दुनिया में इतनी अधिक भुखमरी और गरीबी है, तो हम अपने खाद्य उत्पाद का 20% जैव ईंधन उत्पादन करने के लिए किस प्रकार दे सकते हैं। पॉम ऑयल को ईथॉनोल में किसी प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? प्रश्न यह है कि हम इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित हैं और इसके वापिस कम करने के मामले में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्योंकि हम इन खाद्य वस्तुओं का आयात करते हैं और इनमें से अधिकांश के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार बढ़ जाते हैं। चने अथवा दालों को ही लीजिए। दस वर्ष पहले 1997-98 में देसी चने का मूल्य 16,400 रुपये प्रति टन था और आज इसकी कीमत 26,200 रुपये प्रति टन है। मसूर 18,600 रुपये प्रति टन उपलब्ध था और आज इसका मूल्य 39,200 रुपए प्रति टन है। मटर बट्टाना 10,900 रुपये प्रति टन था और आज इसकी कीमत 21,200 रुपये प्रति टन है। इस प्रकार, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और इस संबंध में मैं पिछले वक्ता सहित माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और इसीलिए इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है।

महोदय, अपनी समझबूझ और चर्चा के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई हम पिछले छह सप्ताह से देख रहे हैं, वह कुछ वर्षों पहले अथवा कुछ महीने पहले वाली महंगाई से गुणात्मक रूप से भिन्न है। यह पहली बार नहीं है कि हमारे यहां महंगाई दर सात प्रतिशत से अधिक है और गुणात्मक रूप से यह भिन्न है, इस पर मैं कुछ भी क्षण में चर्चा करूंगा। परन्तु सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से इस देश में महंगाई दर अधिक है। मेरे विचार से नीतिगत गलतियां इसका कारण हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अत्यधिक संरक्षित अर्थव्यवस्था है और ऐसी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारक मूल्यों का निर्धारण करते हैं। उदार और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर काफी कम होती है, जैसाकि हमने पिछले दस वर्षों में देखा है। 1980 और 1970 के दशक में महंगाई दर हमेशा ही दस प्रतिशत से ऊपर रही। तब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन गत दस वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, 1998-99 में उस वर्ष के दस सप्ताह में मुद्रास्फीति सात प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2000-01 जो कि हाल ही के समय का सबसे बुरा समय था में 48 सप्ताह में मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से अधिक थी। इनमें से 22 सप्ताह में मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत से अधिक थी। इनमें से 12 सप्ताहों में आठ प्रतिशत से अधिक थी। यह होता है कि आज भी बुरी खबर कल की बुरी खबर भुला देती है। समय गुजरने पर हम भूलने लगते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्ष 2000-01 में लगातार 12 सप्ताह तक मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत से अधिक थी। इसके बाद पुनः मुद्रास्फीति में गिरावट हुई। यह बात मैं मानता हूं। जब 2004-05 में यह सरकार सत्ता में आई उस समय कीमतों में वृद्धि हो रही थी। वास्तविकता यह है कि जिस दिन हमने कार्यभार संभाला तो उस समय मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत से अधिक हो चुकी थी। लगभग 16 सप्ताह तब यह 7 प्रतिशत रही और उसके बाद कम हो गई। यह 2005-06 तथा 2006-07 में कम हुई तथा नवम्बर 2007 में कम होकर 3.11 प्रतिशत रह गई। नवम्बर, 2007 से यह लगातार बढ़ रही है तथा यह चार प्रतिशत से कम ही रही लेकिन जनवरी से तेजी से बढ़ी है तथा सबसे तेज गति से यह गत छह सप्ताह में बढ़ी है। मुद्रास्फीति की यह कहानी है।

जैसाकि मैंने कहा, विश्व में वित्तीय अव्यवस्था का अन्य बाजारों जैसे वस्तु बाजार, ऋण बाजार और खाद्य बाजारों पर वित्तीय प्रभाव पड़ रहा है। सभी संकट एक साथ आते दिख रहे हैं। खाद्य संकट, ऊर्जा कीमत संकट, वित्तीय अव्यवस्था संकट सभी एक साथ आते दिख रहे हैं। इससे पिछले 6 सप्ताह से काफी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। मैं स्वीकार करता हूं कि इससे आम आदमी को तकलीफ होगी। यह एक स्पष्टीकरण मात्र है ताकि माननीय सदस्य, इनके कारणों को समझने एवं जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, उन्हें मिलकर समझ सकें ताकि हम एक साथ बैठकर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्णय कर सकें। इस संबंध में मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथी कृषि मंत्री जी भी आपके सुझाव लेना चाहेंगे। हम मुद्रास्फीति के बारे में उतने ही चिंतित हैं। जितना कोई और। परन्तु हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने में कई अन्य ताकतें भूमिका अदा करती हैं। हमें इसके लक्षण की बजाय इसके कारणों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक एक लक्षण है। हमें इसके कारणों पर ध्यान देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): चिदम्बरम साहब का यह कहना है कि कुछ हो ही नहीं सकता। *...(व्यवधान)* आपका यह कहना है कि कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में महंगाई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: प्रो. मल्होत्रा जी, जल्दबाजी मत दिखाइए। कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं और आप अभी अभी आये हैं। आते ही आप खड़े हो गये और अपनी बात कहने लग गये। यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, पूरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आप मेरे भाषण के बीच आ गए और आपने जो मैंने कहा उसमें तत्काल व्यवधान पैदा कर दिया। मुझे यह बात पूरी कर लेने दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप उनके संदेश के बारे में नहीं, अपने संदेश के बारे में चिंता करें। वे जो संदेश दे रहे हैं, वह तो आपके लिए लाभकारी है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आश्वासन चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरी बात का उत्तर देने के लिए यहां रहेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया माननीय वित्त मंत्री जी की बात सुनें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: उत्तर कृषि मंत्री जी देंगे। मैं जितना सम्भव हो सकता है उतने बिन्दुओं का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। श्री दासगुप्त आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे दो सभाओं में जाना होता है। मैं इस चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं तो यों ही दखल दे रहा हूं। इसका उत्तर कृषि मंत्री जी देंगे। मैं दूसरी सभा में उत्तर दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें राष्ट्रीय नीति की कोई भूमिका नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। *...(व्यवधान)* सरकार उत्तर देगी। *...(व्यवधान)* श्री दासगुप्त निर्णय नहीं कर सकते कि उत्तर कौन देगा। सरकार उत्तर देगी *...(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि सरकार उत्तर देगी। *...(व्यवधान)* चूंकि कुछ बिन्दुओं का उत्तर मैं दे रहा हूं, सरकार उत्तर देगी। *...(व्यवधान)* मैं सहमत नहीं हूं। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, माननीय वित्त मंत्री हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां रहे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: अत: प्रश्न यह है कि अब हम क्या कर सकते हैं क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार क्या क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। कुछ निर्णय अभी भी लिये जाने हैं। हम वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति तथा आपूर्ति उपाय करके मुद्रास्फीति की दर कम कर सकते हैं। कई आपूर्ति उपाय किये गये हैं। पिछले 4 वर्षों में कृषि निवेश 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। हमारा उद्देश्य इसे बढ़ाकर कर सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत करने का है। लेकिन इतना होने में कुछ समय लगेगा। हमने 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा 4,882 करोड़ रुपये की लागत वाले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भी घोषणा की है। हमारा लक्ष्य चावल उत्पादन को 10 मिलियन टन तक बढ़ाना है। गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन और दालों के उत्पादन का 2 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, वर्षा सिंचित विकास मिशन की है। लेकिन इनके परिणाम देखने में समय लगेगा। मैंने वर्ष 1996-98 में संयुक्त मोर्चा सरकार के समय एआईबीपी शुरू की थी। हमने गत चार वर्षों के दौरान एआईबीपी के लिए आबंटन में बहुत अधिक वृद्धि की है। हमने सिंचाई के लिए धनराशि बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई और जल संसाधन निगम की स्थापना की है। पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान हम करीब 8.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि बनाने में कामयाब रहे। परन्तु जितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है, वह मात्र करीब 70 प्रतिशत है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमें आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए आयात पर निर्भर न रहना पड़े। इस प्रकार, जब हम खाद्यान्नों का आयात करते हैं तो वस्तुत: हम मुद्रास्फीति का आयात कर रहे होते हैं तथा जब हम वस्तुओं का निर्यात कर रहे होते हैं तो हम मुद्रास्फीति निर्यात कर रहे होते हैं।

जैसा कि मैं कुछ अवसरों पर पहले भी बोल चुका हूं। पिछले दस वर्षों से उत्पादन में स्थिरता आ गयी है। यही वजह है कि अब पूरी योजना कृषि क्षेत्र की ओर झुक गयी है ताकि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो सके और कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष चार प्रतिशत की दर से वृद्धि हो। उदाहरणार्थ, राजग शासन के दौरान वर्ष 2002-03 वह वर्ष था जब चावल उत्पादन सर्वाधिक कम 71 मिलियन टन था। चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2006-07 में हुआ था, जब यह 93 मिलियन टन था। चावल उत्पादन वर्ष 2007-08 में भी 93 मिलियन टन रहा और वर्तमान में 94 मिलियन टन चावल उत्पादन की उम्मीद है। मेरे कहने का आशय यह है कि सारे प्रयासों के बावजूद हम करीब 93 या 94 मिलियन टन की सीमा को पार करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। गेहूं के मामले में, राजग शासन के दौरान एक खास वर्ष में गेहूं उत्पादन 65 मिलियन टन था, सर्वाधिक उत्पादन 76 मिलियन टन था; वर्ष 2006-07 में गेहूं उत्पादन 75.81 मिलियन टन था और इस वर्ष भी हम 75 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। पुन: अधिकतम उत्पादन सीमा 75 मिलियन टन पर आकर ठहरती है। यदि आप राजग शासन के दौरान दालों के उत्पादन पर नजर डालें तो न्यूनतम उत्पादन 11 मिलियन टन और अधिकतम उत्पादन 14.91 मिलियन टन था और इस वर्ष हम 14.34 मिलियन टन की उम्मीद कर रहे हैं। यहां आकर पुन: एक ठहराव है। वर्षों से हम चाहे गेहूं हो अथवा चावल हो अथवा दाले हों प्रति हेक्टेयर उनकी उत्पादकता बढ़ाने में हम सफल नहीं रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: उन्हें इसी प्रश्न का जवाब अवश्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इसलिए, अनेक कदम उठाये जा रहे हैं तथा जब कृषि मंत्री उत्तर देंगे तो इस बात का पूरा ब्यौरा देंगे कि कम से कम आवश्यक खाद्यान्नों के मामले में जो कि वर्तमान मुद्रास्फीति के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक हैं। स्वावलम्बी बनने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा है, स्थिति यह है कि दस वर्षों के बाद भी भारी निवेश करने के बावजूद हमें अभी भी इस उत्पादन सीमा से आगे निकलने का इंतजार है। यही कारण है कि अनेक वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमें सिंचाई, बीज और उर्वरकों के क्षेत्र में एक लम्बी छलांग लगाने की जरूरत है ताकि इस तथाकथित उत्पादन सीमा के पार जाया जा सके। जब तक हम आवश्यक खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, मुझे भय है कि हम खाद्य पदार्थों में हुई अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के दबाव में बने रहेंगे।

जहां तक खाद्य पदार्थों से इतर वस्तुओं का प्रश्न है, डा. विमल जालान ने दूसरे सदन में एक भाषण दिया था। वस्तुत: यह मांग पक्ष और मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं के प्रबंधन का प्रश्न है। मैंने अपने बजट भाषण के पैरा 5, 6 और 7 में, मूल्यों पर दबाव का अनुमान लगाया था और कहा था कि हमें मूल्यों के संबंध में सतर्क रहना होगा। बाद में भाषण में मैंने सीमेंट और इस्पात के क्षेत्र में उत्पादकों के आपसी गठजोड़ की ओर इशारा किया था।

आज मांग है। आवास की मांग है, सीमेंट की मांग है, निर्माण की मांग है, इस्पात की मांग है और विभिन्न उत्पादों की मांग है। हुआ यह है कि उच्च विकास दर की वजह से पिछले चार वर्षों से यह मांग बनी हुई है। यह अच्छी बात है। अधिक मांग का होना भी अच्छी बात है। परन्तु जब तक आपूर्ति मांग के बराबर नहीं होती, तब तक मूल्यों पर दबाव बना रहेगा और कुछ मामलों में यदि आपूर्ति मांग के बराबर हो भी जाए तो एकाधिकार अथवा अल्पविक्रेताधिकार को स्थिति होने पर गठजोड़ बनेगा और वे मूल्य निर्धारित करेंगे। वस्तुत: मेरी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल हो रही है और मुझे इसे दुहराने में कोई हिचक नहीं है। मैं समझता हूं कि सीमेंट निर्माता एक गठजोड़ के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में इस तरह के संकेत हैं, यहां तक कि इस्पात विनिर्माता भी गठजोड़ बनाए हुए हैं। परन्तु यदि हम इस्पात विनिर्माताओं से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि गैस की कीमतें 4 डालर से बढ़कर 16 डालर हो गयी है, लौह अयस्क की कीमतें 2000 रु. प्रति टन से बढ़कर 6,000 रु. प्रति टन हो गयी हैं और इसी वजह से इस्पात की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए कहीं न कहीं हमें इस गतिरोध को तोड़ना होगा। यह गतिरोध बना नहीं रह सकता। अनेक वस्तुएं वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को प्रतिबिम्बित करेंगी क्योंकि उनका आयात और निर्यात किया जाता है।

मांग और आपूर्ति के इस अंतर को अथवा अर्थव्यवस्था में मांग की अधिकता का नाजायज फायदा उठाने की इस क्षमता पर राजकोषीय अथवा मौद्रिक उपायों द्वारा तथा कुछ प्रशासनिक उपायों द्वारा आवश्यक रूप से अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैंने राजकोषीय पक्ष से इस मुद्दे के समाधान की कोशिश की है। इसका अनुमान लगाते हुए मैंने सेनवैट शुल्क में कटौती करते हुए इसे 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया है। मैंने अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। बजट के उपरान्त में अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की है। जहां तक मौद्रिक उपायों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। इसने आठ बार सी.आर.आर. बढ़ाए हैं। इसने रिजर्व रेपो में वृद्धि की है। मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शीघ्र ही समुचित मौद्रिक कदम उठाएंगे। हमें नकदी और मुद्रा आपूर्ति के मुद्दों का भी समाधान करना है। इनका समाधान अधिकांशत: मौद्रिक कदमों द्वारा किया जाता है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नकदी और मुद्रा आपूर्ति के मुद्दों का भी जल्दी ही समाधान करेंगे। परन्तु मैं यह बात जोड़ना चाहता हूं कि हमें कुछ प्रशासनिक उपाय में भी करने होंगे। हम सिर्फ राजकोषीय उपायों और मौद्रिक उपायों पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमें ऐसे प्रशासनिक उपाय करने हैं जो उत्पादकों द्वारा परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कीमतों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति को रोक सके।

मैं इस प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आने पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में पहले ही कह चुका हूं। मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि यदि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक भागीदार अपनी इस प्रवृत्ति में बदलाव नहीं लाते हैं तथा यदि वे परिस्थिति की गम्भीरता को नहीं समझते हैं और जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं तो सरकार कड़े प्रशासनिक उपाय करने में नहीं हिचकेगी। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आप कब कदम उठाएंगे? पहले ही चार वर्ष बीत चुके हैं। आप कदम उठाएं और हम आपका समर्थन करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: जब हम उपाय करेंगे तो आपको अवश्य बताएंगे। *...(व्यवधान)* मैंने उस वक्त आपसे नहीं पूछा था कि आपने क्या कदम उठाए हैं जब वर्ष 2000-01 में 12 सप्ताह तक मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत रही थी *...(व्यवधान)* इसलिए मैं इस बात को सभा में कह रहा हूं। कृपया इसे कीचड़ उछालने का मुद्दा न बनाएं। मैं सभा में यह बात कह रहा हूं कि राजकोषीय उपायों और मौद्रिक उपायों के अलावा, कुछ क्षेत्रों में कुछ आर्थिक भागीदारों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आने की स्थिति में सरकार कठोर प्रशासनिक उपाय करने में नहीं हिचकिचाएगी। *...(व्यवधान)*

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का प्रश्न है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में सभी शक्तियां राज्य सरकारों में निहित हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं सहमति नहीं दे रहा हूं। वह मुझे इस प्रकार बाधा क्यों पहुंचाते हैं? हमने राज्य सरकारों का नाम लिया है केवल इसलिए वे उठकर विरोध नहीं कर सकते हैं *...(व्यवधान)* कृपया कानून देखिए। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं। मैं ऐसा पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: आपने अभी तक खाद्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलायी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों के अधिकारों को समाप्त करने का आदेश राजग सरकार ने ही पारित किया और कहा कि कोई भी नियंत्रण आदेश केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही पारित किया जाए। हमने उसे समाप्त किया और कहा: "हम राज्य सरकारों को अधिकार देंगे। आप नियंत्रण आदेश जारी करें तथा जमाखोरी समाप्त करने, सट्टेबाजों और जमाखोरों से निपटने के लिए आप जो भी उपाय करना चाहें आप करें।" मेरे पास यहां एक सूची है कि राज्य सरकारों ने क्या कार्रवाई की। राज्य सरकारों के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के बाद कुछ राज्य सरकारों—मैं नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, किन्तु यदि जरूरी हुआ तो करूंगा-ने लाइसेंस की आवश्यकता लागू की। इससे अधिक कुछ नहीं। मात्र लाइसेंस ले लें। कुछ राज्य सरकारों ने भण्डार सीमा तय की है। किन्तु जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो वर्ष 2007 के दौरान दोषसिद्धि के 348 मामले हैं, 251 मामले एक राज्य में हैं; 76 मामले दूसरे राज्य में हैं; दो या तीन राज्यों में एक या दो मामले हैं तथा अधिकांश राज्यों में एक भी व्यक्ति दोषसिद्ध नहीं हुआ है। जब छापा मारने या तलाशी लेने की बात आती है तो अधिकांश छापे और तलाशी केवल पांच राज्यों में हुई हैं। कुछ राज्य हैं जो छापों का दिखावा करते हैं तथा शायद ही कोई गिरफ्तार होता है, शायद ही किसी पर मुकदमा चलाया जाता है और कोई भी दोषसिद्ध नहीं होता है। यदि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं के बारे में गंभीर हैं तो मैं उनसे इस सभा में अपील करता हूं। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें कल ही एक पत्र लिखा है। कृपया आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें।

सबसे पहले, मुकदमा चलाने से पूर्व आप कार्रवाई करें। आप कार्रवाई नहीं करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं। सबसे पहले आपको ऐसा करना चाहिए कि आप भंडार सीमा निर्धारित करें और भण्डार सीमा से अधिक जमाखोरी करने वालों पर छापा मारें तथा ऐसे लोगों पर मुकदमे चलाएं, उन्हें शीघ्र दोषसिद्ध करें ताकि उदाहरण के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। निर्धारित भण्डार सीमा से अधिक भंडार रखने वाले व्यक्ति को दोषसिद्ध करने में क्या कठिनाई है? यह सिद्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं है। बात केवल यह है कि आपको भंडार जब्त करना है और गवाह सहित उसे दण्डाधिकारी के समक्ष ले जाएं और बताएं कि हमने यह भंडार इसके पास से जब्त किया है। हमारी राज्य सरकारें ऐसा करने में अनमनी क्यों हैं? यह तो बहुत सरल है। यदि मेरे पास अधिकार होते तो मैं कल ही ऐसा करता। दुर्भाग्यवश, आवश्यक वस्तु अधिनियम हमें ऐसे अधिकार नहीं देता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आप गलत कह रहे हैं। यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है *...(व्यवधान)* मैं जिम्मेदारी टाल नहीं रहा हूं। मैं आपकी राज्य सरकारों सहित आप सबको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। *...(व्यवधान)* मुझे खेद है। श्री सलीम, लगता है आपने नहीं सुना कि मैंने पहले क्या कहा, मैंने कहा कि हम वित्तीय और मौद्रिक उपाय करेंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप सब बैठिए। आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: त्रिपाठी जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: पिछले सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने छापे डाले तथा बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्रियां पकड़ी गयी *...(व्यवधान)* श्री हरिन पाठक, इस प्रकार मुझे बाधा न पहुंचाएं। यदि आप बाधा पहुंचाएंगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप मंत्री जी को पहले सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: भारत सरकार की कदम उठाने की जिम्मेदारी है। हमने वित्तीय कदम उठाए हैं *...(व्यवधान)* मैंने पहले ही आपको एक सूची दी है। मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं उत्तर दे रहा हूं। कृपया थोड़ी देर बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप यील्ड न करके पहले मंत्री जी को सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आपको ये आंकड़े कहां से मिलते हैं? कौन क्रेडिट दे रहा है? *...(व्यवधान)*

महोदय, भारत सरकार ने कई वित्तीय कदम उठाए हैं तथा मैंने कहा है कि यदि और वित्तीय कदमों के परिणामत: अपरिहार्य रूप से राजस्व हानि सहनी पड़े तो उसे भी त्यागने को हम तैयार हैं। पहले से जो वित्तीय कदम उठाए जा चुके हैं उनके अलावा भी वित्तीय कदम उठाए जाएंगे। मौद्रिक उपाय किये गये हैं तथा मैंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक निश्चय ही परिस्थिति का आकलन करेगा और मौद्रिक कदम उठाएगा। मैंने यह भी कहा है *...(व्यवधान)* राधाकृष्णन जी, कृपया मेरी बात सुनिए *...(व्यवधान)* महोदय, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वे मुझे कहने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राधाकृष्णन जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. चिदम्बरम: तीसरी बात मैंने कही है कि अगर उनका आचरण नहीं बदलता है, तो हम प्रशासनिक कदम उठाएंगे। इसके पश्चात् मैं राज्य सरकारों से आदरपूर्वक एवं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करें तथा जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा स्थिति का अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों के विरुद्ध कदम उठाएं।

अब जहां तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है कृषि मंत्री इस संबंध में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा *...(व्यवधान)* महोदय, वे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं *...(व्यवधान)* महोदय, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं *...(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, वे हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): वे भ्रमित हो गए हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं भ्रमित नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि हम जो भी कर रहे हैं वह सही है। मैं भ्रमित नहीं हूं और न ही भ्रमित होऊंगा। *...(व्यवधान)*

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असली परीक्षा यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कितना खाद्यान्न लिया जाता है। कृपया आंकड़े देखें। वर्ष 1998-99 और वर्ष 2003-04 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ली गई गेहूं और चावल की कुल मात्रा प्रति वर्ष 138 लाख टन से 239 लाख टन के बीच थी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: नहीं खाने योग्य वस्तुएं दी गई हैं। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संकट काल के लिए है। जब कमी है तब आप कोटे में कटौती कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आज सलीम जी को क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: आपने राज्यों के कोटे में कटौती कर दी है। आप पीडीएस की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने राज्यों का कोटा कम कर दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए। अभी आपकी पार्टी को भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आप लोग बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। आपके बोलने का क्या फायदा है। कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, उसे सुनिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग मंत्री जी की बात सुनें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को नहीं सुनना चाहती है और वाम दल भी नहीं सुनना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.38 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, हम लोग वित्त मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए विरोध में हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 4.38$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, हम लोग उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम लोग भी सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 4.38$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम लोग सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.38$^{3}/_{4}$ बजे

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण बहस है। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा लेकिन अगर आप सरकार को उत्तर देने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की आदत है। वे अपना भाषण करेंगे लेकिन वे उत्तर नहीं सुनेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, इस पूरी बहस का माननीय मंत्री जी ने कोई कारगर उत्तर नहीं दिया है, इसलिए हमारी पार्टी भी सदन से वाक आउट करती है।

अपराह्न 4.39 बजे

तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। अत: हम भी वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 4.39$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय, श्री पी.सी. थामस तथा अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, वर्ष 1998-99 और वर्ष 2003-04 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल की ली गई अधिकतम मात्रा 239 लाख टन थी। यू.पी.ए. सरकार के आने के पश्चात् वर्ष 2004-05 में यह 293 लाख टन, वर्ष 2005-06 में 310 तथा वर्ष 2006-07 में 313 लाख टन गेहूं और चावल लिया गया।

कृषि मंत्री यह बताएंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण आपूर्ति बनाए रखने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूर्व में किसी भी समय की अपेक्षा अधिक चावल और अधिक गेहूं का प्रावधान किया है। हमें खरीद करनी होती है और हमने आपूर्ति की है। आंकड़े स्वयं बताते हैं। अगर वे आंकड़ों की नहीं सुनेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि छह वर्षों में 239 लाख टन से अधिक आपूर्ति कभी नहीं की गई। हमारे आंकड़े 293 लाख टन, 310 लाख टन तथा 313 लाख टन हैं।

महोदय, कृषि मंत्री ने कहा है कि वे आएंगे और बहस का उत्तर देंगे, मैंने यह बताने के लिए हस्तक्षेप किया है कि कई राजकोषीय कदम उठाए गए हैं, कई मौद्रिक कदम उठाए गए हैं और हम प्रशासनिक कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन

जब तक राज्य सरकारें सहयोग नहीं करती हैं तब तक मुद्रास्फीति के इस कठिन दौर से पार पाना संभव नहीं है।

यह मुद्रास्फीति मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, खाद्य, ईंधन तथा कमोडिटी के मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण हुई है। अपने भाषण के शुरुआत में मैंने बताया था कि हम किस प्रकार इन मदों के सबसे बड़े आयातक हैं और जब तक हम उनका आयात करते हैं वास्तव में हम मुद्रास्फीति का आयात करते हैं। लेकिन अगर हम इस संकट को दूर करना चाहते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना संतुलन नहीं खोना होगा, हमें यह दिखाना होगा कि हम मुद्रास्फीतिकारक प्रत्याशा को परास्त कर सकते हैं तथा मुझे विश्वास है कि विश्व में कीमतों में अनवरत वृद्धि जो कि दस्तावेजों में अच्छी तरह दर्ज है तथा दुनियाभर में लोग इसे समझ रहे हैं और यह मुद्रास्फीति चीन से वेनेजुएला तक दुनिया के कई देशों में विद्यमान है, इसके बावजूद हम अपने रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चलकर तथा उपयुक्त राजकोषीय, मौद्रिक, आपूर्ति तथा प्रशासनिक उपायों के द्वारा मुद्रास्फीति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार अपने वायदे को पूरा करेगी।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे उन्हें वापस आने के लिए अवश्य धन्यवाद देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सीमित विरोध।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं का समर्थन करता हूं कि आज मुद्रास्फीति कारक ताकतें कार्य कर रही हैं जो या तो आयातित हैं या आपूर्ति पक्ष की विवशता तथा इसी प्रकार से *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं अपना भाषण रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी ईच्छा के अनुसार कैसे होगा? आप दूसरे माननीय सदस्य के बोलने के समय व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते हैं। आपको प्रतीक्षा करनी है। यह आपकी सुविधा पर निर्भर नहीं करता है। यह मुझ पर निर्भर करता है कि आप इसे कब रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, यदि यह अंतर्राष्ट्रीय कारकों या राज्यों की जिम्मेवारी है तो यह सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: आप किस क्षेत्र से आते हैं? न तो राष्ट्रीय न राज्य से।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: महोदय, हम सदस्यों की उपेक्षा नहीं करते हैं। हम ममाननीय सदस्यों को सुन रहे हैं। हम सरकार की प्रतिक्रिया पर गुस्से में हैं।

अध्यक्ष महोदय: गुस्सा आधा-अधूरा था। आपको उन्हें पूरा सुनने के बाद बाहर जाना चाहिए था।

मोहम्मद सलीम: हमने उन्हें पूरा सुना है।

अध्यक्ष महोदय: आपने नहीं सुना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मैं वहां नहीं हूं। आपको निर्णय लेना है। हां, प्रो. रामदास, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास: महोदय, यह एक निर्विवाद तथ्य है *...(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, उन्होंने अवश्य ही टीवी पर अंतिम टिप्पणी देखी होगी और तब आए होंगे *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: उन्हें लोगों की परेशानियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अंततः लोग ही उन पर हंसेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: वे उत्तर से अवश्य ही संतुष्ट होंगे, इसलिए वे वापस आए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे छोड़ दें। यह समाप्त हो चुका है। आज हम काफी ज्यादा शिक्षित हैं। मुझे आशा है कि कल मूल्य वृद्धि में कमी आएगी। कृपया अपनी बात जारी रखें, प्रो. रामदास।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, यह तथ्य संदेह से परे है कि आज मुद्रास्फीति ज्यादा है। यद्यपि यह बहुत ज्यादा नहीं है जैसाकि कुछ सदस्य बताते हैं। यह मुद्रास्फीति ज्यादा या कम, यह आम

[प्रो. एम. रामदास]

आदमी को, निर्धारित आय वाले व्यक्ति समूह को तथा वास्तव में विकास की समूची प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

मेरे विचार से, मुद्रास्फीति के बीच योजना बनाना समुद्र के किनारे रेत पर लिखने जैसा है जो समुद्र के जल से बार-बार धुल जाता है। अतएव स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है तथा सरकार भी इस परिस्थिति से अवगत है। अभी अभी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार की मुद्रास्फीति पैदा करने वाले कारकों की व्याख्या की है जो कि काफी कठिन कार्य है।

ऐसे कारक हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं तथा माननीय वित्त मंत्री ने उन सभी उपायों की व्याख्या की है जो उन्होंने उठाए हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि मुद्रास्फीति राजनीतिक से ज्यादा एक आर्थिक घटना है। यद्यपि इस अवसर का उपयोग हम लोगों को संतुष्ट करने में या राजनीतिक लाभ उठाने में कर सकते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति को देखते हुए, हमें जानना चाहिए कि मूल्य, बाजार में आपूर्ति तथा मांग का प्रकटीकरण है। हमने जानबूझकर या अनजाने में मूल्य तंत्र को बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया तथा बाजार की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी कार्य कर रही हैं। अतएव, जब बाजार की ताकतें संतुलन की स्थिति में नहीं होती, तो मूल्य वृद्धि इसका अवश्यंभावी परिणाम है। इसे हमें समझना होगा। सरकार इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेवार है लेकिन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार नहीं है। यह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है कि मुद्रास्फीति किस प्रकार हो सकती है।

महोदय गत दो वर्षों में एक प्रमुख कारक जो मैं सोचता हूं और माननीय वित्त मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया कि आज अर्थव्यवस्था में नकदीकरण में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। नकदीकरण में वृद्धि विदेशों से हमें प्राप्त हो रही प्राप्तियों के कारण हुई है जो कि यहां अवसंरचना निवेश के रूप में आती हैं। काफी ज्यादा निवेश किया गया लेकिन ये सभी निवेश दीर्घावधि उन्मुख निवेश हैं। आप आज 100 करोड़ रुपये निवेश करते हैं लेकिन इस 100 करोड़ रुपये का निर्गम दो या तीन वर्षों के बाद आएगा। लेकिन 100 करोड़ रुपये की यह राशि तुरंत बाजार में आती है, क्रय शक्ति में वृद्धि करती है और मांग में वृद्धि करती है तथा, इसलिए, हम अचानक से इन प्राप्तियों के आगम को नहीं रोक सकते हैं तथा बाजार में नकदीकरण को कम नहीं कर सकते हैं।

यही नहीं, गत दो वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार ने अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा व्यय किया है। कई नवीन योजनाएं शुरू की गई हैं तथा कई कल्याणकारी उपाय किये गए हैं। आपके समक्ष आंकड़ों को रखते हैं वर्ष 2006-70 में, सरकार का कुल व्यय 6,45,304 करोड़ रुपये था, तथा 2005-09 में बजटीय व्यय 8,82,983 करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दो वर्षों में व्यय में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई। अतएव धन का अंतर्वाह 36 प्रतिशत है, तथा यह अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है। यह अर्थव्यवस्था में परिचलित धन में सम्मिलित होता है जिससे अर्थव्यवस्था में मांग या नकदीकरण में वृद्धि होती है। अतएव, नकदीकरण में वृद्धि उत्तरदायी कारकों में से एक है।

आज, ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जहां आम आदमी, गरीब आदमी क्रय शक्ति के माध्यम से अपनी आय अर्जित कर सकता है। आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लें, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार, ग्रामीण गरीबी ग्रस्त परिवार को 8,000 रुपये आय के रूप में मिल रहा है। ये कौन से लोग हैं? इन लोगों को पहले दो जून का भोजन या एक जून का भोजन भी नहीं मिला करता था लेकिन आज उनकी बढ़ती शक्ति के साथ, वे तुरंत बाजार जाते हैं, खरीदते हैं, तथा अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हैं।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कि खाद्यान्नों के लिए आय की लोच गरीबों के मामले में लगभग एक है। अतएव, इससे जब भंडार उपलब्ध नहीं होता तब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। गत वर्ष हमने लगभग 12000 करोड़ रु. खर्च किये और यह 12000 करोड़ रु. की राशि आज गरीबों के हाथों में है किन्तु निर्गम इसी अनुपात में 12000 करोड़ रु. जितना नहीं बढ़ा है। अतएव आपूर्ति और मांग के बीच अन्तर है जो अधिक मूल्यों द्वारा प्रदर्शित होता है। केवल इतना ही नहीं, आज मध्यम वर्गीय लोगों के खाने की आदतें भी बदल रही हैं तथा वे और अधिक अंडों, अन्य उत्पादों को अपना रहे हैं जिनमें खाद्यान्न शामिल है। अतएव बढ़ रही नकदी इन कारणों में से एक है।

फिर, आपूर्ति की कमी है। इसमें संदेह नहीं कि मानसून अच्छा था, खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ी है किन्तु वह बढ़ी हुई खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ती मांग से कम है। अत: इस परिस्थिति को हमें समझना चाहिए। ये कारण सरकार के काबू में नहीं हैं। इस समय कोई भी सरकार इस परिस्थिति का सामना उस प्रकार नहीं कर पाती जितनी वर्तमान संप्रग सरकार ने किया है।

मुद्रास्फीति का सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता। हमें यह बात समझनी चाहिए कि मुद्रास्फीति का सरकार या नीतियों से कोई लेना-देना नहीं होता है और जो किया गया है हमें उसके हिसाब से कदम उठाने होंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह नई अर्थव्यवस्था है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बीच में की गयी टोका-टाकी का जवाब न दें।

प्रो. एम. रामदास: अतएव, महोदय, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि ये वो कारक हैं जो बाजार पर निर्भर हैं और हम दुनिया के अन्य देशों के साथ वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं।

दुनिया के देशों से जुड़े होने के लाभ हैं; और कुछ खराबियां भी हैं जो आज हो रही हैं। अत: हम तेल, खाद्यान्न तथा अन्य उन वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते जिनका आयात हम अपने विकास के लिए कर रहे हैं।

जैसाकि हमारे वित्त मंत्री ने उचित ही कहा है, हम विकास के उच्च मार्ग पर हैं तथा हमें भारी संख्या में वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। हम स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अलग-थलग नहीं रख सकते हैं। अतएव, जब हम आयात करते हैं तो हमें मुद्रास्फीति का भी आयात करना पड़ता है। यह एक अपरिहार्य परिणाम है। अब हमें यह करना होगा कि हम राज्य सरकारों के साथ समन्वय करें, हमें मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी होगी, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर आपने जो कदम उठाए हैं और जो उठाने जा रहे हैं उसके बारे में समझाएं तथा मुख्य मंत्रियों से कहें कि वे आपका साथ दें तथा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रशासनिक उपाय करें। अत: सभी राजनीतिक दलों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल संप्रग ही अकेले जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि वाम मोर्चा जिम्मेदार है, या ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस संकट की घड़ी में हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है। यह एक आर्थिक संकट है जिसमें हमें राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अपने जंजाल से बाहर आना होगा और फिर साथ बैठकर विभिन्न उपाय सुझाने होंगे। यदि दूसरी तरफ बैठे मेरे मित्रगण महसूस करते हैं कि सरकार द्वारा किये गये उपाय पर्याप्त नहीं हैं तो वे बेहतर उपाय सुझा सकते हैं। यही सबसे बेहतर कार्य होगा।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि उसे राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर एक निगरानी तंत्र का तत्काल गठन करना चाहिए तथा इस तंत्र से कहना चाहिए कि साप्ताहिक आधार पर भारत सरकार को रिपोर्ट करे।

दूसरे, हमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की खामियों को दूर करना चाहिए, जिस अधिनियम ने राज्य सरकारों को खाद्य प्रणाली की कठोर निगरानी का अधिकार दिया है किन्तु दुर्भाग्यवश हो कुछ और रहा है। हमें इतना समर्थ होना चाहिए कि हम राज्य सरकारों से इसे इस्तेमाल करने को कह सकें।

तीसरे, हमें वायदा कारोबार पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए। चाहे वह सरकार हो या कोई व्यक्ति हो अथवा निजी क्षेत्र के लोग-वायदा कारोबार पर अवश्य प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहां तक आपूर्ति का प्रश्न है। ऑनलाइन ट्रेडिंग से भी भारी नुकसान हो रहा है और हम आपूर्ति नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमें यह करने में सक्षम होना चाहिए।

हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूत बनाना चाहिए। जैसाकि हमारे मित्रों ने कहा है और जैसा कि डा. कलैग्नार ने तमिलनाडु में किया है, आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और वस्तुएं लाएं। आप 10 या 15 आवश्यक वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं ताकि लोगों की खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम में भी आज हम नियोजित व्यक्तियों को नकद भुगतान करते हैं। पिछले मामले के समान बेहतर होगा कि मजदूरी का एक भाग खाद्यान्न के रूप में दिया जाए ताकि आम आदमी लाभान्वित हो सके और इसे प्राप्त करके मुद्रास्फीति की मार से बच सके।

हमें राजस्व हानि पर भी अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही कहा है कि किसी भी अनिश्चितता या किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए हमने पर्याप्त राजस्व व्यवस्था की है। कई आयातित वस्तुओं के मामले में शुल्क कम किये जाएं या कटौती की जाए ताकि इसकी भरपाई उसी वित्तीय व्यवस्था से की जा सके।

भण्डार सीमा प्रतिबंध को पुन: लागू किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर मुकदमा चलाए। हमें यह समझना चाहिए कि एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ या मांग और आपूर्ति का बाजार आधारित बल भले के लिए है यदि सभी जन कल्याण के लिए कार्य करें। किन्तु सामान्यत: बाजार आम आदमी के भले के लिए काम नहीं करता। अधिकाधिक लोगों को सर्वाधिक खुशी बाजार के मामले में लागू नहीं होती और इसीलिए सरकार को सदैव चौकन्ना होना चाहिए तथा परिस्थितियों की निगरानी दैनिक आधार पर करनी चाहिए और आम आदमी को बचाना चाहिए। यदि आम आदमी को प्रत्येक दिन अधिक कीमत चुकानी पड़े तो हमारे सभी आंकड़ों, सभी तर्क और सभी सैद्धांतिक बातों का कोई अर्थ नहीं है। अतएव हमें आम आदमी को संतुष्ट करना होगा। अन्यथा हमने किसानों के लिए 60000 करोड़ रु. की कर्ज माफी के रूप में तथा

[प्रो. एम. रामदास]

सभी राष्ट्रीय योजनाओं के रूप में जो कुछ किया है उसका आम आदमी के नजरिये से कोई मोल नहीं रह जाएगा; और कोई इनका राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता है। अतएव, इस हालात को सुधारने के लिए व्यापक तथा सही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मोहम्मद सलीम: इन्होंने कई अच्छे नीतिगत सुझाव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्यगण अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा महंगाई के संदर्भ में चल रही है। मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है। जब राजा का राज होता था तो राजा रात को निकलते थे कि उनकी प्रजा में कोई भूखा तो नहीं सोया है। राजा का राज चला गया। अब जन प्रतिनिधि आ गए, लोकतंत्र आ गया। जनता जन प्रतिनिधियों को चुनती है और उससे अपेक्षा करती है कि जो जनप्रतिनिधि वोट लेने आया था और उसने जो वायदे किये थे, उन वायदों को वह निभाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर नहीं बैठी हैं। मैं आपको अनुदर्शी अनुमति देने को तैयार हूं किंतु आपको दूसरी सीट से बोलने के लिए अनुमति मांगनी होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं यहां से बोलने की परमिशन चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। किंतु भविष्य में, मैं थोड़ी सख्ती दिखाऊंगा। यह आपके लिए ही नहीं अपितु हरेक के लिए होगी। ठीक है, अब बोलिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: कांग्रेस जब चुनाव के समय अपने मुद्दे लेकर जनता के सामने गई थी तो उसने अपने घोषणा-पत्र में प्रमुख रूप से यह बात कही थी कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ रहेगा। जब यूपीए की सरकार बनी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बात थी कि यूपीए हमेशा आम आदमी के लिए काम करेगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जब वित्त मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे तो अपने आप को बहुत अक्षम महसूस कर रहे थे। महंगाई को लेकर देश में जो त्राहि-त्राहि हो रही है, उसे कंट्रोल करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे। बार-बार कह रहे थे कि या तो इंटरनेशनल मार्किट इसके लिए रिस्पौंसिबल है या राज्य सरकार है। देश के वित्त मंत्री अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि हमने इनके भाषण टेलीविजन में भी सुने। अलग-अलग जगहों में मंत्री जी अलग-अलग भाषण दे रहे हैं। शरद पवार जी जो कृषि मंत्री हैं, वह कहते हैं कि साउथ के लोगों ने गेहूं खाना शुरू कर दिया है, चावल खाना बंद कर दिया है, इस कारण गेहूं के दाम ज्यादा हो गए हैं। चिदम्बरम जी टीवी में कुछ और बात कह रहे थे कि खान-पान की स्थिति सब की अलग-अलग हो गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। परचेसिंग पावर बढ़ गई है तो वह जरूरी वस्तुओं पर नहीं होगी। हो सकता है कि लोग ज्यादा लग्जूरियस आइटम्स लेना शुरू कर दें लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ गई है इस कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है कि वह कनफ्यूज्ड हैं। यहां वह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्किट जिम्मेदार है और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्राइज राइज में नैशनल पॉलिसी का कोई रोल नहीं है, इस तरीके का वक्तव्य देना पूरे सदन को ही नहीं, पूरे देश को गुमराह कर रहा है। ऐसे में खुद की असफलता का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ना, ऐसा लगता है कि ऐसी लाचारी किसी वित्त मंत्री की नहीं रही है। वह खुद सोच नहीं पा रहे हैं और ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिससे बढ़े दामों पर रोक लगा सकें।

पूरे देश में जिस तरह से सभी लोग परेशान हैं, महंगाई जो आसमान छू रही है, उसमें खास तौर पर महिलाओं के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वे महिलाएं अब सड़क पर आने के लिए सोच रही हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण विषय होने पर ही आन्दोलन करती हैं। आज तहसील स्तर पर महिलाएं महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आकर आन्दोलन कर रही हैं। इस तरीके की स्थिति देश में उत्पन्न हो गई है। उनकी इनकम में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनको मजदूरी उतनी ही मिल रही है लेकिन दाम इतने बढ़ गए हैं कि वे एक समय पैसा लेकर बाजार में चीजें लेने जाती थीं तो थैला भरकर लाती थीं, आज उनका पूरा पर्स खाली हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और पूरा सामान खरीद नहीं पाती हैं। ऐसे हालात गलत नीतियों की वजह से बने हैं। अभी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, खेती और अच्छी होनी चाहिए, दालों और गेहूं की खेती बढ़नी

चाहिए। वह बढ़ नहीं रही है इसलिए यह स्थिति पैदा हो रही है, यानी वह किस की तरफ देख कर यह बात कह रहे हैं। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर सरकार के दूसरे मंत्री की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि वह कृषि नीतियों के ऊपर बताएं।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपस के समन्वय में इतनी ज्यादा कमी हो गई है और उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह भी इस देश के अंदर हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि अगर हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो यह किसकी असफलता है। अगर आपको लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? किसानों को समर्थन मूल्य कम दिया जाता है, लेकिन यदि उसी चीज को विदेश से खरीदना है तो उसे ज्यादा दामों पर खरीदने के लिए तैयार हैं।

अपराह्न 5.01 बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

यानी आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक तरफ आप विदेशों से जो अनाज खरीदते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां के किसानों को अगर अनाज का दाम चुकाना है तो उसे कम दाम देंगे। ऐसी स्थिति में कौन किसान अपने ऊपर कितना कर्जा लेकर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करेगा। जो नीतियां आई हैं, वे इतनी ज्यादा जटिल और गलत नीतियां हैं कि इसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये स्थितियां आज देश में पैदा हो गई हैं। जो देश किसी समय में यह माना जाता था कि वास्तव में यह किसानों का देश है, जहां 70 से 80 प्रतिशत फार्मिंग हो रही है, वहां ये सारी स्थितियां इन्होंने पैदा कर दी हैं। इनका यह कहना कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए हम असफल हो रहे हैं और दूसरी ओर यह कहना कि राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगी कि जिस तरह से यहां बैठे हुए केन्द्र के मंत्री राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई गलत बात नहीं हो सकती है। यह लोगों के ऊपर बहुत आसानी से दोषारोपण करते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है, उस फैक्ट को हम यहां कह रहे हैं। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो यह आग सब तरफ लगी हुई है। यह बात जनता कह रही है कि दाम बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूं कि शायद सोनिया गांधी जी का वह स्तर नहीं होगा कि जाकर कोई दाल या चावल खरीदती होंगी, लेकिन कम से कम अखबार में तो वह पढ़ रही होंगी कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में सौ प्रतिशत से बढ़कर तीन सौ प्रतिशत दाम बढ़े हैं। यानी बजट पेश होने के बाद से इतने दाम बढ़े हैं। 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। वह कम से कम अखबार तो पढ़ती होंगी, वह इस चीज को क्यों महसूस नहीं कर पा रही हैं कि कैसे इस पर कंट्रोल करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): सर, जो व्यक्ति यहां नहीं हैं, उनका नाम न लिया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं कुछ मिनट और बोलूंगी। मैंने अपनी बात की अभी शुरुआत की है। अगर कोई समय निर्धारित है तो आप बतायें, नहीं तो बीच में न टोकें।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: सोनिया जी का नाम लेने का यहां कोई संबंध नहीं है, क्या आपको हजम नहीं होता है। उनका इससे क्या संबंध है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: बिल्कुल हजम होता है। लेकिन वह एक महिला है और एक महिला होने के नाते मैं यह बात कह रही हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती किरण माहेश्वरी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: जब वहां बैठकर एन.डी.ए. गवर्नमैन्ट की बात की जा रही है तो इसका उत्तर भी आपको सुनना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* हम आपकी हर बात का सम्मान करते हैं। *...(व्यवधान)* इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। आज जब यहां बैठकर वित्त मंत्री जी यह बात कहते हैं। *...(व्यवधान)* हम आपको नहीं बोल रहे हैं। हम यूपीए की अध्यक्ष को बोल रहे हैं और हमें यह बोलने का पूरा अधिकार है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: सर, मैं चेयर को ही संबोधित कर रही हूं, लेकिन यह क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। हम आपसे ही कहना चाह रहे हैं। जब यह राज्य सरकार के बारे में बात कहते हैं और बोलते हैं कि यहां राजनीति हो रही है, हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं, हम दोषारोपण करके महंगाई के ऊपर राजनीतिक खेल कर रहे हैं, लेकिन आज जितनी राजनीति यहां बैठकर वित्त मंत्रीजी ने की, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उनसे यह पूछूंगी कि यूपीए की चेयरपर्सन जो भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में जाकर भाषण देती हैं और कहती हैं कि राज्य सरकारों को दामों को कम करना चाहिए। यहां केन्द्र में बैठकर उन्हें फुर्सत नहीं है कि वह इस चर्चा को सुने। यहां के वित्त मंत्री को फुर्सत नहीं है कि वह इस चर्चा को सुने और उसके बावजूद राज्य सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जो यहां गलत नीतियां बनी हैं, यहां उन्हें जो मैजर्स लेने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वे यहां उठा नहीं पा रहे हैं और दोष राज्य सरकारों को दे रहे हैं कि यह काम राज्य सरकारें करे। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा इतनी ज्यादा आत्महत्याएं की गई हैं, आप वहां जाकर क्यों नहीं कहते कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार दामों के बारे में सोचे। आंध्र प्रदेश में इतने किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। वहां जाकर क्यों नहीं ये भाषण देते, हरियाणा में जाकर भाषण क्यों नहीं देते? जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने महंगाई के लिए करी है, उस महंगाई के लिए ये स्वयं दोषी हैं। इस चीज को ये स्वीकार करें और ये जब स्वीकार करें कि हां, दाम बढ़े हैं लेकिन फिर वापस आकर अपने ऊपर दोष न लेकर बल्कि दूसरों के ऊपर बात डालने से वह चीज उनके लिए ठीक नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी और पर दोषारोपण कर दिया तो हम दोष से मुक्त हो गये। ऐसी बात नहीं है। जो दोष इनके अंदर है, जो गलत नीतियां इनकी हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं, जो बात इन्होंने आम आदमी की कही थी लेकिन खास आदमी के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए ये दोषी हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहूंगी कि यह नैतिकता के आधार पर जो सरकार इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, जो आम आदमी को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकती, वे बातें करते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है, हम उसे सुधारें लेकिन हर चीज में उन्होंने कटौती करी है, बीपीएल के परिवार को जो गेहूं दिये जाते थे, उसमें कटौती करी, चावल में कटौती करी, हर चीज में कटौती करी है, ऐसी सारी स्थिति के अंदर इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये देश की ऐसी हालत करें। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहूंगी कि जो काम खुद नहीं कर सकते, अच्छा है कि उसे छोड़ देना चाहिए। अगर चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर होकर प्राइस राइज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि वे यहां पर अपना इस्तीफा दे देते कि मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन किसी और पर दोषारोपण करके और यह कहना कि हम इससे मुक्त हैं। दोषी अगर कोई है तो इंटरनेशनल मार्केट है, दोषी अगर कोई है तो राज्य सरकारें दोषी हैं, इसे सारी जनता जानती है। जनता मूर्ख नहीं है। इस देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जिस तरीके से कालाबाजारी बढ़ी है और जिस तरह से प्राइस बढ़े हैं और जब अटल जी की सरकार थी तो जो एलपीजी आराम से मिला करती थी, आज एलपीजी के सिलिंडर पर भी कालाबाजारी हुई है। आखिरकार केन्द्र सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। यह सरकार क्यों नहीं इस बात को मानती है? जनता इस बात को अच्छी तरीके से जान गई है। अब ये केवल चुनाव करवा लें और ये जान जाएंगे कि आम आदमी के लिए बात करने वाले जो लोग यहां सत्ता में आकर बैठे हैं, वह आम आदमी उनसे पूछना चाहता है कि आखिरकार आपने इस तरह का धोखा हमारे साथ क्यों किया है? मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए यही कहूंगी कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को पद से मुक्त हो जाना चाहिए और फिर से ये जनता के बीच में चले जाएं और अपना मूल्यांकन जनता के बीच में जाकर कर लें कि कहां पर खड़े हैं। यहां केवल आंकड़ों का जाल फैलाकर और लोगों को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। वह गरीब के घर में जाकर देखें कि जहां दो वक्त का खाना नहीं बन पा रहा है। वहां जाकर ये महसूस करें, यही उनके लिए ठीक होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मणि शंकर अय्यर जी एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं जो यहां पर उपस्थित हैं। वे अपनी फाइलों को देख रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या आप सचमुच चर्चा में शामिल हैं? श्री मणि शंकर अय्यर, आप अपनी फाइलें देख रहे हैं। आप एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं, जो सभा में उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब श्री शरद पवार आ गए हैं। वे अपनी फाइलें देख रहे थे और चर्चा में भाग नहीं ले रहे थे। वे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे किंतु अब आप आ गए हैं। काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

पंचायती राज मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, क्या मैं इसे स्पष्ट करूं?

सभापति महोदय: यह जनता का मुद्दा है और इसे काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, किंतु सरकार उचित बर्ताव नहीं कर रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर यहां पर उपस्थित थे। वे अपनी फाइलें ही देख रहे थे। वे इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। अब शरद पवार आ गए हैं। अब सब ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: जी नहीं, महोदय नहीं, क्या मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह मेरा अपना अनुभव है। मैं जानता हूं कि सरकार क्या होती है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, यह काफी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, ऐसा मत करिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री।

नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। आप इसे एक सामान्य विषय की तरह ले रहे थे।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैंने अपने कान पर इयरफोन लगा रखे थे और मैं माननीय सदस्यों के भाषण को सुन रहा था *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री शरद पवार आ गए हैं। मैं समझता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री की बात के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, वे कुछ कहना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलना जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं सभा में कहे जा रहे प्रत्येक शब्द को सुन रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मिस्त्री जी। क्या आप बोल रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, किसी मुद्दे पर उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उत्तेजित न हों। मैंने सच कहा है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, यही मैंने भी किया है।

सभापति महोदय: मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। मैं केवल उल्लेख कर रहा था कि मूल्यवृद्धि का मुद्दा जनहित में सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है तथा इसे उचित परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मणि शंकर अय्यर: ....*

सभापति महोदय: कोई व्यक्ति मुझे धमकी नहीं दे सकता है तथा कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ नहीं कह सकता है। मेरा अपना अनुभव है। आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: ....*मैं यहां अपने कान में इयरफोन लगाए बैठा हूं तथा प्रत्येक शब्द सुन रहा हूं ....*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, यह क्या है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, उन्होंने अध्यक्षपीठ का अपमान किया है। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है... यह अपमानजक है, तथा इसे अवश्य ही कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर कर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तथा इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मुझे दुख है लेकिन इन मामलों में लंबे समय से मेरा अपना अनुभव है। मैंने सभा को कई बार नियंत्रित किया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): महोदय, खाद्य वस्तुओं तथा सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़कर आम आदमी पर 7.41% की मुद्रास्फीति हो गई है। सरकार ने परिस्थिति से निबटने के लिए दीर्घावधि तथा तत्काल उपाय करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के वक्तव्य भी प्रोत्साहन देने वाले कतई नहीं थे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण जोकि अन्य मंत्रियों के वक्तव्य हैं कि मूल्य वृद्धि को रोकने का कोई जादू नहीं है तथा मूल्यवृद्धि वैश्विक प्रक्रिया है, इसने केवल सरकार की विफलता को दोहराया है।

उन दिनों का क्या हुआ जब भारतीय खाद्य निगम के पास चावल तथा गेहूं के पर्याप्त भंडार थे? क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निजी पार्टियों द्वारा उपयोग करने की नीति सफल हुई? सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि बहुराष्ट्रीय निगम तथा बड़े औद्योगिक घरानों पर कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। उनका उद्देश्य केवल मुनाफा है। सरकार उन राज्यों को अन्न आपूर्ति करने में असमर्थ है जहां इसकी भारी कमी है। मेरा राज्य केरल इसका ठोस उदाहरण है। एपीएल श्रेणी में चावल का कोटा 82% तक कम कर दिया गया है। वह राज्य जो चावल की घरेलू आवश्यकता का केवल एक तिहाई उत्पादन करता है वह मूल रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। यदि सरकार इस दायित्व का अनुभव नहीं करती तो क्या मूल्य वृद्धि कभी रोकी जा सकेगी?

पाम ऑयल तथा खाद्य तेलों पर सीमाशुल्क में कटौती ने उद्देश्य पूरा नहीं किया है। इसने नारियल तेल तथा अन्य बीज तेलों के लाखों किसानों की क्रयशक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बड़े व्यापारी लाभान्वित हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये हैं। भारत सरकार तथा किसानों को हानि पहुंची है। खाद्य तेलों में भी लगातार मूल्यवृद्धि हो रही है।

पेट्रोलियम का मूल्यतंत्र भी दोषपूर्ण है। विभिन्न अवसरों पर पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्यवृद्धि ने भी मुद्रास्फीति बढ़ाई है।

हमारी उदार नीतियों की भी समीक्षा की जानी है। यदि हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं तो उदारीकरण का क्या उपयोग है। विकास का दावा करना तथा लोगों के पिसने का क्या उपयोग है।

यदि केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन तथा इसकी मूल्य स्थितियों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है तो किसे दोष दिया जाए। केन्द्र को गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं इस स्थान से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: हां, आपको ऐसा करने की अनुमति है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में लाने के लिए कुछ तथ्य रखने का प्रयास कर रहा हूं।

सभापति महोदय: यह सभा की जानकारी के लिए है। लगभग 10 या 12 और वक्ताओं ने अभी बोलना है। यदि आप सभी प्रत्येक के हिसाब से पांच मिनट बोलकर सहयोग करने की कृपा करें, तो हम वाद-विवाद को शीघ्र ही समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसमें दो और घंटे लग जाएंगे। इसलिए, मैं प्रत्येक वक्ता से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री के.एस. राव (एलुरू): महोदय, कृपया प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट बोलने की अनुमति दें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं महंगाई के संबंध में वाद-विवाद पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कीमतों में वृद्धि के बारे में वास्तव में चिंतित हूं। फिर भी, यह सुझाव देने की बजाय कि इसे किस प्रकार रोका जाए, हमें सुबह से अनेक चीजों के लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है जैसेकि राज्यों के लिए खाद्यान्न कोटे में कटौती, कृषि में गिरावट आ रही है, यह कि राजसहायता में कटौती की गई है; यह कि कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है; यह कि राज्यों के लिए विभिन्न खाद्यान्नों की उपलब्धता और आवंटन में कटौती की जा रही है, आदि।

सर्वप्रथम, मैं उस आरोप पर बोलना चाहता हूं कि राज्यों को कम मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। मैं उन सभी उत्तरों पर निर्भर हूं, जो विभिन्न समय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में इस सभा में दिए गए हैं।

ज्यादातर उत्तर सत्र के प्रथम भाग में ही दे दिए गए हैं। मैं केवल उनका उल्लेख मात्र कर रहा हूं। पहला आरोप यह था कि अनेक राज्यों के मामले में चावल और गेहूं के आवंटन और उठान में कमी आई है।

[हिन्दी]

हमारे सामने अभी यह बात आ रही थी कि राजस्थान का कोटा कम हो गया। राजस्थान में जो बीपीएल और आम आदमी की हमेशा चिन्ता करते हैं, खासकर हमारे लैफ्ट के साथी जो मेरे राइट की तरफ बैठे हैं, उनकी स्टेट को भी कितना कोटा दिया गया, उस पर भी मैं जाऊंगा लेकिन एलोकेशंस के सवाल का जवाब 10 मार्च को दिया गया था। ...*(व्यवधान)* आप सुनिये। क्यों घड़ी-घड़ी खड़े हो जाते हैं? कुछ प्राब्लम है क्या? आप खड़े होंगे तो क्या मैं नहीं खड़ा होऊंगा? ...*(व्यवधान)* अरे ये एनडीए का नहीं है। आप लोगों की प्राब्लम ही यह है कि आपके पास दूसरों को सुनने के लिए सहनशक्ति नहीं है। आपको सब सुनें लेकिन आप किसी को नहीं सुनें। ऐसा हमेशा आपके लोगों का रवैया रहा है जो वहां बैठते हैं। मुझे उससे बड़ी आपत्ति है।

[अनुवाद]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: हममें सहिष्णुता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: आप ही इधर आ जाएं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हमें उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन आप यहां नहीं होंगे, यह मैं आपको अभी से बता रहा हूं, समझे या नहीं। और आप ज्यादा सपने मत देखा करो। एक बार आ गए तो आ गए। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं राजस्थान की 2004-2005 की फिगर्स पढ़ रहा हूं। ये फिगर्स हजार टन में है। उसमें 960.50 हजार टन राइस और व्हीट का कोटा अलाट किया गया था। उनका ऑफटेक 882 हजार टन है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के मामले में, पश्चिम बंगाल के मित्र सदस्य कहां हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती: हम यहां हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: हमारे मित्र सदस्य, जो बहुत अधिक बोल रहे थे और अपनी इच्छानुसार मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि कभी कभार अप्रासंगिक थे और कभी कभार काफी कड़वे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि वे केवल ऐसी भाषा का प्रयोग करके ही अपनी बात रख सकते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: हम यहां हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप श्री दासगुप्त नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: आप तो उनके सपोर्ट से सरकार में हैं। ये सब तो सहन करना पड़ेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप उस पर चिन्ता मत करिये। आप सामने से हाथ नहीं मिलाते, पीछे जाकर हाथ मिलाते हैं। वैस्ट बंगाल में 2004-05 में राइस और व्हीट का ऑफटेक 2010 था।

[अनुवाद]

मैं हजार टन के आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। 2005-06 में आफटेक 1520 था। मोहन सिंह जी यहां नहीं हैं, पुन: पश्चिम बंगाल में, यह 2010 था और आफटेक 1748 था; उत्तर प्रदेश में आवंटन 4484 था और ऑफटेक 3998 है। राजस्थान में 993 हजार टन, ऑफटेक 770 था। इसके बाद में 2006-07 के आंकड़े बताता हूं। राजस्थान के मामले में आबंटन 1021 का और ऑफटेक 864 था; उत्तर प्रदेश में 4486 आवंटन था, 4173 आफटेक था; पश्चिम बंगाल में, 2143 आवंटन था और आफटेक 1559 था; बिहार का एलोकेशन बहुत कम है। बिहार के मामले में आवंटन 2681 था और ऑफटेक 1014 मात्र था।

[हिन्दी]

2007-08 के दिसम्बर 2007 तक का बताता हूं। जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं कि यहां से माल ले जा रहे हैं और वहां नहीं दे रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि वहां की सरकार कितनी सिन्सियर है बीपीएल और एएवाई के परिवारों को अनाज देने के लिए।

[अनुवाद]

राजस्थान के मामले में आवंटन 755 था और ऑफटेक 687 था, उत्तर प्रदेश में आवंटन 3363 था और ऑफटेक 3070 था। पश्चिम बंगाल में, 1631 आवंटन था और ऑफटेक 1384 था; 300।

[हिन्दी]

आपकी स्टेट ने उसमें कम किया। *...(व्यवधान)* मैं उस पर भी आ रहा हूं। आप चिन्ता मत करिये। आप सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* हमने आपको परेशान नहीं किया था, इसलिए कृपया मुझे सुनिये। फूड सब्सिडी के लिए कहा गया कि यूपीए गवर्नमैंट द्वारा फूड सब्सिडी काट दी गई है।

[अनुवाद]

वर्ष 2004-05 में, बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. के लिए राजसहायता 17,548 करोड़ रु. थी। वर्ष 2006-07 में, राजसहायता 18,001 करोड़ रु. थी और ए.पी.एल. के लिए 2,792 करोड़ रु. थी, जिसे बढ़ाकर 3,329 करोड़ रु. कर दिया गया। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कम सदस्यों ने व्यय के इन आंकड़ों को देखा होगा। मैं बजट के बारे में गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षित करता हूं। मैं पाता हूं कि इने-गिने लोग ही इन आंकड़ों को देखते हैं। जिन लोगों ने खाद्य राजसहायता का उल्लेख किया था, उन्हें इन आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए था। राजसहायता का एक बड़ा हिस्सा खाद्य के लिए दिया गया है। वर्ष 1999-2000 में यह 9,493 करोड़ रु. थी, वर्ष 2003-04 में 25,181 करोड़ रु. थी, जिसे बढ़ाकर 32,667 करोड़ रु. कर दिया गया। इसलिए, पहले तो विपक्ष के सदस्यों को अपने आंकड़े ठीक करने चाहिए।

वर्ष 2004-05 में, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 रु. प्रति क्विंटल था; वर्ष 2005-06 में यह 640 रु. था; वर्ष 2006-07 में यह 700 रु. था; वर्ष 2007-08 में यह 850 रु. था और वर्ष 2008-09 में यह 1000 है। वर्षों तक, बी.पी.एल. परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य 415 रु. पर कायम रहा और ए.ए.वाई. के लिए यह 200 रु. पर कायम रहा। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि इस तथ्य के बावजूद, यू.पी.ए. सरकार ने गेहूं के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, गुजरात राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को राज्य के साबरकंठा, मेहसाणा और पाटन जिलों से गेहूं खरीदने से मना किया है। राज्य सरकार व्यापारियों से किसानों का बचाव नहीं कर रही है। व्यापारी बाजार में 185 रु. से 195 रु. की कीमत पर गेहूं खरीद रहे हैं। राज्य सरकार ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को इन तीन जिलों से गेहूं खरीदने के लिए लाइसेंस जारी किया है जबकि शेष जिलों में आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण हो सकता है। मेरा सीधा आरोप यह है कि गुजरात सरकार व्यापारियों को बाजार से गेहूं खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु जानबूझ कर ऐसा कर रही है ताकि वे कृत्रिम रूप से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ा सकें। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह सरासर झूठ है। इस देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कीमतों में हुई बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई उपाय कर भी रही है या नहीं। इसमें गुजरात को मत घसीटो *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं सहमत नहीं हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, वे किसानों के विरुद्ध हैं और उनकी नीतियां भी किसान विरोधी हैं ...*(व्यवधान)* वे किसानों को लाभकारी मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते ...*(व्यवधान)* उन्होंने व्यापारियों को सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दे दी है और एपीएमसी का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है ...*(व्यवधान)* वे तो बस राज्य में जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह क्या हो रहा है? मैं श्री पाठक और श्री रतिलाल वर्मा के हस्तक्षेप पर पुरजोर आपत्ति करता हूं।

सभापति महोदय: आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वे मेरी बात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। वे मेरी बातों में टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं?

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वे जानबूझकर मेरी बातों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि तथ्य उनकी राज्य सरकार के विरुद्ध हैं।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं अपना भाषण दे रहा हूं क्योंकि किन्तु वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं। आप उन्हें बैठने के लिए कहिए। यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्रीमती परमजीत कौर। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वे मुझे आदेश नहीं दे सकते *...(व्यवधान)* आप ही की राज्य सरकार जमाखोरों को गेहूं की जमाखोरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं इस बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि हमें गेहूं, चावल और इसी प्रकार के खाद्यान्नों का कम उत्पादन करने का दोषी ठहराया जा रहा है। मुझे 2003-04 और 2006-07 के आंकड़े उद्धृत करने दीजिए। आंकड़ों को देखिए। वे कमोबेश तथ्यों पर कम और सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा आधारित हैं। 2003-04 में चावल की पैदावार 88,526 मीट्रिक टन थी जो बढ़कर *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सभा का संचालन करने के लिए मेरे साथ सहयोग करने की ड्यूटी से बंधे हुए हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। और भी वक्ता हैं और इसे आज ही समाप्त कर देना चाहते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: कृपया, महोदय मुझे दो मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सत्ता पक्ष में होने के नाते आपका दायित्व ज्यादा है। आप इस पहलू को भूल गए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं सभा को यही बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने ऐसे पर्याप्त उपाय किये हैं जिनका अभी वित्त मंत्री द्वारा जिक्र किया गया है। कई बातों के बावजूद वस्तुस्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है क्योंकि कई राज्यों में आवश्यक वस्तु अधिनियम क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि देश में बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति में सभा को बताया जाए कि राज्यों द्वारा कितने छापे मारे गए हैं और राज्यों द्वारा कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। वे जानबूझ कर चुनाव पर नजर गड़ाए बैठे हैं और वे स्वयं किसी भी जमाखोर या कालाबाजारी करने वाले को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। एक ओर तो वे बस जाते हैं और केन्द्र सरकार पर दोष लगाते हैं। मैं इस बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराने के लिए कहना चाहता हूं कि संबंधित राज्य सरकार ने केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के समय केवल केन्द्र सरकार को बदनाम करने और उसके द्वारा किये गये उपायों को प्रभावहीन करने के उद्देश्य से जानबूझ कर ऐसा किया है। वे यह सब केवल बजट प्रस्तुत करते समय यू.पी.ए. सरकार के द्वारा घोषित उन सभी उपायों को नाकाम करने के लिए कर रहे हैं और इसीलिए वे कीमतों का हौवा बना रहे हैं और वे अपनी राज्य सरकार को नहीं बता पा रहे हैं।

[हिन्दी]

वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। वे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यह उनकी पहुंच के बाहर है।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

[अनुवाद]

वे जानबूझ कर केन्द्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह बिल्कुल सही समय है जब हमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए और हमें राज्यों में कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों पर सीधी कार्रवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए उस समय उन्हें संघीय और राज्य सरकार का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा): सभापति महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यूपीए सरकार वर्ष 2004 में सत्ता में आई थी। उस समय, यूपीए सरकार ने आम जनता के लिए अनेक लुभावने नारे दिये थे। इनमें से एक नारा था: यूपीए का हाथ, आम आदमी के साथ अर्थात् यूपीए आम आदमी की शुभचिंतक है। सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। यूपीए सरकार आम आदमी को कोई राहत या सहायता देने में असफल रही है। इसके बजाय, यह आम आदमी के लिए बोझ बन गई है।

महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती। अनेक माननीय सदस्यों ने पहले ही यह आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। ये देश में हुई अपूर्व मूल्य वृद्धि को दर्शाते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने इस सम्माननीय सभा के उद्वेलित सदस्यों को शांत करने के लिए उन्हें आंकड़ों और सांख्यिकी के मकड़जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की है। तथापि जनता को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। यूपीए सरकार को इस अपूर्व मूल्य वृद्धि को रोकने में उसकी असफलता का खामियाजा 2009 में होने वाले आम चुनावों में चुकाना होगा।

महोदय, मैं संक्षेप में भाषण दूंगी और विषय तक सीमित रहूंगी। वर्ष 2004 से यूपीए सरकार, टेलीविजन और समाचार पत्रों में सेंसेक्स में वृद्धि का दावा कर श्रेय ले रही है। इस देश के गरीब, निरक्षर लोग इन जटिल मुद्दों को नहीं समझ सकते, तथापि वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में तीव्र वृद्धि हो रही है। सम्भवत: वे यह नहीं जानते होंगे कि सेंसेक्स क्या है। तथापि, खाद्य और अखाद्य मदों के आसमान छूते मूल्य उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कांग्रेस दल इस देश में सबसे अधिक वर्षों तक सत्तारूढ़ रहा है। तथापि, मूल्यों में कभी भी कमी नहीं हुई है। यूपीए सरकार के राज के दौरान, सेंसेक्स में वृद्धि हुई है। गरीब लोग नहीं जानते कि सेंसेक्स क्या है। उनके विचार से यह बाजार में उपलब्ध कोई सस्ती वस्तु है। तथापि, यह साधारण लोग नहीं जानते कि सेंसेक्स कोई वस्तु नहीं है। वे इसे सस्ते में बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। मामले का सार यह है कि गरीब लोग सेंसेक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सेंसेक्स की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि ही उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करती है। आटा, दाल, खाद्य तेल और अब आवश्यक मदों के मूल्य आसमान छू रहे हैं।

महोदय, सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से गरीब लोगों को भी धोखा दिया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा एक पिछड़ा इलाका है। मेरे क्षेत्र के लोग अत्यंत गरीब हैं। मैंने अपने क्षेत्र में जांच की है कि प्रत्येक गांव में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। आप इस योजना के लाभार्थियों को अंगुलियों पर गिन सकते हैं। इस योजना के तहत, लोगों को 97 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। केवल परिवार का एक सदस्य ही इस राशि का दावा कर सकता है। उन्हें केवल 100 दिन तक इस राशि का भुगतान किया जाता है। तथापि, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। दालें 70 रुपये प्रति किलो के ऊंचे मूल्य पर बेची जा रही हैं। आटा 16 रुपये प्रति किलो, चीनी 20 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर बेची जा रही है। इन भीषण परिस्थितियों में गरीब लोगों का जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। गरीब व्यक्ति अपने बच्चे की स्कूल फीस या उसके बीमार होने पर दवाएं कैसे खरीद सकता है? 97 रुपये बहुत ही कम राशि है। यह नाममात्र की राशि है। सभी मदों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह अत्यधिक विस्फोटक स्थिति है। इन परिस्थितियों में 97 रुपये एक अल्पराशि है। यह समुद्र में एक बूंद के समान है। यह शर्मनाक स्थिति है। महोदय, एक समय में रोम में अकाल की स्थिति थी। लोग राजा के पास गए और अपने शासक से सहायता करने की अपील की क्योंकि वे भूख से मर रहे थे। शासक ने अपना जीवन महलों में व्यतीत किया था। उन्हें जमीनी हकीकतों का कोई अंदाजा न था। रोम के राजा हमारी वर्तमन सरकार की तरह थे। उन्होंने लोगों को कहा कि अगर उन्हें आटा या दूसरा अन्न प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें केक और पेस्ट्रियां खानी चाहिए। हमारी वर्तमान यूपीए सरकार रोम के राजा की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने दैनिक मजदूरी के रूप में गरीब लोगों को 97 रुपये की अल्पराशि दी है। तथापि, अपूर्व मूल्यवृद्धि के कारण गरीब लोगों को जीवनयापन करना कठिन हो रहा है। सभी आवश्यक मदों के दामों में वृद्धि हुई है। चाहे यह आटा, दाल, खाद्य तेल, एलपीजी सिलेंडर या अन्य मदें हो, यह चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। गरीब आदमी को

*मूलत: पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अपने आप के भरोसे छोड़ दिया गया है। एक गरीब आदमी 97 रुपये की न्यूनतम राशि में किस प्रकार अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

मेरे पास सरकार के लिए एक सुझाव है। सरकार को स्वयं 97 रुपये के केक का स्वाद चखना चाहिए जो यह गरीब आदमी को परोस रही है। तभी सरकार को पता चलेगा कि 97 रुपये में कोई भी काम की चीज नहीं मिल सकती। यह सरकार अब सत्तारूढ़ रहने का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री अब आंकड़ों और सांख्यिकी की बाजीगरी में फंस गए हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वे 97 रुपये की अल्पराशि में कोई भी काम की चीज खरीद कर दिखाएं। महोदय, अगर सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो इस देश के लोग इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वर्ष 2006 में भी हमने इस सम्माननीय सभा में मूल्यवृद्धि पर अत्यधिक गहन चर्चा की थी। तथापि, सरकार अपनी गहरी नींद से नहीं जागी है। सरकार अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है।

महोदय, आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसने लोकतंत्र को मजाक बना कर रख दिया है। सरकार में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। यदि मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जाता है, तो देश में अफरातफरी और अनाचार का राज हो जाएगा। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। केवल कठोर उपाय ही गरीब लोगों को राहत प्रदान कर सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, आज हम मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे दल का इस देश की जनता तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अनुसार संप्रग सरकार की सबसे बड़ी विफलता मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में अक्षम होना है। हम सभी को इससे सहमत होना पड़ेगा। मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को रोकने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर लड़ना होगा। परन्तु भारत सरकार ने ऐसा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। करीब पांच महीनों से मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है तथा इसके बावजूद सरकार ने मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की वजह से उत्पन्न इस चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा करने हेतु मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक नहीं बुलायी है। सरकार को उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु शीघ्र ही मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए जिनके कारण यह स्थिति पैदा हुई है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने हेतु कदम भी उठाने चाहिए। सरकार को दालों और तिलहनों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने हेतु भी पर्याप्त कदम उठाने होंगे। यह मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। न तो किसान खुश हैं और न ही उपभोक्ता। किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी भी इस बात से नाखुश है कि वह दैनिक उपभोग की अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में भी असमर्थ है। मुद्रास्फीति की दर चिन्ताजनक रूप से 7.41 प्रतिशत है जो पिछले 40 महीनों में सर्वाधिक है पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं रही ...*(व्यवधान)* यदि पिछली सरकारें मुद्रास्फीति रोकने में विफल भी रही हों तो जनता ने इस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए मतदान दिया है और इसलिए यह उनकी जिम्मेवारी है कि वे पिछली सरकारों पर दोषारोपण करने के बजाय मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को रोकें। अब शक्ति इस सरकार में निहित है। उन्हें मुद्रास्फीति रोकने हेतु पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा।

वर्ष 2003 में, इस्पात का मूल्य 18,000 रु. प्रति टन था और इसका वर्तमान मूल्य 60,000 रु. प्रति टन है। इस्पात के मूल्य में यह 300 प्रतिशत की वृद्धि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कभी भी एक या दो वर्षों में इस्पात का मूल्य 300 प्रतिशत नहीं बढ़ा था। अब हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। इसके बारे में कोई नीति नहीं है। पिछली बार, हमने इस सभा में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। यदि लौह अयस्क की आपूर्ति अपने लोगों को सस्ते दरों पर की जाए तो हमारे उद्योग इसका उपयोग कर सकते हैं। परन्तु हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और हम इसके निर्यात पर नाममात्र का शुल्क प्राप्त कर रहे हैं। यहां तक कि बिचौलिया और निर्यातक लौह अयस्क के निर्यात से हजारों करोड़ रुपये अर्जित कर रहे हैं। हम इस्पात का भी आयात कर रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए हैं और वे कदम उठाने में क्यों डर रहे हैं? इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय के बीच आपस में कोई समन्वय नहीं है। हमने डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में सात गुना वृद्धि की है। इस प्रत्येक वृद्धि का दुष्प्रभाव पड़ा है। चुनावों से पूर्व संप्रग सरकार द्वारा किये गये वादों के बारे में क्या कहना है? उन्होंने कहा कि वे कीमतों को नियंत्रित करेंगे परन्तु अब वे डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली वृद्धि करेंगे। वर्तमान में मूल्य ढांचा क्या है? वर्ष 2003 में डीजल 24 रु. प्रति ली. था और वर्तमान में यह 34 रु. प्रति ली. है। पेट्रोल का मूल्य 36 रु. प्रति ली. था जो अब 51 रु. प्रति ली. है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): माननीय सदस्य हमें कृपया यह भी बताएं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

कच्चे तेल का मूल्य क्या था और वर्तमान में कितना है। इससे हमें मदद मिलेगी। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: कीमतों की बढ़ोतरी में प्रति बैरल कच्चे तेल के मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अन्य कारणों का कुछ हद तक हाथ है। परन्तु आपको सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी करनी चाहिए। डीजल और पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि से, राज्य सरकारें बिक्री कर के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर रही हैं। आप इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव क्यों नहीं डालते। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कराधान की राशि कितनी है। वह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से घरेलू मूल्यों को जोड़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या माननीय सदस्य आगे हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल पर राज्य सरकार का उपकर कितना है? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: प्रति लीटर केन्द्र सरकार का उपकर कितना है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु के भाषण के अलावा अन्य कोई भी टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

*...(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से राज्य सरकारें राजकोष के लिए और अधिक आय हासिल कर रही हैं। उनका बिक्री कर 24 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या यह आंध्र प्रदेश तक सीमित है अथवा अन्य राज्यों में भी लागू है। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसी बात पिछली सरकार में रही अथवा वर्तमान सरकार में। यही वजह है कि मैं यह कह रहा हूं कि भारत सरकार को सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। सरकार को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बिक्री कर घटाने के लिए कहना चाहिए, उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटानी हैं।

द्वितीयत:, हमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की खामियों पर भी ध्यान देना है। राज्यों के मुख्यमंत्री जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि क्या कोई खामियां हैं तथा यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम में किन्हीं संशोधनों की आवश्यकता होगी तो अभी सत्र चल रहा है, कृपया कालाबाजारियों और जमाखोरों को नियंत्रित करने हेतु अधिनियम में संशोधन करें। हमें इस प्रकार से एक साथ मिलजुलकर इस समस्या से लड़ना चाहिए। मूल्य वृद्धि की समस्या किसी एक राजनीतिक दल की समस्या नहीं है। यह देश की जनता की समस्या है। प्याज के मूल्य में वृद्धि की वजह से एक सराकर को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। सभी वस्तुओं के मूल्य दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यह एक चिन्ताजनक विषय है। यही कारण है कि यहां हमारे मित्रों सहित सभी राजनीतिक दल गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। वे जोर से नहीं बोल सकते हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमसे पूंछते हैं कि आखिर हम लोग मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री यह नहीं कह सकते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसे वह अपनाएं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव व अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मामला है आदि आदि। सरकार को इस मुद्दे पर काफी सख्ती बरतनी चाहिए।

यहां तक कि मंत्री भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को इस मुद्दे को बगैर किसी विलम्ब के निपटाना चाहिए। मैं यहां एक भयप्रद तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं। जनसंख्या दो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, जबकि कृषि उत्पादन में मात्र 0.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। यह एक प्रतिशत भी नहीं है। दोनों के बीच कोई संतुलन नहीं है। दोनों के बीच असंतुलन है। आगामी दिनों में देश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी विश्व के 33 देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। हम अनाजों, तेलों, गेहूं आदि का आयात कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गेहूं, चावल और दालों के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हमें अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है। अन्यथा, सभी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सरकार को बिना किसी विलम्ब के आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एन.डी.सी. अथवा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए। सरकार को मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापक

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बनाना है। पूर्व में हम कुछ मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन कर रहे थे, लेकिन इसमें कमी की गई है। हम राज्यों को खाद्यान्नों का पूरा आवंटन नहीं दे रहे हैं। अत:, राज्यों में खाद्यान्न का अभाव है। अत: राज्यों को खाद्यान्नों का उतनी मात्रा में आवंटन किया जाना चाहिए जितना पहले किया जाता था। हमें यथास्थिति को बनाए रखना है। हमें ऐसे आबंटनों को बनाए रखना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि महंगाई की भी कोई पार्टी है, नहीं तो यह ऐसा इश्यू था जिस पर पार्टी से ऊपर उठकर बहस होती। कुछ लोगों ने यह कहा कि महंगाई है ही नहीं। इसका मतलब है कि महंगाई उनकी पार्टी है, क्योंकि महंगाई ने, चाहे अमीर है या गरीब, कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, हर रसोई को उसने अफैक्ट किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सबका अपना साझा इश्यू है और इस पर काबू पाने के लिए हमें इकट्ठे होकर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नीति की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि आम लोग कैसा अनुभव करते हैं। आज देखा जाये, तो देश में हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे याद है, एक बार जब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी से घूमकर दो बजे वापिस जा रहा था, तो मैंने देखा कि लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। मैंने अपनी गाड़ी रोककर उनसे पूछा कि आप दो बजे गैस सिलेंडर लेने के लिए क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि गैस मिलती नहीं है। यहां पर ऐसा सिस्टम है कि जो आदमी पहले आ गया, उसे सिलेंडर मिल जायेगा। इसलिए लोग दो बजे रात को सिलेंडर लेने के लिए खड़े थे। दूसरे दिन मैंने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग बुलाकर पूछा कि आपके पास गैस नहीं है या सिस्टम खराब है, बात क्या है? उन्होंने जो बात हमें बतायी, वह बड़ी हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें क्योंकि जितनी भी गैस एजेंसीज हैं, वे हमें कम्पेल करती हैं कि हम उनका प्रोडक्ट भी इसके साथ बेचें। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने यहां तक कहा कि दिवाली वाले दिन उनको एक कम्पनी ने एक हजार मिठाई के डिब्बे गैस सिलेंडर के साथ भेज दिये कि आप गैस भी बेचो और मिठाई के डिब्बे भी बेचो। उस एजेंसी ने 70 रुपये का डिब्बा किसी हलवाई को बेचकर गैस का सिलेंडर बेचा। अगर हम सिस्टम के साथ इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे, तो प्राइज राइस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब डिस्टर्ब होता रहेगा। जब तक हम इसकी जड़ में नहीं पहुंचेंगे तब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। वैसे भी यह बात आयी है कि केन्द्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। एक बार एक स्त्री पड़ोसी के साथ लड़ने चली गयी। उसने पड़ोसी से कहा कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाया करो। उस पड़ोसी ने कहा कि बच्चा मेरा है, मैं उसे पढ़ाऊं या न पढ़ाऊं, आपको इससे क्या मतलब है? उस स्त्री ने कहा कि मुझे मतलब है, क्योंकि मेरे बच्चे ने आपके बच्चे की नकल मारी थी इसलिए वह फेल हो गया।

अपराह्न 5.49 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अगर हम नसीहत दें, अगर केन्द्र सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है, यह राज्यों की जिम्मेदारी है, तो फिर कमेटियां बनाने की जरूरत क्या है? हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि अगर राज्यों की जिम्मेदारी है, तो जो कमेटी बने, वह मुख्यमंत्रियों की बनानी चाहिए ताकि वह फैसला करें। मैं समझता हूं कि सरकार इस महंगाई को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है।

अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सभी काम हो सकते हैं। मैं आपको पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां दीपावली के समय ऐसी सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध और खोया मार्केट में आने वाला है। उस समय वहां की हैल्थ मिनिस्टर, जो एक महिला हैं, लक्ष्मीचंद चावला, ने यह निर्णय लिया कि दीपावली के अवसर पर सिंथेटिक दूध और खोया नहीं बिकने देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। अगर सरकार की नीयत हो तो वह इसे रोक सकती है। सरकार के निर्णय का असर जनता पर पड़ता है। मुझे इससे संबंधित एक घटना याद आती है। एक गांव में एक बच्चा संतरे का जूस बेच रहा था। वह अपने बाग से एक संतरा तोड़ता और उससे एक गिलास जूस निकालकर दे देता था। एक बार वहां का राजा उधर से सैर करता हुआ निकला तो इसकी भी इच्छा जूस पीने की हुई। उसने बच्चे से एक गिलास जूस देने के लिए कहा। इस पर उस बच्चे ने बाग से एक संतरा तोड़ा और उसका जूस निकालकर राजा को दे दिया। इस पर राजा ने सोचा कि मेरे देखते ही देखते इस बच्चे ने कितने गिलास संतरे के जूस बेच दिये, इसलिए इस पर टैक्स लगाना चाहिए। राजा ने उस बच्चे से संतरे के जूस का एक और गिलास मांगा। इस बार बच्चे ने पहले की ही तरह एक संतरे का जूस निकाला लेकिन गिलास नहीं भरा, फिर दूसरा संतरा लाया और फिर तीसरा संतरा, लेकिन गिलास नहीं भरा। इस पर राजा ने उससे पूछा कि पहले तो केवल एक ही संतरे से गिलास भर जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि तीन संतरों के जूस से भी गिलास नहीं भरा? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि शायद इस देश के राजा की नीयत में फर्क आ गया है। आज इसी तरह इस देश में हर व्यक्ति दुखी है, महंगाई से दुखी है। इससे लगता है कि इस देश में राज

[श्री अविनाश राय खन्ना]

करने वाले लोगों की नीयत में फर्क आ गया है जो सामने देखते हुए भी महंगाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और अगर समझते हैं तो भी कह रहे हैं कि इसे रोकना राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है। हमें अच्छे और स्ट्रांग स्टेप्स लेकर महंगाई को रोकना होगा। इस मुद्दे को एक पार्टी का मुद्दा बनाकर नहीं देखना चाहिए, यह पूरे देश का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। हमें इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़नी होगी। अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी तो देश का कोई बच्चा न पढ़ पाएगा, न खा पाएगा और न ही एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जब यह डिस्कशन खत्म हो तो लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, यहां बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि जब यह डिस्कशन खत्म हो तो लोगों को यह संदेश जाए कि सरकार और संसद ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और महंगाई कम हुई है। तभी इस डिस्कशन का कोई फायदा होगा, अन्यथा यह एक पेपरवर्क होगा कि सभी ने अपनी बात कहने के लिए बोल लिया और किसी को आम जनता की चिंता नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य, हमें सायं 6 बजे तक चर्चा पूरी करनी है और सायं 6.30 बजे रेलवे बजट पर चर्चा आरम्भ की जानी है। मुझे खेद है कि मैं सभी को बोलने का मौका नहीं दे सकता। अगर कोई सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया श्री सुरेश कुरूप को पांच मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मेरे पास 11 नाम हैं। मैं यहां भेदभाव नहीं कर सकता हूं। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महंगाई देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा है सदन में चर्चा तो गंभीर हो रही है परन्तु सरकार गंभीर नहीं है, महंगाई का सीधा संबंध आम जनता से है। महंगाई पर नियंत्रण तथा मूल्यों का निर्धारण का संबंध सीधा केन्द्र सरकार से है। विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट जोलिन ने महंगाई बढ़ने के संकेत दिये थे। महंगाई यदि नहीं रोकी गई तो आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ेगा। इसी तरह रिजर्व बैंक ने भी छ: महीने पहले चेतावनी दी थी और कहा था भारत महंगाई की चपेट में आने वाला है। कृषि मंत्रालय को बीते 8 माह से महंगाई बढ़ने की जानकारी थी। देखते-देखते 40 सप्ताहों में महंगाई आसमान को छू रही है। महंगाई का संबंध वित्त मंत्री जी ने विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया और वे कहते हैं कि तेल का देश में आयात 75 प्रतिशत किया जा रहा है। दालें बड़ी मात्रा में आयात की जा रही हैं, उर्वरक भी आयात किया जा रहा है। गेहूं का भी सीमित मात्रा में आयात किया जा रहा है।

देश में आयात तो बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात घट रहा है। क्या यह भी चिन्ता का विषय नहीं है। वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं कि जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, यह दोष लगाना बिल्कुल गलत है। एनडीए सरकार का तथा वर्तमान सरकार के समय पर जो दाम बढ़े हैं उसका चार्ट जो वित्त मंत्री दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। भारतीय शेयर बाजार में आतंकवादियों, विदेशी तस्करों एवं माफिया का धन लग रहा है क्या वित्त मंत्री जी ने रोकने का प्रयास किया। तीन बड़े नेताओं का कालाधन शेयर बाजार में लगने की खबर है जिनके खातों का वित्त मंत्री जी को खुलासा करना चाहिए।

विदेशी तस्कर सलीम के विदेशी बैंक खाते में विदेशी बैंक से सौ करोड़ रुपये ट्रांस्फर होने के प्रमाण मिले खातों की जांच के लिए क्या वित्तमंत्री तथा प्रधानमंत्री जी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिये हैं या नहीं दिये गये तो क्यों? राज्यों में इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है। इसलिए भी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही है, एनडीए सरकार में देश की जनता की जरूरत के आधार पर खाद्यान्नों का भंडार था। परन्तु आज गोदाम खाली है। यदि कृषि मंत्री जी की बात सही है कि उत्पादन बढ़ा है तो गोदाम खाली क्यों हैं? विदेशों से आयात क्यों बढ़ाया गया-यदि आज देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाया तो उसकी वजह कांग्रेस एवं आपकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। देश की कमान महान अर्थशास्त्रियों के हाथ में है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी, उपाध्यक्ष योजना आयोग श्री मोटेंक सिंह आहलुवालिया जी, कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी, उनके अनुसार देश की विकास दर 8.8 प्रतिशत है, जबकि मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत है, देश के 40 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। कृषि का धन्धा घाटे का क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। विश्व बाजार की निगाह भारत की ओर है। इसका ध्यान रखना होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्व बैंक के अध्यक्ष रोबर्ट जोलिन ने संकेत दिया था कि दुनिया में 10 करोड़ लोग गरीब हैं। सभी रिपोर्ट अखबारों में छपी थी कि विश्व में मात्र कुछ हफ्तों के लिए ही अनाज बचा है यदि यह सही है तो भारत की स्थिति क्या है उसका खुलासा करना चाहिए क्या ऐसी खबरें देश और दुनिया में जमाखोरी को बढ़ावा नहीं दे रही है। महंगाई 100 से 300 प्रतिशत बढ़ी है एक साल का चार्ट कार्यवाही में सम्मिलित करना चाहता हूं।

एक साल में खाद्य एवं रसोई के खर्चों पर महंगाई का असर:

घी वनस्पति मार्च 07 में 800 रु. प्रति टिन सितम्बर 07 में 825 रु. प्रति टिन मार्च 08 में 1100 रु. प्रति टिन।

तेल सरसों मार्च 07 में 825 रु. प्रति टिन सितम्बर 07 में 880 रु. प्रति टिन मार्च 08 में 1100 रु. प्रति टिन।

रिफाइंड मार्च 07 में 800 रु. प्रति टिन सितम्बर 07 में 925 रु. प्रति टिन मार्च 08 में 1400 रु. प्रति टिन।

मूंगफली रिफाइंड मार्च 07 में 1180 रु. प्रति टिन सितम्बर 07 में 1250 रु. प्रति टिन मार्च 08 में 1385 रु. प्रति टिन।

दाल अरहर मार्च 07 में 39 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 42 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 48 रु. प्रति कि.ग्रा.।

दाल चना मार्च 07 में 32 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 36 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 38 रु. प्रति कि.ग्रा.।

दाल मसूर मार्च 07 में 35 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 42 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 48 रु. प्रति कि.ग्रा.।

राजमा मार्च 07 में 35 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 41 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 44 रु. प्रति कि.ग्रा.।

चावल गोल्डन मार्च 07 में 35 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 37 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 45 रु. प्रति कि.ग्रा.।

चावल बासमती मार्च 07 में 30 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 32 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 40 रु. प्रति कि.ग्रा।

परमल मार्च 07 में 13 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 16 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 18 रु. प्रति कि.ग्रा.।

आटा मार्च 07 में 13 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 14 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 15 रु. प्रति कि.ग्रा.।

बेसन मार्च 07 में 30 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 34 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 42 रु. प्रति कि.ग्रा.।

चाय मार्च 07 में 156 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 166 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 170 रु. प्रति कि.ग्रा.।

चीनी मार्च 07 में 15.50 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 14.70 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 18 रु. प्रति कि.ग्रा.।

दूध मार्च 07 में 20 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 22 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 24 रु. प्रति कि.ग्रा.।

ब्रेड मार्च 07 में 11 रु. प्रति पैकेट सितम्बर 07 में 12 रु. प्रति पैकेट मार्च 08 में 14 रु. प्रति पैकेट।

अंडा मार्च 07 में 35 रु. प्रति क्रेट सितम्बर 07 में 48 रु. प्रति क्रेट मार्च 08 में 42 रु. प्रति क्रेट।

मछली मार्च 07 में 65 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 65 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 75 रु. प्रति कि.ग्रा.।

मटन मार्च 07 में 140 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 150 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 160 रु. प्रति कि.ग्रा.।

चिकिन मार्च 07 में 80 रु. प्रति कि.ग्रा. सितम्बर 07 में 100 रु. प्रति कि.ग्रा. मार्च 08 में 90 रु. प्रति कि.ग्रा.।

एलपीजी 280 रु. प्रति सिलेंडर, डीजल 40 रु. लीटर, पेट्रोल 52 रु. लीटर, सीमेंट 240 रु. बोरी, मिट्टी का तेल 18 रु. लीटर, लोहा 50 रु. किलो हो गया है।

[अनुवाद]

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोम्बिली): अध्यक्ष महोदय, मुद्रास्फीति केवल 6 सप्ताह में पांच प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो जाने से सरकार, उपभोक्ता तथा अन्य सभी चकित हुए हैं तथा इससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय नहीं कर पाए। खाद्य तेल, इस्पात तथा इस्पात अयस्क के मूल्यों में लगातार उछाल ने मुद्रास्फीति की वर्तमान वृद्धि में योगदान दिया है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार मुद्रास्फीति में इस अद्यतन उछाल का मुख्य कारण लौह अयस्क के मूल्यों में विलम्ब से संशोधन है। यह हाल की अवधि में मुद्रास्फीति में तीव्रतम उछालों में से एक है। इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय मुद्रास्फीति पर नियंत्रण प्रमुख बृहत् आर्थिक चुनौती है और इसके लिए उपयुक्त नीति संबंधी उपायों की आवश्यकता है जो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद करती हूं कि सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के राजकोषीय, मौद्रिक, आपूर्ति पक्ष तथा व्यापार सम्बद्ध उपाय किये हैं। खाद्य तेलों पर शुल्क में कमी की गई है तथा निर्यातों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस्पात कंपनियों को मूल्यों में कमी करने के लिए राजी किया जा रहा है। इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति कम होगी। कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि, विश्व में खाद्य की कमी की स्थिति तथा कमोडिटी मूल्यों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विश्व बैंक के एक दल का यह अनुमान है कि खाद्य तथा ऊर्जा मूल्यों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व के 33 देशों में संभावित सामाजिक अशांति का खतरा है। खाद्य में कमी से जुड़े दंगों की रिपोर्ट कुछ देशों से आयी है। सरकारी प्रयासों के कारण भारत अभी तक वैश्विक मूल्यों में उछाल से बिल्कुल अप्रभावित रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद।

वैश्विक बाजारों में जनवरी से मार्च 2008 के दौरान गेहूं तथा चावल में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति हुई। इसकी तुलना में चावल तथा गेहूं में घरेलू मुद्रास्फीति क्रमश: मात्र 7 तथा 0.9 प्रतिशत रही है। मामले का तथ्य यह है कि 2003-04 तथा 2007-08 के बीच गेहूं के उत्पादन में 0.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है जो कि जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है। इससे गेहूं के घरेलू सुरक्षित भंडार में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप, हम आयातों पर अधिकाधिक रूप से निर्भर होते जा रहे हैं। अगर गेहूं के घरेलू उत्पादन में कमी आती है तो महंगे आयातों से घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा। यही तिलहनों पर भी लागू होता है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

सूचना मात्र के लिए मैं यह बताना चाहती हूं कि विगत कुछ महीनों में चीन जैसे देशों ने भी खाद्य तथा उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण पुन: लागू किया है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में मूल्य नियंत्रण कारगर होता है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार ये नियंत्रण स्पष्ट रूप से मूल्यों में मध्यावधिक स्थिरता के लिए अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि इससे संसाधनों का आवंटन विरूपित होता है तथा कमी की स्थिति उत्पन्न होती है। हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि मूल्य नियंत्रणों से जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलता है। मैं चाहती हूं कि सरकार गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी रोकने के लिए अतिरिक्त सरकारी मशीनरी तैनात करे।

मैं विपक्ष के अपने मित्रों को यह बताना चाहती हूं कि इस समय मुद्रास्फीतिकारक उछाल वैश्विक स्थितियों के साथ ही कृषि की निम्न उत्पादकता का परिणाम है। हमें अपनी घरेलू नीति को खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि की ओर निदेशित करना चाहिए। मुझे आशंका है कि हमें अगले कुछ महीनों तक प्रतिकूल वैश्विक खाद्य मूल्य परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक खाद्य संकट हल होने में कुछ समय लगेगा। अत:, जब तक हम खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक लक्षित सब्सिडी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज के कमजोर तबकों को बचाया जा सके।

इस संबंध में मैं इस सभा के नोटिस में यह लाना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काफी सब्सिडी प्राप्त दरों पर चावल, खाद्य तेल तथा दालों की आपूर्ति के लिए कदम उठाए हैं। इससे समाज के सर्वाधिक कमजोर तबकों को तत्काल राहत मिलेगी जो कि मूल्यवृद्धि से प्रभावित हैं। मध्यावधि में इससे मूल्य स्थिरता कायम करने में मदद मिलेगी।

यू.पी.ए. सरकार पर आरोप लगाने के पहले विपक्ष शासित राज्यों को यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है। अत:, कृपया एक-दूसरे पर आरोप न लगाएं। इसके स्थान पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के साथ सम्पूरक प्रयास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य समाज के कमजोर तबके के हितों की रक्षा करना होना चाहिए और हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदय, देश में पिछले काफी समय से एक अहम विषय पर, सभी वर्गों में बड़ी गंभीरता से बात हो रही है। देश में आम लोगों, खासकर समाज के जो छोटे वर्ग हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, जिनको हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कहते हैं। इन सभी वर्गों के घर-घर में आज एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होने की आवश्यकता थी। इस चर्चा में भाग लेते हुए कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये और इसी बहाने सरकार की नीति पर बोलने का भी मौका उन्हें मिल गया। इंफ्लेशन और आर्थिक समस्या पर जो बातें हुई, उनका जवाब देने का काम मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम ने इस सदन में किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: कुछ नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने न केवल ऐसा नहीं किया परन्तु यह भी कहा कि उत्तर सरकार द्वारा दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे अब उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: उन्होंने हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं यह कह रहे हैं कि ये इस प्रकार के गंभीर मामले हैं जिनमें ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हर तरह से आरोपित, भारत सरकार की ओर से इसका उत्तर दिया जा रहा है। आप इसे सुन नहीं रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: जो वे कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: उन्होंने कहा कि आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने कार्यवाही की है। शेष मुद्दों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: यह उनका आकलन है। यह उनकी समझ है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री महोदय, आपसे आशा की जाती है कि आप सभी मुद्दों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: आइये उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक कृषि मंत्रालय की खाद्य नीति की बात है, मैं सदन को उस बारे में भी अवगत कराऊंगा। चिदम्बरम साहब ने भी यह बात सदन में कही थी। इस विषय पर जो सदन में चर्चा हुई, मैंने उसे बड़ी गम्भीरता से सुना है। मैं सदन के सभी सदस्यों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की नीति मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की है और साथ ही आर्थिक विकास को ठीक रास्ते पर ले जाने की भी है। यूपीए सरकार ने अपने नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक बात साफ कही है।

[अनुवाद]

संपूर्ण देश में किसानों को उचित और लाभप्रद मूल्य प्राप्त होंगे। व्यापार की शर्तें उनके हित में होगी।

[हिन्दी]

नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की इस बात को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने दो रास्ते अपनाए हैं। एक कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना और साथ-साथ समाज का जो गरीब वर्ग है, बीपीएल वर्ग है, उस पर भी ध्यान देना। इसके साथ ही साथ देश के विकास की दर में वृद्धि को कायम रखने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, वे उठाए जाएंगे।

महंगाई की समस्या पर बोलने से पहले मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों से भारत सरकार ने जहां तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात है, उसमें बड़े स्तर पर वृद्धि की है। जिसकी वजह से किसानों को उनकी उपज की आज अच्छी कीमत मिल रही है। इसके साथ-साथ कई ऐसे इंतजाम भी किये थे, जिससे किसानों को यह पता लगे कि सोइंग ऑपरेशन से पहले उनकी उपज की भविष्य में क्या कीमत रहेगी। इससे वह यह फैसला कर सकता है कि उसे कौन सी और कितनी फसल लेने की आवश्यकता है, जिससे उससे लाभ हो। इसका उदाहरण मैं यही दे सकता हूं कि दो साल पहले गेहूं का जो क्षेत्र था, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। उसके बाद आगे उसकी क्या कीमत मिलेगी, इसका अंदाजा किसानों को इस घोषणा के बाद हो गया। इस कारण देश में और खासतौर से जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा, ऐसे राज्यों में गेहूं का क्षेत्र बढ़ गया।

सायं 6.00 बजे

इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसानों ने ज्यादा ध्यान दिया था और मुझे विश्वास है कि इसका असर हमारी जो प्रक्योरमेंट अभी शुरू हुई है, उसमें अच्छी तरह दिखाई देगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्य पूरा हो जाने तक समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: यह नीति जो यहां स्वीकार की गयी है, इसका फायदा पहुंचने में समय लगने वाला है। यह बात हम

[श्री शरद पवार]

नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय असर को हम नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सदन में हमारे कई साथियों ने कहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसका असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इस पर चिंता जताने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता है कि आज स्थिति वैसी रह गयी है। जहां तक दुनिया में अनाज की स्थिति का सवाल है तो इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है, जिसके बड़े कारण हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज है, हाई एनर्जी प्राइसेज हैं और जहां इन्कम की ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसका भी असर हो रहा है। अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आदि के कारण, अनाज की मांग और उत्पादन के कारण मार्किट पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहां की स्थिति के बारे में ध्यान देने से पहले, दुनिया के सभी क्षेत्रों में क्या स्थिति है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम भारत में अनाज की बढ़ती कीमतों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? उदाहरण देना हो तो चावल और गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय दरों को देखें। जहां पिछले एक साल में अंतर्राष्ट्रीय दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है वहीं मार्च 2008 में चावल के दाम पिछले 19 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गये हैं और गेहूं के दाम पिछले 28 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गये हैं। अगर आप पाकिस्तान में चावल के मूल्य को देखें, तो पाएंगे कि यह एक वर्ष में 275 डालर प्रतिटन से बढ़कर 580 डालर प्रति टन हो गया। यह 110 प्रतिशत की वृद्धि है। वियतनाम एक प्रमुख चावल निर्यातक देश है। वहां पिछले एक साल में चावल की कीमत 280 डालर से बढ़कर 620 डालर यानी 130 प्रतिशत बढ़ गयी है। अब, थाईलैण्ड भी एक अन्य प्रमुख चावल निर्यातक देश है। वहां भी चावल की कीमत पिछले एक साल में 309 डालर प्रति टन से बढ़कर 715 डालर प्रति टन तक पहुंच गयी है यानी 131 प्रतिशत अधिक हो गयी है। गेहूं पर नजर डालें तो एक वर्ष में गेहूं का वैश्विक मूल्य 172 डालर प्रति टन से बढ़कर 344 डालर प्रति टन हो गया। यानी गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय दर पिछले एक साल में 100 प्रतिशत से अधिक हो गयी। मुझे याद है कि इसी सदन में जब इम्पोर्ट करने की बात हमने की थी और इम्पोर्ट करना शुरू किया था तो बड़ी नाराजगी पैदा हुई थी। इम्पोर्ट को रोकने का काम भी सरकार ने किया। मुझे याद है कि हमने इस 178 डालर प्रति टन के मूल्य पर क्रय किया था। आज वही आयात मूल्य 400 डालर प्रति टन तक चला गया और अब यह 368 डालर या 388 डालर प्रतिटन पर स्थिर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय दरों को देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे देश की क्या स्थिति है। पिछले एक वर्ष में गेहूं तथा चावल की अंतर्राष्ट्रीय दरें 100 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि भारत में चावल की दर 17.2 प्रतिशत बढ़ी है और गेहूं की दर 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। आज दुनिया के किसी भी देश से भारत की तुलना कर लीजिए, तो चावल और गेहूं की जो दरें भारत में है, वे सबसे कम हैं, फिर भी हमारे देश की आम जनता इस दर को स्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है और इसमें हमें कुछ न कुछ सुधार करना होगा, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

दुनिया का नक्शा सिर्फ चावल और गेहूं तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश में मक्के की फसल कुछ राज्यों के अंदर होती है। दुनिया के कई देशों में मक्के की डिमांड बहुत है और मक्के की अंतर्राष्ट्रीय दर पिछले एक वर्ष में 66.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, लेकिन आप भारत से तुलना करेंगे, तो भारत में मक्का के रेट कम हो रहे हैं। मैं गुरुदास जी की बात से सहमत हूं कि होल सेल प्राइज और रिटेल प्राइज में हमारे यहां की परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है, इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिटेल की ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। फिर भी पिछले एक महीने से, मैं यह दावा नहीं करना चाहता हूं कि कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं, लेकिन एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है।

[अनुवाद]

ठीक एक माह पूर्व चावल का थोक मूल्य 1,550 रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी चावल का मूल्य 1550 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी अवधि में गेहूं का मूल्य 1,155 रुपये प्रति क्विंटल था और आज भी यह 1,115 रुपये है। मैं दिल्ली के बाजार भाव उद्धृत कर रहा हूं। ठीक एक माह पूर्व आटे का मूल्य 1,275 रुपये प्रति क्विंटल था और आज 25 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ यह 1,250 रुपये प्रति क्विंटल है। एक माह पूर्व तूर दाल का मूल्य 3750 रुपये प्रति क्विंटल था और आज यह 3700 रुपए प्रति क्विंटल है, 50 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आयी है। मूंगफली का तेल 11,355 रुपये प्रति क्विंटल था और आज यह गिर कर 10,915 रुपये हो गया है। ऐसा मुख्यत: इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने सभी प्रकार के शुल्क को हटाने का निर्णय लिया। इसलिए, आयात की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन मूल्यों में नजर आया है। ठीक एक माह पूर्व सरसों का तेल 8038 रुपये प्रति क्विंटल था और आज यह 6740 रुपये है। एक माह पूर्व वनस्पति का मूल्य 7252 रुपये प्रति क्विंटल था और यह गिरकर 6813 रुपये हो गया है।

[हिन्दी]

यहां सब्जियों के बारे में भी कहा गया है। सुमित्रा जी ने टमाटर के बारे में सही कहा, कुछ न कुछ आपत्तिजनक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कुछ सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है और कुछ सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं। आम जनता के लिए आलू और प्याज दोनों सब्जियां बहुत जरूरी हैं। प्याज की कीमत एक महीने पहले 538 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज 425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। जहां तक आलू की बात है, वह 375 रुपए प्रति क्विंटल था, वह 330 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मुझे कहने में बहुत खुशी है कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया था कि आलू पैदा करने वाले किसानों की स्थिति खराब हो रही है।

[अनुवाद]

मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि केवल आलू उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए, जहां वे भी 50 प्रतिशत उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों पर भी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जानी चाहिए। मैंने प्रस्ताव को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया है और इसे अनुमोदित कर दिया है और हम उत्तर प्रदेश में आलू का क्रय आरंभ करने जा रहे हैं। यदि इस प्रकार के प्रस्ताव पश्चिम बंगाल या गुजरात से प्राप्त होते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन्हें स्वीकृति देने में हर्ष होगा।

[हिन्दी]

इससे एक बात दिखायी दे रही है कि कुछ चीजों के दाम जो ऊपर थे, उनमें सुधार हो रहा है लेकिन यहां तक नीचे जाना ठीक नहीं है जिससे किसान एक फसल को छोड़ कर दूसरी फसल में जाना शुरू कर दे।

मैंने इंटरनेशनल मार्किट की बात कही है। मैं सदन का ध्यान नजदीक के देशों की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कीमतों में वेरिएशन कितने हुए हैं, मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। जहां तक चावल की कीमत की बात है, इसमें जहां 17.65 परसेंट वेरिएशन हो गया है, वहीं थाइलैंड में 131 परसेंट हो गया है। जहां तक हिन्दुस्तान में व्हीट पर 7.21 परसेंट वेरिएशन हो गया है, वहीं बाहर 115 परसेंट हो गया है। आज तुलनात्मक दृष्टि से उड़द, मूंग, यैलो पीस में हिन्दुस्तान की प्राइज राइज में फर्क पड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देशों के भाव हम से ज्यादा हैं। सीमिलर सिचवेशन वर्ल्ड मार्किट की है। सोयाबीन, पामोलिन एंड सनफ्लावर इन तीनों में हमारी परिस्थिति दुनिया के दूसरे देशों से ठीक है। जैसा मैंने कहा कि जहां तक पड़ोसी देशों की स्थिति है, आज रिटेल में राइस के प्राइज 18 रुपए के आसपास हैं, पाकिस्तान में 21 रुपए के आसपास हैं, चाइना में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, उन्हें भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं करनी चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): चीन के बारे में क्या विचार है?

श्री गुरुदास दासगुप्त: भारत, भारत है। भारत, चीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी उसके बारे में जो भी सोच हो, वे अपनी बात रखने के हकदार हैं।

श्री शरद पवार: चीन में 20.23 रुपये प्रति किलो, फिलीपीन्स में 25.75 रुपये प्रति किलो और बांग्लादेश में हमारे बराबर है। जहां तक गेहूं का संबंध है, भारत में 13 रुपये प्रति किलो पाकिस्तान जो कि वे एक बड़ा गेहूं उत्पादक देश है वहां 13 रुपये प्रति किलो, चीन में 17.34 रुपये प्रति किलो और बांग्लादेश में 21 रुपये प्रति किलो है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: चीन की अधिक आय है। कृपया इसे समझें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: भारत में भी यही स्थिति है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य आपकी इच्छानुसार बोलेंगे।

श्री शरद पवार: यह वास्तविक स्थिति है। आप 'ना' नहीं कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। वास्तव में सभी पड़ोसी देशों की तुलना में हमारी स्थिति बेहतर है। परंतु फिर भी हमें सुधारात्मक कार्यवाही करनी है क्योंकि जो भी मूल्य है वह आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम आपसे यही जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक भारत की परिस्थिति का सवाल है, हम यहां तक क्यों पहुंचे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक विकास दर आठ से नौ परसैन्ट तक रही है। इस बढ़ती आर्थिक दर का परिणाम अनाज की मांग पर भी होता है। जिसके कारण वास्तव में मांग और उत्पादन में एक अंतर बढ़ रहा है। एफ.ए.ओ. जो दुनिया का एक इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन है, उनके

[श्री शरद पवार]

[अनुवाद]

खाद्य मूल्य सूचकांक में जनवरी, 2008 में पिछले वर्ष की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में देश में उप-समूह की खाद्य वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर छह प्रतिशत थी और पिछले वर्ष यह आठ प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

यह देखने के बाद यह बात साफ हो रही है कि यहां की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले ठीक है, फिर भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैंने जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज का स्टाक एक न्यूनतम स्तर पर आया है। इसके भी कई कारण हैं। एक बात यह है कि यदि दुनिया का स्टाक कम हो तो इसका असर दुनिया के सभी देशों में प्राइसेज पर बुरा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा राइस या व्हीट एक्सपोर्ट करने वाला देश आस्ट्रेलिया है। पिछले दो साल से वहां सूखा है, फेमिन है। इसलिए उन्होंने अपने देश से बाहर माल भेजना प्रैक्टिकली बंद कर दिया है। यूरोप में 2006-2007 में गेहूं का अपना उत्पादन कम हुआ है। एक बड़ी कंट्राडिक्ट्री सी स्थिति मुझे देखने को मिली है कि जहां ज्यादा अनाज पैदा करने वाले खासकर जो यूरोप के देश हैं, जिनके बारे में हम हमेशा इंटरनेशनल फोरम पर एक बात कहते रहे हैं कि इन सब बड़े देशों को सब्सिडी कम करनी चाहिए, चूंकि हमें कम्पीट करना मुश्किल होता है और यह अपना स्टैंड कंसिस्टैन्ट है। मगर इसका परिणाम हम देख रहे हैं, एफएओ के प्रमुख पिछले सप्ताह हिंदुस्तान में थे और जब उनके साथ हमारा डिटेल्ड डिस्कशन हुआ तो उन्होंने एक बात मेरे सामने रखी कि सब्सिडी कम करने का डिसीजन दुनिया के जिन देशों ने डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के बाद किया, वहां के किसानों ने अनाज की क्राप से दूसरी मनीड क्राप पर शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया और इसका असर उनके देशों में यह हुआ कि वहां जो ओवरहाल प्रोडक्शन होता था, उस पर बुरा असर हुआ और दुनिया में उसकी अवेलेबिलिटी पर इसका असर हुआ और इसकी कीमत आज दुनिया को चुकानी पड़ रही है।

महोदय, इसके साथ-साथ डीजल और पेट्रोल की दर अपने देश में जब किसानों से बात करने का मौका मिलता है तब हमेशा उनसे एक बात सुनने में आती है कि आज जहां तक बिजली का सवाल है, दो-तीन राज्यों को छोड़ दें तो देश में खेती के लिए बिजली सबसे कम मिलती है और जब बिजली कम मिलती है तो उन्हें आयल इंजिन और डीजल इंजिन पर जाना पड़ता है और इसकी कीमत उन्हें पर यूनिट दस रुपये से बारह रुपये के आसपास पड़ती है। इसके कारण उनकी लागत में बहुत वृद्धि होती है और इस बारे में हमेशा किसानों के मन में एक बात आती है कि हम किसी दूसरी ऐसी क्राप पर कैसे जाएं, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा मिले। यह बात सच है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में जो हमारी हमेशा की स्थिति थी, उसमें एक तरह के बुरे दिन आने लगे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने कृषि क्षेत्र में सरकार की लागत अधिक हो, इस पर ध्यान दिया था और वह नीति अगले दस सालों तक चली। 1998 के बाद कृषि क्षेत्र में जो इनवैस्टमैन्ट करने की आवश्यकता थी, उसमें बहुत कमियां आ गईं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: यही मुद्दा है।

श्री शरद पवार: हां, मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: तब आपने सरकार के साथ यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया?

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट। वह यही बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी बात बिना किसी व्यवधान के कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते?

अध्यक्ष महोदय: अब वह कठिनाई में हैं। यदि आप उनसे सहमत होते हैं, तो उन्हें मुश्किल होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: यह स्थिति शुरू होने के बाद इसका असर देश में प्रोडक्शन पर बुरा हो रहा था। इस स्थिति में बदलाव लाने के काम की शुरूआत जिस दिन यूपीए ने इस देश की हुकुमत अपने हाथ में ली, यह काम पहले साल से शुरू हो गया। वह काम एक दिन में नहीं हो सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: आंकड़े हमेशा सही नहीं होते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने इस वाद-विवाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आपकी बहुत सुनी है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप वाक् युद्ध नहीं कर सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। क्या आप वाक् युद्ध करना चाहते हो? शायद आप उनसे सहमत न हों। इसका यह अर्थ नहीं कि आप उनके भाषण में व्यवधान डालें।

श्री खारबेल स्वाईं: वह सही वक्तव्य नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसलिए आप उनके भाषण में व्यवधान डालेंगे? अगर आपको उनका वक्तव्य पसन्द नहीं है, तो आप व्यवधान डालेंगे। क्षमा कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब तक मंत्री महोदय किसी माननीय सदस्य को अनुमति न दें तब तक कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अब यह सरकार आने के बाद हर साल के कृषि क्षेत्र के लिए बजटरी प्रोवीजन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें हर साल सुधार हो रहा है। आप इरीगेशन की फिगर्स निकालेंगे, इस साल की आप इरीगेशन की फिगर्स देखिए कि इससे पहले कभी भी इतनी इरीगेशन पर प्रोग्रैस भारत सरकार ने नहीं की थी जितनी आज की है। फिर भी मुझे यह मंजूर है कि इससे भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मगर यह प्रोग्रैस शुरू हो गई है और इस प्रोग्रैस से इसका असर ओवरआल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले तीन साल में आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन देश में गेहूं का क्या था, टोटल प्रोडक्शन चावल का क्या होता था और पिछले साल कितना हुआ और इस साल कितना हुआ? हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी भी व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब तक माननीय मंत्री महोदय, सहमत नहीं होते हैं, मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हो और यदि माननीय मंत्री महोदय सहमत हैं, तो आप उनसे बाद में पूछ सकते हैं, अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: बाद में गेहूं लाने की क्या जरूरत पड़ती है, यह रावत साहब ने पूछा। यह भी मैं बताऊंगा कि आपके राज्य में कितना गेहूं पैदा होता है और कितना आपने भारत सरकार में दिया। ये फिगर्स भी मैं दे सकता हूं, वे फिगर्स भी मेरे पास हैं। आप इसकी चिंता मत करिए। इसमें पूरी तरह से सूचना हम देंगे। *...(व्यवधान)* एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें ज्यादा इंवेस्टमेंट करने की आवश्यकता थी, वह की है। जैसे यहां एग्रीकल्चर क्रैडिट की बात कही गई, इससे पहले सत्र में मैंने भी कहा था और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि यूपीए सरकार के हुकुमत में आने के बाद जहां एग्रीकल्चर क्रैडिट 81000 करोड़ थे, वहां से हम इस साल 2.30 लाख तक आ गये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गलत है।

माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: आप आंकड़े क्यों नहीं देखते?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि प्रमुख माननीय सदस्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद में एक मंत्री के भाषण में व्यवधान डालते हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: आप केवल यूपीए सरकार के सत्ता में आने से पहले के पांच वर्षों की तुलना कीजिए। आप कुल धनराशि तथा प्रतिशत का भी अवलोकन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र विशेष में डा. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि काफी सुधार हुआ है और इसकी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): फिर महंगाई क्यों हो रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोड़िए, इगनोर करिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: कंजम्पशन के बारे में क्या स्थिति है? जो कुछ असर देश में डेवलेपमेंट के बारे में या ग्रोथ रेट के बारे में हुआ है, उसके तहत सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं जिनसे छोटे लोगों की परचेजिंग पावर को सुधारने में मदद हो गई। सारा सदन जानता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2006 में देश के 200 जिलों में चालू की गई थी लेकिन आज यह देश के सभी 596 जिलों में लागू कर दी गई है। वर्ष 2007-08 में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकारों को यह सब लागू करना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: शायद यह एक विफल परियोजना है, जिसमें आप सभी का योगदान है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपनी बात समाप्त करने के लिए कहूंगा। वाद-विवाद समाप्त होने दीजिए। यदि आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं तो वह क्यों बोलेंगे? यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: वर्ष 2007-08 में इस योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपए खर्च किये गये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लोग मंत्री महोदय की बात सुनना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: वर्ष 2008-09 के लिये 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर गांवों के गरीब लोगों के हाथों में पैसा जाता है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है इससे सुधार आता है। आप बताइये कि उनकी परचेजिंग पावर में सुधार होता है या नहीं? उनके हाथ में पैसा आने के बाद उनका सब से ज्यादा धन अनाज खरीदने के लिये होता है। इसका असर अनाज की मांग पर अच्छी तरह से हो रहा है। कीमत बढ़ रही है लेकिन एवेलेब्लिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है। मगर इस कारण को नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है। सच्ची और सीधी बात यह है कि बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों के लिये नेशनल ओल्ड एज पैंशन स्कीम शुरू की गई है और इसका कवरेज बढ़ाया गया है। वर्ष 2008-09 में 3443 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये हैं। देश के 15 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने तय किया है कि हमारा पैसा उन छोटे लोगों को देंगे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हाथों में जाने वाला है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इनकी बात नहीं सुनना चाहते, वे बाहर जा सकते हैं। नहीं, मुझे खेद है एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया एक भी व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कीजिए।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर केवल अपनी पीड़ा और दुख ही व्यक्त कर सकता हूं कि वरिष्ठ सदस्य सुनने को तैयार ही नहीं हैं। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे सविनय अनुरोध है। आप इस देश के लोगों के प्रति सम्मान नहीं दर्शा रहे हो। आपने आरोप लगाया है। जैसा कि आपने कहा, इस देश के लोगों की ओर से आपने आरोप लगाए हैं। लोगों की ओर से ही, वह उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी अन्य सदस्य का एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए वह अपने भाषण के अंत तक नहीं पहुंचे हैं। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह आपकी इच्छा के अनुसार बोलेंगे। जैसे आप चाहेंगे वह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह बहुत गलत है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी हां, केवल माननीय मंत्री बोलेंगे। सभी अन्य माइक्रोफोन बंद कर दिए जाएं। जी हां, केवल उनका माइक्रोफोन चलने दिया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा, आप बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। आप बहुत सम्माननीय सदस्य भी हैं। इस सभा में सुस्थापित प्रक्रिया है। आप सब यह जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष जी, जब खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है या जब मांग बढ़ जाती है हम सब का फर्ज बन जाता है कि इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। यह बात सच है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में खाद्यान्न तेलों के उत्पादन में कमी आई है। यह बात सच है कि हमारे देश में पिछले कई सालों से खाद्य तेल की कमी है। यह बात भी सच है कि दुनिया में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है और चूंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इसलिए इसका असर यहां होता है। कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने आवश्यक होते हैं। भारत सरकार ने एक मिलियन टन खाद्य तेल इंपोर्ट करना तय किया है। भारत सरकार के जितने पब्लिक सैक्टर हैं, हमने उनको सूचना दी है कि यह खाद्य तेल आपको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट किया हुआ माल हम सभी राज्य सरकारों को देने वाले हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और एएवाई परिवार हैं उन सबको हर लीटर पर 15 रुपये सब्सिडी देकर यह खाद्य तेल हम राज्यों को सप्लाई करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: कब से?

श्री शरद पवार: यह प्रोसैस शुरू हो गया है। हम बिल्कुल जल्दी कर रहे हैं। इसके आर्डर भी दे दिये हैं और माल आने का प्रोसैस भी शुरू हो गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लेने के लिए तैयार हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां। अभी देंगे तो अभी ले जाएंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब तो भागने वाले हैं। आज ही भागेंगे सब।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, दलहनों की उपलब्धता भी एक गंभीर विषय है। कई माननीय सदस्यगणों ने यह विषय उठाया है। जब हमारे देश में दलहन की कमी होती है तब यह एक मसला होता है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दलहन मुख्यत: असिंचित फसल है। यह सिंचित फसल नहीं है। केवल कुछ ही राज्य हैं जो दलहन की खेती करते हैं। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने दलहन की कई नवीन किस्मे विकसित की हैं। किन्तु मुझे एक बात स्वीकार करनी है। हम अब भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम कह सकें कि हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमें और मात्रा में दलहन उपलब्ध कराना है तो हमारे पास आयात के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है और हमने देश में दलहन आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से 15 लाख मीट्रिक टन दलहन के आयात का निर्णय लिया है। 15 लाख मीट्रिक टन में से 31 मार्च से पहले ही 11.86 लाख मीट्रिक टन के लिए क्रयादेश दिए जा चुके हैं और वह देश में पहुंचने वाला ही है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति क्यों नहीं? *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: अभी नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। जब तक माननीय मंत्री सहमति नहीं देते मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने सहमति दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, उन्होंने सहमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि दलहन विमान से आए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। छोड़िये। मैंने एक सुझाव भी नहीं सुना। किसी भी सदस्य द्वारा शायद ही कोई सुझाव दिया गया।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया दलहन की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: इसके साथ-साथ किसी को पल्सेज़ आयात करने हों तो हमने किसी तरह की ड्यूटी नहीं रखी क्योंकि हमारी भावना यह है कि इस देश में उपलब्धता बढ़नी चाहिए। उपलब्धता बढ़ेगी तो इसका मार्केट पर असर हो जाएगा।

जहां तक गेहूं और चावल की बात कही गई, इस साल हमें एक अच्छी स्थिति दिख रही है कि चावल का उत्पादन इस साल 94.8 मिलियन टन हुआ जो पिछले साल के 75 लाख टन से ज्यादा है। इसी प्रकार जो प्रोक्योरमैंट करने का काम इस क्षेत्र में होता है, पिछले वर्ष के 250 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले यह 270 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इस वर्ष के 270 लाख मीट्रिक टन के टार्गेट में से 220 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योर हो चुका है। चावल की देश में कमी नहीं है। भारत सरकार ने समय पर कदम उठाते हुए चावल निर्यात करने पर बहुत प्रतिबंध लगाए और साथ-साथ आयात कर भी शून्य किया है। यहां यह बात कही गई कि कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जहां एक्सपोर्ट बैन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं साफ करना चाहता हूं कि बासमती एक्सपोर्ट पर हमने कोई बंधन नहीं लगाया।

[अनुवाद]

कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो बासमती चावल उगाना चाहते हैं और जो बासमती चावल का निर्यात करना चाहते हैं विशेषत: हरियाणा और पंजाब के हमारे सहयोगी संसद सदस्य, मुझे पता है कि इस मुद्दे पर वे बहुत आन्दोलित हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): गुजरात भी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: गुजरात से एक्सपोर्ट होता है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: गुजरात बासमती के अलावा भी एक्सपोर्ट करना चाहता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार, कृपया बीच में की गयी टोका-टाकी का उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: हमने केवल बासमती के लिए इजाजत दी है, इसे छोड़ कर अन्य किसी चीज के लिए हम इजाजत नहीं दे रहे। मेरे से कुछ राज्यों ने रिकवेस्ट की है कि ऐसी कुछ वेरायटीज हैं, 11 22, जो बासमती के आसपास है, इस बारे में अभी तक सरकार ने कुछ तय नहीं किया। आज हमारे देश में अच्छी पैदावार है, मगर आज की स्थिति में यहां का माल देश के बाहर जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसमें रोक लगाने का काम भारत सरकार ने किया है।

[अनुवाद]

जब मैंने गेहूं के बारे में आंकड़े दिए, तब मैंने कहा था कि गेहूं की कीमतें 12 और 13 रु. के आस-पास स्थिर हैं। गत कुछ महीनों से यह 12 से 13 रु. के बीच है। इस वर्ष गेहूं का घरेलू उत्पादन 75 मिलियन टन होने की संभावना है जो वर्ष 2005-06 में 69.35 मिलियन टन था। अत: कुछ सुधार है। गेहूं की खरीद, जिसमें गत तीन वर्षों में कमी आयी है, में भी सुधार के लक्षण दिख रहे हैं और वर्षा के कारण पंजाब और हरियाणा से आवक में विलम्ब के बावजूद 13.4.08 की स्थिति के अनुसार यह 16,68,320 मीट्रिक टन पहुंच गया है। किन्तु परसों तक के जो आंकड़े हमारे पास पहुंच रहे हैं वह दिखाते हैं कि पंजाब और हरियाणा में बाजार पहुंचने वाले गेहूं का लगभग 82 प्रतिशत एफसीआई द्वारा खरीदा जा रहा है। यहां तक हम सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम यही रुझान बनाए रखने में सफल होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: उसके बाद आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकीकरण कर पाएंगे।

श्री शरद पवार: इस वर्ष हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 150 लाख टन गेहूं खरीद पाएंगे जबकि गत वर्ष हमने 111 लाख टन खरीदा था।

मैंने स्वयं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों और अन्य के साथ विस्तृत बैठक की थी। हमेशा कि तरह उन्होंने थोड़ी कीमत और बढ़ाने का सुझाव दिया है। वस्तुत: भारत सरकार द्वारा घोषित 1000 रु. की कीमत सर्वाधिक कीमत है। एक अनुरोध है कि हम और अधिक कीमत दें किन्तु यह बेहद कठिन है। अभी हमारे लिए 1000 रु. से अधिक की कीमत स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि जब हम किसान को 1000 रु. देते हैं तो इस 1000 रु. पर हमें पंजाब में 12.5 प्रतिशत राज्य सरकार प्रभार देना होता है तथा अन्य खर्चे भी हैं-आढतियों का कमीशन, बोरियां, बुलाई और भण्डारण। अत: सबको मिलाकर यह अन्त में 1000 रु. से बढ़कर लगभग 16 रु. प्रति किलोग्राम के वास्तविक खुदरा मूल्य के आस-पास होता है। सभा मुझसे सहमत होगी कि इस देश में अधिकांश लोग इस कीमत को स्वीकार या पचा नहीं पा रहे हैं। अतएव, आज की स्थिति में किसी भी सरकार के लिए आगे और कीमतें बढ़ाना स्वीकार करना कठिन होगा।

चावल के मामले में यही स्थिति है। वास्तव में, चावल के मामले में इस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक है और इस वर्ष खरीद भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक की गई है। इसके बावजुद, हमारी खरीद पूरी नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में गर्मी के मौसम की धान की फसल काफी अच्छी है। मुझे विश्वास है कि हमारी जो भी आवश्यकता है, हम उससे कहीं अधिक मात्रा में खरीद कर सकेंगे। अत:, देश में चावल के भंडार की स्थिति पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। यह भी मांग की जा रही है कि हमें चावल के लिए भी अधिक मूल्य देना चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

श्री शरद पवार: ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने किसानों को 700 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य का भुगतान किया है।

हमें यह समझना चाहिए कि जब हम एक क्विंटल धान की खरीद करते हैं, तब हमें 65 किलो चावल मिलता है। इसलिए, हम जिस मूल्य का भुगतान एक क्विंटल के लिए कर रहे हैं, अंतत: वह 65 किलो में समायोजित होगा। खुदरा मूल्य तथा अन्य सभी मूल्य हमेशा अधिक होते हैं और यह हमें प्रभावित करता है। आखिरकार आम नागरिक को चावल मिलता है और यही वजह है कि उसमें धान का अधिक मूल्य प्रतिबिम्बित होता है और ऐसी स्थिति में जबकि खरीद की प्रक्रिया चल रही है, धान के लिए अतिरिक्त मूल्य की मांग को स्वीकार करना काफी कठिन है। लेकिन हमें अगले वर्ष के लिए अंतिम निर्णय लेना है।

हाल ही में हमें सी.ए.सी.पी. से सिफारिश प्राप्त हुई है। सरकार सी.ए.सी.पी. की सिफारिश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेगी और इस सरकार ने कम-से-कम पिछले चार वर्षों में हमेशा सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों को स्वीकार किया है और तदनुसार कार्य किया है। हम इस संबंध में कुछ अंतिम निर्णय ले सकेंगे।

[श्री शरद पवार]

खरीद की मात्रा में सुधार कर इसे अधिकतम करने के लिए हमने कई निर्णय लिये हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि धान की खरीद के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपए अधिक मूल्य का भुगतान किया गया है; भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों की ओर से धान की खरीद करने की जिम्मेवारी लेने वाली संस्थाओं तथा स्व-सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 1.5 प्रतिशत कमीशन लेने की अनुमति दी गई है, सरकार ने वर्ष 2007-2008 के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 रुपए का बोनस देने की भी घोषणा की है, गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; तथा चावल एवं गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई है। ये सभी ऐसे कदम हैं जिससे अंततः चावल की समग्र उपलब्धता बढ़ेगी।

जहां तक गेहूं की अधिकतम खरीद करने के लिए उठाए गए कदमों का संबंध है, किसानों को गेहूं के लिए 1000 रुपए का मूल्य दिया गया है तथा वर्ष 2007-2008 में 18 लाख टन गेहूं का आयात किया गया जिसके केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है तथा गेहूं का स्टाक लगभग 58 लाख टन हो गया है। यह बफर स्टाक मानदण्ड से 18 लाख टन अधिक है। सामान्यतया, बफर स्टाक 40 लाख टन का होता है, लेकिन अभी हमारे पास 58 लाख टन का स्टाक है, जो कि बफर मानदण्ड से काफी अधिक है। निजी क्षेत्र द्वारा निर्यात पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यहां एक मुद्दा उन राज्यों के बारे में उठाया गया जो भारत सरकार के स्टाक की स्थिति में सुधार लाने में योगदान कर रहे हैं विशेषकर धान उत्पादन राज्य। वास्तव में इस बारे में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों की जो प्रतिक्रिया रही है, मैं इसके लिए इन सबका आभारी हूं। इस चर्चा में हमने इन राज्यों को जो भी जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसे व्यावहारिक रूप से 90 प्रतिशत से अधिक पूरा किया है और वे इस मामले में पूरी तरह मदद कर रहे हैं।

कुछ अन्य राज्य हैं। बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण लीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद जी, आप नाराज न हों, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 50 लाख टन पैडी का प्रोडक्शन हुआ और केवल 4 लाख 70 हजार टन एफ.सी.आई. ने प्रोक्योर किया। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 111 लाख टन प्रोडक्शन हुआ और केवल 25 लाख टन प्रोक्योर हुई। इसी प्रकार वैस्ट बंगाल में 147 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ और वर्ष 2007-08 में प्रोक्योरमेंट केवल 3 लाख 77 हजार टन हुआ। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: मंत्री जी, वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने मार्च महीने में आपको एक पत्र लिखा कि आप हमें वह कीमत दें, तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: हम आंध्र प्रदेश को भी वही कीमत दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: दोनों प्रदेशों के चावल में बहुत फर्क है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: हम उड़ीसा को भी वही कीमत दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भी वही कीमत दे रहे हैं। मैंने तो इन राज्यों को कहा है कि यदि आप प्रोक्योर करेंगे, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये उबाऊ आंकड़े बाद में बताएं। इनके कारण से सब परेशान हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप केवल मुखर विरोध करें, ऐसा नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: गुणवत्ता-वार मैं आपसे सहमत हूं, पश्चिम बंगाल का चावल कुछ अलग है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका हो गया, आप बैठ जाइये। उड़ीसा को तो काम्प्लीमेंट दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उन्होंने बधाइयां दी हैं, लेकिन वे बी.पी.एल. परिवारों के लिए पर्याप्त कोटा नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें। मंत्री महोदय, इसका उत्तर नहीं दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना अनुमति के उठाये गये ऐसे प्रश्नों का उत्तर न दें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक वैस्ट बंगाल का सवाल है, मैं वैस्ट बंगाल के हमारे सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जितना प्रोक्यूर करेंगे, वह सभी माल मैं वैस्ट-बंगाल में ही रखूंगा। मैं उसे वैस्ट-बंगाल से बाहर नहीं लाऊंगा, वहां की जनता को ही एवेलेबल कराऊंगा। हम भारत सरकार से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके पश्चात् श्री राधाकृष्णन, मैं आपको पीठासीन होने के लिए आमंत्रित करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में एक शब्द भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, वे अभी तक केरल पर नहीं आए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब तो उड़ीसा का परफोरमेंस बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: मैं पश्चिम बंगाल के सांसद श्री सलीम को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: अधिक मूल्य।

अध्यक्ष महोदय: आपकी स्थिति काफी कमजोर है।

श्री शरद पवार: हम पश्चिम बंगाल के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करेंगे तथा हम पश्चिम बंगाल में सारा स्टाक रखेंगे *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप किसानों को बेहतर मूल्य दें।

श्री शरद पवार: यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य है। यह बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. के लिए काफी सस्ता है। ए.वाई.एल. मूल्य 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। हम 7 रुपए अथवा 8 रुपए मूल्य पर खरीदेंगे जो भी मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। खरीद तथा सभी व्यय उठाने के पश्चात् सभी भार वहन करने के पश्चात् मैं बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. के लिए एक समान मूल्य रखने के लिए तैयार हूं और इसका सारा वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी। लेकिन कृपया और खरीद का प्रयास करें क्योंकि हमें सूचना मिल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, आपको क्या सूचना मिल रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अभिल बसु (आरामबाग): आपको गेहूं की आपूर्ति बहाल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: शरद जी, उनके प्रश्नों के उत्तर न दें। यह वाद-विवाद का तरीका नहीं है।

श्री शरद पवार: गेहूं की खरीद के बारे में भी मैंने आपको आंकड़े दिए हैं। मेरा यह कहना है कि कुछ राज्य काफी सहयोग कर रहे हैं; पंजाब और हरियाणा काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, बिहार में कुल उत्पादन 36 लाख टन हुआ जबकि हमें 8,000 टन मिला। गुजरात में कुल उत्पादन 36 लाख टन हुआ और आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष कुल उत्पादन 58 लाख टन हुआ। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने स्वयं बोनस के रूप में 100 रुपये दिए हैं। उन्होंने 4 लाख टन की खरीद कर ली है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): इसलिए बोनस तो दे दो।

श्री शरद पवार: मैंने कहा है कि सौ रुपये बोनस उन्होंने दे दिया, लेकिन राजस्थान में 71 लाख टन प्रोडक्शन होने के बावजूद 3.80 लाख टन का ही प्रोक्यूरमेंट हुआ है। मैंने वहां की चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ भी बातचीत की है कि यह स्थिति ऐसी है कि देश के आम लोगों की अनाज की समस्या हल करनी हो तो जहां पैदावार होती है, उन राज्यों को सैण्ट्रल किटी में माल डालने के लिए, देने के लिए अच्छी तरह से सहयोग देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: छापामारी जो राज्य नहीं किए, आप उनका नाम बताइए। ये सब माल दबाकर रखे हुए हैं।

श्री गणेश सिंह: आप देश को लाल गेहूं से मुक्ति दिलायेंगे या नहीं, यह बताइए। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: आप मध्य प्रदेश का गेहूं सेंट्रल को दे दीजिए, वह जितना प्रोक्योर करेंगे, हम सारा मध्य प्रदेश का गेहूं रखने के लिए तैयार हैं। आप फिर यहां से गेहूं मत मांगिए। फिर हमारे पास लाल गेहूं देने की कोई नौबत नहीं आएगी। *...(व्यवधान)* लाल गेहूं इंपोर्ट करने में किसी को खुशी नहीं है, मगर जब देश की किचेन में माल कम होता है, तो फूड सिक्योरिटी के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में फूड सिक्योरिटी के लिए अगर इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करना भी पड़ेगा। हम पैसे की बात नहीं कहेंगे, मगर इस देश के गरीब आदमी को अनाज मिलता रहे, हम इसका शिकार इस देश को नहीं होने देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या परेशानी है? क्या चर्चा करने का यही तरीका है। जब आप बोल रहे हों और यदि प्रत्येक व्यक्ति आपको परेशान करे तो आपको अच्छा लगेगा? यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: लाल गेहूं की बात अलग जाकर कीजिए।

श्री शरद पवार: सुमित्रा जी ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, तो हमने प्रोक्योरमेंट किया, पैदावार की और दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का डिसीजन ठीक समय पर नहीं किया गया। जिस साल एक्सपोर्ट किया गया था, उस साल देश में सबसे कम गेहूं की पैदावार हुयी थी। जब हमारे पास सबसे कम पैदावार है, तब हमारे गोदाम में माल था। जब हमारा प्रोडक्शन कम होता है, तब हमारे गोडाउंस में माल रखने की आवश्यकता थी, मगर इन्हीं सालों में प्राइवेट ट्रेडर्स की मदद लेकर गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस की नहीं, नो पीएसयू, बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स की मदद लेकर 16 हजार 241 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर गेहूं और राइस एक्सपोर्ट करने का काम हुआ। क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ? *...(व्यवधान)* मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपको ऐसा लगता है कि आपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य किया, तो हमें लगता है कि आज जो नौबत देश के सामने आयी, तब अगर हमारे गोडाउंस खाली नहीं होते, तो आज की स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें एक साइक्लाजी भी होती है कि जब गोडाउन में माल कम होता है, तो आटोमैटिकली प्राइसेज भी ऊपर जाते हैं। अगर यह नहीं होता, तो अच्छा होता, लेकिन जो हुआ, इसमें हमें कोई ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालू प्रसाद: नान फिट फार ह्यूमन कंजम्शन के नाम पर गायब कर दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गणेश सिंह जी, आप कह चुके हैं।

श्री लालू प्रसाद: गल्ला दबाकर जो लोग रखते हैं, आप उस पर बोलिए।

श्री गणेश सिंह: आठ महीने पहले ही इस बात का *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय कृषि मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बहुत से सुझाव इससे पहले भी आए थे। एक बात मैंने सदन के सामने इससे पहले भी की थी कि दो आर्गनाइजेशंस को एप्वाइंट किया गया कि स्टेट में जो माल भेजते हैं, इसका वितरण किस तरह से होता है? इसकी जो रिपोर्ट आयी, वह अच्छी रिपोर्ट नहीं थी। मैं राज्य के नाम लेना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ राज्यों में जहां तक गेहूं की बात है, वहां डायवर्जन सौ प्रतिशत तक था।

[अनुवाद]

कुछ राज्यों में यह शत-प्रतिशत था; कुछ राज्यों में यह लगभग 50 प्रतिशत था और कुछ राज्यों में यह लगभग 30 प्रतिशत था। गेहूं और चावल की भी यही स्थिति है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने अनेक कार्य किए हैं। मैंने स्वयं अधिकांश क्षेत्रों का दौरा किया है; खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई; और मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है। मैं कोलकाता गया और गुवाहाटी भी गया था। हमने अनेक स्थानों पर बैठकें की और हम राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे अपनी वितरण प्रणाली में सुधार करे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए। भारत सरकार द्वारा जो भी सामग्री भेजी जाती है वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अब भी सुधार की गुंजाइश है।

एक मुद्दा यह भी उठाया गया है कि दिन-प्रतिदिन खाद्य राजसहायता को कम कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है। वास्तव में वर्ष 2005-06 में खाद्य राजसहायता 19,871 करोड़ रुपए थी, 2006-07 में खाद्य राजसहायता 20,786 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2007-08 में यह 31,230 करोड़ रुपए थी।

हमें वर्ष 2008-09 के सही-सही आंकड़े अभी नहीं पता लेकिन ये 40,000 या 45,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर जाएगी। अत: मूल्यों को एक विशेष स्तर तक बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की राजसहायता दी गई है। वह विशेष स्तर क्या है? वास्तव में बीपीएल और एएवाई द्वारा जो मूल्य बढ़ाया गया है उस मूल्य को 1991 में नियत किया गया था। आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

प्रोक्योरमैंट प्राइस बढ़ गया, लेकिन रिटेल के सेल प्राइस में 1991 से आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि यह समाज का सबसे गरीब वर्ग है और इनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर वहां माल सप्लाई करने का काम हुआ।

कई माननीय सदस्यों ने कुछ राज्यों के गेहूं और चावल के कोटे को कम करने के बारे में नाराजगी जताई। यह बात सच है कि कोटे में कुछ कमी की गई, लेकिन किसी एक सिंगल स्टेट की नहीं की गई, उसमें यूनीफार्म पालिसी थी। उसमें कुछ बेस तय किए गए हैं। गेहूं के बारे में हमने कोटा रिडक्शन किया। जब रिडक्शन करने का निर्णय लिया गया, उसमें दो कैटेगरीज जो सबसे गरीब हैं-एएवाई अन्त्योदय और बीपीएल-इन कैटेगरीज को जो 35 किलोग्राम की सप्लाई होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उस पर हम आज तक अमल करते हैं, उस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सवाल सिर्फ एबव पावर्टी लाइन कैटेगेरी का आया। जब हमारे सामने एबव पावर्टी लाइन कैटेगरी की बात आई तो हमने पिछले तीन सालों की फिगर्स देखी कि ऐक्चुअली एलोकेशन कितना है और माल कितना उठाया गया। जब हमारे सामने यह बात आई कि

[अनुवाद]

भारत सरकार द्वारा अधिक आबंटन किया जाता है जबकि वास्तव में इसे कम मात्रा में उठाया जाता है। चावल के मामले में भी यही स्थिति है। केरल के संबंध में एक विशेष मुद्दा उठाया गया था। वर्ष 2003-04 में केरल को एपीएल के अंतर्गत 31.61 लाख टन चावल आबंटित किया गया था, लेकिन इसकी वास्तविक उठाई मात्र 0.5 प्रतिशत ही थी जो केवल 6,000 टन है। वर्ष 2004-05 में केरल को एपीएल के अंतर्गत 13.61 लाख टन चावल का कोटा आबंटित किया गया था लेकिन इसमें से मात्र 0.92 लाख टन अर्थात् 6.7 प्रतिशत चावल ही उठाया गया। वर्ष 2005-06 में भी इतनी ही मात्रा ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: उस समय एनडीए की सरकार सत्ता में थी। ...*(व्यवधान)* आप उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। उसके साथ तुलना न करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। वे केवल आंकड़े दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रहे हैं। मुझे खेद है। माननीय मंत्री आप अपनी बात समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मुझे खेद है। किसी को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जब तक माननीय मंत्री आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। इन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपको लोगों को इसके कारण बताने होंगे। इन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए। ये आपकी इच्छानुसार नहीं बोल सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: वर्ष 2005-06 में कुल आबंटन 13.61 लाख टन था। लेकिन केवल 57,000 टन ही उठाया गया था जो कि 4.7 प्रतिशत है वर्ष 2006-07 में भी इतना ही आबंटन किया गया था लेकिन मात्र 13 प्रतिशत ही उठाया गया था। इन चीजों पर गौर करने पर पता चलता है कि औसत उठाई चार प्रतिशत से भी कम है और इसलिए भारत सरकार को आखिर में कोटे में कमी करने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी टिप्पणी यह है कि अब जो भी आवंटन हुआ है, उसकी शतप्रतिशत खरीद की गई है और इससे हमें प्रसन्नता है। पश्चिम बंगाल के बारे में भी यही स्थिति है। मैं आंकड़े दे सकता हूं परंतु वहां बिल्कुल यही स्थिति है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं वे अपना विगोपन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सायं 7.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चक्रवर्ती, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने एपीएल श्रेणी का मुद्दा उठाया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अच्छा होगा कि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके आप बैठ जाइये। अभी इस बारे में कहने का टाइम नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: चूंकि शतप्रतिशत खरीद हो रही है, क्या आप पश्चिम बंगाल का कोटा बढ़ायेंगे?

श्री शरद पवार: जी हां, यदि पश्चिम बंगाल से बहुत अच्छी मात्रा में खरीद होती है तो मुझे यह निर्णय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद करने का कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: यह तर्क *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल अपना विगोपन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, आप पश्चिम बंगाल सरकार या पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने सभा को गुमराह किया है तो आपको उनसे स्पष्टीकरण मांगने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप यह सब क्यों कह रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सीधा प्रसारण भी रोक दूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता था। जितना आप जानते हैं, मैं भी भली-भांति जानता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वसुदेव आचार्य: उन्होंने फारवर्ड और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: शरद जी, आप उसे छोड़िये। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: मैं अभी उस पर आता हूं। यहां उड़ीसा की बात कही गयी है। मुझे एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने मित्रों का विगोपन मत कीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: पिछले दो-तीन साल में भारत सरकार को सप्लाई करने के बारे में जिन स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें उड़ीसा भी है। उड़ीसा को जो टोटल एलोकेशन किया था, उसका आफटेक प्वाइंट 10 परसेंट से कम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: मैं वहां की सरकार से जरूर बातचीत करूंगा। जो एडीशनल प्रोक्योरमैंट करेंगे, उसे वहां के लोगों को रखने के लिए जो सुझाव आयेगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार का स्पेसीफिक सहयोग अच्छा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में वहां की कुछ डिमांड हो, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)* मैं उस पर भी आता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैंने प्याज और अन्य चीजों के बारे में उठाए गए कदमों के बारे में उल्लेख किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर अधिक समय लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इस मुद्दे को उठाने पर सहमत हो गए हैं।

श्री वसुदेव आचार्य: आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में आपके क्या विचार हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: मैं उस पर भी आता हूं। इसके साथ-साथ कई माननीय सदस्यों ने एक बात सदन में कही कि अल्टीमेटली प्रोडेक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह पहली सरकार है जिसने उत्पादकता और उत्पादन में सुधार पर चर्चा करने के लिए 29 मई को मुख्यमंत्रियों की एनडीसी की एक विशेष बैठक बुलाई थी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जो कि राज्य सरकारों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया गया था।

[हिन्दी]

स्कीम के मुताबिक पंचवर्षीय योजना में चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन से बढ़ाना, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन से बढ़ाना और दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन से बढ़ाने की योजना इसमें की गयी है। सभी राज्यों ने इसमें सहयोग दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक रकम भी रिलीज कर दी है। इसके साथ ही यह डिसीजन लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए टोटल प्राविजन 5,000 करोड़ रुपए किया है और देश के 311 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चक्रवर्ती जी, आप वहां अलग से बैठक नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: इसके साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो लागत लगाने की आवश्यकता है, उसके बारे में केन्द्र सरकार की ही तरह राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए जिस राज्य सरकार ने पिछले दो साल में जो प्राविजन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बैंडरी, डेरी के लिए की थी, उस राशि से

[श्री शरद पवार]

ज्यादा जितनी रकम का वे प्राविजन करेंगे, उसके इक्वीवैलेंट रकम भारत सरकार उस राज्य को देने के लिए तैयार है। इसके लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है। इससे हर राज्य सरकार को जिला और गांव स्तर पर एक कृषि योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है और बेसलाइन एक्सपेंडिचर परसेंटेज बजट में तैयार करके इनकी मदद करने का काम हमने शुरू किया है। सभी राज्यों ने भी इसमें अच्छी तरह से योगदान दिया है। एक-दो साल में इससे कंट्री की ओवरआल सिचुएशन में बदलाव लाने में इसका फायदा अवश्य होगा।

प्राइसेज बढ़ने के बारे में यह कहा गया है कि इसमें जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, इसके लिए सदन के सामने मैं दो-तीन बार एशेंशियल कमोडिटीज एक्ट का समय बढ़ाने के लिए आया, सदन ने उस पर मेरा साथ दिया है, उसके माध्यम से हमने समय बढ़ाकर राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं।

[अनुवाद]

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 जो कि केन्द्र और राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों को निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है जिनकी गतिविधियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में हितकारी नहीं पाया जाता है।

[हिन्दी]

अभी तक जो इनफार्मेशन राज्य सरकार से हम मांग रहे हैं, उसमें उन्होंने 31 दिसंबर, 2000 तक की जानकारी दी है और बाकी इनफार्मेशन राज्यों से आ रही है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा निरुद्ध करने संबंधी 119 आदेश दिए गए थे तथा कुल 2007339 छापे मारे गए। 6,474 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया; 4487 लोगों पर मुकदमा चलाया गया तथा 348 मामलों में पहले ही सजा दी जा चुकी है। चूंकि उक्त अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जमाखोरी तथा कालाबाजारी जैसी अनैतिक व्यापार पद्धतियों के निवारण हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर दबाव डाला जाता है ताकि आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य: इसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाइए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 21 फरवरी को सभी मुख्य मंत्रियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की लगातार निगरानी करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने व समय-समय पर उचित उपाय करने के लिए पत्र लिखा है। इस संबंध में कुछ कार्रवाई की गई है लगभग पांच से छह राज्य हैं जिन्होंने हमें सूचित किया है कि वे इसे लागू करने नहीं जा रहे हैं। लगभग 15 राज्यों ने हमें सूचित किया है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं और शेष राज्यों ने इसे कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

महंगाई पर काबू करने के लिए कुछ अन्य डिसीजन्स भारत ने लिए हैं, उनको भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा किए गए वित्तीय उपायों में दालों, खाद्य तेलों और मक्का जैसी वस्तुओं का आयात शुल्क घटाकर शून्य करना; खाद्य वस्तुओं पर लगाए गए 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को वापिस लेना; रिफाइन्ड तेल और वनस्पति तेल पर आयात शुल्क में 7.5 प्रतिशत तक कमी करना; मक्खन और घी के आयात शुल्क में 30 प्रतिशत तक कमी करना शामिल है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों में चावल तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाना शामिल है। मैंने गेहूं के आयात के बारे में भी जिक्र किया है और खाद्य तेलों के मूल्य पर प्रशुल्क दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्राइसेज की बात भी मैंने सदन के सामने रखी है। एक इश्यू पर सदन में बार-बार चर्चा हुई है और वह है वायदा बाजार आयोग। वस्तुत: पिछले बजट भाषण में सभा में यह मुद्दा उठा था और इस पर चर्चा भी हुई थी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार वस्तुओं की कीमतों पर वायदा बाजार में व्यापार करने के प्रभाव यदि कोई हो; का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक समिति बना रही है। वस्तुत: स्वयं मैंने दो-तीन बार प्रो. सेन को इसकी याद दिलाई है। आज तक हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें कोई समय-सीमा तय करनी होगी अन्यथा हमें समुचित निर्णय लेना होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसके बावजूद आपके वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किए गए। मुझे खेद है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इन मुद्दों का संबंध उनसे है। वे कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब अध्यक्षपीठ इसे निरस्त कर रही है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा और मैं अब माननीय मंत्री से इस प्रकार के व्यवधानों का जवाब देने का अनुरोध करूंगा।

श्री शरद पवार: इस विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा तरह-तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। इस पर कई महत्वपूर्ण आवधिक पत्रिकाओं में भी लेख लिखे गए हैं। मुझे याद है कि 11 अप्रैल के 'द इकोनामिस्ट' में भारतीय मुद्रास्फीति पर लिखे गए एक लेख में कहा गया है कि वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाना ऐसा ही है जैसे कीमत संकेतों पर आगे के संदेश देने वाले संदेशवाहक पर प्रतिबंध लगाना। यह भी एक अलग मत है। परंतु मैं इनके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। उसमें कई सुझाव दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि कई आदमी जानते भी हों कि वायदा कारोबार क्या है?

श्री शरद पवार: हमने तूर, उड़द, चावल और गेहूं को सूची से हटा दिया है। इन चार मदों को वायदा कारोबार आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। परन्तु हम सभी ने इनको हटाये जाने के बाद भी इनके असर के बारे में चर्चा की है। व्यावहारिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुत: कीमतें और बढ़ गयी हैं। परंतु श्री अभिजीत सेन ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। यदि हम सूची से किसी मद को हटाने संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो इसका आशय यह होगा कि हम पहले ही से यह निर्णय कर चुके हैं कि वायदा कारोबार से कीमतें बढ़ेंगी ही। अतएव, मैं उस स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। परंतु इसकी मांग की जा रही है और मुझे बताया गया कि इस संबंध में स्थायी समिति ने सिफारिश भी की है। ऐसी स्थिति में मैं दस दिनों तक रिपोर्ट का इंतजार करूंगा और यदि दस दिनों के भीतर श्री अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो हम इस मुद्दे पर वायदा बाजार आयोग के साथ चर्चा करेंगे क्योंकि वह विनियामक है। मुझे विनियामक के साथ चर्चा करनी होगी और यह देखना होगा कि कम से कम विशेष वस्तुएं जो कि देश में प्रत्येक परिवार के लिए लाभदायक हैं, के संबंध में उपभोक्ताओं के हित में कुछ करना होगा। हम उनके साथ उपभोक्ता मदों पर चर्चा करेंगे और दस दिनों में समुचित निर्णय लेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): गेहूं, चावल और दालों पर प्रतिबंध लगाने के अनुभव कैसे रहे? *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: उसके बाद कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुत: कीमतें हमने आज देखी हैं। ऐसी स्थिति में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। परंतु मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं दस दिनों तक इंतजार करूंगा और यदि दस दिनों में मुझे रिपोर्ट न मिली तो मैं विनियामक के साथ चर्चा करूंगा और केवल आवश्यक वस्तुएं जो देश के आम नागरिकों को प्रभावित कर रही हैं, के संबंध में ही निर्णय लूंगा। हम उसके संबंध में निर्णय लेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: वस्तुत: सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारा समग्र ध्यान उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केन्द्रित है और हमें यह देखना होगा कि किसानों को निराशा न हो। हमें यह देखना होगा किसानों को बेहतर कीमतें दी जाएं और ऐसी स्थिति में जब तक हम ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे। आयात और इस प्रकार की कार्यवाही वहां काफी हुई है। ये अस्थायी साधन हैं और परंतु हम आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अंतत: हमें यह देखना होगा कि भारत किस प्रकार आत्मनिर्भर बन पाएगा और हम अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर पाएंगे। मैं सभा का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: हम विरोध स्वरूप बाहर जा रहे हैं।

सायं 7.16 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: एक बात मैं सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ अखबारों में, सदन में और साथ-साथ टेलीविजन में कुछ डिस्कशन देखा जिसमें ऐसी बात कही गयी कि भारत में फूड-राइट्स होने की आवश्यकता है और विश्व में फूड-स्टाक बहुत कम है, यह बात सच हो सकती है, मगर मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। गेहूं के 40 लाख टन के बफर नार्म्स के मुकाबले हमारे पास 58 लाख टन गेहूं उपलब्ध है यानी 20 लाख टन बफर से ज्यादा है। इसके अलावा इस वर्ष भारत सरकार 150 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करेगा। चावल की परिस्थिति भी हमारी बहुत अच्छी है। इस वर्ष हम लगभग 270 लाख टन चावल प्रोक्योर करेंगे। जहां तक टीपीडीएस के तहत, बीपीएल वर्ग की चावल और गेहूं की आवश्यकता है, वह पूरी करने के लिए यूपीए सरकार कर्तव्यबद्ध है। इसके सात ही नया सीजन अभी शुरू हुआ है, समर पैडी का क्राप अगले महीने में आयेगा और जो अगला खरीफ का सीजन है, जो लेटेस्ट इंफोर्मेशन आबजर्वेटरी से आई है,

[अनुवाद]

मानसून के बारे में पहली रिपोर्ट प्रोत्साहनजनक है। यदि इस प्रकार की रिपोर्ट सही सिद्ध हुई तो अंतत: सभी राज्यों को खाद्यान्नों और सभी अन्य मदों की पैदावार हेतु इन मदों की अधिकाधिक फसल उगानी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्पादन और उत्पादकता में सुधार कर पाएंगे और हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। अतएव हम बाहर जा रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 7.18 बजे

इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाएगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह निर्भर करता है। मैंने कहा था, ''यदि माननीय सदस्य चाहें तो''

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप दो एक बातों का स्पष्टीकरण देना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: सर, गांव की कहावत है कि जोड़-घटाना ज्यों का त्यों और पूरा कुनबा डूबा क्यों। हमारी बहस इस बात की थी कि महंगाई है और इसकी रोकथाम का क्या कोई इलाज है। खाद्यान्न के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। माननीय मंत्री जी समय-सीमा के बारे में कह सकते हैं कि महंगाई के ऊपर लगाम लगाने के लिए दस दिन, पन्द्रह दिन या एक महीना लगेगा, क्योंकि पिछले साल से हम यह बात सुनते आ रहे हैं। दूसरा यह कि क्या इस बार भी गेहूं की खरीद 2100 रुपये पर सरकार करेगी या निजी क्षेत्र की कंपनियां गेहूं की खरीद देश में इस बार करेंगी और वे कहां बेचेंगी?

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): माननीय कृषि मंत्री कहते हैं कि वे कृषि वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा है कि मध्यावधि में ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आते जिसके आधार पर हम कह सकें कि विश्व में खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ रही है। जब माननीय वित्त मंत्री ये बात कह रहे हैं तो माननीय कृषि मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि वे ऐसा कर पाएंगे?

हम सभा से वाक आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा एक बार पहले कर चुके हैं। इसलिए हम कोई दूसरा ड्रामा नहीं करना चाहते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले जो वाक आउट किया था वह भी एक ड्रामा ही था।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: बात यह है कि हम इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार कुछ भी करने में असफल रही है। कांग्रेस पार्टी से संबंध विच्छेद करने से पूर्व वाम दल इस प्रकार के परिदृश्य पैदा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह सरकार कुछ भी करने में अक्षम हैं। यह सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हम इस संबंध में अपना सख्त विरोध व्यक्त करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना विरोध व्यक्त करने के लिए स्पष्टीकरण चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: जिन राज्यों का कोटा कम कर दिया था, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या उन राज्यों की आवश्यकता के अनुसार पूरा कोटा जारी किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, कृपया मुझे एक साधारण प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप एक साधारण प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बिंदु पर क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। मैं गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने बासमती चावल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा किया है। इसी तरह से गुजरात के किसानों ने भी चावल का ज्यादा उत्पादन किया है और उनकी वर्षों से उम्मीद थी कि चावल का एक्सपोर्ट होगा। आपको बहुत आवेदन भी प्राप्त हुए होंगे। गुजरात के पास अगर इतना बड़ा बफर स्टाक है, तो क्या इस बारे में मंत्री जी कुछ करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री शरद पवार: बासमती चावल को छोड़कर भारत से अन्य प्रकार की किस्मों की अनुमति देने के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि यह संभव नहीं है। आखिरकार, हमें यह भी देखना है कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरा, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री के संबंध में, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व में खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया है कि भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने केवल विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल में आंकड़ों में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है और ये आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं उन आंकड़ों का दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं विश्व के आंकड़ों और हमारे देश के आंकड़ों की तुलना की विस्तृत जानकारी पहले ही दे चुका हूं।

मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य इस बात को स्वीकार करेगा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति काफी अच्छी है।

[हिन्दी]

जहां तक कोटा इंक्रीज करने की बात है, जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट की किटी में अगर राज्य सरकारें जो पैदावार करती हैं, उसे अच्छे से सप्लाई नहीं करेंगी, तब तक एपीएल के बारे में पूरी डिमांड को स्वीकार करना मुश्किल है। स्टाक अच्छा हो गया, कोटे

[श्री शरद पवार]

में सुधार हो गया, तो राज्यों को और ज्यादा कोटा देने की हमारी मंशा रहेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह मुझे खेद है। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चर्चा समाप्त हो चुकी है।

सायं 7.23 बजे

अनुदानों की मांगें (रेल) 2008-09

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 28 को लेगी। वर्ष 2008-09 के लिए बजट (रेलवे) से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

सभा में उपस्थित ऐसे माननीय सदस्य, जिनके वर्ष 2008-09 के लिए बजट (रेलवे) से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर (स्लिप) पर्ची भेजें। केवल उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

तत्पश्चात् प्रस्तुत किए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को, उस सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है तो वे इस विसंगति को तत्काल टेबल पर उपस्थित अधिकारियों के ध्यान में लाए।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा 11.3.2008 को स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि (रुपए)	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों की राशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	22,10,17,000	110,50,83,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	80,52,83,000	402,64,17,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	527,67,79,000	2638,38,92,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	901,28,32,000	4506,41,62,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	428,41,60,000	2142,07,98,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	905,89,27,000	4529,46,37,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	493,08,57,000	2465,42,87,000

1	2	3	4
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	673,37,70,000	3366,88,50,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2381,87,62,000	6144,93,11,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	2278,31,54,000	11391,57,67,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	386,38,65,000	1931,93,24,000
12.	विविध संचालन व्यय	402,30,25,000	2011,51,22,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1617,62,48,000	8088,12,37,000
14.	निधियों में विनियोग	4731,12,33,000	23655,61,67,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,12,000	4631,59,88,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	10,00,00,000	50,00,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	4989,80,82,000	24949,04,10,000
	रेलवे निधियां	4339,91,67,000	18079,58,33,000
	रेलवे संरक्षा निधि	216,65,00,000	1083,25,00,000
	जोड़	25390,64,73,000	122178,97,85,000

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रतिलाल कालीदास वर्मा बोलेंगे। छह घंटे का समय आबंटित किया गया है। आप जितनी देर तक बोलना चाहते हैं बोल सकते है।

सायं 7.24 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, रेलवे बजट के बारे में मैं अपने कुछ विचार सभापटल पर रखना चाहता हूं। रेलवे बजट के बारे में चर्चा हुई थी। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने जवाब में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि जब रेल बजट पेश हुआ। ...*(व्यवधान)* कुछ बातें रिपीट भी होती हैं और कुछ नई बातें भी सामने आती हैं। रेल बजट की जो प्रशंसा हुई, तो उसकी चर्चा में धीरे-धीरे वास्तविकता सामने आई। तब आम जनता में निराशा पैदा हुई। उस समय आप लोगों ने भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। एक के बाद एक छुपी बातें सामने आने लगी कि किस तरह आम जनता के माध्यम से रेल मंत्रालय ने पैसा निकाला है। ये बातें जब सामने आई तो आम जनता में घोर निराशा छा गई। नई ट्रेन्स चलाने की घोषणा केवल मुनाफा वाली जगहों के लिए की गई है। मुनाफा हो रहा है, अच्छी बात है लेकिन आम जनता के लिए ये सेवाएं हैं। केवल मुनाफे का ध्यान न रख कर सभी को हर तरह की सुविधाएं देनी

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

चाहिए। आप गांव वाले हैं। गांव से जो लोग शहर आते हैं चाहे वे विद्यार्थी हों, किसान हों या व्यापारी हों या अप-डाउन करने वाले लोग हैं, आपने उनके लिए किसी नई गाड़ी की शुरूआत नहीं की है। गांवों से शहरों में आने वाले लोगों के लिए नई गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। गुजरात को तीन या चार गाड़ियां छोड़ कर कोई विशेष गाड़ी नहीं दी गई है। आज वहां जो मीटरगेज में गाड़ियां चल रही हैं, उनमें पांच या छः डिब्बे हैं। उनमें डिब्बे बढ़ाने के लिए मैंने आपसे बार-बार रिकवैस्ट की और लिखित में भी दिया लेकिन एक ही जवाब आता है कि मीटरगेज के लिए अभी डिब्बे नहीं हैं। आप धीरे-धीरे मीटरगेज लाइनें बंद कर रहे हैं लेकिन जो चल रही हैं, जहां आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उन्हें दूर करने के लिए डिब्बे देने चाहिए। अहमदाबाद से बूटाक के लिए लोकल ट्रेन चलती है। वह मेरे क्षेत्र की है। मैं कहता हूं कि उसके डिब्बे बढ़ाइए लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। देश में जहां भी मीटरगेज लाइन्स हैं, उनके लिए डिब्बे देने चाहिए। श्री नानाभाई राठवा जो हमारे राज्य के सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने भी आपके सामने बात रखी थी। आप जानते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सब्जी बेचने वाले किसान और अप-डाउन करने वाले कर्मचारियों की कितनी दयनीय स्थिति है। आप स्टेशन पर जाकर देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। आपको उसका जायजा भी लेना चाहिए। कोई अधिकारी उसका जायजा नहीं लेता है। जवाब मिलता है कि मीटरगेज के लिए डिब्बे नहीं हैं। हमारी रेल सेवा केवल मुनाफे के लिए नहीं है बल्कि यह आम जनता की सेवा के लिए है। अगर मुनाफा करना है तो कुछ काम करना होगा। मल्टीनेशनल कम्पनियां केवल मुनाफे की बात करती हैं।

आपने अहमदाबाद से मुम्बई के लिए जो ए.सी. ट्रेन दी है और वह धनी लोगों के लिए दी है। यह भरी हुई जाएगी और इसकी और डिमांड बढ़ेगी। आम जनता जो छोटे-छोटे स्टेशनों पर उतरती है, उनके लिए नई ट्रेन अहमदाबाद से मुम्बई शुरू करना अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि वे रेल और स्टेट परिवहन द्वारा ही यात्रा करते हैं। धनी लोग गाड़ी लेकर अहमदाबाद से मुम्बई जाते हैं। दिल्ली से हरिद्वार या जयपुर जाना हो तो धनी लोग प्राइवेट कार लेकर जाते हैं। गर्मी के दिनों में भीड़-भाड़ रहती है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है चाहे बस अड्डा जाइए या रेलवे स्टेशन जाइए। उनकी हालत बहुत खराब रहती है और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एक ओर गरीब लोग पीस रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पसीने से आपको मुनाफा मिल रहा है। आप इन गरीबों के पसीने को ध्यान में रखते हुए काम करें। माननीय मंत्री जी हर बार गरीबों की बात करते हैं और वह गरीबों के साथ तथा जमीन से जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने गरीबों की अनदेखी की है। आप गांवों की बात करते हैं। गांवों में सुविधा बढ़ाने के लिए, गांवों की तरफ जाने वाली ट्रेन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने 2005-06 में 14 हजार करोड़ रुपए और 25 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा बताया है। रेल मंत्रालय कोई मल्टी नेशनल कम्पनी नहीं है कि शेयर होल्डरों को ज्यादा शेयर दें। अगर कम मुनाफा होगा तो भी चलेगा। सुविधाएं बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आप मल्टी नेशनल कम्पनियों की तरह काम न करें।

जो घाटे में चलने वाली गाड़ियां हैं, उनमें से बहुत सारी गाड़ियां आपने बंद कर दी हैं। यदि घाटे में चलने वाली गाड़ियों को केवल मुनाफे के कारण चालू रखेंगे तो फिर आम जनता और राष्ट्र की सेवा कैसे होगी। इसलिए जो भी गाड़ियां घाटे में चलती हैं, उन्हें बंद न किया जाए, उन्हें चालू रखा जाए। इसके अलावा आपको मीटर गेज की गाड़ियों में सुविधा बढ़ानी है और उनमें डिब्बे भी बढ़ाने हैं। हर बजट में आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन जो घोषणाएं की गई हैं, क्या उनका क्रियान्वयन किया गया है। पिछले बजट में भी आपके द्वारा की गई घोषणाएं वहीं की वहीं रह गई और इस बार जो घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को आप जल्दी से पूरा कीजिए, यही मेरा कहना है। घोषणा के मुताबिक गेज परिवर्तन हो जाए, घोषणा के मुताबिक गाड़ियां चल रही हैं, घोषणा के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और जो नई गाड़ियां हैं, क्या आप उन्हें ठीक तरह से चला रहे हैं। आज जो मीटर गेट गाड़ियां चल रही हैं, उनमें पांच या छः डिब्बे लगे होते हैं। हमारी मांग है कि उनमें डिब्बे बढ़ाये जाएं। इसके साथ हमें जो जवाब मिलते हैं, उन पर भी अमल नहीं होता है।

माननीय मंत्री जी ने गरीब लोगों की बात की थी और खादी की बात भी की थी। गरीब बुनकर लोग खादी बुनते हैं। लेकिन क्या इस पर अमल हुआ। आज भी उस पर अमल देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस के एक सम्माननीय नेता ने कहा कि खादी पहनना कोई कम्पलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इससे क्या मैसेज जाता है। एक तरफ आप एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ अलग बात कहते हैं। क्या यूपीए गवर्नमैन्ट में मुंडे-मुंडे मत भिन्नाः है। हर एक की अपनी अलग राय चल रही है। इस तरह से कैसे बात बनने वाली है। आपने कुली भाइयों के लिए जो किया, उसकी हम भी सराहना करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों को नियुक्ति दी जाए और मेरे क्षेत्र में बहुत सारे अनमैन्ड फाटक हैं, वहां भी जल्दी से नियुक्ति दी जाए। वहां कई फाटकों में ताले लगे हुए हैं, जिसके कारण किसानों को दो-दो किलोमीटर चलकर वापस आना पड़ता है। तीन-तीन किलोमीटर तक स्टेशन पर चाभी लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इन मुसीबतों को आप जल्दी ही दूर करेंगे। आपके पिछले दो सालों के बजट में खुशी दिखाई देती है,

लेकिन आम आदमी रोता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी को खुश करने के लिए गरीब रथ की आपने घोषणा की, लेकिन गरीब रथ में क्या हुआ। आपने सीटें बढ़ाईं और पैसेंजर्स को जो सुविधा मिलती थी, वह सुविधा आपने खत्म कर दी है। गरीब रथ का नाम तो जरूर है, लेकिन आम आदमी परेशान है। मैं कहूंगा कि गरीब रथ में आम जनता को पीसा जा रहा है। क्योंकि जहां 72 बर्थ्स थीं, वहीं 82 बर्थ्स कर दी हैं। यानी आपने बर्थों की संख्या बढ़ा दी है। जिसके कारण जो सुविधा यात्रियों को मिलती थी, वह भी खत्म हो गई है।

माननीय मंत्री जी आपने सभी एक्सप्रैस और मेल ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों में बदल दिया है, लेकिन इसमें बोर्ड बदलने के अलावा और कोई विशेषता हमें दिखाई नहीं देती है। इन ट्रेनों को सुपरफास्ट कैसे कहेंगे। आप जरा रेलवे स्टेशन पर जाइये और आधा घंटा खड़े रहिये, आपको अनाउंसमैन्ट सुनाई देगा, रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना-हमें खेद है कि आज चल रही सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से तीन घंटा देरी से चल रही हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): कहां पर सुन लिया?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: दिल्ली जैसे स्टेशन पर सुना है, अहमदाबाद स्टेशन पर सुना है। गाड़ियां दो-दो, तीन-तीन घंटे लेट चल रही हैं और सुपरफास्ट का किराया आपने ले लिया और इस तरह से अगर चलता रहेगा तो यह किराया ही आपके लिए बहुत बड़ा मुनाफा होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप स्टेशन पर कभी-कभी जाते होंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: हम हर फ्राइडे के दिन ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद जाते हैं और ट्रेन से ही आते हैं। आज ही यह बुकिंग की है, आप यह टिकट देखें, यह मेरे जाने की टिकट है। ...*(व्यवधान)* मैं हर सप्ताह बाई ट्रेन जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ए.सी. में आपने 300 से 350 रुपया ले लिया है। अब यात्री का जो होना है वह हो, अपना तो मुनाफा हो गया। आपने खूब वाहवाही लूटी और खूब ढोल पीटा। दो से तीन प्रतिशत किराया कम किया और दूसरी तरफ वसूलने का रास्ता निकाल दिया।

मैं आपको तत्काल स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं। मैं गंगास्नान करने गया था और स्टेशन पर बैठा था। देहरादून से आने वाली गाड़ी में एक परिवार ने तत्काल स्कीम में टिकट लिया। जिसमें उसका नाम नहीं आया। वह परिवार गाड़ी में नहीं बैठा। फिर वह परिवार स्टेशन मास्टर के पास आया और बताया कि चार्ट में हमारा नाम नहीं है और हम नहीं बैठे तो हमारे पैसे वापस दो। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तत्काल में तो पैसे वापस नहीं मिलते। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: लिखकर दे दो।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: सर, मैं नाम दे सकता हूं। वह तारीख भी बता सकता हूं। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया फिर परिवार गाड़ी में बैठेगा कैसे और बैठेंगे तो अंदर बैठने वाला टी.टी. परेशान करेगा। इसलिए तत्काल स्कीम के अंदर परिवर्तन लाकर यात्रियों की आपने परेशानियां बढ़ा दी हैं। 5 दिन पहले की बुकिंग की बात तत्काल में कैसे हो सकती है? यह बात समझ में नहीं आती है। एमर्जेंसी तो एमर्जेंसी है। आज मुझे समाचार मिल गया है कि अहमदाबाद में कुछ हो गया है, कोई घटना घटित हो गयी है, बच्चे डूब गये हैं तो तुरंत भागना पड़ता है। इसलिए तत्काल का मतलब तुरंत होता है। 5 दिन पहले तो बहुत सारा काम हो सकता है। यह तो मैंने एक ही स्टेशन की बात कही है। आज हजारों स्टेशंस हैं और हजारों स्टेशंस पर हजारों लोग तत्काल बुकिंग लेते हैं। इसलिए उनके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। ...*(व्यवधान)* गुजरात के अंदर जो पश्चिम जोन है, सबसे ज्यादा आमदनी पश्चिम जोन की है, फिर भी गुजरात के साथ अन्याय किया जाता है, वह आप सब जानते हैं। हमने रेल बजट पर भी वाक-आउट किया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको 15 मिनट हो गये हैं और आपकी पार्टी के और भी मैम्बर्स अभी बोलने वाले हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद से इलाहाबाद ट्रेन दी जाए, अहमदाबाद-कन्याकुमारी ट्रेन दी जाए, अहमदाबाद-रामेश्वरम ट्रेन दी जाए, अहमदाबाद और गांधीनगर को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाए। अहमदाबाद-कोटा मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तन करने के लिए मंजूरी दी गई है लेकिन फंड का आबंटन नहीं किया गया है। क्या गुजरात में भाजपा की सरकार है, इसीलिए आप अन्याय कर रहे हैं। मैं 20 साल से मांग कर रहा हूं। आपने मुझे तो निराश किया है, मेरे क्षेत्र के लोगों को भी निराश किया है। जब और जगह फंड दिया गया, बिहार में सब ट्रेन्स चली जाएंगी, साउथ इंडिया में सारी ट्रेन्स चली जाएंगी तो गुजरात कहां जाएगा? गुजरात में आपने नहीं दी। भावनगर से मुम्बई एवं दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए। मणिनगर-साबरमती इत्यादि रेलवे स्टेशन को बड़ा बनाया जाए।

सभापति महोदय: रतिलाल वर्मा जी, अब आप बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण करिए। अब आपकी बात हो गई। आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री एस.के. खारवेनथन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री खारवेनथन, कृपया आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं लेकिन माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आपके भाषण के सिवा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अतएव, कृपया बोलना शुरू करें।

*...(व्यवधान)**

कटौती प्रस्ताव

सांकेतिक

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत (गढ़वाल): कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

उत्तराखंड में नई दिल्ली और रामनगर के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित कोच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। (127)

नई दिल्ली और कोटद्वार के बीच प्रतिदिन शताब्दी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (128)

नीति निरनुमोदन

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू करने में असफलता। (129)

सांकेतिक

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नई दिल्ली और देहरादून के बीच रेलमार्ग का दोहरीकरण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता। (130)

सेलाकी विकास नगर से होकर देहरादून से कालसी तक रेलवे लाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (131)

देहरादून और मुंबई के बीच प्रतिदिन एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (132)

श्री एस.के. खारवेनथन: सभापति महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) पर समर्थन देने के लिए खड़ा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारवेनथन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगों को समर्थन देने के लिए खड़ा हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री, श्री लालू प्रसाद, श्री आर. वेलू तथा श्री राठवा तथा उनके दल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस देश में रेलवे प्रणाली में सुधार लाने तथा इस वर्ष 25,000 करोड़ रुपयों का लाभ अर्जित करने के लिए बधाई तथा धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय रेल के पास विश्व में सबसे लम्बा मार्ग है। इसके पास 63,327 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन, 45,350 सवारी डिब्बे तथा 2,08,528 मालडिब्बे हैं तथा लगभग 17 मिलियन यात्री रोज भारतीय रेल का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 2 मिलियन टन माल प्रतिदिन रेलवे लाइन के माध्यम से ढोया जाता है।

वर्ष 1835 में, भारतीय रेल अस्तित्व में आई तथा अब हमारी रेल प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। जहां तक दुर्घटना का संबंध है, मैं कतिपय आंकड़े पेश करना चाहता हूं। लगभग 6 लाख कर्मचारी भारतीय रेल में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। इस देश में 18,200 बिना चौकीदार वाले तथा 16,609 चौकीदार वाले समपार हैं। यदि आप दुर्घटनाओं की सूची देखें तो प्रत्येक वर्ष बिना चौकीदार वाले समपार में हुई दुर्घटनाओं में लगभग 141 व्यक्ति मरते हैं तथा 150 व्यक्ति घायल होते हैं। यदि हम गत पांच से सात वर्ष में सं.प्र.ग. सरकार के अस्तित्व में आने तथा लालू जी द्वारा रेल मंत्रालय का भार संभालने के बाद हुई दुर्घटनाओं तथा मृत्यु की तुलना करें तो पाएंगे कि दुर्घटनाओं की संख्या तथा मृत्यु में कमी आई है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस संबंध में, मैं कतिपय तथ्य पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2001-02 में 144 लोग मारे गए थे; वर्ष 2002-03 में यह 157 था; वर्ष 2003-04 में यह 135 था तथा लालूजी का रेलमंत्री के रूप में भार संभालने के अर्थात् 2004-05 में यह घटकर 50 हो गया। 2006-07 में यह संख्या 38 थी तथा 2007-08 में यह नौ थी। यह रेल मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि दुर्घटना से बचने के लिए विशेषरूप से बिना चौकीदार वाले समपार पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया जाना चाहिए या सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपार में बदला जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे को प्रतिवर्ष रख-रखाव के लिए 700 करोड़ रुपयों की राशि के साथ 2,450 करोड़ रुपये व्यय करना है। चूंकि हमें रेलवे से 25,000 करोड़ रुपयों की आय हो रही है, रेलवे को सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण करने के लिए कदम उठाना है।

इसके आगे, मैं रेलवे समपारों पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में उल्लेख करना चाहता हूं। चौकीदार वाले समपारों पर यदि रेल कर्मचारी की लापरवाही के चलते कोई व्यक्ति मर जाता है या घायल हो जाता है तो मरने वाले के लिए क्षतिपूर्ति केवल 6,000 रुपये तथा गंभीर रूप से घायल के लिए क्षतिपूर्ति केवल 2,500 रुपये हैं तथा साधारण दुर्घटना के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए तथा वृद्धि की जानी चाहिए।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान मेरे राज्य की कुछ योजनाओं विशेषरूप से चेन्नई तथा बंगलौर के बीच मालदुलाई गलियारा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अब बंगलौर आईटी क्षेत्र का केन्द्र है तथा अन्य हजारों उद्योग हैं। इसके आगे, रास्ते में श्रीपेराम्बूदूर है, जो कार तथा सेलफोन उद्योग का केन्द्र है। इसे डिट्राट आफ इंडिया भी कहते हैं।

महोदय, चेन्नई सभी प्रकार के उद्योगों वाले सबसे पुराने शहरों में से एक है। चेन्नई तथा बंगलौर के बीच मालदुलाई गलियारा बनाने की आवश्यकता है। यह दक्षिण भारत के लोगों विशेषरूप से कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लोगों का लंबित अनुरोध है। अतएव, मैं माननीय रेल मंत्री से चेन्नई तथा बंगलौर के बीच मालदुलाई गलियारा के जल्द क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि सबरीमाला दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मौसम के दौरान प्रतिदिन यहां पूरे देश से साथ ही पूरे विश्व से लाखों भक्त आते हैं। पलानी हिल में दर्शन के पश्चात् भक्त डिंडिगुल होकर सबरीमाला का दौरा करते हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से रेल लाइन के माध्यम से सबरीमाला और डिण्डिगुल को जोड़ने का अनुरोध करता हूं। यह यहां के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग है। इसके अतिरिक्त, डिण्डिगुल-कुमुली रेल लाइन के लिए एक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। सर्वेक्षण हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है, किंतु उस योजना की इस बार भी घोषणा नहीं की गई है।

डिण्डिगुल-कुमुली रेल लाइन तेनी, कम्बम, बोदी और ऐसे सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ रही है। महोदय, डिण्डिगुल वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र है, जहां 136 से अधिक कताई मिलें हैं। इसलिए, यह कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाना चाहिए।

मैं ईरोड-पलानी नई रेल लाइन परियोजना स्वीकृत करने के लिए भी माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और स्वीकृत भी हो गई। इस योजना की इस वर्ष के बजट में घोषणा भी की गई थी। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन के लिए धनराशि आबंटित करें। मैं माननीय रेल मंत्री, लालू जी का श्रीपेरम्बदूर को अंबाजी से जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद करता हूं। जहां हमारे महान नेता राजीव गांधी मारे गए थे।

आज, यह एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र बन गया है। इसके लिए धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। यह योजना स्वीकृत की जानी चाहिए और इसे कार्यान्वित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि चामराजनगर, कर्नाटक में महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है और यह मैसूर के नजदीक है। श्री देवेगौडा जी के शासन के दौरान वर्ष 1996-97 में बंगलौर से सत्यमंगलम तक एक परियोजना स्वीकृत की गई। सर्वेक्षण पूरा हो गया था। हमारी सरकार ने अंतिम स्थल चयन का सर्वेक्षण भी कर लिया है। किंतु यह योजना स्वीकृत नहीं की गई है और लंबित है। यह परियोजना दो राज्यों-तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ रही है। इसलिए, यह पश्चिम, तमिलनाडु के लोगों का अनुरोध है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाए। अतः, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को पूरा किया जाए और इस परियोजना को स्वीकृत करके कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने के लिए कदम उठाए।

रेलवे के पास सभी ट्रेनों में गैर-वातानुकूलित डिब्बे हटाए जाने का प्रस्ताव है। अस्थमा के रोगी और फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति प्रथम वातानुकूलित या द्वितीय वातानुकूलित या तृतीय वातानुकूलित डिब्बों में सफर नहीं कर सकते। इसलिए गैर-वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटाए नहीं जाने चाहिए। इन्हें

[श्री एस.के. खारवेनथन]

सभी ट्रेनों में जारी रखना चाहिए। इससे मरीजों को रेलगाड़ी द्वारा अस्पताल जाने में सहायता मिलेगी।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि रेलगाड़ियों में सभी डिब्बों में यह जानने के लिए एक डिस्पले बोर्ड लगा होना चाहिए कि अगला स्टेशन कौन सा है और ट्रेन अगले स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी। यह सभी ट्रेनों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

अब मैं स्वच्छता के मुद्दे पर आता हूं। मैं रेलगाड़ियों में ईरोड से चेन्नै या डिण्डिगुल से चेन्नै यात्रा करता हूं। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों और शौचालय को समुचित तरीके से साफ नहीं किया जाता और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में शौचालयों की हालत बहुत खराब है। इसलिए स्वच्छता को महत्व दिया जाना चाहिए।

महोदय, बंगलौर एक महत्वपूर्ण शहर है। मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। कोयम्बटूर एक अन्य वस्त्र केन्द्र है। बंगलौर और कोयम्बटूर के बीच 11 एक्सप्रैस रेलगाड़ियां है किंतु इन ट्रेनों में से किसी में भी प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित डिब्बा नहीं है। मैं रेल मंत्री से बारंबार अनुरोध कर रहा हूं कि कुछेक रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे जोड़ें और कम से कम आइलैंड एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी का एक डिब्बा होना चाहिए।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में ओटानचटराम एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह एक ऐसा केन्द्र है, जहां कृषि उत्पादों का विपणन किया जाता है और वहां से देश के सभी स्थानों पर सभी सब्जियां ले जाई जाती हैं तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विपणन किया जाता है। वहां एक रेलवे स्टेशन है। यह सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है किंतु वहां कोई कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा नहीं है। इसलिए, इस रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदय, पलानी एक प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है, यह भगवान कार्तिक का मंदिर है। पूरे देश से लाखों की संख्या में भक्त पलानी आते हैं। यहां एक सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी बड़े क्षेत्रफल में फैली रिक्त भूमि है। इस प्रकार, यह भूमि स्टाफ के लिए रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण करने हेतु उपयोग में लाई जा सकती है और गेस्ट हाउसों का भी निर्माण किया जा सकता है ताकि मंदिर की यात्रा करने वाले सभी भक्तों के रहने/ठहरने की व्यवस्था की जा सके। केरल, कर्नाटक और अन्य स्थानों से आने वाले भक्तों को इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात् प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है। इस प्रकार, इस स्थान पर रेलवे के पर्यटक गृह का निर्माण किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अनुरोध है।

इसके अतिरिक्त, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि ज्यादातर रेलवे स्टेशनों में, ट्रेनें प्लेटफार्म के नजदीक नहीं रुकती हैं। इसके कारण वृद्ध लोग और अव्यस्क बच्चे रेलगाड़ियों से उतर नहीं पाते या उसमें चढ़ नहीं पाते। इसलिए, रेलगाड़ियों को केवल प्लेटफार्म पर ही रुकना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, मैं रेलवे की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपने रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव उनके दोनों सहयोगियों, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और माननीय रेलवे के संपूर्ण कर्मचारियों का गत चार वर्षों के दौरान उनके शानदार निष्पादन के लिए बधाई देता हूं।

सायं 7.49 बजे

[*श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुईं*]

सभापति महोदया, गत चार रेल बजटों के दौरान यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं हुई और मालभाड़ा किरायों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हम यह महसूस करते हैं कि यह सब केवल श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में क्षमता के प्रभावी उपयोग के कारण ही हुआ है।

लेकिन मैं एक बात माननीय रेल मंत्री से जरूर कहना चाहता हूं कि 1853 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 54000 किमी. रेल लाइन बिछाई गई, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के पश्चात् भी केवल 7000 से 8000 किमी. नई रेल लाइनें ही बिछाई गई हैं, जबकि मांग इससे भी कहीं अधिक है।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय, आपको मालूम ही होगा कि इस्पात की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? आपके बजट में इस समस्या से निपटने के लिए प्रावधान कहां है? मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी रखें। अन्यथा, आपके पास जो भी परियोजनाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए उन्हें पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा।

इसी प्रकार मंत्री महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछेक बिंदुओं पर ध्यान दें, चूंकि आप रेलवे में कामकाजी वर्ग के लिए गंभीरता से सोच रहे हैं। हमारे खादी उत्पादों, देश भर में स्व-सहायता समूहों द्वारा विनिर्मित किए गए उत्पादों को रेलवे में गंभीरता से शुरू किया जाना चाहिए। चूंकि रेलवे बहुत अच्छा

उपभोक्ता है, इससे स्व-सहायता समूहों और खादी समूहों को अपने उत्पादों की प्रभावी रूप से बिक्री करने में सहायता मिलेगी। उन्हें अपेक्षित मूल्य भी मिलेगा।

मंत्री महोदय, आप जानते होंगे कि हजारों फेरीवाले वाले हैं, जिनके पास रेलवे प्राधिकरण का लाइसेंस नहीं है। इस समय वे सभी अवैध रूप से फेरी लगाते हैं। रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है और हम सब यह महसूस करते हैं कि उन्हें आवश्यक लाइसेंस उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वे सभी बहुत गरीब लोग हैं, वे यात्रियों की सेवा कर रहे हैं अर्थात् वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। आपने मूल्यवृद्धि पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री, श्री शरद पवार का भाषण सुना होगा कि सच्चाई क्या है। आप फल-फूल और सब्जी बोलिए हमारे पास शीतागार नहीं है। आपकी जो ट्रेन है, जिस गाड़ी से आप माल भेजते हैं। अगर आप कुछ शीतागार सुविधा प्रदान कर सकते हैं तो इन सभी सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्रतिदिन 30 प्रतिशत सब्जियां खराब हो जाती हैं। इसलिए, यदि हम प्रभावी वितरण तंत्र बना सकते हैं, तो यह गरीब लोगों तक पहुंच पाएगी; मूल्य वृद्धि काफी हद तक कम हो जाएगी।

अब मैं, मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के संबंध में कुछ मुद्दे उठाऊंगा और सुझाव दूंगा। हमारे पास पहले ही तीन टर्मिनल हैं। परंतु दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बारे में क्या होगा? यह मेरा विशिष्ट सुझाव है कि कोलकाता में कहीं अधिमानत: माजरहाट में एक टर्मिनल होना चाहिए। इसी प्रकार, दक्षिणेश्वर मंदिर तक मेट्रो को बढ़ाया जाना चाहिए। हमने इस संबंध में आपसे चर्चा भी की है। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल तक बढ़ाया जाना चाहिए। आपने हमें बताया था कि रेलवे द्वारा पहले निर्माण किया गया था परंतु यह प्रभावी नहीं है। जी हां, हम आपसे सहमत हैं। परंतु कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हवाई जहाज से यात्रा कर रहे यात्रियों को मेट्रो सुविधा प्राप्त हो।

कुछ मांगे हैं जो हमने पहले भी रखी हैं। रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने अनेक बार यह सिफारिश की है परंतु उन सिफारिशों पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा विशिष्ट अनुरोध है कि सियालदाह-एनजीपी-शताब्दी रेल को दैनिक आधार पर चलाया जाए।

तत्पश्चात् सियालदाह-हजदोनी एक्सप्रेस को दैनिक आधार पर चलाया जाए। तत्पश्चात् तारकेश्वर नेलीकुल तथा जिराट-कटवा रेल लाईन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् डानकुनी पत्तन तक फ्रेट कारीडोर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् आप जानते होंगे कि बारगाचिया से चम्पदानी तक ब्राडगेज लाईन के निर्माण का एक प्रस्ताव आपके पास लंबित पड़ा है। परंतु निधियों की कमी के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकी है। इसलिए, निधियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब, एक अन्य समस्या जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि उड़ीसा से हमें इस्पात प्राप्त हो रहा है। छोटे विनिर्माताओं को रेक प्राप्ति में अत्यधिक कठिनाई होती है। सभी बड़े अधिकारी जानते हैं कि रेक प्राप्ति के लिए बहुत पैसा खर्चना पड़ता है तथा इस कारण इनका बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तत्काल प्रणाली आरंभ की जाए ताकि उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो।

अब कार्यशाला में अधिप्राप्ति में जो भी मदें रेलवे खरीद रही है, यह सबको पता है। वहां गठजोड़कर बेईमानी चल रही है। वहां तीन या चार आपूर्तिकर्ताओं के समूह हैं। उनका गठजोड़ है। वे निर्णय लेते हैं कि रेलवे को किस दर पर आपूर्ति करनी है। इस प्रकार रेलवे को हानि हो रही है। धन के गबन को रोका जा सकता है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री इसकी जांच करेंगे।

अब, लिलुआ में एक बहुत बड़ी झील है जिसे रानीझील के नाम से जाना जाता है। अब, यह कचरा डालने का स्थान बन गया है। उस स्थान के हित में मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनेक बार अनुरोध किया परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार लिलुआ में एक आरओबी का निर्माण किया गया है। आरओबी का निर्माण किए जाने के बाद, साईड गेट बंद कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप, यदि स्थानीय लोग स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति तथा विद्यार्थी जो विद्यालय या अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं उन्हें 500 मीटर अधिक चलना पड़ता है। अगर आप केवल द्वार खोल देंगे तो इससे स्थिति में सुधार होगा।

सभापति महोदया: अब, मेरा विचार है कि आपका भाषण समाप्त हो गया है।

श्री सुधांशु सील: लालू जी, मैं केवल यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि पश्चिम बंगाल के लिए बनाई गई स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। यह दस्तावेजों में हैं। चूंकि समयाभाव है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। हमारे सभापति, श्री बसुदेव आचार्य जी ने पहले ही 11 मांगें रख दी हैं और वे स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट हैं। मैं आपसे इन सभी प्रस्तावों पर विचार करने तथा जनहित में उन्हें निष्पादित करने का अनुरोध करूंगा।

रात्रि 8.00 बजे

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर): सभापति महोदया, चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विशिष्ट रूप से उड़ीसा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारी राज्य सरकार तथा साथ ही गृह समिति ने रेल मंत्रालय के सामने कुछ मांगें रखी थी।

हमने निर्माणाधीन छह रेलवे लाईनों जो कार्याधीन है, को पूरा करना, दो छोटी लाईनों को बड़ी लाईन में आमान परिवर्तन, सात नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य, दो रेलवे लाईनों का दोहरीकरण तथा चार रेल लाईनों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किए जाने तथा उड़ीसा के लिए सत्रह नई रेल आरंभ किए जाने की मांग की थी।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में चार नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं परंतु रेल मंत्री के राज्य में 17 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। वर्तमान बजट में हमें 960 करोड़ रुपये दिए गए हैं। परंतु मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमें रेल विभाग के अधिकारियों की कार्यक्षमता पर संदेह है। हमें आशंका है कि क्या 960 करोड़ रुपये वास्तव में खर्च भी किए जायेंगे या नहीं। पिछले वित्त वर्ष 2007-08 में उड़ीसा के पूर्व-तटीय रेलवे को 665 करोड़ रुपये दिये गए थे जिसमें से केवल 290 करोड़ रुपये ही खर्चे जा सके और बाकी 375 करोड़ रुपये को वापिस कर देना पड़ा। इस परिपाटी को ध्यान में रखते हुए हमें संदेह है कि क्या 960 करोड़ रुपये भी खर्चे जा सकेंगे या नहीं।

महोदया, मैं उड़ीसा की कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाईनों के संबंध में रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे हैं:-

(1) लांजीगढ़-जूनागढ़ लाइन

(2) खुर्दा-बोंलगीर लाइन

(3) अंगुल-डुबरी-सुखिंदा लाइन

(4) तालचेर-बिमलागढ़ लाइन

(5) दाईतरी-बांसपानी लाइन

(6) हरिदासपुर-पाराद्वीप रेल लाइन आदि।

महोदया, उड़ीसा के विकास के लिए ये रेल परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतिरिक्त निधियां आबंटित करने संबंधी हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हमने 289 किलोमीटर तक फैले खुर्दा-बोलनगीर रेलवे लाईन के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। परंतु अब रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना का कार्य रोकने के लिए एक पत्र भेजा है। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कार्य रोकने का निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस सूचना को आधारहीन बताया है, समाचार-पत्रों ने उक्त पत्र की फोटोकापी प्रकाशित की है।

यहां एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु जिसे मैं उठाना चाहूंगा। जो रेलवे में भर्ती से संबंधित है। महोदया रेलवे सबसे अधिक रोजगार देता है। पूर्व तटीय रेलवे ने समूह 'घ' सेवाओं के 5200 पदों का विज्ञापन दिया था। कई उड़ीसा युवा उन पदों पर आमेलित होने की आशा कर रहे थे। लिखित और शारीरिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आश्चर्यजनक रूप से करीब 70 प्रतिशत चुने गए अभ्यर्थी बिहार से हैं और शेष 30 प्रतिशत अभ्यर्थियों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के अभ्यर्थी शामिल हैं। इससे मुझे यहां यह जिक्र करते हुए खेद हो रहा है कि उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा में ही वरीयता नहीं दी गयी।

हमारा संघीय ढांचा है जहां पर संविधान का अनुच्छेद एक प्रत्येक संघीय इकाई को बराबर का दर्जा देता है। सभी राज्यों को एक समान मानना चाहिए और सभी के प्रति एक जैसा सम्मान रखना चाहिए। परंतु उड़ीसा को हमेशा वंचित रहना पड़ता है। पिछले 50/60 वर्षों से उड़ीसा के साथ बुरा बर्ताव किया गया है और उसके प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है जो उचित नहीं है। बार-बार मांग करने के बाद हमें एक गरीब रथ दी गई है जो हास्यास्पद रूप से रांची से प्रारंभ होकर भुवनेश्वर आती है और उस पर इसका समय ऐसा है कि इससे उड़ीसा के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

महोदया, मैं आपका ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में पितृश्राद्ध के लिए हमारे तीन महत्वपूर्ण स्थान बिहार में मस्तक गया, आंध्र प्रदेश में राजमहिन्द्री में पादगया और उड़ीसा, जाजपुर में नवी गया। हालांकि बिहार के गया और राजमहिन्द्री रेलवे से बेहतर ढंग से जुड़े हुए हैं परंतु उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र स्थित नवी गया को राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग से जोड़ा जाना अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त जाजपुर तत्कालीन कलिंगा की सर्वाधिक प्राचीन राजधानी नगर था और नवी गया महाभारत से भी पहले युग से तीर्थस्थान बना हुआ है। यह स्थान पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर तथा कोर्णाक मंदिर से भी पुराना है। असंख्य पुराणों और महाभारत में भी इस स्थान का उल्लेख किया गया है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा उड़ीसा के पूर्व मुख्य मंत्री स्व. श्री विश्वनाथ दास, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और मंत्री स्व. एच.एल. बहुगुणा तथा संसदविद एवं समाजवादी नेता स्व. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने इस धार्मिक स्थान का विकास करने

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

की मांग की थी। अतएव तुरंत इस दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि उड़ीसा के जाजपुर की बैतरणी नदी के किनारे बसे द्वादशमेघा घाट के साथ नवी गया को जोड़ने वाले संपर्क लिंक का विकास हो सके।

महोदया, जाजपुर क्योंझर मार्ग पर स्टील नगर कालिंगा नगर बसा हुआ है जो तेजी से विकसित होता हुआ एक औद्योगिक क्षेत्र है। परंतु जाजपुर रोड स्टेशन सर्वाधिक उपेक्षित स्टेशन है। यहां पर न तो राजधानी और न ही कोई एक्सप्रैस रेल रूकती है। स्टेशन पर पेय जल, शौचालय, विश्राम गृह आदि जैसी कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। यह स्टेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और मैंने रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का बारंबार प्रयास किया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। 'धनमण्डल' एक अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन है जो कि ललितगिरी, रतनगिरी आदि जैसे बौद्ध स्थलों का प्रवेश द्वार है। यदि इस स्टेशन को समुचित रूप से उन्नत किया जाता है तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पर्यटकों को आकर्षित करेगा। रेल विभाग की उड़ीसा के प्रति उदासीनता असहनीय है। यदि यह सौतेला व्यवहार नहीं रुका तो उड़ीसा के लोग सड़कों पर उतर आएंगे।

महोदया, लालू प्रसाद जी ने कई अच्छे कार्य किए हैं परंतु वे उड़ीसा के प्रति उदार नहीं रहे हैं। हम इतिहास में भी ऐसा देख सकते हैं एक बार मगध (बिहार) के राजा ने कलिंगा (उड़ीसा) पर आक्रमण किया था और अब अपने शोचनीय रवैये से रेल विभाग उड़ीसा पर आक्रमण कर रहा है। पूर्व तटीय रेल अधिकारियों का मनोमस्तिष्क उड़ीसा के लोगों के प्रति नकारात्मक है। वे उड़ीसा के युवाओं को रेलवे में रोजगार देने से वंचित कर रहे हैं। वे उड़ीसा आधारित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत आबंटन खर्च नहीं कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अतएव मैडम आपके माध्यम से मैं उड़ीसा के लिए न्याय की मांग कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे कुछ मुद्दों के ऊपर बोलने का मौका दिया। रेलवे बजट के इस सप्लीमेंट्री बजट को सपोर्ट करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं रेल मंत्री लालू जी का बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस रेलवे बजट में मेरी दो डिमांड पूरी की हैं। आपने रोटेगांव और पुन्तांबा का सर्वे करने का आदेश दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रोटेगांव और पुन्तांबा का काम अगर हो जाता है, पुन्तांबा-शिरडी के रास्ते का काम जो अभी चालू है, इससे डायरेक्ट लोग शिरडी से तिरूपति जा सकेंगे और तिरूपति से शिरडी तक आ सकेंगे, इसलिए यह रास्ता हमें चाहिए। आपने इसे मान्य किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसका काम फास्ट होगा, तो रेलवे को भी इससे प्राफिट होगा।

दूसरा, हमारे यहां के स्वतंत्रता सेनानी जो मराठवाड़ा क्षेत्र के हैं, उन्होंने इसकी डिमांड की थी शोलापुर से जलगांव का जो रास्ता है, उसको भी आपने मान्य किया, जैसे शोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, बीड, गेवराई, पैठन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, सिल्लौर, अजंता, जलगांव। पूरे मराठवाड़ा का सर्वे करने का आदेश आपने दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह काम फास्ट होना चाहिए, इसकी मैं आपसे डिमांड करता हूं।

तीसरा, पिछले बजट में आपने हमारी मांग पूरी की थी कि एक नयी रेल मुंबई से संभाजीनगर, औरंगाबाद और औरंगाबाद से मुंबई तक जनशताब्दी ट्रेन शुरू करने की बात की थी। वह शुरू हो गयी, लेकिन उसका जो समय है, वह ऐसा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। औरंगाबाद से वह चार बजकर पचास मिनट पर निकलेगी और दस बजकर पचास मिनट पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पर पहुंचेगी, तो वहां सारे मंत्रालय के और अन्य आफिसेज के काम हो सकेंगे और वह ट्रेन फिर शाम को वापस चलेगी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शाम पांच बजकर पचास मिनट पर और रात में ग्यारह बजकर पचास मिनट पर संभाजीनगर, औरंगाबाद में आएगी। इस तरह से ट्रेन का बहुत अच्छा सा उपयोग होगा और सारे मराठवाड़ा के और मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका बेनेफिट होगा, इसके साथ ही इससे टूरिस्ट को भी बेनिफिट होगा। मंत्रालय, मुंबई में जो काम होता है, उसके लिए भी बहुत से लोग वहां से आना-जाना करेंगे। मैंने रेलवे अधकारियों से भी चर्चा की कि जून-जुलाई में जब टाइम टेबल पर विचार करेंगे, तब उसमें इसे देखें। मेरी आपसे इसके लिए विनती है।

आपने मुझसे कहा था, मैं और मेरे बीड के साथी सांसद, जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील जी, हम दोनों ने नगर बीड, परली के संबंध में डिमांड की थी। आपने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर लाइए। माननीय गायकवाड़ जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आपको लेटर भी दिया कि फिफ्टी-फिफ्टी शेयर पर हम लोग इसे करेंगे। आप इसे मान्यता दीजिए, ताकि बहुत जल्दी यह रास्ता शुरू हो जाए। कई दिनों से नगर बीड़, परली का मार्ग का काम रुका पड़ा हुआ है, इससे वह पूरा हो जाएगा।

मेरी एक नयी डिमांड इसलिए है कि हमारी सारी गाड़ियां अभी नांदेड़ के आगे निजामाबाद और हैदराबाद तक जाती हैं। आप गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। गरीबों के लिए नांदेड़ से मुंबई और मुंबई से नांदेड़ एक पैसेंजर ट्रेन चालू करिए। सारे गरीब लोग आपको बहुत दुआएं देंगे।

मेरी लास्ट डिमांड यह है कि जो मराठी स्पीकिंग भाग है, वह साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, हमारी कई वर्षों से इसके लिए डिमांड है कि नांदेड़ डिवीजन को मुंबई के सेंट्रल रेलवे के

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

कक्ष से जोड़ दीजिए। इसके लिए हमने कई बार प्रार्थना की। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का ठहराव भी उसमें दिया गया है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के ठहराव की कापी आपको दे दी है। दोनों सरकारें मानती हैं कि मुठखेड़ और धर्माबाद को लेकर जो नांदेड़ डिवीजन है, वह पूरा का पूरा मराठी स्पीकिंग होने के कारण से सेंट्रल रेलवे में जोड़ा जाए, ताकि किसी भी तरह का डिस्प्यूट न हो। वहां आंध्र प्रदेश के लोग आते हैं। गरीब लोग वहां टिकट के लिए आते हैं, उनको मराठी में अपनी बात कहते हैं, लेकिन जितने वहां आंध्र प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे मराठवाड़ा की अस्मिता है। मराठवाड़ा ने इसके लिए बहुत बड़ा एजीटेशन किया था। इसके लिए मैं भी आपसे विनती करूंगा। कैबिनेट तक इसका प्रस्ताव जाएगा और दोनों स्टेट के कैबिनेट ने आपके पास प्रस्ताव भेजा है। आप किसी भी हालत में हमारे मराठवाड़ा की डिमांड मंजूर करें, इसके लिए मैं आपसे बहुत-बहुत विनती करूंगा कि नांदेड़ डिवीजन, धर्माबाद, मुठखेड़ को जोड़कर सेंट्रल रेलवे से जोड़ा जाए, यह हमारी डिमांड है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील (बीड): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अहमदनगर-बीड-परलीवैद्यनाथ नई रेल लाइन मेरे क्षेत्र से जा रही है। इसे फरवरी, 1997 में मंजूरी मिली है। इस 250 किलोमीटर और 354 करोड़ रुपये की लागत की रेल लाइन का दाम दुगुना हो गया है यानी करीब-करीब 800 करोड़ रुपये हो गया है। इस लाइन के बारे में बहुत बहस, निवेदन, मोर्चे, आन्दोलन, सत्याग्रह आदि सब कुछ हो चुका है। मैं इस रेल लाइन के लिए दस सालों से मांग कर रहा हूं। माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी ने मंशा जाहिर की थी कि राज्य सरकार इसमें कुछ सहयोग करे। यदि राज्य सरकार सहयोग देगी तो हम जरूर पहल करेंगे। एक अच्छी बात हुई कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने एक अप्रैल को माननीय लालू प्रसाद जी को विस्तार से एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि हम इसका आधा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। मैंने उसकी प्रति अभी-अभी माननीय रेल मंत्री जी को दी है। मेरी रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि अब वे इस पत्र का आधार लेकर महाराष्ट्र के सहयोग से नई रेल लाइन के कार्य को गति दें और पूरा करें।

श्री संतोष गंगवार: मंत्री जी, आप बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां सांसद जो बोलते हैं और अपने क्षेत्र की मांगें रखते हैं, उनको मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आता। मेरा आपसे आग्रह है कि जो सदस्य अपने क्षेत्र की बात यहां उठाते हैं, अगर आपके यहां से उनके पास पत्र आ जाए तो हमें भी क्षेत्र में बताने के लिए रहेगा कि हमने यह बात उठाई है। मेरा निवेदन है कि आप निर्देश दीजिए कि उसमें जो भी फालो-अप हो, उसकी जानकारी हम सबको मिले।

श्री लालू प्रसाद: ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा कल 17 अप्रैल, 2008 को ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 2008/28 चैत्र, 1930 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री गुंडलूर निजामुद्दीन श्री जोरा सिंह मान	341
2.	श्री रेवती रमन सिंह	342
3.	एडवोकेट सुरेश कुरुप श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	343
4.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	344
5.	श्री जुएल ओराम श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	345
6.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	346
7.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	347
8.	श्री संजय धोत्रे श्री अनन्त नायक	348
9.	श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील श्री बालेश्वर यादव	349
10.	श्री संतोष गंगवार प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	350
11.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री वी.के. दुम्मर	351
12.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	352
13.	श्रीमती मेनका गांधी	353
14.	श्री पुन्नूलाल मोहले	354
15.	श्री थावरचन्द गेहलोत	355
16.	श्री सुनील खां	356
17.	श्री रमेश दूबे श्री चन्द्रभूषण सिंह	357
18.	श्री अबु अयीश मंडल	358
19.	श्री गणेश सिंह	359
20.	श्री काशीराम राणा	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3462
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3481, 3513, 3540, 3547
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3429, 3475, 3509
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3377, 3456, 3515
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3412
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	3392, 3417, 3512
7.	आठवले, श्री रामदास	3390, 3466, 3507, 3535, 3545
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3422, 3480
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3391, 3468
10.	बर्मन, श्री हितेन	3435
11.	बर्मन, श्री रनेन	3371, 3435, 3484, 3518
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3441, 3493, 3523
13.	भगोरा, श्री महावीर	3436, 3490, 3493
14.	भाईलाल, श्री	3444
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	3395, 3491, 3522
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3374
17.	बोस, श्री सुव्रत	3435, 3489, 3521
18.	चौरे, श्री बापू हरी	3460
19.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3467
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3509
21.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3386
22.	चौधरी, श्री पंकज	3510
23.	चौधरी, श्री अधीर	3415
24.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3382

1	2	3
25.	देवरा, श्री मिलिन्द	3372, 3458, 3501
26.	धोत्रे, श्री संजय	3460, 3473
27.	दूबे, श्री रमेश	3450
28.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	3411
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3425
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3391, 3468
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3428, 3431, 3483, 3511, 3512
32.	गांधी, श्रीमती मेनका	3462, 3502, 3528, 3542
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3473
34.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3426
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	3438, 3492
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	3384, 3394, 3459
37.	जिन्दल, श्री नवीन	3367, 3453
38.	जोशी, श्री प्रहलाद	3409
39.	कनोडीया, श्री महेश	3391, 3430, 3468
40.	करूणाकरन, श्री पी.	3405, 3467
41.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3391
42.	खां, श्री सुनील	3415, 3448
43.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3376
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3381, 3465, 3512, 3520, 3539
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3368, 3396, 3449, 3500, 3527
46.	कोया, डा. पी.पी.	3549
47.	कृष्ण, श्री विजय	3389, 3425, 3471, 3525
48.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3472, 3508, 3530
49.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3401, 3419
50.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3413, 3487, 3495, 3524
51.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3387
52.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3424
53.	महरिया, श्री सुभाष	3383, 3427
54.	महतो, श्री नरहरि	3435, 3437
55.	मंडल, श्री सनत कुमार	3474
56.	मिडियम, डा. बाबू राव	3492
57.	मेघवाल, श्री कैलाश	3375, 3390, 3455, 3480, 3498
58.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3418
59.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3403, 3430
60.	मुफ्ती, सुश्री महबूबा	3388
61.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3423, 3450
62.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3439
63.	निहाल चन्द, श्री	3427
64.	निखिल कुमार, श्री	3415, 3476, 3511
65.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3452
66.	ओराम, श्री जुएल	3451, 3506
67.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3394, 3470, 3517, 3537, 3546
68.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3393, 3478
69.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3399
70.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3396
71.	पासवान, श्री रामचन्द्र	3407
72.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3402, 3509, 3531
73.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3420, 3479, 3512, 3534, 3544
74.	पाठक, श्री हरिन	3403, 3434, 3487
75.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3445
76.	पिंगले, श्री देविदास	3445

1	2	3
77.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3414, 3475
78.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3416, 3475, 3543
79.	राणा, श्री काशीराम	3464, 3504, 3533, 3543
80.	राणा, श्री राजू	3430
81.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3417, 3477
82.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3408
83.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3446, 3497, 3526, 3541
84.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3416, 3464
85.	साय, श्री नन्द कुमार	3420, 3476, 3479, 3517, 3519
86.	साय, श्री विष्णु देव	3385, 3457
87.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3394, 3397, 3462
88.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3440
89.	सत्पथी, श्री तथागत	3369
90.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3399, 3406
91.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	3442, 3494
92.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3410, 3469, 3479, 3516
93.	शिवन्ना, श्री एम.	3387, 3415, 3476, 3496
94.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3399
95.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3370, 3447, 3480, 3499, 3536
96.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3366
97.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3504, 3505, 3531
98.	सिंह, डा. राम लखन	3550
99.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3418, 3509
100.	सिंह, श्री दुष्यंत	3443
101.	सिंह, श्री गणेश	3443, 3454, 3510, 3532
102.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3396, 3404, 3482, 3514
103.	सिंह, श्री राकेश	3379
104.	सिंह, श्री रेवती रमन	3461, 3503, 3529
105.	सिंह, श्री सुग्रीव	3420, 3476, 3479, 3544
106.	सिंह, श्री सूरज	3401
107.	सिंह, श्री उदय	3394, 3400, 3488, 3512
108.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3421
109.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3391, 3430, 3468
110.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3380, 3440
111.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3378
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	3419
113.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3403
114.	थामस, श्री पी.सी.	3433
115.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3463, 3505, 3509
116.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3399
117.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3396, 3485, 3519, 3538, 3548
118.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3398
119.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3391, 3468
120.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3402, 3429, 3463
121.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3410, 3469, 3479, 3486, 3551
122.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3428, 3431, 3483, 3511, 3512
123.	यादव, श्री गिरिधारी	3373
124.	यादव, श्री मित्रसेन	3432
125.	यास्खी, श्री मधु गौड	3428, 3431, 3483, 3511, 3512
126.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3536

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	345, 350, 353, 356, 359, 360
विदेश	:	357
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	343, 348, 354
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	349
योजना	:	352
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	341, 346, 347, 351, 355
अंतरिक्ष	:	342, 358
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	344

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3405, 3413, 3496
कोयला	:	3400, 3402, 3411, 3435, 3437, 3439, 3444, 3465, 3484, 3489, 3518, 3521, 3544
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3374
पर्यावरण और वन	:	3370, 3373, 3380, 3381, 3391, 3403, 3404, 3408, 3422, 3424, 3429, 3447, 3452, 3457, 3460, 3463, 3480, 3482, 3491, 3498, 3501, 3502, 3506, 3513, 3520, 3528, 3534, 3542, 3550, 3551
विदेश	:	3367, 3375, 3396, 3410, 3414, 3416, 3448, 3458, 3470, 3474, 3475, 3488, 3532, 3533, 3537, 3538, 3547

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3366, 3369, 3376, 3378, 3379, 3382, 3383, 3384, 3387, 3389, 3392, 3394, 3395, 3399, 3407, 3409, 3417, 3420, 3425, 3428, 3431, 3433, 3450, 3453, 3454, 3455, 3456, 3459, 3461, 3462, 3466, 3467, 3469, 3471, 3476, 3477, 3479, 3485, 3486, 3495, 3499, 3500, 3503, 3505, 3509, 3510, 3511, 3515, 3516, 3519, 3524, 3525, 3526, 3529, 3535, 3536, 3539, 3540, 3543, 3546, 3548, 3549
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3441, 3512
पंचायती राज	:	3423, 3445, 3472, 3508, 3530, 3545
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3388, 3393, 3427, 3432, 3464, 3483, 3497, 3504, 3507
योजना	:	3377, 3397, 3401, 3406, 3412, 3490, 3527
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	3372, 3385, 3418, 3419, 3421, 3430, 3434, 3436, 3438, 3440, 3442, 3443, 3451, 3468, 3473, 3478, 3481, 3487, 3492, 3493, 3494, 3517, 3523, 3531, 3541
अंतरिक्ष	:	3449
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	3371, 3426
युवक कार्यक्रम और खेल	:	3368, 3386, 3390, 3398, 3415, 3446, 3514, 3522.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/33/18/2008 (एम०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।